खण्ड-316, अंक-10
सोमवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1897
(28 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 (पारित)	1026–1041
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1041
ग्राम आसपुर खिछोला, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के श्री नत्थूलाल जाटव की पुलिस द्वारा मारे जाने से मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	1041–1043
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर के मैनेजर के विरुद्ध यूरिया घपले की जांच के सम्बन्ध में वक्तव्य	1043–1045
प्रदेश में शादियों के लिये चीनी का कोटा न निर्धारित किये जाने के विषय में वक्तव्य	1045–1047
जनपद वाराणसी के पुलिस अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप भारतीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1047–1051
रेनुकूट, जिला मिर्जापुर के रामलीला मैदान में उपपुलिस अधीक्षक, श्री कुबेर सिंह यादव की हत्या की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	1051–1056
प्रदेश के चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना रहने पर भी कतिपय जिलों में मिलों के बन्द किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	1056–1057
प्रदेश के 5 हजार होम्योपैथिक छात्रों के जीवन के साथ शासन द्वारा तथाकथित खिलवाड़ किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	1057–1059
साम्प्रदायिक दंगे पर वक्तव्य की मांग न करने की अपील	1059
नत्थियां	1060–1067

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 28 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—376

अंगनेलाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील श्री उर्फ निमी मियां, (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आशा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उम नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दरीव सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री

प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिह आर्य, श्री
बलवीर सिह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भामी, श्री
भारत सिह, श्री
भारत सिह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
मृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिह, राजा
महेन्द्र सिह, श्री
महेश सिह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रेसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिह यादव, चौधरी
मुलायम सिह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिह, श्री
यादवेन्द्र सिह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिह, श्री
रघुबीर सिह, श्री
रघुराज सिह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिह, श्री (जिला देवरया)
रणजीत सिह "जूदेव", श्री
रणधीर सिह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अवार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द, श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्रप्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय पाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह लेगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
बेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत्रुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री

शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धूसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--लघु उद्योग मंत्री श्री इस्तफा हुसैन व स्वायत्त शासन मंत्री श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 28 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

यज्ञोपवीत, मुण्डन, कथा आदि अवसरों के लिये चीनी का परमिट जारी करने की मांग

**1--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शादी विवाह की तरह अन्य अवसरों पर जैसे यज्ञोपवीत, मुण्डन, कथा, भागवत, जन्मोत्सव तथा तेरहीं आदि के अवसरों पर भी विशेष रूप से चीनी का परमिट दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

जी नहीं। भारत सरकार के निदेशानुसार इन अवसरों के लिये लेवी चीनी न उपयोग करने तथा प्रदेश को प्राप्त चीनी का कोटा उपभोक्ताओं को ही निर्धारित मात्रा में वितरण के लिये अपर्याप्त होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले के खड्डा ब्लाक के नारायणी पार के क्षेत्र में लघु उद्योग की स्थापना की मांग

*1—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के खड्डा ब्लाक के नारायणी पार के इलाके में क्शर लगाने तथा चटाइयां और टोकरियां बनाने का लघ् उद्योग चला कर वहां के लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

देवरिया जिले के खड्डा ब्लाक के नारायणी पार इलाके में क्शर लगाने तथा चटाइयां एवं टोकरियां बनाने का ग्रामोद्योग विभागीय तौर पर स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। सहकारी समिति अथवा संस्था के माध्यम से उक्त उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इन ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिये सहायता देने पर विचार किया जा सकता है।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, देवरिया जिला में नारायणी पार का इलाका 30 किलोमीटर लम्बा और 10 किलोमीटर चौड़ा है और इस क्षेत्र में 30 गांव समायें हैं और एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन यहां पर कोई भी उद्योग नहीं है। तो ऐसी जगह पर उद्योग कायम नहीं करेंगे तो कहां पर करेंगे ? क्या सरकार अपनी तरफ से कोई उद्योग स्थापित करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जिस इलाके का जिक्र माननीय सदस्य ने किया उसका सर्वे हम करायेंगे अपने अधिकारियों के द्वारा और उस समय माननीय सदस्य भी बतायें कि किस इलाके में किस योजना को चालू किया जा सकता है। अगर कोई दरख्वास्त सहकारी समिति के आधार पर या इन्डिविजुअल आवे तो उस पर हम विचार करेंगे ?

श्री श्रीनारायण—

कब तक सर्वे करायेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन—

हम अपने अधिकारियों को जल्दी भेजेंगे और माननीय सदस्य उनको सहयोग देंगे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जिस इलाके के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वह नारायणी नदी के उस पार पड़ता है। फलतः जो गन्ना पैदा होता है वह किसानों को खड्डा या दूसरी मिलों को ले जाना पड़ता है। ऐसे स्थान पर किसी क्शर को लाइसेन्स देने में क्या दिक्कत है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जो इलाका रिजर्व एरिया के बाहर है, उसमें लगा सकते हैं रिजर्व एरिया के अन्दर नहीं लगा सकते हैं। अगर बाहर लगाना चाहते हैं तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री रामायण राय--

आप स्वयं वहां के रहनेवाले हैं। अगर वह क्षेत्र रिजर्व एरिया में भी पड़ता हो तो भी वहां के किसानों को बड़ी कठिनाई पड़ती है।

श्री इस्तफा हुसैन--

इस प्रश्न पर कि जो इलाका रिजर्व एरिया के अन्दर है और उसमें गन्ना लाने में कठिनाई होती है, उस पर उस समय विचार हो सकता है, जब रिजर्व एरिया को निश्चित करने के लिए अधिकारी जाते हैं। हर साल इस पर विचार होता है।

श्री श्रीनारायण--

तो क्या माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र घोषित करके विशेष उद्योग स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मैंने निवेदन किया कि इस पर उस समय विचार हो सकता है जब एरिया रिजर्व किया जाता है और यह तय किया जाता है कि कौन-कौन हो और कौन-कौन न हो।

आजमगढ़ जिले के ग्राम आमक में खरीदे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान

*2--श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में ब्लाक मोहम्मदपुर के गांव आमक वगैरह में जून, 1974 में लेवी के लिये वसूल किये गये गेहूं की कीमत सरकार ने अ तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो सरकार गांव वालों को रुपया कब दिलायेगी ? तथा लेवी की कीमत न देने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

आजमगढ़ जिले में ब्लाक मोहम्मदपुर के गांव आमक वगैरह में माह जून, 1974 में खरीदे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान केवल एक किसान को छोड़कर समस्त विक्रेताओं को किया जा चुका है। उक्त एक किसान को भुगतान उसके उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका है। चूंकि मूल्य के भुगतान न किये जाने के विषय में कोई कर्मचारी दोषी नहीं है इसलिये उसके विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सह-अर्थ नियंत्रक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)---

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राज्य खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सह-अर्थ नियन्त्रक के विरुद्ध तत्कालीन उपाध्यक्ष का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 27-11-74 उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश और दिनांक 11-12-74 का शिकायती पत्र उप सचिव, उद्योग अनुभाग-2 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर सह-अर्थनियन्त्रक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जी हां। सह-अर्थनियन्त्रक को उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड से उद्योग निदेशालय में प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

श्री जगदीश अवस्थी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सह-अर्थनियंत्रक के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं ? क्या उन्हें पढ़ कर सुनाया जा सकेगा ?

श्री इस्तफा हुसैन---

खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने 2 पत्र लिखे थे एक डिप्टी सेक्रेट्री को और एक सेक्रेट्री को। उनमें यह था कि श्री एल0के0 खन्ना जो सह-अर्थ नियंत्रक हैं, उनका व्यवहार बोर्ड के सदस्यों के प्रति अच्छा नहीं है और उनको हटा दिया जाय।

श्री जगदीश अवस्थी---

इस पत्र को लिखे 8 महीने हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्या कारण है?

श्री इस्तफा हुसैन---

अब तो सब समाप्त हो गया है।

श्री जगदीश अवस्थी---

मैं जानना चाहता हूं कि क्यों केवल प्रत्यावर्तन ही काफी है, उनका निलम्बन क्यों नहीं किया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---

बातें सही थीं, उन पर ऐक्शन भी जल्दी लिया गया। श्री एल0 के0 खन्ना को प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री में भेजे जाने का प्रस्ताव कर दिया था लेकिन यह फैक्ट्री ही खत्म हो गई। इस वास्ते प्रश्न आया कि कहां पर भेजा जाय। तो फिर इनको उद्योग विभाग में लेखाधिकारी के पद पर भेज दिया गया।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

जो पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, क्या उसमें किसी वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया था, यदि हां तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---

कार्यवाही की गई। थोड़े से ही समय में की गई और जितनी जल्दी हो सकता था उनका कार्यान्वयन किया गया। कोई फाइनैन्शियल गल्तियां नहीं थीं।

फैजाबाद जिले के विधायक पर औद्योगिक ऋण का बकाया

*4---श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, (जिला फैजाबाद), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के किन-किन विधायकों पर औद्योगिक ऋण का बकाया 31 मार्च, 1974 तक है तथा कितना-कितना इसकी वसूलयाबी के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या इस बकाया को मालगुजारी के बकाया की तरह वसूलने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही की जायगी ?

श्री इस्तफा हुसैन---

जनपद फैजाबाद में एक विधायक पर औद्योगिक ऋण का बकाया 31 मार्च, 1975 तक रु0 30,277 है। इसकी वसूली के लिये उन्हें लिखे जाने पर विधायक महोदय द्वारा 30 अप्रैल, 1975 तक सम्पूर्ण धन अदा करने के लिये आश्वासन दिया गया है। उक्त तिथि तक धनराशि अदा न होने पर मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जायगी।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक ऋण किस सन् में लिया गया था और उससे कौन सा उद्योग आरम्भ किया गया था ?

श्री इस्तफा हुसैन---

माननीय प्रियदर्शी जेटली ने अल्युम्युनियम के बर्तन बनाने के लिये यह ऋण लिया था।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

मैं जानना चाहता हूं कि किस सन् में यह ऋण लिया था और वे कौन-सा उद्योग चला रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---

वर्ष 1956-57 में 15 हजार रुपये का ऋण माननीय सदस्य को मन्जूर हुआ था अल्युम्युनियम के बर्तन बनाने के लिये। इस समय वे कोई उद्योग नहीं चलाते हैं।

श्री हिम्मत सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह धन कब देय हुआ है उसको वसूल करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---

जब किश्तों की अदायगी समय पर नहीं हुई तो बार-बार नोटिस और तकाजा किया गया लेकिन उसके उपरान्त जब रुपया अदा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ 3 रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये गये। यह सब कार्यवाही की गई।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अब जबकि 31 मार्च, 1975 तक ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में इन्होंने कोई पग नहीं उठाया है तो अब कोई रिकवरी के आदेश जारी किये गये हैं और क्या सरकार सख्ती से रिकवरी करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

सबसे आखिरी आदेश गुजिश्ता मार्च के महीने में यहां से जारी किया गया। लेकिन अब उन माननीय सदस्य, श्री प्रियदर्शी जेटली साहब ने मुख्य मंत्री साहब को एक दरख्वास्त दी है जिसमें कहा है कि चूंकि हम एक राजनीतिक पीड़ित परिवार के हैं और हमारा मकान बन्धक है इसलिये जो मौजूदा सूद है और जो दंड ब्याज है वह अगर हमें माफ कर दिया जाय तो हम मूल की अदायगी कर देंगे। माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश कर दिया है कि अगर असल का सब रुपया एकमुश्त जमा कर दें तो उनके खिलाफ वसूली सूद और दंड ब्याज की नहीं की जायगी।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन्होंने इससे पहले 30 अप्रैल, 1975 तक अदा करने का जो आश्वासन मांगा है तो क्या इससे पूर्व भी इन्होंने कई बार सहूलियत मांगा था और उस पर मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री इस्तफा हुसैन--

इसके पूर्व भी इन्होंने आश्वासन दिया था और दरख्वास्तें भी थीं कि हमको यह सहूलियत दी जाय और उनको सहूलियत दी भी गयी परन्तु उस सहूलियत का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। इसी वास्ते, जैसा मैंने बताया, तीन मर्तबा रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी किये गये।

[28 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बरेली जिले की एच० आर० शुगर फैक्ट्री से बकाये की वसूली

*1---श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली को अपने कब्जे में लेकर उत्तर प्रदेश कारपोरेशन को दे दी है ? यदि हां, तो कब से और इस पर जो बकाये की धनराशि है उसको अदा करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जी नहीं। एच0 आर0 शुगर फैक्टरी बरेली, पर जिलाधिकारी, बरेली ने 7-12-74 को उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन को रिसीवर नियुक्त किया। पर उक्त फैक्टरी के मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा रिसीवर के कर्त्तव्य संकुचित कर दिये गये हैं जिसके अनुसार फैक्टरी का प्रबंध पुराने मालिकों के हाथ में रहने दिया गया है। अत: बकाये की धनराशि को अदा करने हेतु रिसीवर (चीनी निगम) द्वारा कोई योजना नहीं बनाई जा सकती।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

गन्ना उत्पादकों का जो कई वर्षों का और हाल के वर्ष का रुपया इस मिल के ऊपर बकाया है उसको गन्ना उत्पादकों को दिलवाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जहां तक जिलाधिकारी का सवाल है उसने तो इसीलिये पुराना बकाया वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर के कार्यवाही की थी लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में किस्तें लगा दी हैं। भोजीपुरा समिति ने जो याचिका दायर की उसके अनुसार हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि गन्ने के मूल्य का बकाया जो किसी हालत में 5 लाख से अधिक नहीं होगा 7 दिन में मिल मालिक अदा करते रहें; गन्ना समिति बरेली ने जो याचिका दी थी उसमें भी यह आदेश हुआ है कि 7 दिन के अन्दर भुगतान करते रहें। हाई कोर्ट के इन आदेशों के अनुसार कार्यवाही हो रही है। जहां तक इस वर्ष के गन्ने के मूल्य के बकाया का सवाल है, 1 करोड़ 46 लाख रुपया गन्ना मूल्य देय था। उसमें से 1 करोड़ 37 लाख का भुगतान हो चुका है और 8 लाख 2 हजार बकाया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इस मिल पर जनपद बदायूं का जो पैसा बाकी है उसको दिलवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उसको तो कई वर्षों से नहीं मिला है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उस सम्बन्ध में भी यही आदेश लागू है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

बरेली के जिलाधिकारी बरेली के लोगों को दिलवा देते हैं, बहेड़ी के लोगों को दिलवा देते हैं लेकिन जनपद बदायूं का आजतक कोई पैसा नहीं दिलवाया है। उसको दिलवाने के लिये क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, अब मैं इसकी तुरन्त जांच करवाउंगा।

श्री हरीश कुमार गगवार--

किश्तों का पैसा देने के बाद काश्तकारों का कुल कितना रुपया बकाया है इस मिल पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस समय तक 5-5 लाख रुपया मासिक दिया गया। इस तरह से 73 लाख रुपया जो बाकी था उसमें से 20 लाख रुपया इन्होंने अदा किया है और अब 53 लाख रुपया बकाया है।

हरदोई जिले की चावल मिलों का आकस्मिक निरीक्षण

*2—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि 1974 में खाद्य मंत्री ने हरदोई के 3 मिलों को अचानक मुआयना किया और उसमें बहुत सी अनियमिततायें पाई ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमिततायें छानबीन के बाद पाई गई और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और क्या इसी प्रकार प्रदेश की आय 318 चावल मिलों का अचानक मुआयना करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने मिलों का मुआयना किया गया और उनमें क्या अनियमिततायें पाई गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। खाद्य मंत्री के निरीक्षण के समय सम्बन्धित हाट निरीक्षक मिलों में मौजूद नहीं थे। मिलों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया गया था। सम्बन्धित चावल मिलों की विस्तृत जांच के लिये मुख्य हाट अधिकारी 23 नवम्बर, 1974 को भेजे गये निरीक्षण में दो मिलों के विरुद्ध कोई अनियमितता नहीं पाई गयी। एक मिल में 32 बोरा धान स्टाक में अधिक पाया गया। यह पाया गया कि सम्बन्धित हाट निरीक्षक, वरिष्ठ हाट निरीक्षक तथा उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी द्वारा मिलों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया जाता है। इसके लिये दो हाट निरीक्षकों, एक वरिष्ठ हाट निरीक्षक तथा एक उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। दोषी पाई गई मिल से स्पष्टीकरण मांगा गया था जो सन्तोषप्रद नहीं पाया गया और फलस्वरूप मिल के खाद्यान्न लाइसेन्स की प्रतिभूति में से 500 रु0 जब्त कर लिया गया। प्रदेश की 318 चावल मिलों का आकस्मिक निरीक्षण करने के कोई विशिष्ट आदेश सरकार ने नहीं दिये हैं परन्तु समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक एवं उन अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा चावल मिलों का निरीक्षण किया जाता है और दोषी मिलों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

समय-समय पर जो आदेश जारी किये गये हैं, वे क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वे स्टैंडिंग आर्डर ही हैं कि सरप्राइज चेकिंग होती रहे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

318 मिलों का जो समय-समय पर निरीक्षण हुआ, उसमें क्या-क्या अनियमितायें पायी गयीं और उनके खिलाफ कार्यवाही क्या हुई।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मंडल वाइज संक्षेप में उत्तर दे रही हूं। लखनऊ मंडल में खीरी की एक मिल मेसर्स ईश्वर सिंह सुरेन्द्र सिंह को अनियमितताओं के लिये नोटिस दी गयी। इनकी प्रतिभूति में से 500 रुपया जब्त कर लिया गया। मेसर्स गोयल राइस मिल का 250 रुपया जब्त किया गया। फैजाबाद मंडल में 13 मिलों का निरीक्षण किया गया, 3 के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। गोरखपुर मंडल के, बहुत से नाम हैं, कई के हलर्स का निरीक्षण किया गया, एक का चालान किया, कई मिलों को उनका हिसाब किताब ठीक रखने के सम्बन्ध में उचित आदेश दिये गये। गढ़वाल मंडल में क्षेत्रीय हाट अधिकारियों ने 11-12-74 को चावल मिलों का निरीक्षण किया, वहां अनियमिततायें नहीं पायी गयीं। मेरठ में करीब 40 चावल मिलों का अचानक निरीक्षण किया गया और चेकिंग की गयी। 319 हलर्स के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गयी। वाराणसी मंडल में 93 चावल मिलों का निरीक्षण किया गया, दोषी मिलों को कारण बताओ

नोटिस दिया गया। इलाहाबाद मंडल में 100 रोलर मिल्स हैं और कई हलर्स हैं। इनमें भी काफी में अनियमितता पायी गयी और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी। 71 धान की मशीनें ऐसी पायी गयीं जो बिना लाइसेन्स के चल रही थीं, उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया। रुहेलखंड डिवीजन में 73 चावल मिलों का निरीक्षण किया गया, 23 के विरुद्ध अनियमितायें पायी गयीं जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी। 2 चावल मिलों का थोक खाद्यान्न का लाइसेन्स निलम्बित किया गया। आगरा मंडल में 3 मिलों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गयी, शेष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी। 3910 की केवल प्रतिभूति जब्त की गयी। कुमायूं मंडल में 95 मिल्स हैं, इनका 96 बार अचानक निरीक्षण किया गया। झांसी मंडल में 13 बार अचानक निरीक्षण किया गया।

मान्यवर, यह सब जो कार्यवाही हमनें की है इससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे कि किस सतर्कता के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जब इतना मुआयना हुआ, इतना निरीक्षण हुआ और इतनी अनियमिततायें पायीं गयीं एक ही वर्ष में और इंस्पेक्टर से मिल कर यह कार्यवाही होती रही तो इसको रोकने के लिये विशेष रूप से कोई योजना सरकार बना सकी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

निरीक्षण और अचानक निरीक्षण के द्वारा ही और कार्यवाही करके ही इसको रोका जा सकता है और इसी दिशा में यह सब कार्यवाही की जा रही है।

वेतन एनामली कमेटी की रिपोर्ट की प्राप्ति की सूचना

*3—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि वेतन एनामली कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनको कब से लागू किया जा रहा है ? क्या सरकार रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

समिति की रिपोर्ट अभी गोपनीय है।

इस बारे में शासन, मंत्रिपरिषद् की उप-समिति, जिसके विचाराधीन इस समय वेतन असंगतियां समिति की रिपोर्ट है, की संस्तुति प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय ले सकेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलानेकी कृपा करेंगे कि यह वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और यह समिति कब गठित हुई तथा इसकी रिपोर्ट कब आपको प्राप्त हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

रिपोर्ट, 31 जुलाई, 1974 को प्रस्तुत हुई और मंत्रि-परिषद् की उप समिति में इस पर विचार हो रहा है। इसकी एक बैठक हो चुकी है और बजट सत्र के स्थगित होने पर शीघ्रता पूर्वक बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जायेगा। सैकड़ों आइटम्स हैं, इसलिये उसमें कुछ समय लगेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बहुत दिनों से यह चला आ रहा है कि विसंगतियों का प्रश्न विचाराधीन है, तो इस पर निर्णय लेने में कितना और समय लेंगे ? क्या एक महीने के अन्दर-अन्दर इस पर निर्णय हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे ख्याल से तीन-चार महीने के अन्दर हो जाना चाहिये ।

*4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल, श्री रणधीर सिंह तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

[10वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

गाजीपुर जिले में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को लेवी से मुक्त करने की मांग

*5—श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतानें की कृपा करेगी कि जमनियां तहसील के सूखा पीड़ित और अभाव ग्रस्त गांवों जैसे धनाडी बारा महमर पचौरी खजुरी, अरन्गी उसिया और गन्य तालुका में किसानों पर लेबी लगाई जा रही है जब कि सिचाई के अभाव में खेतों की बोआई ही नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिले के अधिकारियों को निर्देश देगी कि सूखा पीड़ित अभावग्रस्त गांवों को विशेष परिस्थितियों के कारण लेबी से मुक्त रक्खा जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अन्य मैदानी क्षेत्रों की तरह जमानिया तहसील के इन गांवों पर भी लेवी लगाई गई है । उत्तर प्रदेश गेहूं (उद्ग्रहण, व्यापार विनियमन तथा संचलन नियंत्रण) आदेश, 1975 के अनुसार केवल उसी क्षेत्रफल पर लेवी लगेगी जिसमें 1382 फसली में गेहूं तथा गेहूं के मिश्रण बोए गए हैं । यदि किसी होल्डिंग में गेहूं तथा गेहूं के मिश्रण बोए ही नहीं गए हैं तो ऐसी होल्डिंग में लेवी का प्रश्न नहीं उठता है । चूंकि किसी दैवी आपदा या ऐसे ही अन्य कारण से उत्पादन बहुत कम होने पर लेवी से आंशिक या पूर्णतया छूट देने के लिये मंडल आयुक्त लेवी आदेश के खंड 6 (1) में व्यक्तिगत लेवी होल्डिंग में उत्पादन कम होने की दशा में लेवी की मात्रा कम करने के लिये जिलाधिकारी खंड 6 (2) में पहले से ही अधिकृत हैं । वे ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्यवाही स्वयं ही करेंगे । अतः शासन द्वारा अलग से कोई निर्देश दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जौनपुर जिले के शाहगंज स्थित चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*6—श्री मुहम्मद मसूद खां (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करगे कि शाहगंज जिला जौनपुर की चीनी मिल में सन् 1974 की किसानों के गन्ने की कीमत अब तक अदा नहीं हुई है और इस सम्बन्ध में ब्लाक रानी की सराय जिला आजमगढ़ के और दूसरे हल्कों के बहुत से लोगों के रुपया बकाया है ? यदि हां, तो इस बकाया की अदायगी सरकार कब तक करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

1973–74 सीजन की कोई भी गन्ने की कीमत की धनराशि शाहगंज चीनी मिल पर बकाया नहीं है । 1974–75 सीजन की रु0 8–73 लाख कीमत बकाया है जिसे यथा शीघ्र दिलाने का प्रयास किया जायगा ।

बाराबंकी जिले के ग्राम धौखारिया के शकर की दुकान का निलम्बन

*7—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम धौखारिया, जिला बाराबंकी एवं उसके पास के अन्य कई ग्रामों के प्रधानों ने संयुक्त रूप से उक्त ग्रामों के वर्तमान शकर डीलरों द्वारा शकर न बांटे जाने

के सम्बन्ध में जिलाधीश, बाराबंकी एवं जिलापूर्ति अधिकारी, बाराबंकी को विगत तीन मासों के अन्तर्गत कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

6 जनवरी, 1975 को ग्राम धौखारिया न्याय पंचायत सआदतगंज, जिला बाराबंकी तथा कुछ अन्य ग्रामों के प्रधानों ने फुटकर चीनी विक्रेता श्री मुहम्मद यूसुफ के विरुद्ध संयुक्त रूप से जिलापूर्ति अधिकारी एवं जिला अधिकारी, बाराबंकी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उक्त चीनी विक्रेता के विरुद्ध चीनी न बांटने की शिकायत की गई थी। तहसीलदार, फतेहपुर ने मामले की जांच की और शिकायत सही पाये जाने पर उक्त चीनी विक्रेता की दुकान दिनांक 10 अप्रैल, 1975 को निलम्बित की गयी। दुकान निरस्त करने के सम्बन्ध में औपचारिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रघुनाथ—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस दूकान से सम्बन्धित जो ग्राम थे, उन ग्रामों को बगल की दूसरी दुकान से अटैच करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी कार्यवाही की जा रही है कि उनको दूसरी दूकान से अटैच कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

यह शिकायती-पत्र कब प्राप्त हुआ जिलापूर्ति अधिकारी को और निलम्बन आदेश व ऐंडजस्टमेंट की बात जो कही गयी है, तो निलम्बन कितने दिन के अन्दर कर दिया जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह 6-1-75 का प्रार्थना पत्र है, जो न्याय पंचायत सआदतगंज, विकासखंड रामनगर का है। जब यह कैंसिल किया जा रहा था तो जितने प्रधान थे सब ने मिल कर कहा कि इसको कोई दुकान नहीं देनी चाहिये। चूंकि प्रार्थीगण ने यह लिखा है कि मुहम्मद यूसुफ, शक्कर डीलर को दुकान न दी जाय इससे वहां की जनता को शक्कर नहीं मिल पायेगी क्योंकि प्रार्थीगण को विश्वास है कि उपरोक्त डीलर जनता को शक्कर नही देगा। क्योंकि अनूपगंज दुकान पर भी यही था और उसके विरुद्ध शिकायत थी। जब सब प्रधानों ने लिख कर भेजा तब इसको रोकना पड़ा। अब इस दुकान को दूसरे को देने की कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद जिले की मुण्डा पाण्डे-रानिया हरे सड़क का निर्माण

*8—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सन् 1962 में गन्ना समिति, मुरादाबाद द्वारा मुन्डा-रनिया हरे सड़क निर्माण की जानी स्वीकृत हुई थी जिस पर अभी तक केवल खंडजा ही हुआ है परन्तु विभाग द्वारा 1974 में उस सड़क का पूर्ण निर्माण दिखाया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण के लिये जो बजरी ठेकेदार द्वारा सप्लाई की गई थी उसे ठेकेदार ने वहां से उठवा कर किसी दूसरे सड़क में इस्तेमाल कर दिया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। प्रश्नगत सड़क का निर्माण वर्ष 1962 में नहीं अपितु वर्ष 1972 में स्वीकृत किया गया और इस सड़क पर निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है।

यह भी सही नहीं है कि ठेकेदार द्वारा सप्लाई की गई बजरी अन्यत्र प्रयोग की गई है।

गन्ना समिति, मिलक तथा रामपुर के संचालक मंडल के चुनाव की मांग

9—श्री सोहन लाल, (जिला बदायूं), श्रीमती शान्ती देवी यादव (जिला बदायूं) तथा श्री सुल्तान सिंह यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना समिति, मिलक व रामपुर के संचालक मंडल का चुनाव अब तक क्यों नहीं हुआ तथा शासन ने चुनाव कराने हेतु क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गन्ना समिति मिलक का कार्यकाल 30-6-75 तक है, अतः इस तिथि के संदर्भ में ही चुनाव करा दिये जायेंगे।

गन्ना समिति, रामपुर की प्रबन्ध कमेटी गम्भीर शिकायतों के परिणामस्वरूप अवक्रान्त कर दी गयी थी। इसके पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यवाही जारी है। सूचनानुसार अब तक कुल 863 डेलीगेटों में से 856 का चुनाव हो चुका है तथा शेष 7 के चुनाव शीघ्र ही सम्पन्न हो जाने की आशा है।

श्री सोहन लाल—

माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ना समिति, मिलक के बारे में जो कहा है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि एक अजीब स्थिति है। अजीब स्थिति यह है कि डाइरेक्टर मोहम्मद जाहिद खां जिनका चुनाव 25 अक्तूबर, 1970 को हुआ। पहले जो चुनाव हुआ था वह पूरा चुनाव अवैध घोषित हो गया वह इसलिये अवैध घोषित हो गया था कि उस चुनाव में सब लोगों ने सबको वोट दिया। हर आदमी ने हर एक को वोट दिया। इसलिये केन कमिश्नर ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित हो जाने के बाद.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री सोहनलाल—

7 डाइरेक्टरों में से 6 खत्म हो गये। लेकिन मो0 जाहिद खां आज तक मिलक के, 5 साल हो जाने के बावजूद भी चेयरमैन बने हैं। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस संबंध में सूचना यह है कि हाई कोर्ट का इन्टेरिम आर्डर था। उसके मुताबिक 30 जून, 1975 को इसका कार्यकाल समाप्त होगा।

श्री सोहन लाल—

हाईकोर्ट का आर्डर नहीं था। एक आदमी का-चुनाव कैसे रह गया ? फर्क यह है कि उस समय जो आपके केन कमिश्नर नागर साहब थे, उन्होंने इसमें बड़ी दरियादिली तरीके से जाहिद साहब का फेवर किया। इस फेवर का नतीजा है कि जब दूसरा चुनाव 2 जुलाई, 1972 को हुआ तो उसमें एजेंडा निकला था कि समिति का चुनाव होगा। लेकिन समिति के चुनाव के एजेंडे में निकल जाने के बावजूद भी जाहिद साहब को छोड़ दिया गया और बाकी 6 आदमियों का चुनाव किया गया। समिति के चुनाव का मतलब था कि पूरी समिति का चुनाव होगा। लेकिन पूरी समिति का चुनाव नहीं हुआ। जो जानिबतौर पर बेइमानी हुयी है, इसमें दो राय नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसमें हमने न्याय विभाग, ला डिपार्टमेंट की राय ली और उनकी राय से यह कार्यवाही हुयी। कमेटी का चुनाव 2 जुलाई, 1972 को हुआ था, नियम 445 के अनुसार। नियम

445 के अनुसार 30 जून, 1975 तक कार्यकाल था। तो इसमें ला-डिपार्टमेंट की राय भी ली गयी। राय है :—

"In terms of the interim order of the High Court as well, there may be no fresh election made of the Chairman till there is election of the Committee, which it need not be repeated, can take place only so as to be effective after 30-6-75"

यह हमें राय मिली। अगर कोई और तथ्य माननीय सदस्य के पास हो तो वे दे दें, मैं जांच करवाऊंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, ला-डिपार्टमेंट ने राय क्या अंग्रेजी में ही दी है, हिंदी में क्यों नहीं दी ऐसा क्यों हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हाई कोर्ट का फैसला जो है उसके हिसाब से. . . .

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जो राय पूरी दी गयी है, क्या पूरी उन्होंने अंग्रेजी में दी है ?

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में होनी चाहिये।

श्री सोहन लाल—

सवाल यह है कि पूरे यू0पी0 के चुनाव खत्म हो गये तो जो चुनाव हुये उसमें एक आदमीका चुनाव कैसे रह गया ? यह गलत हुआ है। हाईकोर्ट की राय बाद में मांगी गयी। फर्क यह है कि जो चुनाव होना चाहिये था 72 में, वह रोक दिया गया और बेईमानी की गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि हाई कोर्ट का इन्टरप्रिटेशन लिया गया और वह हुआ। यदि और कोई तथ्य है तो वह भेज दें।

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया धनराशि

*10—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी चीनी मिलों के जिम्मे गन्ना उत्पादकों का कुल और अलग-अलग कितना रुपया बाकी है और इस सम्बन्ध में शासन इन गन्ना उत्पादकों को पैसा भुगतान करने हेतु क्या प्रयास कर रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का कुल और अलग-अलग बकाये का विवरण संलग्न तालिका 'क' में दर्शित है।

बकाये का शासन द्वारा भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 1060–1061 पर।)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि कितना रुपया बकाया है ? 52 मिलों का जिक्र किया जिन पर शायद 14,47,49,000 रु0 गन्ना उत्पादकों का बकाया है और जवाब दिया कि कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी ऐसा कानून बनाने की व्यवस्था करेंगे कि जिससे निजी मिल मालिकों के ऊपर भी वह लागू हो सके और गन्ना उत्पादकों को पैसा मिल सके।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, जैसा मैंने उत्तर में कहा तो उसका यह तात्पर्य था कि गवर्नमेंन्ट अपने बजट से पैसा भुगतान नहीं कर सकती है। जहां तक भुगतान का प्रश्न है शासन लगातार इस संबंध में सक्रिय रहा है और गन्ना का पैसा भुगतान कराने के विभिन्न प्रयास किये हैं। मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि 1969-70 से 1973-74 तक 652 करोड़ रु0 कुल गन्ना का मूल्य मिलों को देना था। इस समय 649 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और 3 करोड़ 56 लाख रु0 बकाया है जो परसेन्टेज के हिसाब से साढ़े 99 प्रतिशत आता है। इस वर्ष भी गन्ना का मूल्य उनको ज्यादा दिलाया गया है जो मिल मालिक नहीं देना चाहते थे। क्रेडिट लिमिट फिक्स है, उनकी जो बैंक लिमिट है वह खत्म हो चुकी है। कहने के बाद रिजर्व बैंक ने 40 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है। जितनी चीनी बिकती है उसको भारत सरकार तय करती है उसी के आधार पर बैंक को देने का आर्डर है। डी0 एम0 ने आर्डर दे रखे हैं जितनी चीनी उठेगी सीधे गन्ना सोसाइटी को भुगतान के लिये बैंक दे देंगे। उसी के आधार पर कार्यवाही हो रही है और सब जगह भुगतान हो रहा है। आशा है कि इस वर्ष बकाये की समस्या अन्ततोगत्वा नहीं रहेगी।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, शामली शुगर मिल में किसानों का कितना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं है, सूची में लिखा है।

श्री हुकम सिंह---

मुझको सूची नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष---

सब को नहीं मिलती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मार्जिन मनी से गन्ने के मूल्य का भुगतान करेंगे। तो मान्यवर, एक तो वह कम रहती है और दूसरे उसी पैसे से स्टोर का सामान खरीदते हैं और वेतन भी देते हैं। तो उससे गन्ने के मूल्य का भुगतान कैसे सम्भव हो पायेगा-मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्य का कहना ठीक है। हो सकता है कि मेरे कहने में कुछ भूल हो गई हो। मार्जिन मनी से भुगतान होता है, लेकिन उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ गई है, उसमें से अब भुगतान होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

आपने कई बार मार्जिन मनी से भुगतान की बात कही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मार्जिन मनी से मार्जिनल भुगतान होता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री शहनवाज खां ने राज्य सभा में यह घोषणा की है कि जो चीनी मिलें किसानों को गन्ने की कीमत अदा करने में अक्षम हैं उनको अधिग्रहण करने की प्रान्तीय सरकार कार्यवाही करें और केन्द्र उसकी स्वीकृति दे देगा। इस वक्तव्य के सन्दर्भ में क्या ऐसी फैक्ट्रियों के अधिग्रहण की कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां, अवश्य करेगी अगर कोई मिल बार-बार कहने पर भी कानून का पालन नहीं करेगी तो उसके अधिग्रहण करने की भारत सरकार से इजाजत मांगेंगे।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, इन 52 फैक्ट्रियों के जिम्मे 14 करोड़ कुछ लाख और कुछ हजार रुपया बाकी है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि उनके अधिग्रहण में क्या आपत्ति है जबकि इतनी बड़ी धनराशि गन्ना मिल--मालिकों पर बाकी है। हो सकता है कि यह आपके लिये मामूली हो या गन्ना मिल मालिकों के लिये हो, लेकिन गन्ना उत्पादकों के लिये यह बहुत बड़ी धनराशि है, तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ताकि सारा का सारा पैसा भुगतान हो जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे मामूली बात समझता हूं और न मैं ऐसी धृष्ठता ही कर सकता हूं कि इस रकम को मामूली कह दूं। जो कानून के अन्तर्गत प्रयास होने चाहिये वह किये जा रहे हैं। अभी मिले चल रही हैं जिस प्रकार पिछले वर्ष हमने लगातार प्रयास किये थे, हमारी यह चेष्टा होगी कि आगे आने वाले कुछ महीनों में पूरा का पूरा भुगतान हो जाय।

शासन द्वारा अधिग्रहीत चीनी मिलों के पुराने मालिकों द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

*11--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि जो चीनी मिल प्रदेश में शुगर कारपोरेशन द्वारा लिये गये हैं उन मिलों पर मालिकों के जिम्मे गन्ना किसानों का अलग-अलग कितना रुपया बाकी है और उसका भुगतान उन्हें किस प्रकार प्राप्त होगा ? शुगर कारपोरेशन देगा अथवा पुराने मालिक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत शासन द्वारा अधिगृहीत 12 चीनी मिलों में से निम्नांकित 5 चीनी मिलें शुगर कारपोरेशन में निहित हो गयी हैं। इन चीनी मिलों पर पुराने मालिकों के समय के गन्ना मूल्य का अब बकाया निम्नलिखित है :--

	गन्ना मूल्य का बकाया (15-4-75 को) (लाख रु0 में)
1--मोहिउद्दीनपुर ..	शून्य
2--सखौतीटांडा	शून्य
3--बाराबंकी	27.99
4--भटनी	0.06
5--खड्डा	12.01

उक्त अवशेष बकायों का भुगतान अर्जन अधिनियम में निर्धारित मिल मालिकों को देय प्रतिकर की राशि से उसमें निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार करने का प्राविधान है। इन अवशेषों के बारे में उच्च न्यायालय में मिल मालिकों द्वारा दायर किए गए मुकदमों के अंतिम निर्णय के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही होगी।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि बाराबंकी शुगर मिल, भटनी शुगर मिल का कितना कम्पेन्सेशन लगाया गया है, सरकार द्वारा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बाराबंकी 25 लाख रुपया और भटनी 22 लाख रुपया।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि 27 लाख 99 हजार रुपया बाराबंकी शुगर मिल पर सिर्फ काश्तकारों का बकाया है। जो कम्पेन्सेशन दिया जायेगा, इस अधिनियम के अन्तर्गत वह 25 लाख रुपया होगा जिसमें मजदूरों का बकाया, सरकार का बकाया और काश्तकारों का भुगतान होगा। इससे साफ जाहिर है कि सरकार 25 लाख में से किसानों को पूरा भुगतान नहीं देने जा रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी आप व्यवस्था करेंगे कि किसानों का पूरा का पूरा भुगतान हो जाय क्योंकि आपने इस मिल के सभी राइट्स और लाइबिलिटीज ले ली हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह तो जब हाई कोर्ट का फैसला हो जाय तो निर्णय करने में आसानी होगी। मोहिउद्दी नगर शुगर फैक्टरी का 32 लाख था जो पूरा अदा करा दिया गया।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि किसान का जो भी पैसा बाकी है वह हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद पूरा अदा कर देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं रिसीवर से कहूंगा कि माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करें।

श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

सेल्स टैक्स का आपका बकाया होता है तो उस पर आप डेढ़ परसेंट व्याज चार्ज करते है। किसान का पैसा आप पर बकाया है तो क्या सरकार उस पर भी व्याज देगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो दूसरा सवाल हो गया।

गोरखपुर जिले की सिसवा बाजार व धुधली चीनी मिलों को उनके चीनी बोरों पर बैंकों से प्राप्त अग्रिम धन का शतप्रतिशत गन्ना मूल्य के मद में देने के आदेश

*12--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, गोरखपुर ने जिले के चीनी मिल प्रबन्धकों को हाल ही में यह आदेश दिया है कि वे बैंक से मिलने वाला कुल अग्रिम-धनराशि गन्ना मूल्य के रूप में किसानों को दिया जाये ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चीनी मिल सिसवा बाजार एवं धुधली के प्रबन्धक इस आदेश की अवहेलना कर रहे है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने केवल सिसवा बाजार व धुधली चीनी मिलों को ही उनको चीनी बोरों पर बैंकों से प्राप्त अग्रिम धन का शतप्रतिशत गन्ना मूल्य के मद में देने के आदेश दिये।

उपरोक्त दोनों मिलों के प्रबन्धकों ने जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन किया, जिसके लिये इन मिलों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जिलाधिकारी द्वारा जारी की जा चुकी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीश, गोरखपुर ने सन्दर्भित दोनों मिलों को पूरी चीनी बेचने के बाद किसान का पूरा पेमेन्ट हो जाय यह आदेश कब दिये थे और मूल आदेश क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह आदेश 22 फरवरी, 1975 को दिये गये। इसके पहले भी 28 जनवरी को आदेश दिये थे। 22 फरवरी के आदेश में यह कहा गया कि इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 6272/सी0 दिनांक 20-1-75 द्वारा आपको यह निदेश दिया गया था कि वर्तमान पेराई सीजन में प्रति कुन्टल चीनी उत्पादन पर बैंक से प्राप्त अग्रिम में से 100 प्रतिशत अलग खाते में स्थानान्तरित करते रहें तथा इस आशय का अनुबन्ध पत्र एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें परन्तु उक्त निर्देशों का पालन आपने अब तक नहीं किया है जिससे उत्तर प्रदेश गन्ना नियमावली, 1954 अद्यावधि यथा संशोधित के नियम 48(क) (2) का उल्लंघन हुआ है। फिर आगे कहा गया है कि आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से स्पष्टीकरण देखें कि उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के आरोप में आपके विरुद्ध क्यों न अभियोग निवेषित किया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिलाधीश ने जो कारण बताओ नोटिस दिया उसकी अवधि पूरी हो गयी। यदि हां, तो इसके बाद जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

धुधली शुगर मिल में कुल देय 119.51 लाख था जिसमें से 96.81 लाख का भुगतान हो गया। बाकी के लिये जो कठिनाई हुई वह क्रैडिट लिमिट और चीनी न उठने की थी। उनसे फिर कहा जा रहा है कि भुगतान करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, बात साफ नहीं हुई। जिलाधीश, गोरखपुर ने स्पष्ट रूप से शो-काज नोटिस दिया जिसका कम्प्लायेंस नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बाद जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिलाधीश ने अभी अभियोग नहीं चलाया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उन्होंने अभियोग पत्र नहीं दिया क्या इसका कारण यह है कि यह नारंग साहब की मिल है और वह सत्ता पक्ष दिल्ली से सम्बन्धित है ? और नहीं, तो यह कार्यवाही कब पूरी हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, ऐसे कोई आदेश शासन ने नहीं दिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह नहीं बताया की कार्यवाही कब पूरी हो जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अगर बकाया देते रहेंगे, तो कार्यवाही नहीं होगी, अन्यथा होगी।

*13--श्री बाबू लाल वर्मा--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

*14--श्री मोती लाल देहलवी, श्री मुहम्मद मसूद खां, श्री राम प्रकाश यादव तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[10 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न 42 पर स्थानान्तरित।]

बलिया जिले की रानीगंज बाजार की बिहार राज्य से दूरी

*15--श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)---

दिनांक 17 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीगंज बाजार, जनपद बलिया--बिहार की सीमा से 8 किलो मीटर के अन्दर है, का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां। रानीगंज बाजार जनपद बलिया व बिहार की सीमा से 8 किलोमीटर के अन्दर है।

रानीगंज बाजार का सीमा से 8किलोमीटर अन्दर होना भौगोलिक स्थिति के कारण है।

श्री बनवारी राम यादव--

मान्यवर, मेरे पास यह कोर्ट का जजमेंट है कि मनल अपील नं0 119, 1970 जो एडीशनल सेशन जज, बलिया का कोर्ट का है। इसमें स्पष्ट रूप से जज ने निर्णय लिये हैं कि रानीगंज बाजार बार्डर से 7 मील से अधिक दूर है। यह आर्डर मैं खाद्य आयुक्त को दिखा चुका हूं। आर्डर के विरूद्ध गवर्नमेन्ट ने कोई अपील नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि इस कोर्ट के आर्डर के रहते हुये सरकार ने किस तरह से रानीगंज बाजार को 8 मील के अन्दर माना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, यह प्रश्न काफी दिनों से चलता आ रहा है।माननीय सदस्य भी मुझसे कई बार मिले। हमने इस बात को गम्भीरता पूर्वक विचार किया क्योंकि बिहार के बार्डर के नजदीक होने के कारण रानीगंज बाजार के बारे में कई वर्षों से शिकायत शासन के पास आती रही है कि यहां से चावल तथा अन्य प्रकार का माल स्मगल होकर बिहार को जाता रहा है। इसलिये पिछले वर्ष रोक लगा दी गयी थी और 8 कि0मी0 की सीमा पट्टी के अन्तर्गत जो भारत सरकार के बार्डर्स हैं, उसके अन्तर्गत भी यह आता है। इस दृष्टि से भी इसको लगाया है। लेकिन माननीय सदस्य के कहने के बाद हमने डी0 आई0 जी0 को 18-4-75 को बुलाया और जांच के लिये भेजा और माननीय सदस्य भी साथ थे। जो उन्होंने कोर्ट के आर्डर का जिक्र किया उस वक्त उनके पास कोर्ट का आर्डर नहीं था और उसके लिये उन्होंने कहा कि वह आर्डर लखनऊ में भूल आये हैं। इसके बाद हमारे जो अधिकारी थे उन लोगों ने उसकी जांच की और पी0 डब्लू0 डी0 के ड्राफ्टसमैन को बुलाकर नापजोख करायी गयी। उसके अनुसार रानीगंज 8 किलोमीटर से कम निकला और सीमा पट्टी के अन्दर आता है। फिर भी माननीय सदस्य को संतोष नहीं हुआ। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि त्रिवेदी एवार्ड के अनुसार इसको देखा जाय। त्रिवेदी एवार्ड तो बिहार और यू0पी0 बार्डर के किनारे के हिस्से को देखने के लिये इंगित किया गया था। उसमें रानीगंज का जिक्र नहीं आता। नक्शे किसी प्रकार से मदद करते नहीं। तब यह सोचा गया कि गवर्नमेन्ट को पत्र लिखा जाय और प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय क्योंकि मैं यह भी नहीं चाहती जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनकी बात यों ही टाल दी जाय। हमारे सामने दिक्कत यह है कि एक तरफ आग्रह है और दूसरी तरफ हमारी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। हम उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को चावल जाने से रोकना चाहते हैं। तो जो कठिनाइयां हैं, उन पर विचार कर रहे हैं।

श्री बनवारी राम यादव---

मान्यवर, बलिया शहर की जो मण्डी है, वह गवर्नमेंट ने मान लिया है कि वह 8 किलो मीटर के अन्दर हैं, बार्डर से। वहां पर यह बंधन नहीं लगा है। तब मैं समझता हूं रानीगंज में यह बंधन लगाना उचित नहीं। माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि स्मगलिंग

और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिये यह बंधन है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बंधन की वजह से वहां पर बड़े पैमाने पर स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग पुलिस और दूसरे अधिकारियों के सामने होती है तो जनता वहां की तबाह है और इस क्षेत्र में 50 फीसदी लोगों के पास खाना नहीं है, जमीन नहीं है और गल्ला अगर कोई ले जाता है तो पुलिस उससे छीन लेती है। इस परिस्थिति को देखते हुए क्या बलिया की तरह रानीगंज को भी सरकार एग्जेम्प्ट करने पर विचार करेगी क्योंकि यह पूरा क्षेत्र फ्लड से एफेक्टेड है और वहां की खरीफ की फसल मारी जाती है तथा रबी की फसल होती है लेकिन सिंचाई के साधन उसके लिये उपलब्ध नहीं है और नदी का कटान अलग से होता है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया कि रानीगंज से बड़े पैमाने पर तस्करी होती है तब तो शासन के लिये और भी कठिन है कि यह छूट दी जाय।

श्री बनवारी राम यादव--

वहां पर लेवी के जरिये सरकार गल्ला भी ले रही है और 2, 3 लाख की आबादी को बक्से में बन्द भी कर दिया है क्योंकि बाहर से गल्ला नहीं लाया जा सकता और न जाने दिया जायगा जिसके कारण वहां पर बाजार प्रदेश में सबसे महंगा है और बलिया के भाव में तथा वहां के भाव में 80-100 रुपये कुंटल तक का अन्तर है तो इस परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार रानीगंज बाजार को बलिया की तरह एग्जेम्पट करने के लिये तैयार है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया)

*16--श्री दुर्योधन --

[14-4-75 को तारांकित प्रश्न 22 द्वारा उत्तरित।]

आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया कोपागंज, अमिला तथा दोहरीघाट में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की मांग

*17--श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जनपद के कोपागंज, अमिला तथा दोहरीघाट टाउन एरियाओं में सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा जनता के लिये गेहूं, चावल आदि देने का इन्तजाम सरकार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजपेयी--

खाद्यानों की सीमित उपलब्धता के कारण जनपद आजमगढ़ की टाउन एरिया कोपागंज, अमिला तथा दोहरीघाट में सस्ते गल्ले की दुकानों से खाद्यनों के वितरण की व्यवस्था करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

जिला पूर्ति अधिकारी, बिजनौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*18--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जिलापूर्ति अधिकारी, जिला बिजनौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र अभी हाल में मिला है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां। माननीय सदस्य तथा अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से जिलापूर्ति अधिकारी, बिजनौर के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1975 शासन को प्राप्त हुआ था। **जांच करवायी जा रही है।**

इलाहाबाद जिले की रंजना सिन्डीकेट को कच्चे माल की आपूर्ति

*19--श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की रंजना सिन्डीकेट नामक फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है इस फर्म के पार्टनर कौन-कौन हैं तथा इस फर्म को कितना कच्चा माल अभी तक उद्योग विभाग द्वारा दिया गया ? क्या यह सही है कि यह सब माल उत्पादन करने में न इस्तेमाल करके काले बाजार में बेंच दिया गया ? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन--

इलाहाबाद की रंजना सिन्डीकेट का रजिस्ट्रेशन नम्बर डी० आई०/यू० पी०/एस० जेड० 41749 दिनांक 7-7-1973 है। इस फर्म के पार्टनर्स (1) श्री अशोक के० बाजपेयी तथा (2) श्री विनय अग्रवाल हैं। इस फर्म को 9.500 मी० टन लोह एवं इस्पात आवंटित किया गया ।

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मधुकर दिघे--

क्या श्री अशोक बाजपेयी की माता प्रदेश की मंत्री हैं ? दूसरे 9.500 मीटरिक टन माल आवंटित हुआ तो उससे कितना माल पैदा हुआ और सरकार को उससे कितना सेल्स टैक्स तथा इन्कम टैक्स की वसूली होती है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

यह सही है कि अशोक वाजपेयी की माता श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी यहां की मंत्री हैं। जहां तक माल आवंटन का सम्बन्ध है उन्होंने कभी पूरा माल उठाया ही नहीं। माल उन्होंने बनाया है इसकी जांच मैंने एडीशनल डायरेक्टर, इन्डस्ट्रीज से नवम्बर के महीने में कराई तथा 25-11-75 को उन्होंने स्वयं जाकर देखा कि काम हो रहा है और सामान बन रहा है। मैंने भी एक मर्तबा देखा कि यह यूनिट अच्छा काम कर रही है। एक निवेदन यह भी है कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रांगण में एक ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाया गया जिससे निकले हुए इंजीनियर्स के लिये कायम यूनिट्स में से एक यह यूनिट भी कायम की गया है ।

सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जब आपने जांच की तो कितना माल पैदा हुआ इस बात का पता लगाया ?

श्री इस्तफा हुसन--

इस बात का पता लगाने की आवश्यकता हमको नहीं हुई। सेल्स टैक्स और इनकमटैक्स कितना दिया इसकी सूचना न मुझे है और न आवश्यकता है। यह माल जो उनको आवंटित किया गया उसका उपयोग किया गया इस बात की जांच की गई और एडीशनल डायरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज वगैरहसूचना के मौके पर गये और पाया कि काम सही हो रहा है। जो माल बनाने को दिया वह माल बना है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

जब काम करने की क्षमता नहीं थी तो ज्यादा अलाटमेंट क्यों किया ? आपने बताया कि उन्होंने पूरा उठाया नहीं है तो ज्यादा आबंटित क्यों किया ? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर) आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, ऐसा है केवल 2.50 मी0 ट0 माल उन्होंने नहीं उठाया। 12 टन के मुकाबले में। 16-11-74 को उनको 12 मी0 टन उनको आवटित किया गया और सिर्फ 2.50 नहीं उठाया शायद उनसे हुआ नहीं। जहां तक क्षमता का सवाल है वह 54 मी0 टन है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मेरा प्रश्न है कम क्यों उठाया ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

पैसा नहीं होगा इसलिये नहीं उठाया ।

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग क्यों जबाब देने लग जाते हैं क्या आप मंत्री हो गये हैं ? रातों रात आपने शपथ ले ली है। नहीं तो आप मंत्री की तरफ से खड़े क्यों हो जाते हैं ?

आप (श्री मुहम्मद असरार अहमद से) फिर से प्रश्न कर लीजिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मेरा सवाल है कि इन्होंने जो कम उठाया उसका क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस फैक्ट्री के अन्दर कोई अग्रवाल भी पार्टनर है ? दूसरा प्रश्न यह कि जो यह माल इसको दिया गया लोहे की बड़ी-बड़ी पटरियां वगैरह तो उसके बाद गवर्नमेंट को कितना रिटर्न मिला इनको रिपोर्ट आपको मिली ?

श्री इस्तफा हुसैन---

यह बात देखी जाती है कि यूटिलाईज किया या नहीं। जब किसी को कोई माल सप्लाई किया जाता है किसी सामान के बनाने के लिये तो उसके वास्ते उसे यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। उसके लिये हमारे अधिकारी जांच करते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम अधार--

मान्यवर, यह भी मारूती की तरह ही है ।

इटावा जिले के चक्रनगर क्षेत्र को लेवी से मुक्त करने की मांग

*20-श्री राम लखन (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 9-3-75 को इटावा जिला में चक्रनगर विकास खंड कार्यालय पर क्षेत्र की जनता द्वारा इस आशय का कोई ज्ञापन आयुक्त को दिया गया जिसमें यह मांग की गई थी कि इस पिछड़े क्षेत्र को गेहूं की लेवी वसूली से मुक्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य मांगे क्या थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां।

मुख्य मांगों में प्रथम तो यह थी कि चक्कनगर क्षेत्र को लेवी से मुक्त किया जाय क्योंकि यह क्षेत्र बीहड़ तथा कन्दरायुक्त है और उसमें सिचाई का साधन न होने से रबी की फसल बहुत खराब हुयी है। द्वितीय मुख्य मांग थी कि इस क्षेत्र में एक पशुपालन फार्म खुलवाया जाय तथा तीसरी मांग इस क्षेत्र में अधिक नलकूप लगवाने से सम्बन्धित थी। प्रथम मांग को स्वीकार करते हुये मंडलायुक्त, इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश गेहूं (उद्ग्रहण, व्यापार विनियमन तथा संचालन नियंत्रण) आदेश, 1975 के खंड 6 (1) के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को लेवी से मुक्त कर दिया है। द्वितीय तथा तृतीय मांगों पर विचार करने एवं रूपरेखा तैयार करने हेतु मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा क्रमशः पशुधन अधिकारी व जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं।

कानपुर जिले के बान ग्राम के शकर के दुकानदार के विरुद्ध थाने में अंकित रिपोर्ट

*21---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

विधान सभा 17-3-75 के ता0 प्रश्न सं0 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसीलदार, डेरापुर ने बान ग्राम के शकर रिटेलर के विरुद्ध अगस्त, 74 में थाना मंगलपुर, जिला कानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसको पुलिस ने असत्य पाया और अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया? यदि हां, तो उक्त तहसीलदार डेरापुर द्वारा पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम बान के शकर के कोटे के स्टाक की जांच तहसीलदार, डेरापुर द्वारा 26 अगस्त, 1974 को की गयी। 22 अगस्त, 1974 को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाई गई 6 बोरे चीनी स्टाक में उपलब्ध नहीं थी और न ही इसकी आमद रजिस्टर में दर्ज थी अतः तहसीलदार द्वारा परगना अधिकारी के आदेश प्राप्त कर दुकानदार के विरुद्ध थाना मंगलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस तफ्तीश के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दुकानदार द्वारा यह चीनी वर्षा के कारण झीझक गांव के रिटेलर के यहां रख दी गई थी। अतः पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तहसीलदार द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट झूठी नहीं थी अतः तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या मंत्री जी यह बताएंगी कि तहसीलदार ने जो रिपोर्ट थाना मंगलपुर में डीलर के खिलाफ लिखाई थी, वह क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई---

इस संबंध में इसमें लिखा है कि 28-8-74 को परगनाधिकारी के आदेश प्राप्त कर तहसीलदार द्वारा पुलिस में रिपोर्ट भेजी गई, जिस पर 29-8-74 को थाना मंगलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रीजनल, फूड कन्ट्रोलर कार्यालय, मेरठ के कर्मचारियों में हरिजनों का आरक्षण

*22—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या खाद्य मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि आर0 एफ0 सी0, मेरठ कार्यालय में हरिजनों का आरक्षण पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आर0 एफ0 सी0 मेरठ कार्यालय के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण निम्न प्रकार है :

संवर्ग	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1—अधिकारी ..	8	शून्य	शून्य
2—लिपिक ..	149	27	18 प्रतिशत से अधिक
3—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	265	67	25 प्रतिशत से अधिक
4—वरिष्ठ हाट निरीक्षक ..	133	9	6.7 प्रतिशत
5—हाट निरीक्षक ..	244	48	19 प्रतिशत से अधिक

लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा हाट निरीक्षकों में अनुसूचित जाति का निर्धारित आरक्षण पूरा है। जहां तक अधिकारियों के पद पर आरक्षण कोटा पूरा होने का प्रश्न है, स्थिति यह है कि इन पदों पर नियुक्तियां शासन द्वारा राज्य स्तर पर की जाती हैं। अतः डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर, रीजनल मार्केटिंग आफिसर तथा डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर के पूरे संवर्ग में आरक्षण का प्रश्न उठता है नकि केवल मेरठ क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के बीच। वरिष्ठ हाट निरीक्षकों के संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चुने गये वरिष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है। जहां तक शेष 50 प्रतिशत वरिष्ठ हाट निरीक्षकों के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रश्न है स्थिति इस प्रकार है कि पिछली बार शासन द्वारा मार्च, 1973 में वरिष्ठ हाट निरीक्षक के पद पदोन्नति द्वारा भरे गये थे और उस समय पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण का कोई प्राविधान न था।

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों में तथाकथित भुखमरी की स्थिति

*23—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) —

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद के विकास खंड सिरसिया, हरिहरपुररानी, इकौना, नवाबगंज के एवं जमुनहा भीषण भुखमरी के शिकार हैं? यदिहां, तो क्या जिलाधिकारी, बहराइच ने इन क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने हेतु गल्ला आवंटन आज्ञा हाल ही में मांगी है ? यदि हां, तो आदेश देने में देरी का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कथित स्थानों में भुखमरी की स्थिति नहीं है। जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा जिले के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण हेतु गल्ले की मांग की गई थी और शासन द्वारा 1500 कुन्टल मोटे अनाज का आवंटन बहराइच जनपद के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये किया गया।

केन यूनियन, बभनान, जिला बस्ती में गन्ने के अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण

*24--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन यूनियन, बभनान, जिला बस्ती में 1970-71 तथा 1971-72 का कितना अतिरिक्त (एडिशनल) गन्ना मूल्य हुआ ? क्या यह किसानों में बांटा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कोई अतिरिक्त मूल्य निर्धारित नहीं हुआ।

अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

टिहरी गढ़वाल के धार कोट ग्राम में तांबे के खनन की मांग

*25--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खंड जखोली के अन्तर्गत स्थान धारकुडी के आस-पास तांबे की खानें हैं और ब्रिटिश राज्य से पूर्व यहां से निकाले गये तांबे से गढ़वाल में वर्तन बनाने का उद्योग बहुत अच्छी तरह चला करते थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इन खानों से पुनः ताम्र खनन का कार्य प्रारम्भ करने की कोई योजना बना रही है ? और इन खानों की मूल्यवान सम्पत्ति में महत्व की दृष्टि से इनका व्यापक सर्वेक्षण करा देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जनपद टिहरी गढ़वाल में धार कुडी नहीं बल्कि धारकोट ग्राम के निकट टिहरी से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व, उत्तर दिशा में तांबें की पुरानी खान पायी जाती है। पर्वतीय जिलों की तांबें की खदानें ब्रिटिश राज्य से पूर्व चलायी गयी थी और निकाले गये तांबे से स्थानीय प्रयोग के लिये बर्तन बनाये जाते थे। सरकार इन खानों से तांबे के खनन की कोई योजना नहीं बना रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में धात्विक खनिजों के सर्वेक्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा किये गये अन्वेषण के अनुसार टेहरी-गढ़वाल जनपद के प्रश्नगत क्षेत्र में खनिजीकरण इतना आकर्षक नहीं पाया गया है कि वहां व्यापक सर्वेक्षण अन्य क्षेत्रों से पहले किये जायें। टेहरी गढ़वाल के क्षेत्रों का सर्वेक्षण यथा समय करवाया जायगा।

कोषागार, लखीमपुर खीरी में लिपिकों की जेष्ठता सूची

*26---श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार कर्मचारियों (लखीमपुर) की (अनुसूचित जाति तथा अन्यों की) कोट क्रम सूची क्या है ? क्या वर्ष 1974 में लिपिकों की प्रोन्नति की गई ? यदि हां, तो इस सूची को आधार माना गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। लखीमपुर खीरी कोषागार में अनुसूचित जाति तथा अन्य कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1974 में उक्त सूची के आधार पर लिपिकों की प्रोन्नति की गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1062-1063 पर)

*27--श्री ऊदल--

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित।]

*28—श्री रघुनाथ—

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर स्थानान्तरित।]

हरदोई जिले के परगनाधिकारी द्वारा कतिपय विकास खंडों के चीनी के कोटेदारो का निरीक्षण

*29—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, संडीला, जिला हरदोई ने 1 अक्तूबर, 1974 से 20 मार्च, 1975 के बीच जिला हरदोई के संडीला नगर, संडीला ब्लाक तथा बेहदर विकास खंड के किस-किस कोटेदार (चीनी, सीमेन्ट तथा गल्ला) का निरीक्षण किया तथा किन-किन के कोटे उपरोक्त अधिकारी की रिपोर्ट पर निरस्त किये गये? कोटेदारों के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

1 अक्तूबर, 1974 से 20 मार्च, 1975 की अवधि में परगनाधिकारी, संडीला, द्वारा संडीला नगर, संडीला ब्लाक तथा बेहदर विकास खंड के केवल चीनी के कोटेदारों का ही निरीक्षण किया गया जिसके सम्बन्ध में वांछित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1064 पर।)

फर्रुखाबाद जिले के कतिपय टाउन एरिया में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की मांग

*30—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद फर्रुखाबाद में छिबरामऊ कमालगंज, गुरसहायगंज जो कि नगर पालिका व टाऊन एरिया हैं इनमें सस्ते गल्ले की दुकाने अब तक नहीं खोली गई? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दुकानें खोल दी जायेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

फर्रुखाबाद जनपद में छिबराउऊ, कमालगंज तथा गुरसहायगंज में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने कार्यरत हैं जिनसे चीनी तथा मिट्टी का तेल वितरित किया जा रहा है। इन दुकानों के द्वारा खद्यान्नों का वितरण फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि गेहूं का आवंटन सीमित है और गल्ले का बाजार भाव अब गिरने वाले हैं।

बस्ती जिले की चीनी मिल बभनान द्वारा किसानों से अधिक दर पर ट्रक के किराये की वसूली

*31—श्री दशरथ सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि चीनी मिल बभनान, जिला बस्ती में आउट सेन्टरों पर इस वर्ष 75 पैसा प्रति क्विन्टल लगेज ट्रक किराया काश्तकार से वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। चूंकि मिल ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कहीं अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त यातायात व्यय बढ़ गया है। राज्य सरकार ने ढुलाई कटौती का मामला भारत सरकार को विचारार्थ भेजा है। भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है।

राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखे में गड़बड़ी

*32—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा), डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का भविष्य निधि का जो पैसा मासिक वेतन से काटा जाता है और जिसका खाता महालेखाकार के कार्यालय में रखा

जाता है वह संबंधित कर्मचारियों के खातों में प्रत्येक मास दर्ज नहीं किया जाता है जिसके कारण अधिकांश कर्मचारी का भविष्य निधि का खाता सही नहीं है फलस्वरूप कर्मचारियों में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि का खाता उनके संबंधित विभागों में रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जैसे चपरासी, अर्दली, चौकीदार तथा दफ्तरी आदि को छोड़कर शेष राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि लेखे रखने का दायित्व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का है। शासन को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनेकों कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि का हिसाब नहीं मिलता। अतः भविष्य निर्वाह निधि लेखों के रखरखाव की वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्यों से शासन महालेखाकार से विचार विनिमय कर रहा है। यह प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है कि किन और श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि लेखों के रखरखाव का कार्य महालेखाकार के कार्यालय से हटाकर विभागाध्यक्षों या कार्यालयाध्यक्षों को सौंपा जाय। इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने तथा उपयुक्त व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा।

खाद्य विभाग के पुलिस सेल में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और कर्मचारियों को विशेष वेतन व भत्ते दिये जाने की मांग

*33--श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने का अनुग्रह करेंगे कि खाद्य तथा आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश में जो पुलिस सेल खोला गया है उसमें कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी हैं ?. उसे विस्तृत करने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

खाद्य विभाग के पुलिस सेल में 3 अधिकारी तथा 13 कर्मचारी हैं। उक्त सेल को विस्तृत किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

*34--श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त सेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्पेशल एलाउन्स, वर्दी एलाउन्स, साइकिल एलाउन्स आदि दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उक्त सेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड इविक्शन ऐक्ट से संबंधित केसेज के लिये प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की मांग

*35--श्री अनवार जमील--

क्या यह सही है कि जनपद फर्रुखाबाद में पिछले आठ मास से रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड इविक्शन ऐक्ट के केसेज का निर्णय करने के लिये वहां पर किसी अधिकारी को अधिकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक अधिकृत कर दिया जायेगा?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी नहीं। उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 (ङ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चीफ जुडीशल मैजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद को पदनाम से 9 सितम्बर, 1974 को ही प्राधिकृत किया जा चुका था किन्तु जनवरी में पदाधिकारी के बदलने पर स्थिति का सही पता न होने के कारण जिलास्तर पर कुछ समय के लिये व्यवस्था नहीं की जा सकी। 14-3-75 से वर्तमान चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा वादों का निस्तारण किया जा रहा है।

गोंडा जिले के न्याय पंचायत विशुनपुर टनटनवा की चीनी की दुकान का निलम्बन

*36—श्री राम पति (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिला की न्याय पंचायत टनटनवा में जो चीनी के कोटेदार हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचर सम्बन्धी कितनी शिकायतें वर्ष 1973 तथा 1974 में क्षेत्रीय जनता द्वारा प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नवम्बर से दिसम्बर, 1973 में गोंडा जिले के न्याय पंचायत विशनुपुर टनटनवा के चीनी के कोटेदार सर्वश्री बाबूलाल रामलखन के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी दो शिकायती पत्र क्षेत्रीय जनता तथा क्षेत्र विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष से प्राप्त हुये थे। उक्त शिकायती पत्रों में दुकानदार के विरुद्ध चीनी का वितरण न्याय पंचायत विशनुपुर टनटनवा को जनता में सुचारु रूप से न करके सम्पूर्ण चीनी ब्लैक में बेचने का आरोप था। इन शिकायती पत्रों से पहले प्राप्त एक अन्य शिकायती पत्र पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच की गयी और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर उपर्युक्त फुटकर चीनी विक्रेता की दुकान 29 अक्टूबर, 1975 को निलम्बित कर दी गयी।

*37—श्री बलवान सिंह—

[सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण निरस्त।]

गन्ना संघ द्वारा केस्टर केक (रेंडी की खली) का निर्धारित मूल्य से कम दर पर तथाकथित विक्रय

*38—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सिंगल एन्ड कम्पनी, कानपुर की जो केस्टर केक (रेंडी की खली) उत्तर प्रदेश गन्ना संघ द्वारा 97 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से गन्ना यूनियनों को किसानों में वितरण हेतु भेजी जा रही है उसी फर्म की वही खाद बाजार में 72 रु0 से लेकर 74 रु0 क्विन्टल तक व्यापारियों के माध्यम से बिक रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घुटाले की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन को उत्तर प्रदेश गन्ना संघ द्वारा सूचित किया गया है कि 4 प्रतिशत नत्रजन वाली कैस्टर केक (रेंडी की खली), उसके द्वारा टेन्डर के अनुसार न्यूनतम मूल्य 92 रु0 से 96 रु0 प्रति क्विन्टल के भाव पर निर्धारित समय में (नवम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक) सप्लाई करने के आदेश दिये गये थे। गन्ना संघ के पास ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई कि उक्त फर्म द्वारा उसी प्रकार की खली निर्धारित दर से निर्धारित समय में कम भाव पर बेंची गयी।

गन्ना समिति, हल्द्वानी के संचालक मंडल की बैठक में गबन को राइट आफ करने का निर्णय

*39—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ीगढ़वाल)—

बिधान सभा की बैठक दिनांक 24 मार्च, 1975 के नत्थी 'ग' के प्रश्न संख्या 19 के—उत्तर के सन्दर्भ पर क्या गन्ना विकास मंत्री उन 89 सदस्यों के नाम पूर्ण पते की सूची सदन के पटल पर रखते हुये कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी के संचालक मन्डल ने अपनी बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 1973 से पूर्व कभी प्रश्नगत धनराशि के बाबत कोई निर्णय लिया ? यदि हां, तो कब, नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सन्दर्भगत 89 पुराने ऋणी सदस्यों की सूची जो समिति से प्राप्त हुई है सदन के पटल पर अवलोकनार्थ† प्रस्तुत है। सूचनानुसार प्रश्नगत समिति के संचालक मंडल द्वारा प्रश्नगत धनराशि के बाबत उल्लिखित तिथि के पूर्व कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि इस संबंध में छानबीन की जा रही थी।

गन्ना बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र, देवरिया को सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन

*40---श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया)---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के सेवरही क्षेत्र में जो गन्ना रिसर्च केन्द्र खोला गया है उसमें सीलिंग से प्राप्त कितनी भूमि ली गई है और अब तक उसके निमित्त कितना धन व्यय हुआ है, तथा उसकी क्या प्रगति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

प्रश्नगत क्षेत्र में गन्ना बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु सीलिंग से निकली 2,360.81 एकड़ भूमि में से इस प्रक्षेत्र के स्थापन हेतु 287.81 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया और अब तक इसके निमित्त रु0 1,82,076.43 व्यय किये गये हैं। यह जमीन प्रक्षेत्र हेतु नवम्बर माह में आवंटित की गई, लेकिन इसी बीच इस जमीन का सदुपयोग करने के लिये 82 कृषकों को 255.84 एकड़ भूमि अस्थायी पट्टे पर जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 30-6-75 तक के लिये दे दी गई। पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही उक्त भूमि पर कृषि कार्य कराया जायगा।

इस बीच उपलब्ध रिक्त भूमि में से 0.65 एकड़ भूमि पर गन्ना बोया जा चुका है तथा खरीफ की फसल के लिये हल, बैल तथा सिंचाई के लिये नलकूप आदि की व्यवस्था की जा रही है।

चांदपुर, जिला बिजनौर में शुगर मिल की स्थापना

*41---श्री धर्म वीर सिंह (जिला बिजनौर)---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चांदपुर, जिला बिजनौर में एक शुगर मिल शुगर कारपोरेशन द्वारा बनाना कई वर्ष पूर्व स्वीकार हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक शुगर मिल चांदपुर का निर्माण कार्य आरम्भ होने से क्या कठिनाई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

चांदपुर (जिला बिजनौर) में शुगर कारपोरेशन द्वारा चीनी मिल लगाना नवम्बर, 1973 में स्वीकृत हुआ। भूमि चयन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

*42---श्री रामपति---

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित।]

गन्ना सेवा वर्ग एक के कर्मचारियों का गन्ना सेवा वर्ग दो में पदोन्नति

*43---श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या रा0 ए0 65/5-1973 दिनांक 20 मार्च, 1974 के लागू होने के पश्चात् कितने कर्मचारी गन्ना सेवा वर्ग एक से पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना सेवा श्रेणी 2 में पदोन्नति किये गये हैं और उनमें से कितने हरिजन पदोन्नति हुए हैं ? यदि आरक्षण के अनुसार हरिजन पदोन्नति नहीं किये गये हैं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

शासनादेश सं0 15/5/1973 रा0 एकी0 (न कि शासनादेश सं0 रा0 एकी0 65/5/1973) दिनांक 20-3-74 लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग एक

---

†छापी नहीं गयी।

के कुल 12 कर्मचारी गन्ना सेवा श्रेणी–2 में तदर्थ एवं अस्थायी रूप से पदोन्नत किये गये हैं। इनमें कोई हरिजन पदोन्नति नहीं हुआ है क्योंकि अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग एक ही ज्येष्ठता सूची में कोई भी हरिजन उपलब्ध नहीं था।

*44––श्री शारदा प्रसाद रावत––

(10वें सोमवार के लिये स्थगित।)

श्री लालन शर्मा, विधायक द्वारा गेहूं के मूल्य में वृद्धि न करने के सम्बन्ध में अनशन

*45––श्री मोहन लाल कपूर––

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के एक सत्तारूढ़ दलीय सदस्य (श्री लालन शर्मा) जोकि प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के लखनऊ स्थित कार्यालय पर गेहूं के मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर दिनांक 26 मार्च, 1975 से अनशन कर रहे थे जो उन्होंने मुख्य मंत्री के आश्वासन पर समाप्त कर दिया है? यदि हां, तो श्री शर्मा की मांगें क्या थीं, अनशन कब समाप्त हुआ? यदि मुख्य मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया है, तो वह क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

जी हां, श्री लालन शर्मा, विधायक ने गेहूं की मूल्य बृद्धि की मांग को लेकर अनशन किया जो उन्होंने मुख्य मंत्री जी के सुझाव पर समाप्त कर दिया। श्री शर्मा ने गेहूं की कीमत में बृद्धि न करने, कृषि पर अनिवार्य लेवी लगाने, सवा छः एकड़ जोत पर मालगुजारी की वसूली, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी लेवी की माफी न करने, राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा लेवी के आंकड़े तैयार करने के विषय में प्रश्न उठाए थे।

इस पर मुख्य मंत्री जी ने उन्हें सूचित किया कि सवा छः एकड़ की जोतों पर लगान लगाने का पार्टी ने नवम्बर 1974 में सर्वसम्मत से निर्णय लिया था। ओले व अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से रबी फसल को जिन क्षेत्रों में हानि हुई है वहां वसूली स्थगित करने का शासन ने पहले ही निर्णय ले लिया है। लेवी व मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति सारे देश के हित को ध्यान में रख कर ही निर्धारित की जाती है। इसमें प्रदेश की अपनी कोई नीति नहीं रहती। लेवी तथा अन्य प्रश्नों को खाद्य मंत्री जी विधान सभा में प्रस्तुत करेंगी। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया कि वे इस प्रकार के किसी भी मामले को विधायक के नाते विधान मंडल कांग्रेस दल की बैठक में कभी भी उठा सकते हैं।

आजमगढ़ जिले के सरकारी गोदाम में रखा हुआ बाजरा व मक्का

*46––श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़)––

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सरकारी खाद गोदामों में गत वर्षों से कितने-कितने टन बाजरा और मक्का पड़ा हुआ है जो सड़ गया है तथा अब खाने योग्य नहीं रह गया है? यदि हां, तो सड़ने का कारण क्या है और किस अधिकारी की लापरवाही से ऐसा हुआ उसके विरुद्ध सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

2 टन बाजरा तथा 101 टन मक्का पड़ा है जो सड़ा हुआ नहीं है।

एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत के डाइरेक्टर द्वारा काश्तकारों से तथाकथित कम कीमत पर गन्ने की खरीद और फैक्टरी द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों पर कीमत का भुगतान न करना

*47––श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)––

क्या यह सत्य है कि एल0 एच0 शुगर फैक्टरी, पीलीभीत के कुछ डाइरेक्टर काश्तकारों का गन्ना कम कीमत पर खरीद कर अपने नामों से गन्ना सहकारी संघ द्वारा सप्लाई

न करके डाइरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने काश्तकारों को इस अन्याय से बचाने के लिये क्या कदम उठाये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी नहीं । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

*48---श्री धीरेन्द्र सहाय---

क्या यह सत्य है कि एल0 एच0 शुगर फैक्टरी, पीलीभीत चालू वर्ष 1974-75 में गन्ने की कीमत का भुगतान क्रय केन्द्रों पर न करके मिल गेट पर कर रही है जिसके कारण देर से दूर जानेवाले काश्तकारों को लूट लिये जाने व जान से मारे जाने का भय बना हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत चीनी मिल चालू वर्ष 1974-75 में गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना क्रय केन्द्रों पर न कर के समीप के पुलिस थाने अथवा तहसीलों में कर रही है ।

*49---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[11वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित ।]

*50---श्री शिव प्रसाद गुप्त---

[10वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

*51---श्री मुलायम सिंह यादव---

[21-4-75 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर उत्तरित ।]

*52---श्री मंजूर अहमद---

[10वें सोमवार क लिय स्थगित ।]

आजमगढ़ जिले के ग्राम गाजियापुर निवासी श्री दीना नाथ प्रसाद का बिक्री कर से संबंधित प्रार्थना-पत्र

*53---श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गाजियापुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के निवासी श्री दीनानाथ प्रसाद का दिनांक 2 फरवरी, 1975 का लिखित आवेदन-पत्र जो अनियमित सेल्स टैक्स दुश्मनी के कारण 300 रु0 वार्षिक लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? साथ ही प्रश्नकर्ता द्वारा भी उक्त भाग में ही इसी सम्बन्ध में पत्र लिखा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्री दीना नाथ प्रसाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-2-75, माननीय विधायक (प्रश्नकर्ता) के दिनांक रहित पत्र के साथ शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति शासन को सीधे भी प्राप्त हुई थी ।

शासन द्वारा इस मामले में जांच कराई गई । श्री दीनानाथ प्रसाद के ऊपर बिक्रीकर निर्धारण दिनांक 16-3-69 को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर सर्वप्रथम 1-12-69 को किया गया था ।

वर्ष 1968-69 के लिये निर्धारित बिक्रीकर के विरुद्ध चूंकि श्री दीना नाथ द्वारा दायर की गई याचिका अपील में रद्द कर दी गई है । अतएव इस वर्ष के लिये निर्धारित बिक्री-कर के औचित्य पर प्रश्न नहीं किया जा सकता । अन्य वर्षों के लिये निर्धारित कर के विरुद्ध श्री दीना नाथ ने चूंकि अपील दायर कर रखी है, अतएव न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इन वर्षों के मामलों पर टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

लेवी के गेहूं पर बोनस देने की योजना

*54—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेवी के गेहूं पर सरकार बोनस देने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो बोनस योजना की रूप-रेखा क्या है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गेहूं पर बोनस देने की योजना शासन के विचाराधीन है। उक्त योजना निम्न प्रकार है :

भारत सकार ने इस राज्य के लिये केन्द्रीय पूल में दिये जाने हेतु गेहूं का लक्ष्य 12 लाख टन निर्धारित किया है।

	बोनस की दर
(1) उक्त लक्ष्य की 50 प्रतिशत अर्थात् 6 लाख टन तक वसूल की गई मात्रा को केन्द्रीय पूल में देने पर	दो रुपये प्रति क्वि०
(2) लक्ष्य के 50 प्रतिशत 6 लाख टन से ऊपर तथा 75 प्रतिशत अर्थात् 9 लाख टन तक वसूल की गई मात्रा को केन्द्रीय पूल में देने पर ..	पांच रुपये प्रति क्वि०
(3) लक्ष्य के 75 प्रतिशत अर्थात् 9 लाख टन से अधिक तथा 100 प्रतिशत अर्थात् 12 लाख टन तक वसूल की गई मात्रा को केन्द्रीय पूल में देने पर ..	दस रुपये प्रति क्वि०
(4) निर्धारित लक्ष्य 12 लाख टन से अधिक वसूल की गई मात्रा को केन्द्रीय पूल में देने पर ..	पन्द्रह रुयये प्रति क्वि०

बोनस में प्राप्त होने वाली धनराशि किसानों के लाभ वाले विकास कार्यों पर व्यय की जायगी। यह किसानों को कन्शेस्नल रेट पर कृषि इनपुट्स देने के काम में भी लाई जा सकती है किन्तु किसानों को बोनस की धनराशि से नकद भुगतान नहीं किया जा सकता।

*55—56—श्री रघुनाथ सिंह—

[10 वें सोमवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में स्थापित की गयी उद्योग इकाइयां

1—श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगेकि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल से अब तक कितने छोटे उद्योग तथा कितने बड़े उद्योग खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गाजीपुर जनपद में प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल से अब तक 700 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं। बड़े उद्योगों के अन्तर्गत नन्दगंज में एक चीनी मिल का निर्माण-कार्य उ० प्र० चीनी निगम द्वारा आरम्भ किया गया है।

बाराबंकी जिले में ट्रक टायर का आवंटन

2—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी में ट्रक टायर्स का वह कोटा जो जिलाधिकारी द्वारा वितरण होता है और जिसके लिये उन्होंने अपने अधिकार ए० डी० एम० सीलिंग को दे रक्खे हैं, उसमें वर्ष 1974 में किन-किन लोगों को टायर दिये गये ? कितने सरकारी वाहनों को और कितने निजी लोगों को, निजी लोगों में कितने ट्रक यूनियन के मेम्बर हैं किस आधार पर इस कोटे का वितरण किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिले में आयातित टायरों में से 10 प्रतिशत का आवन्टन अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया। टायर आवन्टन के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।†

गोरखपुर जिले की निरस्त की गयी सस्ते गल्ले की दुकान

3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से फरवरी, 1975 तक गोरखपुर की कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को किन-किन कारणों से निरस्त किया गया? इसमें से कितनी दुकानें हरिजनों से सम्बन्धित हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में गोरखपुर जनपद में 7 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें निरस्त की गईं जिनमें 1 दुकान हरिजन की थी। दुकानें निरस्त किये जाने के कारणों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. 1065–1066 पर।)

सुल्तानपुर जिले में सहकारी चीनी मिल की स्थापना

4—राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में जो सहकारी चीनी मिल खोली जा रही है वह कब तक खुल जायगी और किस स्थान पर खुलेगी? इस मिल में कुल कितनी लागत और लगेगी और उसमें कितना धन सरकार देगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सुल्तानपुर जनपद की प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के 1977–78 में बनकर तैयार हो जाने की आशा है। यह सहकारी चीनी मिल बसोढ़ी नामक स्थान पर स्थापित होगी तथा इसकी कुल लागत लगभग सात करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें 160 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।

श्री जे० पी० शर्मा, ज्येष्ठ हाट निरीक्षक, मौदहा, जिला हमीरपुर द्वारा ज्वार की खरीद में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत

5—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में हमीरपुर जिले के मौदहा नामक स्थान पर ज्वार की खरीद में लेवी वसूलने में एस० एम० आई० (श्री शर्मा) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में क्या अनेकों हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं, जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा परिणाम स्वरूप क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। श्री जे० पी० शर्मा, ज्येष्ठ हाट निरीक्षक, मौदहा, जिला हमीरपुर के विरुद्ध प्राप्त मुख्य शिकायत यह है कि उन्होंने मौदहा के आढ़तियों के कागजातों को काट-पीट तथा दुरुस्त करके एवं अपने कार्यालय के कागजातों को भी दुरुस्त करके लगभग 800 कुन्टल ज्वार का गोलमाल किया। इसके अतिरिक्त श्री शर्मा के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों तथा आढ़तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों को मूल रूप में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, झांसी के पास जांच हेतु भेजा गया है। अतः उनमें क्या-क्या मुख्य शिकायतें हैं, इस समय बताना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त सभी शिकायतों की जांच क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, झांसी द्वारा की जा रही है।

---

†छापी नहीं गई।

मुरादाबाद जिले में उर्दू अखबारों की हुयी कान्फ्रेन्स में उर्दू अखबारों को आर्थिक सहायता देने की मांग

6---श्री अनवार जमील---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1974 में मुरादाबाद में हुई उर्दू अखबारात की कान्फ्रेन्स में 15,000 रु0 से कम आशा अंत रखने वाले अखबारात की सनअती यूनिट करार देकर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के जमरे में शामिल करने के विषय पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

ऐसे प्रेस जो छोटे समाचार पत्र छापते हैं (जिनमें उर्दू प्रेस भी शामिल हैं), वित्तीय निगम से गुणावगुण के आधार पर ऋण सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, इसलिये उन्हें अलग से व विशेष रूप से इंगित कर लघु उद्योग घोषित करने की आवश्यकता फिलहाल प्रतीत नहीं होती ।

लखनऊ में लगाई गयी हैन्डलूम बोर्ड की प्रदर्शनी में भाग लेने वाली समितियों को दिया गया रिबेट

7---श्री बाबू लाल वर्मा---

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में हैन्डलूम बोर्ड द्वारा लखनऊ स्थित नगर महापालिका भवन में जो प्रदर्शनी लगाई गई उसमें कुल कितनी समितियों ने भाग लिया, कितने रुपये की कुल बिक्री हुई तथा कितना रिबेट दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस प्रदर्शनी में कुल 76 सहकारी समितियों ने भाग लिया था। 17 लाख रुपये की कुल बिक्री हुई थी और इस पर रु0 75179.17 पैसे का रिबेट समितियों को दिया गया ।

हरदोई जिले की तहसील संडीला के अन्तर्गत चीनी के कोटेदार और निरस्त किया गया चीनी का कोटा

8---श्री काशीनाथ मेहरोत्रा---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की तहसील संडीला में प्रत्येक न्याय पंचायत में चीनी के कितने-कितने कोटेदार हैं ? यदि किसी न्याय पंचायत में दो से कम कोटेदार हैं तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जनपद हरदोई की तहसील संडीला में कुल 44 न्याय पंचायतें हैं, जिनमें से 20 न्याय पंचायतों में एक-एक, 21 न्याय पंचायतों में दो-दो तथा एक न्याय पंचायत में तीन चीनी के कोटेदार हैं । दो न्याय पंचायतों में इस समय कोई कोटेदार नहीं है । जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 में यह निर्णय हुआ कि एक न्याय पंचायत में दो कोटेदार तभी नियुक्त किए जायें जब भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य विशेष परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो। अत : जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए अवशेष न्याय पंचायतों में चीनी के कोटेदारों की व्यवस्था सामान्य तौर पर की जाने की कार्यवाही रोक दी गयी है ।

9---श्री काशी नाथ मेहरोत्रा---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1974 से फरवरी, 1975 तक हरदोई जिले में चीनी के कितने कोटे निरस्त किए गए उनमें से कितने कोटेदारों पर पुलिस कार्यवाही चल रही है तथा कितने कोटेदारों की अपीलें आयुक्त को मिलीं तथा उनमें से कितने बहाल कर दिए गए ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

हरदोई जनपद में प्रश्नगत अवधि में 55 चीनी कोटेदारों के कोटे निरस्त किए गए, इनमें से किसी कोटेदार के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही नहीं चल रही है। आयुक्त, लखनऊ मन्डल, लखनऊ को 22 कोटेदारों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें से 11 निर्णीत हो चुके हैं व इनमें से 9 स्वीकार किए गए।

बदायूं जिले में ईंट फूंकने के लिये कोयले का आवंटन

10--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में ईंट फूंकने का तथा जलाने वाला कोयला का सन् 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में कितना-कितना आबंटन किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार बदायूं जनपद में ईंट फूंकने तथा जलाने वाले कोयले का रेलवे द्वारा सन् 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में आवंटन निम्नांकित रहा :--

वर्ष	स्लेक कोल	साफ्ट कोक
1972-73	2 रेक	20 फोर व्हीलर
	35 बाक्स	
	285 फोर व्हीलर	
1973-74	1 रेक	39 फोर व्हीलर
	8 फोर व्हीलर	7 बाक्स
1974-75	1 रेक	18 फोर व्हीलर
	24 फोर व्हीलर	

हरदोई जिले की सी० डी० यू० समिति द्वारा कृषकों से किया गया गन्ने का सट्टा

11--श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई की सी0डी0यू0 समिति द्वारा उस वर्ष कृषकों को 23 लाख कुन्टल के सट्टे किये गये और वहां के गन्ना सचिव ने गन्ना पेराई हेतु 8 लाख कुन्टल का आफर किया परन्तु फिर भी वहां सट्टे बढ़ाए गए ? यदि हां, तो कितने सट्टे बढ़ाए गए और प्रति कुन्टल कितने रुपए की कटौती की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सीजन 1974-75 में कथित गन्ना समिति द्वारा कृषकों से 12.66 लाख कुन्टल के सट्टे किए गए जिसके आधार पर 8 लाख कुन्टल गन्ने का आफर मिल को किया गया। इसके बाद 2.48 लाख कुन्टल के सट्टे बढ़ाए गए और प्रति कुन्टल 1 रुपया जमानत के रूप में कटौती की गयी तथा मिल को 2.20 लाख कुन्टल का अतिरिक्त आफर भी किया गया। इस प्रकार कुल 15.14 लाख कुन्टल के सट्टे कृषकों से किए गए और इसके आधार पर 18.20 लाख कुन्टल का आफर मिल को दिया गया जिसे मिल ने स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त सट्टे की जमानत का धन रु0 2.48 लाख समिति में जमा है।

फैजाबाद जिले की मसोधा चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

12--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर वहां के किसानों का कितना रुपया गन्ने की कीमत का बाकी है और सरकार किसानों को कब तक रुपया दिलाएगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य के रूप में दिनांक 13 अप्रैल, 1975 को (वर्तमान सीजन 1974-75 का) रु0 23 लाख अवशेष था। इस मिल द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 196 लाख में से रु0 173 लाख का भुगतान कृषकों को किया गया। बकाया शीघ्रातिशीघ्र दिलाने के प्रयास किए जायेंगे।

13--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

[10-4-75 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

14--श्री बाबू लाल वर्मा--

[10-4-75 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

राज्य खादी बोर्ड की बैलेन्स शीट को सदन में प्रस्तुत करने की मांग

15--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार यह बताएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य खादी बोर्ड की सम्पूर्ण बैलेन्स-शीट उसकी स्थापना से अब तक कभी सदन की मेज पर रखी गई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इस्तफा हुसैन--

बोर्ड की व्यावसयिक योजनाओं की वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 की बैलेन्स शीट, जिनका समावेश बोर्ड के उक्त वर्षों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों में है, सदन की मेज पर रखी जा चुकी है।

बोर्ड की पिछले वर्षों की सम्पूर्ण बैलेन्स शीट संकलित रूप में बनाई जा रही है।

इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर जिलों में गेहूं, चावल और चीनी का प्रति यूनिट आबंटन

16--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि इलाहाबाद, वाराणसी तथा गोरखपुर नगरों में प्रति यूनिट प्रति माह कितना-कितना गेहूं, चावल और चीनी दिया जा रहा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ---

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1067 पर।)

17--श्री हरीश चन्द्र खण्डेलवाल--

[10वें सोमवार के लिए स्थगित।]

18--श्री ब्रजपाल सिंह यादव--

[10वें सोमवार के लिए स्थगित।]

19-20--श्री बाबू लाल वर्मा--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

[X X X X]

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं। आईटम नम्बर 2, माननीय मुख्य मन्त्री।

छापा नहीं गया।

नोट :--यह अंश [X X X] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री मंजूर अहमद--

[X X X]

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दिनांक 25 से 28 सितम्बर, 1973 के बीच मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

आपके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस पर आप चर्चा कब करा रहे हैं ?

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

[X X X]

श्री अध्यक्ष--

आप जो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मैं इजाजत नहीं देता। यह अशोभनीय है।

श्री मंजूर अहमद--

[X X X]

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

श्रीमन, यह जो कह रहे हैं, मेरा विचार है कि सारा काम आज रोक कर उसी पर सदन में चर्चा हो जाए। वहां पर नेशनलाइज्ड-वे पर गुन्डागर्दी की गई है, सारा सदन एक मत है कि इस पर चर्चा हो।

– (व्यवधान)

[X X X]

श्री मंजूर अहमद--

[X X X]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठिए।

श्री मंजूर अहमद--

[X X X]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंजूर अहमद ने जो कुछ कहा है, वह लिखा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां जो अशोभनीय प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया है, उससे इस सदन की गौरव-गरिमा को आंच पहुंचती है।

नोट :--यह अंश [XXX] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री सत्यपाल मलिक---

आपके मना करने के बावजूद भी उन्होंने कपड़ों का प्रदर्शन किया है, इस पर आपका क्या मत है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने मेरी इजाजत नहीं ली, प्रदर्शन करने लगे। इसलिए वह कुछ लिखा नहीं जाएगा।

(व्यवधान के मध्य)

(कई सदस्य एक साथ खड़े रहे)

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, माननीय मंजूर अहमद आपकी इजाजत से बोल रहे थे।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए। आप भी तो इजाजत नहीं लिए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

मान्यवर, अध्यक्ष को जो हटाए जाने का प्रस्ताव आया है, उस पर चर्चा कब होगी ?

श्री अध्यक्ष---

जब उसका अवसर आवे तब आप उसको उठाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, जो हटाए जाने का प्रस्ताव आया है, उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

जो नियम होगा, उसके अनुसार आएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, आपके विरुद्ध जो प्रस्ताव है, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कब आएगा।

श्री अध्यक्ष---

संविधान आप पढ़ें, नियमत : जब उचित होगा, तब आएगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मान्यवर, तीन दिन हो गये यह प्रस्ताव सचिव को पहुंचाया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 14 दिन वह कब पूरा हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

आपको जो सूचना मुझसे नहीं मांगनी चाहिए वह मांग रहे हैं। संविधान में जैसे है, उसी के हिसाब से होगा। जो सूचना आपने दी होगी, वह सूचना होगी। जो कोई विश्वास, अविश्वास का सवाल आएगा, तो उसके बारे में फैसला लेने के लिए संविधान में वर्णित है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि सचिव ने आपको बता दिया कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान में, नियम में सीधे पूछने का आपको क्या हक है ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—
मान्यवर, हम लोगों को हक मालूम है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं है। संविधान के अनुरूप कार्य होने में हमारा सचिवालय सक्षम है और संविधान के प्राविधानों को तोड़ने-फोड़ने और उसको प्रदर्शन का माध्यम बनाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने सूचित किया है कि श्री मोहम्मद मसूद खां, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 26 अप्रैल, 1975 को 11.30 बजे दिन में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत बन्दी कर लिया गया है, और उन्हें लखनऊ जिला जेल में रखा गया है।

सर्वश्री नियाज हसन, राम मूर्ति, शिव प्रसाद गुप्त तथा राम रेखा यादव, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी तथा जेल भेजे जाने की सूचना सदन को दिनांक 25 अप्रैल, 1975 को दी गई थी। इन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने सूचित किया है कि उनको 25 अप्रैल, 1975 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब शान्ति व्यवस्था भंग होने की कोई सम्भावना नहीं है। अत: न्यायालय द्वारा इन माननीय सदस्यों को धारा 151/107/116 से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें रिहा कर दिया गया है। अभी एक सूचना प्राप्त हुई है। सर्वश्री तेज सिंह, रामेश्वर नाथ चौबे तथा श्याम बिहारी सिंह को आज दिनांक 28 अप्रैल, 1975 को 11.45 बजे दिन में बन्दी कर लिया गया है और उन्हें इस समय लखनऊ जिला जेल में रखा गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपने सूचना दी मान्यवर, वह दो भागों में दी है। एक तो 25 तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री जी का जन्म दिन था और जो माननीय सदस्य उस दिन पकड़े गए उनको छोड़ दिया लेकिन उसके विपरीत फिर लाठी चार्ज हुआ और शान्ति पूर्वक सत्याग्रह करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। भारत सिंह चौहान, राजेन्द्र अग्निहोत्री इन पर लाठी चार्ज किया गया और उन पर गम्भीर चोट आयीं। 25 तारीख को लोगों को छोड़ दिया गया, तो यह अच्छा किया लेकिन आज किस उपलक्ष में यह सब किया गया है। मान्यवर, वातावरण बड़े तनाव का है। आपके पास एडजर्नमेंट मोशन आ ही रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसीलिए मैंने यह कहा।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक ने सिफारिश की है कि विधान सभा का उपवेशन कल 19 अप्रैल, 1975 को भी हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, 19 नहीं 29।

श्री अध्यक्ष—

हां, 29 अप्रैल, 1975 को भी हो और उसमें असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाए।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर आप आज्ञा दें तो कहूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या कहना है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा आब्जेक्शन नोट कर लें, बड़ा महत्वपूर्ण है। जानबूझकर इस सरकार ने यह किया है।

श्री अध्यक्ष—

आज सायंकाल भी बैठक करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं। मैं इस पर अपनी आपत्ति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

शाम को 7 बजे फिर कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक बुलायी गयी है।

अब विशेषाधिकार के जो सवाल उठाए गए हैं....

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

जो लाठी चार्ज हुआ और शान्तिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था उस सिलसिले में माननीय मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माधव प्रसाद जी ने कहा है कि उन्होंने लिखकर दिया है। आता होगा।

दैनिक समाचार-पत्र "भारत" के सम्पादक तथा मुद्रक व प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार का सवाल ले रहा हूं। माननीय सदस्य, श्री रामअधार तथा श्री मुहम्मद असरार अहमद ने दिनांक 24 अप्रैल, 1975 को दैनिक भारत के प्रबन्ध सम्पादक, डा0 मुकुन्द देव शर्मा तथा मुद्रक व प्रकाशक श्री बलवन्त राम मेहता के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने तथा सदन का अवमान करने का प्रश्न उठाने की सूचना दी थी। माननीय सदस्यों का कहना है कि दिनांक 8 अप्रैल, 1975 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (यद्यपि माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सूचना में उल्लेख किया है) के सम्बन्ध में चर्चा के सन्दर्भ में दैनिक समाचार पत्र 'भारत' दिनांक 10 अप्रैल, 1975 के अंक में सम्पादकीय लेख में की गयी आलोचना से सदस्यों एवं सदन का अवमान होता है। उक्त सम्पादकीय लेख में जिन शब्दों पर आपत्ति की गयी है, वह इस प्रकार हैं:—"इस प्रकार लांछन

लगाना निश्चय ही बड़ा गर्हित और आपत्तिजनक कार्य है। इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करना कि जो मुंह में आए बिना समझे-बूझे कह देना बहुत ही शर्मनाक बात है।"

प्रथमत: यह प्रश्न अत्यधिक विलम्ब से उठाया गया है और सूचना में यह कारण देना कि उक्त सम्पादकीय लेख माननीय सदस्यों को एक रोज पहले ही देखने को मिला उपयुक्त कारण नहीं समझा जा सकता। अतएव, यह सूचना केवल विलम्ब से उठाए जाने के कारण ही अस्वीकार करने योग्य है। दूसरे कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 246-247 के अनुसार—'जिन भाषणों या लेखों में सदस्यों के विरुद्ध अस्पष्ट आरोप लगाए गए हों या संसद में उनके आचरण पर कठोर भाषा में आलोचना की गयी हो, विशेषकर किसी सार्वजनिक वाद-विवाद के दौरान, लेकिन उनमें सदस्यों पर कदाशय का आरोप न लगाया गया हों, उन्हें सभा का अवमान या विशेषाधिकार भंग नहीं समझती। उक्त पुस्तक के पृष्ठ 247 पर यह भी लिखा हुआ है कि—"उसी आधार पर सभा के भाग या सभा के किसी दल विशेष के लिए मानहानिकारक शब्दों के प्रयोग को सभा का अवमान नहीं समझा जाता, क्योंकि उसका प्रभाव सारी सभा पर नहीं।"

इस सन्दर्भ में लोक सभा में एक मामला हुआ था, जिसमें समाचार-पत्रों के अनुसार एक राजनीतिक नेता ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि विधान मन्डल में एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि "ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लेगा" और "ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका का कोई अच्छा साधन नहीं है।" इस मामले में अध्यक्ष श्री आयंगर ने विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स का डेली मेल का मामला भी उल्लेखनीय है जिसमें डेली मेल में छपे एक सार्वजनिक भाषण में सभा के एक भाग को "पागल, टोरी-जलील, बदमाश और पाजी" की संज्ञा दी गयी थी। इस मामले में जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार—व्यक्तियों तथा दलों के लिए, प्रयुक्त किए गए कठोर शब्दों के सम्बन्ध में आवश्यक हो तो, मानहानि विषयक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार भंग का मामला तभी उठता है, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग सारी सभा के लिए किया गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन बुरे विशेषणों का प्रयोग कुछ लोगों के लिये किया गया है। इसलिए मेरे विचार में इन शब्दों के आधार पर प्रत्यक्षत: विशेषाधिकार भंग का कोई मामला नहीं उठता।"

यह उनका निर्णय था जो मैं पढ़ रहा था। हाउस आफ कामन्स में जिन भाषणों तथा लेखों में सभा, उसकी समितियां तथा सदस्यों पर आक्षेप किया गया हों, उनके सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स का सामान्य रवैया वहां के विशेषाधिकार समिति ने उक्त डेली मेल के मामले में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—"यह बात सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि ऐसे मानहानिकारक वक्तव्य के बारे में दन्ड देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए, जो विशेषाधिकार भंग की परिभाषा में आता है। समिति यह तो मानती है कि संसद का कर्तव्य है कि जहां पर ऐसे आक्रमण किए जाएं जिनसे कि संसद में जनता का विश्वास कम हो जाय या लोग उसका समर्थन करना छोड़ दें वहां पर कार्य करे लेकिन हमारा विचार है कि इस बात का भी बड़ा महत्व है कि संसद के विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून को इस ढंग से लागू नहीं करना चाहिए कि स्वतन्त्र रूप के विचार प्रकट करने या आलोचना करने में बाधा पड़े या उसके लिए व्यक्ति निरुत्साहित होते हों। वह आलोचना और विचार चाहे कितने ही अतिशयोक्तिपूर्ण तथा पूर्ण धारणाओं पर आधारित क्यों न हों। इसके साथ ही संसद की जांच की प्रक्रिया का प्रयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि उसने गैर जिम्मेदारी से कही गयी बातों को महत्व मिले।" यह उनका कथन डेली मेल के बारे में है।

उपर्युक्त तथ्यों के सन्दर्भ में मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इसमें आप स्पष्टीकरण तो करा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उसके लिए आपको समय दे दिया।

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह तथा माननीय श्री आशा राम यादव ने सूचना दी है कि माननीय वित्त मन्त्री ने 12 मार्च, 1975 को सदन में घोषणा करते हुए कहा था कि "सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के कर्मचारियों को अप्रैल, 1975 से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वेतन संवितरण की व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक लाया जायगा।" माननीय सदस्य का कहना है कि न तो विधेयक का पारण ही हुआ है और न होने की सम्भावना है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, यह विधेयक परिषद् से पारित हो चका है और मैंने आग्रह किया है कि कल सिक्किम वाले विधेयक के बाद इसमें 5 मिनट ही लगेंगे, वह ले लिया जाय। वह शायद शाम को आप फिर विचार करेंगे। मैं सचेष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष—

सदन में जो आश्वासन दिए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में आश्वासन समिति कार्यवाही करती है। किसी आश्वासन या वायदे की पूर्ति न करने से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

मई 1975 में लोक आयुक्त विधेयक कानून बन जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय बाबू लाल वर्मा तथा माननीय राम चरन शाह ने सूचना दी है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने 22 अप्रैल, 1975 को सदन में यह घोषणा की थी कि लोक आयुक्त विधेयक मई महीने में कानून बन जायगा। किन्तु सदन 28 अप्रैल, 1975 से अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने तथा सत्रावसानित होने की दशा में, माननीय मुख्य मन्त्री को घोषणा पूरी नहीं हो पायेगी और लोक आयुक्त विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाएगा। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में सदन में एक याचिका भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि मुख्य मन्त्री को इस विधेयक की परिधि के बाहर न रखा जाय अन्यथा यह विधेयक व्यर्थ हो जाएगा। किन्तु सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री इस मांग का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए सदन स्थगित करा रहे हैं।

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय मोहम्मद असरार अहमद, माननीय श्री मधुकर दिघे तथा माननीय राम प्रकाश यादव ने एक दूसरी सूचना दी है . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माधव बाबू ने जो भी दिया है, वह उससे भिन्न है।

श्री अध्यक्ष—

एक ही बात को लेकर दोनों हैं। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय आदि ने जो सूचना दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि 25 अप्रैल, 1975 को माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन में यह घोषणा करके कि लोक आयुक्त विधेयक मई में कानून बन जायगा और इस सदन के बिना भी कानून बन जायगा, स्पष्टतया सदन का अवमान किया है तथा विशेषाधिकारों की अवहेलना की है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इसी विषय पर मैं एक दिन कह चुका हूं (कांग्रेस पक्ष के किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आप लोगों को क्यों अच्छा लगेगा क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री की गर्दन उसमें फंसती हैं। मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जितने वचन यहां पर देते हैं, उनमें से 80 प्रतिशत वचन तो पूरे होते ही नहीं हैं। यह वचन जो इस बिल से सम्बन्धित है जिसमें सारे मन्त्रीगण भी आते हैं, इसमें ऐसा था कि यह कहा गया था कि लोक आयुक्त बिल शीघ्र लायेंगे और यह मई के महीने में ही कानून बन जायगा। उसमें यह भी नहीं था कि किसी दूसरे तरीके से इसको कानून बना लेंगे। मान्यवर, कल 29 तारीख आ गयी है, क्या उस वक्त यह समझ कर कह दिया था कि कानून बन जायगा कि इस वक्त बला टाली फिर देखा जायगा।

दूसरी शर्त जैसे कहा गया है कि बिल की परिधि में मुख्य मन्त्री नहीं आते हैं। मान्यवर, यह कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं सदन में तो नहीं था लेकिन लाबी से सुन रहा था परसों नरसों, मुख्य मन्त्री ने कहा था कि बड़ी मुश्किल है कि मन्त्री एक ऐसा जानवर है जिस पर जो कोई भी चाहे किसी प्रकार का आक्षेप लगाना वह लगा सकता है, इत्यादि। जब गरीबी थी मन्त्री मोटर पर भी चलता था, पैदल भी चलता था लेकिन जब गरीबी 80 प्रतिशत और हो गई तो हेलीकाप्टर पर चलता है। यह डिफेन्स लाते हैं हम भी तो एक जानवर हैं। जो बिल है उसमें मुख्य मन्त्री जी मुक्त हैं। हम संशोधन लाना चाहते हैं कि इसमें नेता विरोधी दल भी आयें, हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति इसमें आयें जिनका सम्बन्ध पब्लिक लाइफ से है।

आज जन-जीवन त्रस्त इस कारण है कि कोई पब्लिक लाइफ स्वच्छ नहीं रह गयी है। हम नाहक कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। इसकी कभी भी कोई सहायता नहीं हो सकती जब तक हम ऐसा वातावरण नहीं बना देंगे कि ऊंचे से ऊंचे लोग इसकी परिधि में न आ जायं। यानी जो आदर्श बने हुए है वह भी इसमें आ जायं। इसीलिए मन्त्री से लेकर मुख्य मन्त्री तक, सबको शामिल होना चाहिए। जानबूझ कर यह चालाकी की गयी है, मैं फिर दोहराता हूं कि इस सत्र में न आने पाए, एक दिन अध्यादेश कर देंगे।

मैं कल वाली बात पुन: दोहराना चाहता हूं, कहीं ऐसी मिसाल आप दे सकते हैं, दें तो बड़ी कृपा होगी, कि दुनियां में कहीं मुख्य मन्त्री जब कि सत्र चल रहा हो उसी के दरमियान खड़ा हो कर यह संकेत करे कि अध्यादेश के जरिए कानून बना देंगे जबकि अध्यादेश उन्हीं परिस्थितियों में लाया जाता है जबकि सेशन न चल रहा हो और कोई सुनिश्चित जानकारी सरकार को न हो कि अध्यादेश लाना है। अगर इतनी बदनीयत यह सरकार है कि सेशन चल रहा हो और कहती है तो इसने गला घोंट दिया प्रजातन्त्र का और डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो गया। इसलिए मेरा यह बनता है। इन्होंने कहा है कि मई में कानून बना देंगे और यह सेशन कल तक ही है ऐसी जानकारी मेरे चीफ ह्विप से मुझे मिली है और कल के कार्य-क्रम में यह आया नहीं है ....

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का कैसे बनता है ? (श्री सत्य प्रकाश मालवीय के खड़े होने पर।) एक उस नोटिस मे से और एक आपकी नोटिस में से, दो सदस्यों को मैं इजाजत दे देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

विशेषाधिकार नहीं बनता है अभी आपने यह निर्णय दे दिया। उसके बाद भी आप भाषण कराते चले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपकी रूलिंग के खिलाफ ही तो यह भाषण हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी निर्णय कहां दिया ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसके पहले वाले सवाल पर आपने रूलिंग दे दी। अभी आपने यह रूलिंग दी कि सदन के अन्दर कोई आश्वासन देने पर विशेषाधिकार का सवाल नहीं बनेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 करीब सवा महीना पहले सरकार की तरफ से समस्त माननीय सदस्यों को वितरित किया गया। यह स्पष्ट हो गया है कि विधान सभा कल उठने वाली है और जो कार्य-सूची हम लोगों को आज मिली है या जैसा मान्यवर ने बताया उसके अनुसार विधेयक इस सत्र में आने वाला ही नहीं है। 25 अप्रैल को मुख्य मन्त्री ने कहा था कि मई में कानून बन जायगा। इस सदन के बिना भी तो कानून बन सकता है। और अगर मई में कानून न बना तो मेरी जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया हुआ है कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में पारित किया जायगा राज्यपाल के द्वारा। यहां पर सत्र चल रहा है और माननीय मुख्य मन्त्री सारे संविधान की मान्यताओं को तोड़कर सदन में ही घोषणा कर रहे हैं कि लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के सम्बन्ध में जो कानून बनने वाला है वह मई में बनेगा। इसके साथ-साथ आशय यह है कि यह कानून मई में अध्यादेश के द्वारा बन जायगा। मैं इस सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं कि क्योंकि आप सदन, जनता और संविधान के रक्षक हैं और इस सम्बन्ध में माननीय मावलंकर जी के मत की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। उन्होंने कहा था :—

"केवल समयाभाव के कारण अध्यादेशों को प्रख्यापित करना कार्यपालिका शासन की स्पष्ट रूप से एक गलत परम्परा थी। इस शक्ति का केवल उस समय प्रयोग होना था जब आपात कालीन स्थिति हो तथा विधान मन्डल की बैठक न बुलायी जा सकती हो। समयाभाव के कारण अध्यादेश जारी किया जाना एक वांछनीय दृष्टान्त नहीं था। क्योंकि असुविधाजनक विधायन भी उस प्रकार जारी किया जा सकता था।

उनका यह सुनिश्चित मत था कि स्पीकर जहां यह अनुभव करे कि विधायन की असाधारण शक्ति का शासन द्वारा उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है तो उन्हें अपना प्रभाव तत्कालीन सरकारों तथा विधान मन्डलों पर डालना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी किसी विशेष कार्य को गम्भीर समझे तो वह हमेशा अपने त्याग-पत्र का भय दिखा कर उस मामले पर जोर डाल सकता है।'

तो मेरा यह निवेदन है कि चूंकि माननीय सदन का सत्रावसान होने जा रहा है, अत माननीय अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए इस विधेयक के अतिरिक्त भी अन्य कार्य और विधेयक ऐसे हैं जो विचार के लिए पड़े हुए हैं। सत्रावसान के लिए माननीय

अध्यक्ष को माननीय राज्यपाल से संस्तुति करना पड़ती है, अतः इस पर वे विचार करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि मई में कानून बन जाएगा, अब इससे बढ़ कर और विशेषाधिकार का हनन क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसे विशेषाधिकारों के हनन का प्रश्न बनता है, यह नहीं बताया गया।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

जो माननीय मालवीय जी ने कहा है उसमें मैं कुछ थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं जो विशेषाधिकार से सम्बन्धित है। इसमें दो बातें हैं—एक तो यह कि यह विधान सभा चल रही है और दूसरी बात यह कि विधान सभा को ही यह अधिकार है कि वह कानून बनावे। विधान सभा के चलते कोई मन्त्री यह घोषणा करें कि "मैं कानून बनाऊंगा", यह कैसे ? (व्यवधान) मालवीय जी ने वह बात पहले ही बता दी है कि मई में विधान सभा चलने वाली नहीं है। इस कारण से अब लोक आयुक्त वाला बिल पास होने वाला नहीं है। सदन में वह विधेयक आ चुका है, उसे आये भी डेढ़ माह हो चुका है। उस कानून की तत्काल आवश्यकता है। तो उसे पास न करेंगे इनका साफ इरादा मालूम हो जाता है कि आर्डिनेन्स आएगा नहीं तो (व्यवधान) यह कानून कैसे बन जाएगा ? इसके साथ सदन में घोषणा होने के बाद भी कानून न बनाया जाय तो साफ जाहिर है कि (व्यवधान) जिस भी कारण से हो यह मनशा है इनकी कि आर्डिनेन्स द्वारा कानून। इसके साथ ही मैं संविधान के आर्टिकिल 213 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—"राज्यपाल को समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं...' यह उसमें लिखा है। यहां पर माननीय नेता, विरोधी दल, ने नियम 200 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव लाने के लिए प्रश्न उठाया था। उसी पर यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे लोक आयुक्त बिल मई में लाने वाले हैं और वह कानून बन जाएगा। जब सदन में उसकी घोषणा हो गयी तो क्यों नहीं उसे लाया जाता। इसको जानबूझ कर टाला जा रहा है और वह स्पष्ट सदन का अवमान है। इस सदन के जो अधिकार हैं उनके बारे में माननीय मावलंकर जी का जो पत्र-व्यवहार हुआ ..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

यह भाषण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। वे ठीक कह रहें हैं।

श्री मधुकर दिघे—

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसमें भी स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि कोई भी अध्यादेश जिसकी आवश्यकता नहीं है वह नहीं लाया जा सकता। और मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि उसकी तात्कालिकता है। जब तात्कालिकता है और वह बिल आ चुका है तब फिर मुख्य मन्त्री को यहां इस सदन में कहने का अधिकार नहीं है। और यदि वह कहते हैं तो इस सदन का अवमान होता है। इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न बनना है, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में जानकारी कराना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह आप ज्यादती कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

कार्य मन्त्रणा समिति के एजेन्डा पर यह दो मर्तवा 22 को और 25 को भी रखा गया था और फिर भी इसको पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह और भी अवैधानिक है, यह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मुझे यह देख कर जरा दुःख हुआ कि माननीय नेता जनसंघ जैसे पार्लियामेंटेरियन द्वारा बल प्रदान किया गया कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है जब कि वे स्वयं जानते हैं अपने हृदय के अन्दर कि किसी तरह से भी वैधानिक परिधि को कम करने की कोई बात इसमें नहीं है। इसमें लिखा है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जानबूझ कर सदन में गलत-बयानी की। यह इसमें केवल एक बात कही गयी है विशेषाधिकार के बारे में। श्रीमन्, गलत-बयानी तो तब मानी जाती जब मई में कानून न बनता। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, आज 28 तारीख है और मई का महीना सारा बाकी है, तो गलतबयानी कैसे मानी जाय? (व्यवधान) मई-जून में कोई बात न होती तो कहते कि गलतबयानी हुई।

दूसरी बात श्रीमन्, यह कहा जाता है कि मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि मई में कानून बन जायेगा। इस पर आपत्ति है, तो इसमें गलतबयानी क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

सुनने तो दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

[x x x]

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य का लिखा नहीं जाएगा। वे बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जहां तक कानून का प्रश्न है, यह कभी नहीं कहा गया है कि अध्यादेश लायेंगे। कहा यह गया था कि मई में हम कानून बना सकेंगे। (व्यवधान) मैं संवैधानिकता आपके सामने रखता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सत्यप्रकाश मालवीय जी ने संविधान के अनुच्छेद 213(2) का उल्लेख किया है, जिसे मैं पढ़ देना चाहता हूं :---

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मन्डल के अधिनियम का होता है।

(व्यवधान)

इसका मतलब यह है कि चाहे अध्यादेश के जरिए कानून बने या विधान मन्डल पारित करे, उसका प्रभाव बाहर यही पड़ेगा कि वह भी कानून होगा। यह बात सही है जो माननीय उपनेता विरोधी दल ने कहा कि 22 को इसका जिक्र आया था और बाद को भी आया था और मैंने उसी समय .....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

सबसे पहले 15 को आया और फिर आपने रिपीट किया 22 को भी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:---यह अंश [xxx] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कार्य-मन्त्रणा समिति में मैंने सूचित किया था। हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कान्करेंस लेनी पड़ती है : मैंने विजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्पष्ट किया था कि लोक आयुक्त बिल आ रहा है। और राज्यों में भी यह विधेयक आ रहे हैं और पारित हुये हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में थोड़ा सा समय चाहा है कि, वह लोक आयुक्त विधेयक की कुछ धाराओं पर विचार करना चाहते हैं। बिना सेन्टर की कान्करेंस के हम यह विधेयक ला नहीं सकते। चूंकि इसमें कुछ दिन लग रहे हैं, इसमें परामर्श करना है, कुछ दिन लगेंगे। यह मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सूचित किया था। हमारा विचार कायम है। सेन्टर से परामर्श करने के बाद मई के महीने में यह कानून बन जायगा, चाहे असेम्बली बुलाकर या चाहे संविधान के अन्तर्गत दूसरी तरह से बनाया जाय।

अब जहां तक प्रश्न है, श्रीमन् कि विशेषाधिकार बनता है या नहीं। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि 'मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के जो विशेषाधिकार हैं, वही हमारे भी हैं। श्रीमन्, 1904 मे, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ 69 पर है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि कोई नया प्रीविलेज हम क्रियेट नहीं कर सकते'। आज इस मोशन के क्रियेट करने के बाद, माननीय नेता जनसंघ, माननीय सदस्य इलाहाबाद से मैं कहूंगा कि यह नया प्रिविलेज है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में, 1704 में, दिया गया है कि –

"That neither House of Parliament have power, by any vote or declaration, to create to themselves new privileges, not warranted by the knows laws and customs of Parliament."

तो जब 1704 में यह प्रस्ताव हो गया है तो आज इस प्रस्ताव को रख कर एक नया प्रीविलेज क्रिएट करना है जिसका कोई प्रेसीडेंस नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सभी तर्कों को सुना है। मैं कल इस पर अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, केवल एक बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि जो वाक्य यहां पर कहा गया है कि सदन के बिना भी तो कानून बन सकते हैं। केवल एक बात उन्होंने कही कि अध्यादेश भी कानून होते हैं, और सदन में बनते वाला कानून भी कानून होता है। यदि माननीय मन्त्री जी कहते कि अध्यादेश नहीं लायेंगे और मई में विधान सभा होगी और कानून बनेगा तो वह बात दूसरी थी। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कहते और कहते हैं कि अध्यादेश लायेंगे तो यह सवाल एकदम दूसरा हो जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने जो तर्क दिए हैं और उधर से जो तर्क उपस्थित किए गए हैं, मैं देखकर कल इस पर निर्णय दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने एक बात कही है कि नया प्रिविलेज नही क्रियेट हो सकता है। इसका क्या अर्थ है समझ नहीं पाया। आप इसमें प्रिविलेज के बारें में विचार करके नयी व्यवस्था दे सकते हैं। इस विषय पर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। अब कल सेशन समाप्त होने वाला है आश्वासन हो गया था कि विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। सदन में आप कहते है कि यह तो केवल आश्वासन है? तो यह आश्वासन पूरा होना असम्भव है। मान्यवर, सदन को गुमराह किया गया है, सदन को धोखा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी पहलुओं पर बिचार करूंगा।

हजरतगंज के थानाध्यक्ष, श्री विमल प्रसाद त्रिपाठी के विरूद्ध दारुलशफा स्थित कमरे में श्री मनीराम द्वारा घुसने के सम्बन्ध में विशेषाधिकर की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री मनी राम, सत्य पाल मलिक, मुहम्मद असरार अहमद, मधुकर दिघे, सत्य प्रकाश मालवीय तथा राम अवार, सदस्यगण, विधान सभा, ने सूचना दी है कि थानाध्यक्ष, हजरतगंज, लखनऊ, श्री विमल प्रसाद त्रिपाठी, सब-इन्सपेक्टर, श्री पी0 एस0 राठौर व श्री लाला राम अन्य सिपाहियों को लेकर ताला तोड़कर दारुलसफा, बी ब्लाक, कमरा नं0 24 में जो श्री मनी राम, सदस्य विधान सभा का था, घुस गए, उनके कमरे की तलाशी ली और कमरे का सामान इधर-उधर फेंक दिया। इसी बीच उस कमरे में रहने वाले श्री महेश्वरी सिंह, एल0एल0बी0 द्वितीय वर्ष के छात्र वहां पर आ गए और पुलिस वालों से पूछा कि आप लोग ताला तोड़कर कमरे में क्यों घुस आए। परन्तु इसका कोई जवाब न देकर उक्त पुलिस के अधिकारीश्री मनी राम, सदस्य, विधान सभा को बुरी तरह से गालियां देने लगे और कहा कि साला विधायक कहां गया। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि थाना हजरतगंज के पुलिस इन्चार्ज व उपर्युक्त सब-इन्सपेक्टरों ने सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर सदन का अवमान किया है।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इसमें ऐसा है कि श्री मनीराम के कमरा नं0 24 में हजरतगंज थाने के थानाध्यक्ष, श्री त्रिपाठी जी वहां गए। उसमें आपकी अनुमति नहीं ली गयी और बिना किसी के अनुमति के और उनकी अनुपस्थिति में पुलिस का ताला तोड़ना और एक व्यक्ति, जो उनको रोक रहा था, को गिरफ्तार कर लेना। तो मान्यवर, इस तरह का विशेषाधिकार का सवाल है, इसमें माननीय सदस्यों का और अपका भी अपमान है। इसलिए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का तो बनता नहीं है, इसलिए इसको हम मुख्य मन्त्री जी को कार्यवाही के लिए भेज देते हैं।

दूसरे दारुलशफा परिसर के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं बनता है। अतः कार्यवाही के लिए हम भेज रहे हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मन्यवर, नियम 56 में दिया गया था उसमें कुछ नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

अब आएगा। नियम 56 में पहली सूचना श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री ओम प्रकाश सिह, श्री अवधेश कुमार और श्री शिव सम्पत्ति राम की है—दिनांक 27अप्रैल, 1975 को कानपुरमें लोक नायक जय प्रकाश की सभा में युवक कांग्रेस के उकसाने पर एक भीड़ द्वारा उपद्रव से जनता में असन्तोष है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, लोक नायक जय प्रकाश की सभा कानपुर में हुई और उनके अनेक कार्यक्रम थे। प्रदेश में जिस तरह का वातावरण शासक दल की तरफ से हो रहा है, उसमें वहां उनकी सभा को भंग करने के लिए और आक्रमण करने की सारी योजना बनाकर कांग्रेस के एक विधायक के नेतृत्व में 500-600 कार्यकर्ताओं ने मीटिंग को भंग करने के उपाय किए। वह

लाठियों और अस्त्रों से लैस थे। उन्होंने सभा में उत्तेजना पैदा करने के अनेक प्रयत्न किये। पुलिस पर ढेला चलाया और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। श्री जय प्रकाश के साथ जो लोग मीटिंग में भाग ले रहे थे उन पर घातक हमला किया। इस तरह सारे प्रदेश में जो सवैधानिक अधिकार हैं विचारों को प्रकट करने के उनको बलपूर्वक रोकना चाहते हैं .....।

श्री अध्यक्ष---

रोकना चाहते हैं या रोका। इसको हम अस्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इस प्रदेश में एक आन्दोलन चल रहा है और किन आधारों पर चल रहा है इसकी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन श्री जय प्रकाश जी जिन्हें हम "नेक्स्ट टु गांधी जी" कहते हैं यानी उनको हम दूसरा गांधी जी कहते हैं और वह हर जगह शान्ति बनाए रखने के लिए कहते हैं और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं इस प्रदेश में, वह कुछ गुन्डों की मदद से और हथियारों से लैस होकर मारपीट हो जाय, चाहें, हत्या हो जाय---कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि श्री जय प्रकाश जी अपना कार्य न करने पावें .....

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)---

यह बिलकुल झूठा आरोप है .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

लाठी-तमंचे से लैस होकर जाते हैं। आप यह मत समझिए कि इसका रिएक्शन न होगा, इसका रिएक्शन बड़ा खराब होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में शान्ति के हित के लिये आप चिन्ता करें और लोगों को रोकें।

श्री श्याम मिश्रा---

मान्यवर, मेरी बात भी सुनी जाय .....

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

श्री श्याम मिश्रा को इस लिये सुना जाय कि माननीय सदस्य कानपुर के हैं और एक विधायक भी हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। सरकार ने क्या कार्यवाही की, उनसे आप सुन सकते हैं .....

(व्यवधान)

श्री श्याम मिश्रा---

मैं यह समझता हूं कि हर आदमी को अपनी बात कहने का प्रजातान्त्रिक अधिकार है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि शान्ति को बनाए रखने के लिये हमने जिस निष्ठा का परिचय दिया, उसकी इन लोगों से उम्मीद नहीं है। असलियत यह है कि 26 तारीख को रात को श्री जय प्रकाश समर्थक लगभग 200 नवजवानों ने मेस्टन रोड पर तिलक हाल के सामने इन्दिरा गांधी को मां-बहन की गाली दी ..... (घोर व्यवधान शेम-शेम की आवाजें। इसी बीच सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह और श्री बाबू लाल वर्मा बीच-बीच में बोलते रहे कुछ सुनाई नहीं दिया।)

(श्री श्याम मिश्रा ने कांग्रेस का फटा हुआ झंडा दिखाया।)

हमें पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका। श्री जय प्रकाश जी के समर्थकों को इतना भी प्रजातान्त्रिक विश्वास नहीं है कि हमें इस पैमफलेट को उनको दे देने देते। हमने उनसे कहा

[श्री श्याम मिश्र]

कि हम यह उनको देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। पुलिस ने रोका कि इससे आगे नहीं जाने देंगे, हमें कोतवाली ले जाया गया और जब श्री जय प्रकाश जी चले गए तब हमें रिहा किया गया। हमने कितनी शान्ति का परिचय दिया यह इस बात पर गुस्सा है कि नौजवान इनके साथ नहीं है मेरे साथ हैं। अब मैं इसमें क्या करूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

दूसरा है मोहन लाल कपूर.....

(व्यवधान)

एक सदस्य---

यह स्थिति कानपुर की नहीं है। सब जगह की है।

श्री अध्यक्ष---

मोहन लाल कपूर वाला हमने अस्वीकार किया है। अब माननीय सत्यपाल मलिक का है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

वह विधान परिषद् के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष---

उसको विधान परिषद् में उठवायें।

श्री मोहन लाल कपूर---

वह भी यहां के नागरिक हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वह हमारे दल के प्रान्तीय अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपके दल के कौंसिल में भी हैं। वहां उठा सकते हैं। यहां पर दूसरे सदन के बारे में कैसे बहस हो सकती है? मजबूरी है। माननीय सत्यपाल मलिक ने मंसूरी के आई० ए० एस० ट्रेनिंग कालेज के बारे में दिया है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

चाहे आप इसको कार्य स्थगन में स्वीकार न करें। सरकार के पास कार्यवाही के लिए भेज दें। लेकिन एक मिनट के लिए सुन लें। बहुत गम्भीर है.....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह कार्य-स्थगन के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। ध्यान आकृष्ट करने का हक तो उन्हें है ही।

एक सदस्य---

यह गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

बहुत सी गलत बात भी सहनी पड़ती है।

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, जो ट्रेनी आफिसर्स थे उन्होंने पहाड़ की परेला तहसील का सर्वे किया उससे बहुत दर्दनाक बातें सामने आयी हैं। कम से कम जो हरिजन सदस्य हैं और जो दिल्ली

और यहां के मन्त्रि-मन्डल में होने के लिए चक्कर लगाते हैं वह तो कम से कम मेरा साथ इसमें देंगे। यहां के हरिजन परिवार की अधिकांश नव वधुएं शादी के बाद महाजन और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए दिल्ली में अपना शरीर बेचने जाया करती हैं। महाजन 31 रुपया सैकड़ा ब्याज लेता है और इसी ब्याज को हरिजन अदा नहीं कर पाता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

सरकार के पास भेज देंगे।

श्री सत्यपाल मलिक––

इसी अकेले प्रश्न पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(व्यवधान)

यह आई०ए०एस० के ट्रेनीज की रिपोर्ट है, किसी विरोधी दल के आदमी की नहीं।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)––

मान्यवर, यह हरिजन महिलाओं के लिए बड़ी अभद्र बातें कहीं जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष––

इस तरह से नहीं––––––––प्रश्न यह है कि उन्होंने लिखकर दिया है।

श्री भूप सिंह केन––

मान्यवर, उनकी यह स्पीच कार्यवाही से निकाली जाय।

श्री सत्य पाल मलिक––

अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े होकर कह दें कि यह बात ऐसी नहीं है, तो क्या उनकी शान में दाग आ जायगा। यह कोई बेइज्जती की बात नहीं। हमारे उधर के साथियों को शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार के रहते ये चीजें हो रही हैं।

श्री भूप सिंह केन––

मान्यवर, वह गलत कह रहे हैं। हरिजन महिला इस तरह से अपना शरीर नहीं बेचा करती। उनकी बात मान्यवर, कार्यवाही से निकाल दी जाय। वह पूरे समाज के लिए लांछन हैं।

श्री अध्यक्ष––

एक श्री सत्य प्रकाश मालवीय, मोहम्मद असरार अहमद और रामअधार जी का है। इसको अस्वीकार किया है। यह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में है। यह यहां नहीं उठ सकता। इसको अस्वीकार किया जाता है। एक मुलायम सिंह और धीरेन्द्र सहाय जी का है। यह भी अस्वीकृत है।

श्री भूप सिंह केन––

मान्यवर, माननीय सत्यपाल मलिक जी ने अभी जो बातें हरिजन महिलाओं के बारे में कही हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)––

वह कार्यवाही से निकाली जाय। मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कुछ सुन नहीं मिल रहा। आप लोग शान्त रहें। अब हम आगे चलते हैं।

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कतिपय विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :---

चूंकि सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, बाबू लाल वर्मा, दशरथ सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 27 फरवरी, 1975, को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री दीप नारायण पाण्डेय एवं श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 25 मार्च, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी0 पी0 वरुण, सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 15 अप्रैल 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक में यह प्रविधान है कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियत न किया गया हो, तो प्रतिवेदन निर्देश के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा,

और चूंकि समिति प्रथम दो प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है तथा तीसरे प्रश्न पर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इतना समय अपर्याप्त है,

अत : सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र के प्रथम दिन तक के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, कार्य-सूची 7 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्य-सूची 7 पर जो प्रस्ताव है वह नियमत : नहीं आ सकता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

अभी तो हरिजन वाला मामला ही चल रहा है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने 7 पर बुला लिया था। अब ओम प्रकाश जी जो कहते हैं कि नहीं आ सकता इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

मैं तो उसी बीच में खड़ा हो गया था.....

श्री अध्यक्ष---

जब आप उठे मैंने सुन लिया था। आपके व्यवस्था के प्रश्न को मैं खारिज करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

बिना सुने ही मेरे प्रश्न को आप खारिज कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप नियम देख लें। वह नियम के अन्दर है। एक चीज जो समय के अन्दर नहीं आ सकती तो उसके लिए समय की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।

प्रश्न यह है कि :---

"चूंकि सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, बाबू लाल वर्मा, दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 27 फरवरी, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री दीप नारायण पाण्डेय एवं श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 25 मार्च, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी0 पी0 वरुण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 15 अप्रैल, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था;

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक में यह प्राविधान है कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियत न किया गया हो तो प्रतिवेदन निर्देश के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा ;

और चूंकि समिति प्रथम दो प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है तथा तीसरे प्रश्न पर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इतना समय अपर्याप्त है ;

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र के प्रथम दिन तक के लिये और बढ़ा दिया जाय "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भारतीय लोकदल के सदस्यों द्वारा नियम 200 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों की सूचनाओं को विचारार्थ न लेने पर आपत्ति

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्य पाल मलिक ने एक सवाल उठाया .....

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया) ---

आइटम 7 के बाद क्या आप 6 पर वापस जायेंगे ? इस पर आप व्यवस्था दे।

श्री अध्यक्ष---

मुझे पता नहीं वह क्या उठाना चाहते हैं ? कार्य-स्थगन के बारे में मेरा फैसला हो चुका है। माननीय सत्य पाल मलिक ने मुझसे आवश्यक कार्यवाही के लिये मुख्य मन्त्री के पास भेजने को कहा था उसे मैंने मान लिया और मैं भेज दूंगा।.... (व्यवधान)

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

किसी भी सदस्य को यह हक हर्गिज नहीं पहुंचता कि वह कहे कि किसी विशेष जाति की महिलायें अपने शरीर को बेंचा करती हैं। हर जाति में अच्छे तथा बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं।

श्री अध्य —

उनका यह कहना नहीं था। उनका कहना था कि हरिजन लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, उसे रोका जाय, यह उनका मतलब था।

*चौधरी चरण सिंह—

काशीनाथ मिश्र ने यह तय कर लिया है कि हर मामले में उनको अपनी राय देनी है। अगर हर आदमी यह तय कर ले तो सदन नहीं चल सकेगा। मिनिस्टर से सवाल किया जाता है तब भी जनाब सरकार की तरफ से जवाब देते हैं। मैं उनकी काबिलियत की तारीफ करता हूं लेकिन उन्हें जरा अपने जोश पर लगाम लगानी चाहिये। मैं माननीय बहुगुणा जी से कहूंगा कि माननीय काशीनाथ जी बहुत ज्यादा इम्तिहान दे चुके हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कब पूरी होगी, साल भर तो हो गया। मैं तो यह जानने के लिए खड़ा हुआ था कि माननीय सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाया उस पर आपने क्या फैसला दिया, मैंने नहीं सुना था। वे यही शिकायत कर रहे थे लेकिन आपने बताया कि आपने उसको गवर्नमेंट के पास भेज दिया है तो मुझे कुछ और इस सम्बन्ध में नहीं कहना है।

मैं एक दूसरा सवाल उठाना चाहता हूं और मैंने तय किया हुआ था कि इसी वक्त उसे उठाऊंगा। वह यह है कि 15 तारीख को राजमंगल जी पांडेय के खिलाफ नियम 200 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आया .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर आप लिख कर दिये हों तो अध्यक्ष जी उसे उठायेंगे .....

श्री अध्यक्ष—

यह 29वां विषय है।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय काशीनाथ जी मुझे बोलने की इजाजत देंगे वरना मैं फिर कहूंगा कि सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मशविरे के बाद वह प्रस्ताव आया हुआ है आखिरी आइटम के तौर पर। लेकिन मैं यह समझता हूं कि उसे इसी वक्त लाना चाहिए। वह पहले 15 तारीख को आया, फिर 17 तारीख को रखा गया और फिर मुझे मालूम हुआ कि 17 तारीख का सारा एजेन्डा मुल्तवी कर दिया गया है और अब वह 25 तारीख को आएगा। 25 तारीख को भी नहीं आया और 28 तारीख यानी आज आखिरी आइटम के रूप में वह रखा गया ....

श्री अध्यक्ष—

उसमें स्थिति यह थी कि मेरे मुंह से निकल गया था कि 17 तारीख का सारा मामला 26 तारीख को लिया जायेगा। मैं समझता था कि उस दिन शनिवार है। असरार साहब ने बताया कि उनकी कोई मीटिंग लगी हुई है, उस दिन नहीं लेना चाहिए। लिहाजा 28 तारीख को आया है।

चौधरी चरण सिंह—

28 तारीख को वह आया लेकिन सबसे आखीर में है। इसी तरीके से माननीय वन मन्त्री के खिलाफ माननीय मोती लाल देहलवी ने बहुत दिनों से एक सवाल उठाया हुआ है। वह भी इसी तरीके से 4 या 5 तारीख को मुल्तवी हुआ था और कहा गया था कि राजस्व मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जवाब देंगे और वह एजेन्डे पर नहीं दिया गया। जमीनों पर अतिक्रमण के सिलसिले में जो राजस्व मन्त्री ने उत्तर दिया था वह तो एक दूसरी ही चीज थी। इस पर आप भी सहमत हो गये थे और आपने इसे 17 तारीख के लिए रख दिया था। 17 तारीख को नहीं आया, 25 तारीख को नहीं आया, 26 को नहीं आया और आज 28 तारीख को 15वें आइटम पर है और वह भी यह है कि ग्राम धावां, चिनहट, जिला लखनऊ की भूमि को वन मन्त्री के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम कराने के सम्बन्ध में श्री मोती लाल देहलवी द्वारा दी गई सूचना पर वन मन्त्री द्वारा स्पष्टीकरण। उन्होंने तो बाजाब्ता 200 के अन्तर्गत दिया था, वह आना चाहिए था नहीं आया।

तीसरी बात यह है कि माननीय बहुगुणा जी के खिलाफ माननीय सत्यपाल मलिक तथा कुछ अन्य दोस्तों ने दरख्वास्त दी हुई है और नियम 200 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पेश किया। यह 23 तारीख को हुआ जहां तक मुझे याद है। नोटिस भी 5 दिन का हो गया वह भी एजेन्डे में नहीं चढ़ा। तीन मन्त्रियों के खिलाफ यह थे उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी शामिल हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या उससे हलका शब्द कहूं कि 'मिसकन्डक्ट' का आरोप है हो सकता है आरोप गलत हों, बहुत से आरोप लगाए जाते हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी और सारे मन्त्रियों का फर्ज यह होता है कि जब इस प्रकार के आरोप आयें तो उनकी जल्दी से जल्दी सफाई हो जाय। लेकिन वह नहीं हो रहा है।

5, 6 तारीख को वन मन्त्री जी के खिलाफ दिया था जिसको लगभग एक महीना हो गया है और दूसरा माननीय राजमंगल पाण्डेय जी के खिलाफ दिया था उसे भी दो हफ्ता हो गए और तीसरा माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ था उसे भी 5 दिन हो गए। इनमें से दो तो आए नहीं और एक आया है तो वह भी 9 बजे रात तक का है वह भी कार्यवाही बेकार हो जाएगी। आप मैजोरिटी से बजट को पास करवा लीजिए, एप्रोप्रिएशन बिल को पास करा लीजिए लेकिन जब तक गवर्नमेंट की इंटेग्रेटी के मुतल्लिक सदन में और उससे ज्यादा सदन के बाहर जनता में विश्वास नहीं होगा तब तक यह सब ढोंग है ढकोसला है। इससे जनता में विश्वास नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट को स्वयं जल्दी से जल्दी यह चिन्ता होनी चाहिये कि हमारा करेक्टर क्लीयर हो जाय। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन तीनों प्रस्तावों को इस वक्त लिया जाय और अगर नहीं ले सकते हैं तो कल सबेरे सवालों के बाद उनको रखा जाय ताकि सदन उठने से पहले यह बात साफ हो जाय।

सफाई के लिए हमारे पास केवल जरिया जो है सदन में प्रस्ताव करना है उसके लिये हमने कहा है कि सदन को एक कमेटी बैठाई जाए। माननीय मुख्य मन्त्री जी के विरुद्ध सत्यपाल मलिक जी ने तीसरी जनवरी को आरोप लगाया था उसमें डिमान्ड यही थी कि कोई हाई कोर्ट का जज मुकर्रर हो जाय। मैंने भी यही दरख्वास्त की थी कि हाई कोर्ट का जज हो जाय। नोकोन्फिडेंस में आपने मेजोरिटी के बल पर उसे गिरा दिया। आप हाई कोर्ट के जज के लिए तैयार अगर न हो तो सदन की समिति के लिए रखा है जिसमें मैजोरिटी का सवाल भी नहीं है और तीनों मामलों में जो यह बातें उठाई हैं उसके लिए आप माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिसमें 10 आदमी हों उनको लगाकर 11 हो जायं जिसमें 5 आदमी उधर से हों और 5 आदमी विपक्ष के हों। जज के जरिए इनक्वायरी नहीं होगी। कहा गया कि लोकायुक्त बिल आ रहा है।

यह जो माननीय राजमंगल जी की बात है वह हम कर्त्तव्यवश कर रहे हैं किसी आदमी के विरुद्ध जितने भी आदमी उधर बैठे हुए हैं उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है केवल सार्वजनिक कर्त्तव्य पालन हेतु यह सारी बातें की जा रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट के जज को आप मुकर्रर नहीं करेंगे। तो आपसे सदन की समिति की बात कही गई तो आप कहते हैं कि बिल आ रहा है लोकायुक्त का और मई में हो जाएगा तो

[चौधरी चरण सिंह]

उसमें भी हमको शक था क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है टालमटोल से कि किसी प्रकार बात टल जाय। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं अगरचे उसका मतलब जानबूझ कर गलत बयानी करना है तो शायद आप नहीं करते हैं लेकिन यह सब बातें एक चतुराई से चालाकी से कर रहे हैं।

वाकई आपको गुस्सा है और आप अपने करेक्टर को क्लीयर करना चाहते हैं तो लोकआयुक्त बिल आए। जैसा हम सब को शक था कि यह बात होने वाली नहीं है और वह मुलतवी हो गया। अब आएगा सितम्बर में या जुलाई में जब आप लाना चाहेंगे। तीन महीने तक तो बात टल गई। आगे भी हमारा विश्वास नहीं है जिस प्रकार से यह चीजें हो रही हैं। आपकी पार्टी की बात से मेरा मतलब नहीं है लेकिन जब अस्थिरता रहती है जैसा कि अखबारों में आ रहा है, उसका असर एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है जिसमें कि हम सब इन्टरेस्टेड हैं। तो जो कुछ दीख रहा है, जब तक आप रहेंगे नहीं। परमात्मा करें रहें। हमारे हक में आप से बेहतर चीफ मिनिस्टर कोई हो नहीं सकता है। और कुछ नहीं है और मुख्य मन्त्री जी को कोई बात नहीं सूझती है तो वह सब मुझपर टाल देते हैं कि आपने नहीं सिखाया था। उनकी मीठी बातों पर सन्तोष लाना पड़ता है। कितनी मीठी बातें छल-छद्र से भरी हों, कोई अन्य चीफ मिनिस्टर आने वाला नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप बने रहें या न बने रहें वायदा पूरा होने वाला नहीं। अत: मैं समझता हूं कि मेरा यहां बैठना बेकार है। इसलिए आप इन तीनों प्रस्तावों को पहले ले लें और यदि नहीं ले सकते हैं, तो निवेदन है कि कल प्रश्नों के तुरन्त बाद ले लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, एक बात मैं भी कह दूं।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है, उससे सहमत हैं, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, किन्तु यदि कोई नई बात कहना हो तो कहें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इसको ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, किन्तु मुझे तकलीफ इस बात की है, एजेन्डा देखकर और जो व्यक्ति प्रजातान्त्रिक पद्धतियों में विश्वास करता होगा, उन सभी को बड़ा दु: ख होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मालूम देता है कि त्रिपाठी जी को चौधरी जी पर विश्वास नहीं है, जो वह बोल रहे हैं। यह किस नियम में बोल रहें हैं? एक सुझाव चौधरी साहब ने दिया, उस पर इन्हें सुनने की क्या जरूरत है? यह कोई तरीका है। एक राय दी गई, वह उसको मानते है या नहीं बस?

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

उनको भी बोलने का हक है, वह इजाजत से बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस तरह से तो हर आदमी को बोलने का हक है और मैं भी इस पर बोलता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र जी को 'निर्लज्ज शिरोमणि' की उपाधि देदी जाए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इतने विषय आपके विचाराधीन है। हमारे माननीय सदस्यों ने चाहा और मैं भी एक दल का नेता हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता था। आपको चाहिए कि आप इतना तो आदर करें, नहीं तो आप भी बोलने नहीं पायेंगे। यहां इतनी तो शक्ति है कि आपके नेता बोल नहीं सकते हैं। सदन उठ सकता है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। सदन की सारी कार्यवाही खत्म हो जाएगी। बहुगुणा जी अभी तक अपने दल के लोगों से कहते रहे हैं कि चुप रहो। लेकिन अब वही चुप हो गए हैं। अब वह बदल गए हैं। जब से उनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ, तब से उनकी नीति बदल गई है। और जब से जन्म-दिन मनाया तब से बिलकुल बदल गई है। आपको मालूम है कि इस सदन के सामने बहुत से महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन हैं। हम आशा करते हैं कि जब कार्यसूची बनेगी, जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपने गुड आफिसेज का प्रयोग करेंगे और सारे विषयों के लिये यथोचित समय मिलेगा, अपनी बात कहने के लिए। लेकिन जो एजेन्डा है, उसको देखने से सरकार की बदनीयती मालूम पड़ती है। और मुझे दुःख है कि आप हमारे सहायक नहीं हो रहे हैं। मैं यह कैसे कहूं कि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं, लेकिन सहायक जरूर नहीं हो रहे हैं, जिससे हम अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें। आज 6 बजे एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, उसके बाद 19 आईटम्स हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक आक्षेप मुझ पर लगाया है। मैं तो समझता हूं कि इस सदन में हर किसी ने मुझे तो डोरमेट (पावदान) बना लिया है। हर कोई अपने पैर की गन्दगी पहले उसी पर झाड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आक्षेप था और कुछ करना है, उसकी एक विधि है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, बात तो मेरी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

सुन तो रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से आपको शासन के ऊपर हमला करना चाहिए, उससे बारीक ढंग से अध्यक्ष पर आपने हमला किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आज 19 आइटम हैं, ये सारे आइटम आपकी सहमति से हुए होंगे, आप क्यों नेग्लीजेंट हो गए, आपको ध्यान देना चाहिये था। मैं कहता हूं कि 19-20 आइटम्स हैं और 10-10 मिनट भी एक-एक आइटम पर लगे, तो 200 मिनट हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कार्य-मन्त्रणा समिति में मेरी सहायता नहीं करते और सब लोग सरकार की सहायता करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शासन के प्रति जो आपका रुख है, बहुत बातें तो आप तय कर लेते हैं, मैं बेवकूफ बन जाता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा वही बात तो माननीय त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आप जो कह रहे हैं सत्य है। हमारे कलाकार तिवारी जी कार्य-मन्त्रणा समिति में बैठ जाते हैं, वह कैसे हमको मना लेते हैं, यह हम भी नहीं जान पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप यह अन्याय कर रहे हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक सवाल उठाया और आप दूसरा सवाल उठा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं दूसरा सवाल नहीं उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बिलकुल दूसरा सवाल उठा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इन 20 सवालों के बाद इसको सबसे महत्वपूर्ण पाता हूं। लोक आयुक्त बिल राज्य सभा में पास होने के बाद पार्लियामेंट में नहीं आ पाया, उसी तरह से यही नियत यहां पर भी है, असेम्बली उठ जाने के बाद लोक आयुक्त बिल नहीं आएगा। आज इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, आप न तो लोक आयुक्त बिल ही ला रहे हैं और न हाई कोर्ट के जज को ही नियुक्त कर रहे हैं। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि आप जिससे निष्पक्ष साबित हों।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं इस पर निवेदन करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, एक हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन रहा हूं। माननीय चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने दूसरा सवाल उठाया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नहीं, मान्यवर, एक ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। कार्य-मन्त्रणा समिति में विरोधी दल ने मेरा साथ नहीं दिया है, वह शासन का साथ हमेशा देता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, एक बात मुझे कहना है, आप मेरी बात सुन लें?

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया, आपको क्या सवाल करना है?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपके ऊपर क्या कहा गया है, जो आप स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। आप इसमें हमको भागीदार न बनाइए। आप कार्य-मन्त्रणा समिति में बैठ जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने तो आज ही कहा था।

श्री अध्यक्ष—

आज कहा था, आपने। सबको मैं नहीं कहता हूं। लेकिन सब मिल जुलकर नतीजा यह होता है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि.....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

कार्य-मन्त्रणा समिति में ये लोग चापलूसी करते हैं और दिखाने के लिए विरोध करते हैं। मैं यह जानता हूं। आपने बहुत स्पष्ट कह दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि विरोधी दल हमारा सहयोग करते हैं। मैं आपकी बात को काट नहीं सकता, लेकिन मैं अपने संसदीय कार्य मन्त्री जी के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हमको विरोधी दल के लोग सदन में और सदन के बाहर लोहे के चने हर जगह चबवाते हैं और हम उज्र भी नहीं करते हैं। इसलिए बात उन्हीं की हम रखते हैं। हमारी बात रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कितना समय इस बजट में लगेगा, यह नेता विरोधी दल तय करते हैं, बजट सत्र चल रहा है। बजट में कितने घंटे किस आइटम के लिए चाहिये वह आपके तय किए हुए हैं लेकिन बजट के सिवाय उत्तर प्रदेश की जनता और भविष्य के इतिहासकार देखेंगे कि हमने कितना समय किस चीज में लगाया। मैं किसी पर दोष लगाना नहीं चाहता। नेता विरोधी दल बुजुर्ग हैं। मैं कह नहीं सकता कि बुजुर्ग नहीं हैं। मैं तो उस बात को फिर कहूंगा और आज भी कहूंगा कि हमारे बुजुर्गों की आदत हो जाती है कि कुछ बातों को बार-बार कहते हैं उसी बात को बराबर कहते हैं। ठीक उसी तरह से नेता विरोधी दल को एक आदत है कि वह एक चीज को बराबर दुहराते हैं।

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

नारद मोह है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

माननीय राम प्यारे जी ने ठीक ही कहा कि नारद मोह है। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ का कोई लांछन सरकार पर आवे तो सफाई होनी चाहिए।

अब सफाई का तरीका क्या हो? वह जानते हैं कि इस सदन में आज नहीं बराबर हमने स्टैन्ड लिया है और उसके जो कारण रहे हों उनको कहा है। वह जान गए कि समिति का विरोध करेंगे, इसीलिए बार-बार प्रस्ताव लाते हैं कि सदन की समिति बनायी जाये। सभी का सार्वजनिक जीवन होता है। हमारा भी थोड़ा बहुत है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं जनता जानती है कौन भला है और कौन बुरा है? अगर हमारी नियत खराब है तो हमें कुछ नहीं कहना है। मेरा कहना है कि कार्य क्रम बनाते समय चाहे 9 बजे या 12 बजे, हाउस आफ कामन्स में रात भर बैठक हुई है। सुबह और शाम से क्या मतलब?

बजट आज पिछड़े क्षेत्रों का आनेवाला है बजट आज पहाड़ी अंचलों के सिलसिले में आने वाला है और बजट जो आज एक प्रमुख चीज है सूचना विभाग उसके सिलसिले में आने वाला है। ऐप्रोप्रियेशन बिल आनेवाला है जिस पर भी इस सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा की जा सकती है और की जानी चाहिये। लेकिन उनका कहना है कि हमने गड़बड़ की है।

मान्यवर, मैंने संघर्ष समिति को एक पत्र लिखा कि आपने राज मंगल जी पांडेय पर जो आरोप लगाये हैं उनके तथ्य क्या हैं, यद्यपि वह साधारण तरीके के हैं फिर भी अगर वह आरोप आप हमें दे देंगे तो हम अपना दिल व दिमाग साफ कर सकेंगे कि आया इसपर प्राइमाफैसी केस बनता है और अगर बनता है तो सोचेंगे कि किस तरह से उसको साफ किया जाय। अब यह बात सच है और मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं और इससें दो राय नहीं है

[श्रीं हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कि सब से अच्छा तो यह हो कि चार्ज लगानेवाले और जिस पर चार्ज लगता है दोनों आदमियों का इम्तिहान सा हो और जिस पर चार्ज लगा हो वह भी और जिसने चार्ज लगाया हो वह भी दोनों बराबरी के पलड़े पर रहें ताकि चाहे चार्ज जिस पर लगाया हो वह गलत हो या जो चार्ज लगाने वाला हो वह गलत हो तो सजा हो सके। लेकिन वहां तो धारणा ही दूसरे प्रकार की लगती है कि कीचड़ घुलेगा तभी भी चिपका रहेगा और माननीय विरोधी दल के नेता ने उस बात के सिलसिले में कहा है और मैं उसमें कोई खास एक्सेप्शन नहीं हूं क्योंकि अगर एक्सेप्शन होता तो कैसे वह बात कही जाती। और वह कर भी नहीं सकते क्योंकि यह तो उनकी नीति का मुख्य सूत्र ही है। (व्यवधान) अब मैं किसी सदस्य पर तो लांछन लगाना नहीं चाहता लेकिन माननीय सत्य प्रकाश जी मालवीय और मैं एक ही जिले का हूं..... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

इसमें अगर कोई झूठी सूचना सरकार को दे और उस पर सरकार यह समझे कि यह झूठी सूचना है तो उस पर सरकार मुकदमा भी तो चला सकती है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इस सदन में कुछ भी कह दिया जाय तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

वह सूचना संघर्ष समिति वालों ने दी है और वे माननीय सदन के सदस्य तो हैं नहीं, उन पर मुकदमा आप चला सकते ही हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वह स्टेज आयेगी। और अगर वह स्टेज आयेगी तो किस तरह से उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जायगा वह आप इस समय छोड़ दीजिये। लेकिन जनतंत्र में जो कुछ होता है उसका सदन को ज्ञान होना चाहिये जिससे उसके अनुरूप बर्ताव हो सके। तो जब मैंने चिट्ठी लिखी तो संघर्ष समिति के लोगों ने बजाय इसके कि वह आरोप और तथ्य उसके सम्बन्ध में देते उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी मेरे पास भेजी जिसमें उन्होंने मेरे लिये कहा कि पहले आप बतावें कि आप किस तरीके से या किस एजेंसी से जांच करायेंगे। तो जो प्रश्न था उसका उत्तर तो मिला नहीं विधि के सम्बन्ध में उल्टी जानकारी चाहते हैं।

मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि माननीय मलिक जी ने क्या चार्ज लगाया है, या किसी ने क्या लगाया है यहां पर जो बातें आयी हुई हैं वह हैं और प्रस्ताव की बात तो आप पर निर्भर करती है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं लेकिन खास तौर से मेरे सिलसिले में और मेरे दो अन्य साथियों की भी बात है। वह आज तो नहीं है लेकिन आज के एजेंडे पर जो इतना महत्वपूर्ण काम है मेरे एक साथी के सिलसिले को लेकर आरोप लगाये गये हैं उनकी इतनी महत्वपूर्ण बात के सिलसिले में भी अगर हम नहीं बैठ सकते हैं, 10 बजे रात तक तो क्या फिर किसी के फ्यूनरल ओरेशन के लिये बैठेंगे? काहे के लिये बैठेंगे? अगर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर 10 बजे रात तक नहीं, 2 बजे रात तक बैठना पड़े तो वह भी कोई परेशानी की बात नहीं होना चाहिये थी। लेकिन कहा गया कि 9 बजे जायेगा और हम फिर सो जायेंगे, वह हमारे लिये बड़ा अनकम्फर्टेबिल हो जायेगा। यह बात नहीं है। कल को अगर मैं भी यह कह दूं कि इस वक्त मेरी आदत सोने की है और मैं सोने जाऊंगा और मुझे यह वक्त सूट नहीं करता तो यह कोई बात नहीं हुई।

इस सदन के काम के लिये कुछ घंटे निर्धारित हैं और इस सदन के सेवक जो हैं, जिनमें से मैं भी एक सेवक हूं और सभी यहां सदन के सेवक हैं तो क्या उस काम के लिये यह कहना होगा कि वह हमको सूट नहीं करता है। इस सदन में सरकार पर लांछन लगा देने

से उत्तर प्रदेश की जनता पर असर पड़ने वाला नहीं है ..... (व्यवधान)। हां, यह बात मैंने पब्लिक-ली बहुत दिन पहले कही थी और आज भी हलफनामे के साथ कह रहा हूं कि अगर हमारे पास आप तथ्य भेजेंगे यह मेरा स्टेटमेंट बाहर हुआ था लेकिन जब विधान सभा में मैं आया था उस वक्त मेरे ऊपर चार्ज लगा था फिर विधान सभा के अन्त में बीच में कीचड़ उछाला गया, बीच में नहीं ..... (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

लांछन लगाना कीचड़ उछालना नहीं है। कीचड़ से कमल खिलते हैं लेकिन लांछन लगने से कीचड़ बनी रहेगी, कमल नहीं खिलेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कौशिक जी कीचड़ उछालना कमल नहीं पैदा करता, लेकिन कीचड़ की कृपा से ही उसमें कमल पैदा होता है। यह कीचड़ उछालने वाले हैं। मैं नेता विरोधी दल और आपको कीचड़ नहीं कह सकता हूं। आप अपने मन से जो चाहे कहें, वह मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे विचारों से कीचड़ से कमल निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सदन की मीटिंग्स के चलाने में आप इस प्रकार से कीचड़ फेंकेंगे, यह कितना वाजिब है, उत्तर प्रदेश की जनता इसे सोचेगी। वही हमारी और आप सब की मालिक है।

*चौधरी चरण सिंह---

एक गलत चीज को इतनी जोर से रखने की जो माननीय नेता सदन ने कोशिश की, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जो बात गलत है वह गलत है। आपका फरमाना है कि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव को मन्जूर नहीं करेगी, इसलिये यह लाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मंजूर करेगी? हाउस के रिकार्डस और नियम हैं, उनमें किसी प्रकार की लिमिटेशन्स नहीं हैं। नियम 200 के अन्दर जो प्राविधान हैं, उसके अन्दर यह प्रस्ताव आता है। पार्लियामेंट में भी ऐसा ही है। उसी के मातहत हाउस की कमेटी बनाने का प्रस्ताव आया था। वहां पर यह तय नहीं हुआ था कि हाउस को अधिकार नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट राजी नहीं हुई। वहां पर जो रूलिंग हुई स्पीकर ने यह हल्ला नहीं किया कि इसके अन्दर आता है या नहीं। यह लोक सभा में आया। उसी प्रकार के हमारे यहां पर नियम हैं, उसके अधीन हैं। आप उसको लाना नहीं चाहते हैं। आप सौ बार कहें किसी की अक्ल में नहीं बैठता कि आप क्यों नहीं लाना चाहते हैं। यह आपको सूट नहीं करता है। जब कि उपाध्यक्ष उसकी प्रिसाइड करते हैं, तो उसके लिये भी आप तैयार नहीं। आप इधर-उधर की दलीलें देकर बचना चाहते हैं क्या वजह है आप क्यों बचना चाहते हैं?

हाउस में जो साहब बयान करें और बाकायदा डिटेल दें और अगर वह गलत साबित हो जाय तो उस पर कार्यवाही हो। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कौन सा नियम है? यह कहां की बात है कि अगर हाउस आफ कौमन्स में या लेजिस्लेचर में कोई चार्ज लगाया जाय और तहकीकात में वह गलत हो तो उस पर मुकदमा चलाया जाय? हम तो कहते हैं कि हमको यह इत्तिला मिली है। हो सकता है वह बात गलत साबित हो जाय। पार्लियामेंट्री लाइफ में या सदन में अगर कोई चार्ज लगता है अगर वह गलत हो तो जनता की निगाह में तो गिर जायगा लेकिन मुकदमा चले यह बात समझ में नहीं आती है। हमारे पास न पुलिस है, न सी० आई० डी० है और न सी० बी० आई० है। हमें तो इत्तला मिली कि फलां-फलां चीज में या फलां अधिकारी के ट्रान्सफर करने में किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

को 10,000 रुपये मिले। तफसील के साथ कि रुपया दिया गया, कहां दिया गया, यह हमें मालूम नहीं है। सरकम्स्टान्सेज हैं, डी0 एम0 कहता है कि इसका तबादला हो, डायरेक्टर कहता है कि इसका तबादला हो, मिनिस्टर कहता है कि इसका तबादला हो, लेकिन आप जवाब क्या देते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सब जवाब हो गया है। मान्यवर, क्या आप डिबेट करवा रहे हैं ?

चौधरी चरण सिंह--

जहां सरकम्सटांसेज होते हैं, ट्रान्सफर नहीं होता है। सवाल उठाया गया कि जब चकबन्दी शुरू हुई मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में तो 8-8 चक बन गये। तो क्या हम डी0 एम0 से जाकर पूछें कि वह रूपया कहां पर लिया गया या सदन में जो चार्ज लगाये जाते हैं अगर वे तहकीकात में गलत साबित होते हैं, या पूरी तरह से सबित नहीं होते हैं तो उनपर मुकदमा चलाया जाय ? आप एक यह शर्त लगाना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जज के लिये दरख्वास्त करते हैं कि उसको बिठा दीजिये, उसके लिये आप राजी नहीं होते। आपके प्रेडीसेसर राजी नहीं हुये थे, आप राजी नही हुये। मलिक जी से पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है, आपको किससे मालूम हुआ ? यह बताना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मलिक ने हजारों बातें सुनीं, उससे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह चीफ मिनिस्टर साहब के कांडक्ट पर रिफलेक्शन है। उनकी भी जिम्मेदारी है, इस प्रदेश के हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि उसके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पर किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन न हो। इसीलिये यह रखा गया है कि यहां जो बात कही जायगी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो आप हाई कोर्ट के जज के जरिये तहकीकात कराने को तैयार नहीं हैं और इस सदन की समिति के जरिये तहकीकात कराने को तैयार नहीं हैं और जैसा लोक आयुक्त सम्बन्धी बिल ला रहे हैं उसका मालूम नहीं कि आगे क्या होगा ?

यह भी कांग्रेस के सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि पब्लिक मेन्स इन्क्बायरी आर्डिनेन्स का सब कांग्रेस मैनों ने विरोध किया था। यह इसलिये कह रहा हूं कि आज यह सारे देश में हो रहा है। (व्यवधान) कोई बजट या कोई कानून अहमियत नहीं रखता जब तक लोगों को यह विश्वास न हो जाय कि हमारे जितने मिनिस्टर हैं उनका कैरेक्टर एबव बोर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बातें कही गयी हैं वह सब सही हैं या सब गलत हैं। अगर सब चीजें गलत हैं तो व्हाट प्रिवेन्ट्स यू फ्राम एप्वाइंटिंग देट कमेटी। जितना ही आप एतराज करते हैं उतना हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है कि देयर इज ट्रूथ इन दोज एलीगेशन्स। बैठने के लिये आप रात को 12 बजे तक बैठें, 2 बजे तक बैठें, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि उसको नींद 9 बजे या 10 बजे आती है। जरूरत हो तो सारी रात जाग सकते हैं। अगर आज इस पर बहस नहीं करते हैं तो मेरी गुजारिश यह है कि आप कल प्रश्नों के बाद इन तीनों चीजों को ले लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चूंकि बातें उस तरफ से लांछन की लगायी गयी हैं और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जितनी जानकारी हमारी थी उसके मुताबिक हमने उसका प्रतिवाद कर दिया। रहा चौधरी साहब का रिपीटीशन, उसके लिये मैं लाचार हूं, वह तो करेंगे ही और इस सिलसिले में वह छोड़ भी नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष--

जब यह प्रश्न उठा है तो मैं 2-4 मिनट स्वयं लेना चाहता हूं। जो कार्यक्रम तय हुआ है इसको कार्यमंत्रणा समिति से तय किया गया और सदन में पास किया गया। आपने उदारता में सभी असरकारी दिवस बजट के लिये दे दिये कृपापूर्वक। मुझे उसके बारे में

कुछ नहीं कहना है। मैंने जितने वक्तव्य स्वीकार किये हैं उन सबको आज मैंने सूचीबद्ध करवा दिया। मैंने अपनी उदारता में बड़ी गलती की है कि बहुत ज्यादा मैंने स्वीकार किया है और जितने मैंने स्वीकार किये हैं बजट सेशन में उतने इस देश की किसी विधान सभा में और लोकसभा में कभी स्वीकार नही किये गये हैं। मैं जानता हूं कि इससे हमारे इधर के कुछ मित्र रुष्ट हैं। लेकिन अब मेरे लिये लाचारी है। इस सदन में आपने फैसला कर दिया है कि यह कार्यक्रम है, इसके अनुसार आप चलिये। तो असरकारी दिवस तो आपने उदारता में दे दिया शासन को। अब मैं जरूर दे सकता हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी और हमारे माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं बैठना। ऊब हो जाती है इतने दिनों के बाद यह बात सही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर कल भी सदन बैठे तो जिसकी पहले मैंने की थी उसको मैं मानता हूं सार्वजनिक तौर पर कि एक पहल मैंने की थी दो, तीन साल पहले कि मंत्रियों और विधायकों का वेतन एक हो जाय ताकि समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हो, वह आ जाय (सरकारी बेन्चेज की ओर से भेजें थपथपायी गयीं।) हर दल के सदस्यों ने असरकारी नोटिस दी. . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हमारे दल ने नहीं दी है। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

बात जल्दी अपने दल के बारे में इनकार करने की कोशिश न करें। हमारे पास सब मौजूद है।

माननीय चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया, वे मुझ से नाराज भी हुये, कि अध्यक्ष क्यों नहीं कमेटी बना देते? सदन ने यह अधिकार मुझे दिया है, यह ठीक है। मगर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय हुआ है कि इस पचड़े में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिये, बल्कि सदन को ही निर्णय लेना चाहिये। मैं सीधासादा हूं माननीय चौधरी साहब की धौंस में आ जाऊं, तो बना सकता हूं, मगर मैं फिर ऐसी कमेटी बना दूंगा जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा. . . . . (हंसी)। उसको न माननीय नेता सदन स्वीकार करेंगे, न माननीय नेता विरोधी दल स्वीकार करेंगे, न अन्य कोई दल का नेता स्वीकार करेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या वह इतनी नान-सीरियस कमेटी होगी?

श्री अध्यक्ष—

तो विशेषाधिकार का जो सवाल है उसे हमें देखना पड़ता है। उसमें कभी गलतफहमी भी हो जाती है। एक हो गयी थी उसको मैंने साफ कर दिया है। किसी भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ टीका-टिप्पणी या आरोप किये जा सकते हैं या नहीं, उस पर उस दिन चौधरी साहब नाराज हो गये थे। माननीय प्यारेलाल शर्मा ने एक प्रश्न उठाया था, मगर वह माननीय चौधरी साहब के विरुद्ध नहीं था, उस वक्त जो माननीय मुख्य मंत्री थे उनके विरुद्ध था. . . . . .

चौधरी चरण सिंह—

आप उस चीज को इसके साथ न जोड़ें (व्यवधान) सवाल यह है कि जो प्रस्ताव इस समय है इसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ी गयी है। बाकी और बातों को मैं अभी कहना नहीं चाहता, अब यह हाउस के सामने है, हाउस चाहे तो टर्न डाऊन कर दे।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, हमारी कठिनाई यह है कि इस सम्पूर्ण देश में नेता विरोधी दल का ऐसा पद है कि जिसकी मान्यताओं को स्थिर करने की दिशा में हमको मूल चेष्टा का परिचय देना पड़ेगा, और यह जो परम्परायें बनाने का काम है यह एक कठिन काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा है इस पर भी चिन्तन हो रहा है। अब कोई बड़ा कांड हो तो बात दूसरी है, मगर ऐसे मामलों पर अगर सदन की एक कमेटी बनायी जायेगी, फिर एक नहीं हजार समितियां बनानी पड़ जायेंगी और सदन की समिति फिर वही काम करती है, उसके लिये वह कोई विशेषज्ञ नहीं हुआ करती है जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी आपके प्रस्ताव को मैंने मंजूर कर लिया है। नियम 200 में प्रस्ताव लाने के लिये क्या आप सक्षम हैं? .... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र --

यही तो मैं कहना चाहता था कि नियम 200 के अन्तर्गत प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। उसके लिये कोई स्थान ही नहीं है। कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव के बाद चौधरी साहब यह प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि प्रस्ताव को वह लाये हैं, सदन उस पर फैसला करे, मैं उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहता हूं। प्रस्ताव सदन के सामने है। सदन अगर चाहे तो उसे ले सकता है। कई मर्तबा ऐसा प्रस्ताव आया है और उसको रखा गया है। अगर प्रस्ताव नहीं रखते, चुप रहते तब तो बात दूसरी होती लेकिन यहां प्रसंगवश मुझे कहना पड़ता है कि कई सदस्यों ने बार बार कहा है कि जानबूझ कर यह सब किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने समय से मुझे बांध दिया है, उसके अतिरिक्त आज समय तो है नहीं लेकिन नेता सदन से मैं यही चाहूंगा कि यही एक तरीका है कि आज तो नहीं लेकिन कल यह प्रस्ताव और बन मंत्री वाला ले लिया जाय। इस तरह से दो तो कल ले लिये जायं। तीसरे के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उस प्रस्ताव को अभी मैंने देखा नहीं है। हमारे सचिव भी नहीं थे, छुट्टी पर थे और इसलिये कुछ विलम्ब जरूर उसमें हुआ। अनुसचिव थे लेकिन मैं सचिवालय के सचिव का इन्तजार कर रहा था कि वे आ जायं तब इसकी जांच करा ली जाय और तब उस पर मैं फैसला दूं। इसको भी मैं कल के लिये रखता हूं। यह लेने लायक है या नहीं है इसको अभी मैंने देखा नहीं है और न इस पर गौर किया है।

चौधरी चरण सिंह---

जैसे ये हैं वैसा ही वह भी है।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन हमें तो देखना पड़ेगा कि दुनिया में किसी प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसे हटाया जा सकता है, उसके ऊपर ऐसा कोई प्रस्ताव आया है या नहीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद --

वाटरगेट कांड है।

श्री अध्यक्ष---

तो दोनों पर कल विचार होगा, जो माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है लेकिन बन मंत्री वाले प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है, उसको मैंने वक्तव्य के लिये निर्देशित किया है, तो बयान के बाद आप प्रश्न करें। उसको पहले मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रखा है।

चौधरी चरण सिंह--

वन मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद नियम 200 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया जा सकता है, उसको आप कृपया देख लें।

श्री अध्यक्ष--

एक वक्तव्य देने के लिये मैंने मंजूर कर लिया तो फिर नियम 200 के अन्तर्गत देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि उसे आप फिर नियम 200 में उठाना चाहते हैं। अब अगर कोई प्रस्ताव नियम 56, 52 या 51 में मंजूर हो गया हो तो यह उचित नहीं मालूम होता कि हर दफा मैं उसी मामले को उठाने की इजाजत दूं।

चौधरी चरण सिंह--

क्या तय हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

कल ही मैं इसको देखूंगा। एक के सम्बन्ध में तो मैंने बतलाया कि उसे नियम 200 में स्वीकार कर लिया है, दूसरे पर विचार करना है, लेकिन तीसरे के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि एक ही मामले के ऊपर हर दफा बार बार विचार नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

खैर, अब इस सम्बन्ध में कल ही तय होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके इसका भी ध्यान रखियेगा कि दुनिया के किसी पार्लियामेंट में किसी प्राइम मिनिस्टर या मुख्य मंत्री के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आया है और उस पर अमल हुआ है :

चौधरी चरण सिंह---

दुनिया में कहीं का प्राइम मिनिस्टर या मुख्य मंत्री इस तरह का अमल नहीं करता जैसा कि यहां हो रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

विरोधी दल के नेता ऐसे कहीं अमल नहीं करते हैं जैसे यहां. . . . .

चौधरी चरण सिंह--

इन्क्वायरी की डिमांड होती है। इन्क्वारी भी बैठायी गयी है। कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स को बैठा दिया गया हो, ऐसा नहीं है--कहीं है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

है, मिसाल है, मैं दे दूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मैं कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि विरोधी दल के लोगों को गवर्नमेन्ट के साथ-साथ बैठाना चाहते हैं ? मैं साफ कहना चहता हूं, हाउस के रिकार्ड में आना है। मैंने यहां पर भी और कार्य-मंत्रणा समिति में भी. . . . .

श्री अध्यक्ष---

कहीं हाउस में उठाने की बात होती है ? मर्यादा का तकाजा है। आप कहेंगे तो हम सब विषय ले लेंगे ? सवाल यह है कि किसी पर मैंने आरोप तो लगाये नहीं।

चौधरी चरण सिंह--
यदि जरूरी सहायता न दें तो कहां जाकर कहें ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--
मैंने कहा। मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप समय-समय पर गवर्नमेंट का साथ देते रहे।

श्री अध्यक्ष--
यह आप कह नहीं सकते हैं। इसकी इजाजत नहीं है। यदि कहेंगे तो मुझे आरोप में जाना होगा।

श्री काशी नाथ मिश्र--
मान्यवर, आपने विधान सभा को 3 आदमियों की पंचायत बना दिया है। मै सदन का त्याग करता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र सदन त्याग कर चले गये।)

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 36-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या 29-कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 30-वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध, अनुदान संख्या 42-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र, अनुदान संख्या 40--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या 73-विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,25,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29-कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 40,29,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,00,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,38,36,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हुं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतरिक्त 13,67,39,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)––

एक निवेदन करना था। यह अनुदान जो हैं इस पर चर्चा कब तक चलेंगी। अगर साढ़े 4 बजे तक चर्चा हो जाये। मतदान हो जाये साढ़े 4 तक। फिर साढ़े 4 से साढ़े 6 तक तो सेल्स टैक्स का अनुदान आने वाला है। साढ़े 6 बजे एप्रोप्रियेशन बिल ले लें। मेरा यह प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष––

सदन ने निश्चित किया है कि यह आ जाय ढाई बजे तक उसके बाद.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मान्यवर, यह है कि तमाम पहाड़ का बजट इस अनुदान के अन्दर आ रहा है। हम लोगों को उस चर्चा में हिस्सा लेना था। इसलिये ढाई से साढ़े चार और साढ़े चार से साढ़े छः तक सेल्स टैक्स और साढ़े छः बजे एप्रोप्रिएशन बिल रखें।

श्री अध्यक्ष––

दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, अलग-अलग रखना पड़ेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मान्यवर, जैसा नेगी ने कहा है कि आधे-आधे घंटे रोक कर मंजूर कर लें। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)––

मान्यवर, चूंकि यह जिम्मेदारी अपोजीशन के लीडर की है, इसलिये इसमें आपको ढाई बजे के बजाय साढ़े तीन और साढ़े तीन से 6 बजे तक रखें। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से क्या सदन सहमत है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अध्यक्ष जी, मुझे इस संबंध में दो बातें कहनी हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश बहुमुखी प्रतिभा का धनी देश है। लेकिन फिर भी कुछ इलाके पिछड़े हैं चाहे वह पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पश्चिमी भाग हो और चाहे पर्वतीय इलाका हो, लेकिन यह बात अपनी जगह सच है कि पर्वतों में खासकर विद्युत शक्तियों की उत्पादन के लिये बड़ा भारी स्कोप है। मैं समझता हूं कि भारत के भविष्य के निर्माण में पर्वतीय अंचल का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। कुछ माननीय सदस्यों का खयाल है कि पर्वतीय इलाकों की पर कैपिटा इंकम और इलाकों से अच्छी है और डा० बलजीत सिंह को नेता विरोधी दल ने कोट किया था। इसको हटाने के लिये मैं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कहना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया कि मिनरल्स का फारेस्ट से जितना रुपया निकलता है, जो 100 फीसदी सरकार का रुपया और पूरी का वस्तु का मूल्य लगाया है, जैसे मान लीजिए कि 16 करोड़ रुपये की आमदनी हुई और कुल बिक्री 50 करोड़ की हुई तो वह 50 करोड़ रुपया नैनीताल या अल्मोड़ा जिले की आमनी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार सोर्स आफ ओरिजिन देखते हैं। वास्तव में वह इलाके पिछड़े हैं और यदि इस तरह उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया गया तो इससे सदन गुमराह हो सकता है—इसलिये मैंने कहा।

मान्यवर, दूसरी बात जहां तक सूचना विभाग और सांस्कृतिक विभाग का संबंध है, तो वह थोडी बहुत सेवा कर देते हैं। चूंकि पूरे सूबे में पूरे साधन नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां विशिष्ट रही हैं और प्रसन्नता है कि अयोध्या में रामायण काल की खोज हो रही ह। और महाभारत की हस्तिनापुर में खुदाई हुई जिससे पता लगता है कि ईसा से एक-डेढ़ हजार वर्ष का संबंध रहा है। यह सारा काम पुरातत्व विभाग केन्द्र की दिलचस्पी से कर रहा है।

मान्यवर, वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारा जो उपग्रह आर्य भट्ट है वह काफी डेटा राष्ट्र को देगा, और दूसरे जो सेट लाईट हैं उनसे जो जानकारी करते हैं और जो दूसरे देश चला रहे हैं वह हिन्दुस्तान से क्या-क्या खबरें ले जा सकते हैं वह मालूम हो सकेगा। हमारे वैज्ञानिक और इन पिछड़े क्षेत्रों के लोग और हमारी उत्तर प्रदेश की आम जनता यह सब मिल जुलकर हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। हमारा ख्याल है कि बुन्देलखंड मिनरल्स का धनी इलाका है, पर्वतीय इलाका मिनरल्स और फारेस्ट में तथा वहां की नदियों के पानी से बिजली के उत्पादन के लिये बडी-बडी सम्भावनायें हैं।

मेरी आशा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करते हुये भारत के निर्माण में और इसके भविष्य के बनाने में पूरा योगदान देगा और ऐसी शक्ति देश को देगा जिससे हमारे प्रदेश को और समाजवादी विचारधारा जो हमारी है उसको स्थायित्व प्रदान करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सभी मांगें सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30-सम्पूर्ण अनुदान के के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर ए क रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने इन विभागों का अनुदान रखते समय अपने को केवल दो बातों तक ही सीमित रखा। एक तो यह है कि उनका कहना था कि विकास के सम्बन्ध में विशेष इलाकों के लिये जो व्यवस्था की गई है और उस सम्बन्ध में जो आलोचना और टीका यहां हुई है विरोधी दल की तरफ से, उचित नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश के किसी भी पिछड़े क्षेत्र की तरक्की के बारे में सदन का कोई भी सदस्य चाहे वह

विरोध में बैठता हो, चाहे पक्ष में, उसे इस बात से एतराज नहीं हो सकता कि पूरे प्रदेश का चाहे कोई भी हिस्सा क्यों न हो और अगर पिछड़ा हुआ है तो उसकी तरक्की न हो। हमारे जैसे लोग, मुख्य मंत्री और उधर के सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि कोई भी मुख्य मंत्री जो पहाड़ का नहीं रहता और वह पहाड़ की तरक्की के लिये ज्यादा कोशिश करता और वह मुख्य मंत्री जो पहाड़ का हो वह पूरब के इलाके की तरक्की के लिये ज्यादा कोशिश करता। इस संदर्भ में मैं केवल इतने तक ही अपने को सीमित रखना चाहता हूं और अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता।

जहां तक सांस्कृतिक क्षेत्र की तरक्की के सम्बन्ध में बात है,–इस विषय में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपने देश की संस्कृति की जो थाती है, हमारी जो संस्कृति है उस सम्बन्ध में पिछले 27 सालों में कोई प्रयत्न किया ही नहीं गया। हमने तो लगातार यह कोशिश की और उत्तर प्रदेश में खासतौर से जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इस बात की, क्योंकि यह प्रदेश संस्कृति का एक बहुत बड़ा केन्द्र है यहां पर काशी है यहां पर प्रयागराज है, यहीं पर हरिद्वार है और इसी क्षेत्र में चाहें कबीर का नाम लूं, चाहें राम का नाम लूं, और भी महान विभूति और अवतार हुये हैं, तो उस गौरव से इस प्रदेश के लोगों का नहीं दक्षिण में रहने वाले आदमियों का सिर ऊंचा होता है।

मेरे जैसा आदमी जो यहां से काफी दूर पैदा हुआ, इस प्रदेश में पैदा नहीं हुआ, काशी का नाम सुनता था तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि काशी दूर है, ऐसा लगता था कि दस पांच मील के अन्दर है। मैं तो आक्षेप लगाना चाहता हूं आप पर और आपकी सरकार पर कि संस्कृति का ह्रास हो रहा है और उसकी तरक्की नहीं हुई क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आपने खनन का कुछ जिक्र किया। उसको छोड़े देता हूं क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर रहे। वह केन्द्र सरकार का काम है। आर्य भट्ट का जिक्र किया। उसमें भी आप का कोई कंट्रीब्युशन नहीं मानता। अगर यहां प्रदेश में कोई साइंटिस्ट पैदा हो गया होता तो आप गर्व करते और मैं भी आपको बधाई देता। यहां तो इस क्षेत्र में आपका प्रयत्न नगण्य रहा है बल्कि दूसरी तरफ रहा है।

अब मैं सूचना विभाग पर आता हूं। सूचना विभाग का काम है जनता से सरकार का सीधा सम्बन्ध कैसे हो। सरकार क्या करती है, जो आश्वासन सरकार ने जनता को दिये इन सबको जनता तक पहुंचाने के लिये सूचना विभाग है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग का जो काम है उसको उसने किया ही नहीं। सूचना विभाग तो मंत्रियों के प्रचार का विभाग हो गया है। अच्छा होता कि इस विभाग को समाप्त कर देते और पैसा बचा लेते।

(इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

अभी तक सूचना विभाग ने कोई ऐसी पुस्तक नहीं छापी जिससे जनता को कोई शिक्षा दे सके। हिन्दू और मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनमें अपने इतिहास को देखकर, इतिहास की शिक्षा से ही ऐक्य स्थापित हो जाय और हिन्दू मुसलमान के झगड़े हमेशा हमेशा के लिये समाप्त हो जायं। क्या ऐसी कोई पुस्तक सूचना विभाग ने निकाली है? क्या ऐसा प्रचार सूचना विभाग ने किया कि मोहम्मद जायसी हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कवि है? क्या इस बात का प्रचार किया कि अकबर देश का देशी राजा था और विदेशी बाबर था?

इस देश में जब भी कोई झगड़ा रहा है तो वह देशी और परदेशी का रहा है। इस सम्बन्ध में न तो यहां का और न ही दिल्ली का सूचना विभाग कुछ करता है। मैं अगर सूचना विभाग

[श्री मधुकर दिघे]

का मंत्री होता तो मैं प्रतिदिन रेडियो पर इस बात का प्रचार कराता कि अपने देश की यह थाती है और यहां हिन्दू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न उठाने वाले देश के दुश्मन हैं। लेकिन आप यह प्रचार नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई भी हिन्दू मुसलमान का झगड़ा टाला जा सकता है और अगर आप न चाहें तो यह मतभेद बना रहेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपके सूचना विभाग ने कोई भी महत्वपूर्ण काम आज तक नहीं किये।

अब मैं आपकी 2/3 बातों के बारे में कहना चाहता हूं। सूचना विभाग आपका और आपकी पार्टी का एकतरफा प्रचार करता है। इसके अलावा और क्या करता है? इसके बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है। इस सवाल को इसलिये ज्यादा नहीं उठाना चाहता क्योंकि विधान परिषद् में इस बारे में कहा जा चुका है कि सूचना विभाग गलत काम करता है। आपने कह दिया कि विरोधी दल के नेता की बात छाप देंगे और उस किताब को दोनों तरफ से पूरी करा लेंगे। लेकिन उद्देश्य आपका यही है कि सूचना विभाग को आप अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं।

फिर ऐडवर्टाइजमेंट की बात आती है। जो अखबार आपकी पार्टी का प्रचार करते हैं और विरोधी पार्टियों के खिलाफ गलत–सही छापते हैं, उनको ऐडवर्टाइजमेंट और दूसरे प्रश्रय देना चाहते हैं। जो देश के हित में कुछ ज्यादा छापते हैं, उनको ऐडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, यह नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो आपका व्यक्तिगत प्रचार करते हैं, उनको ऐडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं। आप ने मेरठ की पत्रिका युग धर्म है उसको ऐडवर्टाइजमेंट्स दिया क्यों? जवाब है, नहीं। जिन अखबारों को ऐडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, वे यह नहीं चाहते कि देश में जो सरकार के अच्छे काम हों, उनका प्रचार हो। वह तो चाहते हैं उनके अखबार अधिक से अधिक बिक सकें और उनको मुनाफा हो। मैं चाहता हूं कि सरकार के अच्छे कामों का प्रचार हो। लेकिन ये अखबार, जिन सिद्धान्तों में आपकी आस्था है, जो आपके अच्छे काम हैं, उनके प्रचार करने के हक में भी नहीं हैं।

चर्चा हुयी कि हम तो अधिकारियों का कमिटमेंट चाहते हैं उस उद्देश्यों के लिये, जिसके लिये सरकार बनी है। उस दिन हमने इल्जाम लगाया था, आप उनका कमिटमेंट केवल उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नहीं चाहते, बल्कि इसलिये चाहते हैं कि जो आपके मन की इच्छा है, उसको जिस तरह से पूरी करना चाहते हैं, उस तरह से अफसरों को चलाना चाहते हैं, और उतना कमिटमेंट चाहते हैं। सिर्फ सरकार के उद्देश्यों के लिये या समाजवाद के लिये उनके कमिटमेंट का उपयोग नहीं चाहते बल्कि इसलिये चाहते हैं कि वे आपकी इच्छा और आपकी पार्टी के लोगों की इच्छा की कहां तक पूर्ति कर सकते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि आप अखबारों का उपयोग इसलिये करना चाहते हैं कि उनको आप अपने फायदे के लिये इस्तेमाल कर सकें। अभी रायबरेली में बहुत बड़ा तमाशा हुआ। उसमे कई अखबारों को नाजायज-तौर से ऐडवर्टाइजमेंट दिये। लेकिन अब इसकी चर्चा न कर कुछ खास बातें कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

आप कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, 10 मिनट और दे दें।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब नेता विरोधी दल ने चार्ज लगाया उनके ऊपर कि आपने जो यह कमेटी बनायी है सूचना विभाग के लिये जिसमें श्री उपेन्द्र बाजपेयी को आपने नियुक्त किया है, उसमें श्री बाजपेयी को 2500 रुपये माहवार दे रहे हैं भत्ते के रूप में उनको रहने का स्थान अपना है लेकिन फिर भी गेस्ट हाउस में आपने उनके लिए

और व्यवस्था कर दी। उनके घर पर टेलीफोन है लेकिन एक और टेलीफोन अलग से लगा दिया, मुफ्त मोटर दे रखी है और हवाई जहाज पर चढ़ने की भी सुविधा दे रखी है। वह शान शौकत से रहने तथा ऐयाशी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आप सज्जन आदमी हैं।

श्री मधुकर दिघे---

मैं सज्जनता से इशारे मात्र में ही कह रहा हूं। आप पता लगाइयेगा कि मुमानियत होते हुये भी वह अपने साथ लेडी स्टेनो तथा असिस्टेंट ले कर क्यों जाते हैं? आपका फर्ज है कि आप ऐसे कामों से उनको रोके। आपके पास पैसा कम है लेकिन आप उनकी शान शौकत की जिन्दगी में फेंक देना चहते हैं और आप अच्छे आदमी को भी बुरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और यह शान शौकत दे कर आप उस पत्रकार की आदत बिगाड़ रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आपको नहीं बिगाड़ पाये?

श्री मधुकर दिघे---

मुझे नहीं बिगाड़ पायेंगे क्योंकि मेरी आदत पहले ही बहुत खराब हो गयी है। पहले खाना खाने को नहीं मिल पाता था, अब मिलता है तो पेट गंवारा नहीं करता। आप लोग बुक देखिये मोटर का इस्तेमाल कहां कहां हुआ,---नैनीताल क्यों गये और क्या काम उन्होंने वहां किया। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, केवल इशारे मात्र से ही आपको बतलाना चाहता हूं।

थोड़ा सा जिक्र मैं यह भी कर देना चाहता हूं कि प्रेस मान्यता कमेटी है। आपको प्रेस मान्यता समिति में वर्किंग जर्नलिस्टस के चार प्रतिनिधि लेने हैं, चार एडिटर्स के प्रतिनिधि लेने हैं। उनकी दो संस्थायें हैं और उनमें आपस में झगड़ा लगा कर भेदभाव करके किसी मुख्य मंत्री को अथवा पार्टी को फायदा नहीं हो सकता। आपका प्रचार दोनों कर सकें, उनका फायदा आप उठा सकें सरकार के हक में आप फायदा उठा सकें इसके लियेमैं चाहता हूं कि प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहे। जरूरत पड़े तो प्रेस हमारे खिलाफ भी बोले और मेरा जैसा आदमी उसे स्वीकार करेगा। मैं चाहता हूं कि आप दोनों को बुला लेते। कमलापति त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया था, आपने भी इच्छा जाहिर की थी। लिहाजा आप बुलाकर मान्यता समिति बना दीजिये। वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन तथा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोशियेशन दोनों को बुला कर यह मामला हल करा दीजिये, यह सरकार के हित में है देश तथा प्रदेश के हित में है। आपने पी0टी0 आई0 को 3 हजार रुपया दे दिया। आपने कहा कि खर्चा बढ़ गया तो आपने 1800 से 3 हजार कर दिया। लेकिन आपने यू0एन0 आई0 का 1200 से केवल 1800 रु0 क्यों किया? पी0टी0 आई0 आपका प्रचार करे। यू0एन0 आई0 भी आपका प्रचार करे। आज आपकी सरकार है, हो सकता है कभी हम लोगों की सरकार हो जाय।

मैं आपको सिद्धान्त की बात बताता हूं कि यू0एन0 आई0 और पी0 टी0 आई0 दोनों को आपको सम्यक दृष्टि से देखना चाहिये क्योंकि दोनों एजेन्सियां आपके अच्छे कामों का प्रचार कर रही हैं। दोनों में अगर आप विभेद करेंगे, झगड़ा करवायेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि जो आपकी बात छापेगा उसको आप प्रश्रय देंग तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो आपको मीठा लगता है लेकिन कल बहुत बुरा लगेगा क्योंकि हिन्दुस्तान में आप इस तरह से लोगों की आदत डाल दो तो सारे लोग चाटुकार हो जायेंगे।

[श्री मधुकर दिघे]

मैं कहना चाहता हूं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीन का हमला हो तो लोग चीन की तारीफ करने लगेंगे। एक बार मैं जेल में गया तो मैंने देखा कि कांग्रेस की सरकार लोगों से माफी मंगवा रही है। मैंने पूछा क्यों माफी मंगवा रही है तो कहा कि जो लोग माफी मांगना चाहें, मांग सकते हैं। तो इस तह से गलत काम हो रहे हैं। किसी भी आदमी से जो जेल में गया हो, उससे कभी माफी न मंगवाओ क्योंकि कल कोई बाहरी व्यक्ति दूसरा काम कर सकता है। इसलिये आप लोगों के मन को मत गिराये। जर्नालिस्ट्स हैं, अखबार वाले हैं, एडीटर हैं, उनको इस तरह से चलने दें जिससे वे फ्रीली आलोचना कर सकें और बगैर किसी भेद-भाव के कर सकें। यदि इस प्रकार का मन उनका बन जायेगा तो वह सरकार के हित में भी होगा और हमारे हित में होगा।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप यू० एन० आई० के सिलसिले में भी वही नीति अख्तियार करें जो पी० टी० आई० के लिये अख्तियार कर रहे हैं। ऐसा न हो कि आपके घर में टेलीप्रिन्टर लगे तो आप उन्हें प्रश्रय देने लगें। इसलिये यह मैं निवेदन करना चहता हूं कि दोनों को समान दृष्टि से देखें। प्रेस की जो मान्यता समिति है उस सम्बन्ध में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा आलोचना का अंश कम है और निवेदन ज्यादा है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन बातों की घोषणा नहीं होती तो मेरे कटौती के प्रस्ताव को सभी माननीय सदस्य पास कर दें और अनुदान को गिरा दें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सूचना व प्रसार तथा कला व संस्कृति से सम्बन्धित अनुदानों के बारे में बोलने का मुझे अवसर दिया। माननीय, अभी माननीय सदस्य दिघे जी सूचना एवं प्रसार विभाग पर आरोप लगा रहे थे कि हम लोग कांग्रेस वाले व्यक्तिगत प्रचार के लिये इस विभाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद दिघे जी भूल गये कि उनकी संविद सरकार के शासन काल में हर मंत्री का स्टेटमेंट फोटो के साथ निकलता था। लोगों की आम धारणा होगई कि उस फोटो के साथ यह शीर्षक भी होना चाहिये "गुमशुदा की तलाश"। जिन्ने भी स्टेटमेंट मंत्रियों के होते थे उनमें फोटो जरूर होता था। व्यक्तिगत प्रचार का साधन, संविद शासन काल में इस विभाग को बनाया गया था। जो उन्होंने बिगाड़ दिया था उसे आज हम ठीक कर रहे हैं।

जहां तक सूचना विभाग की उपलब्धियों की बात है विशेषरूप से जहां पहले केवल 26 जिलों में ही सूचना केन्द्र थे वहां अब करीब 41 जिलों में सूचना केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। अभी लखनऊ में एक अस्थायी टेलीविजन सेंटर खोलने की बात हो रही है जो इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जायेगा। मसूरी में एक टेलीविजन टावर की व्यवस्था की जा रही है। इससे हम सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पायेंगे।

टेलीविजन के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दिल्ली से जो कार्यक्रम टेलीविजन पर प्रसारित होते हैं वे मेरठ, बुलन्दशहर और कोसी तक ही आ पाते हैं। यदि राज्य सरकार ट्रांसफारमर लगा दे तो पश्चिमी जिले आगरा आदि के काफी हिस्से उसमें आ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करने पर उसमें ज्यादा व्यय भी नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार से इस सन्दर्भ में सरकार बात कर ले। इससे टेलीविजन का प्रसार प्रदेश में अधिक बढ़ जायेगा।

एक बात और सूचना बजट के संदर्भ में यह कहूंगा कि यह जो उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति काफी दिनों से भंग है इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें दोनों पक्षों के जरनलिस्ट एसोशियेशन और वरकिंग यूनियन को बुला कर बात करके फैसला करें जो इस समय नये जरनलिस्ट को मान्यता नहीं मिल पा रही है वह काम भी शुरू हो जाय।

संख्या 36–सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या 39––कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 30––वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध, अनुदान संख्या 42–विशेष एवं पिछड़े क्षेत्र अनुदान संख्या 40––अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या 73––विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूजीगत परिव्यय

मैं पिछले साल भी कला संस्कृति पर बोला था मैंने उसके लिये आग्रह किया था लेकिन बजट में उसे नहीं देखा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें। प्रापर लखनऊ में इस विभाग की ओर से 5 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, 2––भातखंडे महाविद्यालय, लखनऊ 3–राज्य संग्रहालय, लखनऊ, 4––राजकीय पुरातत्व विभाग लखनऊ और 5–राज्य अभिलेखागार लखनऊ। इसके अलावा वैज्ञानिक तथा उद्योग शोध संस्थान वह भी लखनऊ में है, संगीत नाटक कला एकादमी वह भी लखनऊ में है तथा राज्य ललित कला एकाडेमी यह भी लखनऊ में है। अगर आप सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करना चाहते हैं तो इसको प्रदेश के हर हिस्से में फैलाना चाहिये। मैं विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की बात करता हूं। भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीकृष्ण का नाम नृत्य, वादन और गायन में अमर है। जहां तक संगीत की बात है लोग भलीभांति जानते हैं संगीत के एक महान व्यक्ति स्वामी हरिदास वृंदावन में हुए हैं और उनके शिष्य तानसेन थे जिनकी जन्म शताब्दि बम्बई कलकत्ता में मनाई जाती है लेकिन वहां पर नहीं मनाई जाती जिसके लिये मैं चाहूंगा कि वहां पर प्रबंध होना चाहिये। वह ध्रुवपद के महान ज्ञाता था उसके लिये वृंदावन में विद्यालय खुलना चाहिये।

जहां तक राजस्थान के जो गीत और कला जिसके लिये मीराबाई का नाम प्रमुख है। जिनके गीतों में संगीत अपने आप मौजूद रहता है जो कि वृज की धरोहर है।

दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं स्वामी तुलसीदास का स्मारक बांदा में बन सकता है तो सूरदास जी का जो स्मारक वहां बना है उसको भी पूर्ण करने को धन दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा ललित कला की बात करता हूं आपके पुरातत्व विभाग में मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इमारतें आगरा में हैं जहां पर पाषाण में कारविंग का काम सबसे ज्यादा सुन्दर हुआ है लेकिन आर्कलोजी का हैड आफिस जो है आपके लखनऊ में है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप समाप्त करें साढे तीन बजे इस बजट को पास होना है आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा––

दो मिनट में समाप्त करता हूं। दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि बृज में जरदोजी का काम, खिलौनों का काम बहुत होता है उसको और भी विशेष ध्यान देना चाहिये।

वृज में ही मिरजा गालिब हुए हैं उनका वहां कोई स्मारक नहीं है। इसी प्रकार दूसरे आगरा में मियां नजीब हुए जिनके काव्य में से सुगन्ध हिन्दुस्तान की मिट्टी से आती थी उनका भी कोई स्मारक नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि मियां गालिब और मियां नजीब का स्मारक यह विभाग बनायें। इन शब्दों के साथ में आग्रह करूंगा कि पिछले वर्ष भी कुछ मैंने सुझाव दिये थे उनको भी कार्यान्वित करने की कृपा करें। मैं अपनी बात खतम करते हुए मिरजा गालिब का एक शेर पढ़ देता हूं ––

तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्या करो गालिब,
ये क्या तुम कहो वह कहें हमें याद नहीं ।

इस शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मुझे यह सब बातें दुबारा न याद करानी पड़ें और इस विभाग में उल्लेखनीय प्रगति होनी चाहिये।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे जो सूचना एवं प्रचार के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह करता हूं कि उनका जो सूचना एवं प्रचार विभाग है, उसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसे वह उस हद तक नहीं निभा पा रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देहात की जनता सूचना विभाग को जान ही नहीं रही है। उसे यह तक पता नहीं है कि ऐसा कोई विभाग है भी या नहीं। उस की यह भी जिम्मेदारी है कि सरकार की, शासन की जो नीति है, उपलब्धियां हैं, उसको वह जनता तक पहुंचाए और जो जनता की समस्याएं हैं, उनको अपने निबन्धों के माध्यम से, समाचार-पत्रों द्वारा या चलचित्रों से सरकार तक पहुंचाए। वह यह कोशिश करें कि जनता और सरकार का सक्रिय सम्बन्ध या सम्पर्क बना रहे और एक दूसरे की दिक्कतों को वे दूर कर सकें लेकिन मैं समझता हूं, कि इस जिम्मेदारी को भी निभाने में सूचना विभाग बिलकुल फेल हो रहा है।

कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में खोदा पहाड़ 'हेडिंग से समाचार पढ़ा था। बात यह थी कि सूचना विभाग के एक अधिकारी ने समस्त पत्रकार बन्धुओं से दिनांक 25-4-74 के लिए कहा था कि आइये और देखिए कि अन्य पार्टियों के कुछ विधायकगण कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पर कुछ लोग वहां देखने पहुंचे कि देखें कि कौन-कौन से विधायक कांग्रेस में शामिल किए जा रहे हैं। लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि इलाहाबाद के जगदीश ने केवल अपनी पार्टी को बदला जो मुख्य मंत्री जी के एजेन्ट बने थे और उनके बारे में सभी को पहले ही बहुत कुछ पता था। यह एक साधारण बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सरकार ने सूचना विभाग के माध्यम से उसका बड़ा तूमार बांध दिया और उसकी सूचना करना आवश्यक समझा। इस तरह से पार्टी के हित में एक छोटी बात के लिये इस विभाग का दुरुपयोग किया गया।

सूचना विभाग के द्वारा एक किताब छपी है "जवाहरलाल नेहरू की नीति और विचार'। उसमें बहुत से हिन्दी और अंग्रेजी के वक्तव्यों को रखकर मुख्य मंत्री ने यह दिखाया है कि जवाहरलाल नेहरू कब से समाजवादी रहे हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि आपने अपने विषय में चौधरी साहब के जिस पत्र का उल्लेख किया है, उसको क्यों नहीं छापा गया है। आपने उसका जवाब तो दिया, किन्तु उसको उसमें स्थान ही दिया। यह सूचना आपको अखबार के माध्यम से मिली थी, आपको भी उसी माध्यम से उसका उत्तर देना चाहिये था कि उसे सूचना विभाग के माध्यम से छपवा कर प्रचार करा दिया इस प्रकार से आपने सूचना विभाग का दुरुपयोग किया है। जब आपने उसमें अपनी बात छापी तो उसमें आपको चौधरी साहब का पत्र भी प्रकाशित करना चाहिये था, जो कि आपकी निष्पक्षता का परिचायक होता। लखनऊ मुख्यालय पर भी सूचना विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। हमारे जिला स्तर पर जो खामियां है, वे आपके विभाग के माध्यम से सरकार तक नहीं आ पा रही है। आपके सूचना अधिकारी वहां पर जिलाधिकारी की हमदर्दी और खुशामद में ही लगे रहते हैं और वे प्रचार का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सूचना विभाग का सबसे बड़ा काम यह होना चाहिये कि वह देहातों तक सारी बातें पहुंचाए। ब्लाक स्तर पर जो मीटिंग्स होती है, उनमें भी सूचना विभाग का एक आदमी वहां की बातों को समझने के लिये अवश्य जाना चाहिये, जो उन्हें सरकार की बातों का भली-भांति परिचय भी करा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

पत्रकारों की मान्यता समिति के बारे में बी0 एल0 डी0 के श्री दिघे ने अभी कहा था। मैं समझता हूं कि 71 से यह समस्या बनी हुई है। पत्रकारों के दोनों संगठनों के बीच मन-मुटाव पैदा हो रहा है। समिति बिलकुल ही मृतप्रायः है। इसलिये मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि वह उसमें हस्तक्षेप करके उनको एक स्थान पर लावें ताकि इस समस्या का हल हो सके।

आपने सूचना विभाग के पुनर्गठन के लिये जो कमेटी नियुक्त किया है, उसके बारे में मेरे पास अनेकानेक शिकायतें आई हैं। आप अध्यक्ष को ढाई हजार रुपया दे रहे हैं, साथ ही उनको अन्य बड़ी-बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन वह कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। नैनीताल घूमना है और उनकी योजना यह बन रही है कि प्रदेश के बाहर भी उन्हें घूमना है। वह जनहित का कोई काम जो उस समिति के सुपुर्द किया गया है, करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

मैं देख रहा हूं कि रेडियो जिस पर कि आपका पूरा एकाधिकार है और आप किसी भी विरोधी पक्ष के नेता के लिये बोलने का या विचार रखने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं कि एक श्री राजेन्द्र शर्मा, जोकि युवक कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनकी कोई योग्यता नहीं है, जिलाधिकारी से माननीय मुख्य मंत्री जी ने नाम मांगा और नाम मांग कर श्री राजेन्द्र शर्मा को नियुक्त कर दिया गया जब कि इनका नाम नहीं भेजा ऐसी बात माननीय मुख्य मंत्री जी को सोचना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दत्तओझा (जिला पिथौरागढ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह कहा गया कि पहाड़ों के लिये सबसे ज्यादा धनराशि खर्च की जा रही है और इस बजट के दौरान में मेरी कुछ माननीय सदस्यों से बातचीत भी हुई। जिससे मुझे दुख हुआ। 1975–76 का बजट जो है, उसमें साढ़े 4 करोड़ के बजट में 25 करोड़ रु0 पर्वतीय क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है जब कि वहां पर इतना ज्यादा 51100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र है, वहां की आवादी 36/22 लाख है। वहां पर सड़कें, बगीचे आदि अभी भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सम्पूर्ण बजट के बारे में समर्थन भाषण कर रहे हैं कि सूचना विभाग के बारे में ?

श्री गोपाल दत्त ओझा—

सम्पूर्ण बजट केबारे में मैं समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जरा सा भी ध्यान करते हैं, तो यह पाते हैं कि 223.52 करोड़ रु0 पूर्वी प्रदेश पर खर्च किया गया। पर्वतीय क्षेत्र पर 77.48 करोड़ खर्च किया गया और बुन्देलखंड में 61.51 करोड़ खर्च किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पूर्वी प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्र तथा बुन्देलखंड के क्षेत्र का मुकाबिला करते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र पर सबसे कम खर्च किया गया है। मान्यवर, अभी भी पर्वतीय क्षेत्र की काफी उपेक्षा की गई है। वहां पर अभी भी एक लाख आदमियों में से केवल 258 आदमी रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम करते हैं जब कि मैदान में एक लाख आदमी में से 418 आदमी काम करते हैं। वहां उद्योग उत्पादन 22 करोड़ रुपया तक का किया जाता है। राज्य में प्रति औद्योगिक व्यक्ति उत्पादन (पर कैपिटा प्रोडक्शन) जो है वह 87 रु0 है वहां 60 रु0 है। यह उत्पादन बहुत कम है। मान्यवर, उत्पादन बढ़ाने के लिये तांबा, मैगनासाइट व सीमेंट फैक्ट्री खोली जाय। पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी वन सम्पदा व खानों की अपार गुंजाइश है उद्योग स्थापित करने के लिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ जिले में एक सीमेंट का कारखाना खोला जाय, वहां पर बहुत बेरोजगार है। और वहां पर चूना काफी है, वहां पर सीमेंट का कारखाना स्थापित इसी वर्ष किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मान्यवर, जब संविद सरकार थी तब उसने सूचना विभाग

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

को कोई महत्व नहीं दिया। और उसके कार्यकलापों को कम करने की कोशिश की, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने, सूचना विभाग द्वारा प्रसार में अधिक उत्साह दिखाया है और हमेशा यहां की जो प्रगतिशील नीतियां है उसके सम्बन्ध में जो साहित्य है उसको वहां के गांव गांव में प्रधानों तक पहुंचाया है और उनको विश्वास होने लगा है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी लखनऊ से क्या-क्या हमारे लिये कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिये और उनके विकास के लिये, प्रदेश के विकास के लिये एक प्रगतिशील मुख्य मंत्री क्या कर सकता है अब वह लोग समझने लगे हैं।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि भारत वर्ष की पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जितनी सहायता आज केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है वह हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये नहीं दी जाती है। 75–76 में सिर्फ 25 करोड़ हमारे विकास के लिये दिया गया है। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश के मिजोरम के और काश्मीर कहीं के हो आप देखिये कि वहां के किसानों को केन्द्र में सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है लेकिन हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को केन्द्र से सबसे कम पैसा दिया गया है। हमारे पिथौरागढ़ में धारचूला और मुंशियारी की जो तहसील है वह तिब्बत व नैपाल से मिली हुई है। वहां के लोग आज भी अत्यन्त गरीब हैं, वहीं पांच 4 मील से पानी लाते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय ताकि वह लोग महसूस कर सकें कि प्रदेश की सरकार उनके क्षेत्र के लिये कुछ कर रही है। एक बात और कह कर समाप्त करूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से झरने है हमारे यहां डैम बनाने की गुंजायश है। वहां बिजली की बहुत बड़ी कमी है। वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बहुत कम लगायी गयी है, वहां बिजली का हाइड्रो जेनेरेशन बहुत कम हुआ है। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कुमायूं में वर्ष 70–71 में केवल 4.2 प्रतिशत गांवों में वहां बिजली लगी है, गढ़वाल में 1.4 प्रतिशत ग्रामों में लगी है, लेकिन पूरे प्रदेश में 18.4 प्रतिशत गांवों में बिजली लगी है। यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है। अगर हमारे यहां बिजली नहीं होगी तो क्या हम वहां सम्पन्न हो सकेंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि बिजली की योजनाओं का जल्द से जल्द प्रसार पर्वतीय क्षेत्रों में कर दिया जाय। इन चन्द शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मान्यवर, बजट में तो और बहुत से अनुदान हैं लेकिन मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं इस लिये यह जो पिछड़े वर्ग का अनुदान है अनुदान संख्या 73, इसी पर मैं अपने विचारों को प्रकट करूंगा। बड़े दुख की बात है कि जब से हेमवतीनन्दन जी बहुगुणा इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं तब से कुछ ऐसा हो गया है इस असेम्बली के अन्दर भी और बाहर भी कि ऐसा व्यापक प्रचार किया जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश का खजाना पहाड़ की ओर ले जाया जा रहा है। लेकिन अगर माननीय सदस्य उस आंकड़े को देखें उत्तर प्रदेश में विकास पर व्यय किया गया है और जो इन पर्वतीय क्षेत्रों में किया है तो पता कुछ और ही चलेगा। अगर आप यह मांग करें कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया जाय तो बात समझ में आती, या माननीय सदस्य अगर इस बात की मांग करें कि बुन्देलखंड के पहाड़ी इलाकों का विकास किया जाय तो बात समझ में आती, या अगर वे यह कहें कि ललितपुर जो पहले झांसी में मिला हुआ था और अब अलग हो गया है उसको पिछड़ा जिला घोषित कर दिया जाय तो वह बात समझ में आती लेकिन लगातार एक प्रचार करना और माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ यह कहना कि वह पहाड़ों के लिये ही सब कुछ कर रहे हैं यह तो बिलकुल गलत बात है। मुख्य मंत्री जी के खिलाफ कुछ कहना हो तो कहें लेकिन मेहरबानी करके अपनी इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजनीति को पहाड़ों पर मत लागू करने की कृपा करें। कहा गया कि अच्छा होता अगर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री होता तब वह पहाड़ों पर क्या खर्च करता? मान्यवर, देख चुके हैं। चरण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे और बदकिस्मती से हमारा भी उनको समर्थन था लेकिन उस जमाने में पहाड़ों के बारे में उन्होंने एक किताब छपवायी और मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें नैनीताल और मंसूरी के सिनेमा के जो टिकट होते हैं उनके आंकड़े लगाकर उस किताब के अन्दर छपवा दिये कि पहाड़ कितना विकासशील है। यह तो हम देख चुके हैं।

श्री मधुकर दिघे--

वह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

ठीक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और आज आपके नेता हैं। मुख्य मंत्री रह चुके हैं और उनकी बात तो हम देख चुके हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ के लोग भिखारी नहीं हैं, भीख नहीं मांगते हैं, हम लोग बड़े सीधे साधे हैं लेकिन स्वाभिमानी है, कोई दान के टुकड़े वहां के लोग नहीं मांगते हैं, कोई अनुदान नहीं मांगते हैं केवल अपना अधिकार मांगते हैं। इसी बजट के अन्दर आपने देखा कि जंगलों से कुल आमदनी 31 करोड़ रुपये की है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन 31 करोड़ में से कम से कम 21 करोड़ की आमदनी अपने पर्वतीय क्षेत्रों से आती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

टू अपान थ्री इज हिल।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हां। उसके अलावा हमारे पास खनिज पदार्थ हैं इस इलाके में चूने का पत्थर बहुत है। लेकिन हाल क्या है। जंगल हमारे हैं, लेकिन लीसा की फैक्टरी बनेगी बरेली के अन्दर। पहाड़ की लकड़ी से फैक्टरी बनती है सीतापुर में। माननीय दिघे जी आप तो किसी जमाने में समाजवादी थे और पूंजीवाद का विरोध करते थे। एक व्यवस्था यह होती है हमेशा पिछड़े हुए क्षेत्रों के जो प्राकृतिक साधन हैं उनको विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है यही पहाड़ों पर हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अनुसार हमारी तमाम दौलत को लूट करके पूंजीपति पहाड़ों का शोषण करते हैं। क्या कभी पहाड़ के विकास के लिये सोचा गया है। दूसरी मिसाल मैं देना चाहता हूं।

मान्यवर, आज हमारे मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं टेहरी डैम के बारे में कहना चाहता हूं। वहां की जनता इस डैम से विस्थापित होने जा रही है। इस डैम के बनने से हजार लोग बेघरबार हो जायेंगे।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, 3 मिनट का समय और दे दीजिए। लेकिन उससे जब पानी निकलेगा तो उसका एक इन्च भी पहाड़ की सिंचाई के लिये प्रयोग नहीं होगा वह सारा का सारा मैदानी भाग में प्रयोग होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वहां की जनता को कब तक अधर में लटकायेंगे। अगर बांध बनाना है तो कब तक बनायेंगे। हमारा भविष्य अन्धकार में है और पूरी घाटी का विकास रुक गया है, अस्पताल नहीं बन सके, स्कूल नहीं बन सकीं और स्कूल नहीं बन सके। आपने पर्वतीय विकास के लिये पर्वतीय विकास

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

विभाग और पर्वतीय निगम बनाया है। आप पर्वतीय विकास विभाग को उसी लेविल पर लायें जिस पर यह था। इन शब्दों केसाथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी इन बातों पर विचार करें।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, इस अवसर पर मुझे एक शेर याद आता है—

पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का।
वह सन्तरी हमारा वह पाशबां हमारा॥

वे यह भूल जाते हैं कि यह पर्वतीय क्षेत्र ही ऐसा है कि जिसके सबसे अधिक बेटे, चाहे वह पाकिस्तान की लड़ाई हो या चीन से लड़ाई हो, दिए हैं। इसलिये इसका विकास उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र का विकास है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय नेता सदन ने एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला है और उन्होंने जो भाषण यहां पर सदन में दिया है उसमें कहा है उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाय। यह गम्भीर इसलिये भी है कि इसमें गंगा और यमुना के भाग को बांटने की बात कही है और राम और कृष्ण की भूमि की बांटने की बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह भाषण आप किस प्रसंग में दे रहे हैं। यह मद सूचना विभाग से सम्बन्धित है, आप इसी मद से सम्बन्धित अपने विचार रखे?

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

माननीय डाक्टर बलजीत सिंह जी का यहां पर जिक्र किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं। आप सूचना विभाग से सम्बन्धित विषय पर बोलने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

कहा गया कि डाक्टर बलजीत सिंह एक बड़े ही एकोनोमिस्ट हैं, वे एकोनोमी के बहुत बड़े माहिर हैं। श्री के0 टी0 शाह या किसी दूसरे जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, उनका कभी रेफरेंस नहीं दिया है। माननीय चौधरी साहब बड़ा ही खतरनाक खेल-खेल रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका विकास नहीं होना चाहिये। बल्कि इस क्षेत्र को 4 भागों में बांट देना चाहिये। श्री अब्दुल हमीद गाजीपुर के थे और श्री त्यागी मेरठ के थे लेकिन चौधरी साहब इस भूभाग को बंटवाना चाहते हैं। यह चन्द्रशेखर और राज मंगल पांडेय की जमीन है जिसे वे बंटवाना चाहते हैं।

माननीय दिघे जीं ने सूचना विभाग की शिकायत की है, वह बिल्कुल ठीक है। सूचना विभाग ने सत्याग्रह की वह तस्वीर नहीं छापी है जिसमें चौधरी स्वीट हाउस के मिठाई के डिब्बे और डनलप पिलो आगे आगे जीप में जा रहे हों। मान्यवर, आपको याद होगा जब हम लोगों ने सत्याग्रह किया था तो पैरों में बेड़ियां चौधरी साहब ने डलवाई थी। सूचना विभाग आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ नहीं कह रहा है। माडल जेल की 3 तस्वीर छप जाती तो अच्छा होता। इस ओर हमारे सूचना विभाग को ध्यान देना चाहिये।

हमारे बाजपेयी जी आजादी की लड़ाई के सिपाही रहे हैं जिनका पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में काम आया। और फिर इस प्रकार से परसनल बातें कहना, उनके बारे में जो सदन में मौजूद नहीं हैं, उचित नहीं है। मुझे उस पर कुछ भी नहीं कहना है।

आज फ्रस्ट्रेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और उसका यह आइना है। जो बातें सदन में कही जाती हैं और जिस प्रकार से कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है उससे एक ही अर्थ निकलता है कि प्रदेश में कोई भी काम न होने पाये। और अगर यह सरकार दिन कहती है तो वे उसे रात कहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लेख निकलवाया है जिसमें बताया है कि हिन्दुस्तान का भारतीयकरण कैसे होना चाहिये और कैसे नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दिघे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, सूचना विभाग ने मेरे दृष्टिकोण से बुन्देलखंड को अपना स्थान नहीं रखा है। झांसी और बांदा के लोगों ने जिन्होंने देश की कुर्बानी में सब कुछ किया है, और चित्रकूट जो इस देश का तीर्थ स्थान है वहां पर दो इतने बड़े-बड़े मेले लगते हैं महोबे का कजरी मेला और चित्रकूट का दीपमालिका लेकिन सूचना विभाग ने आजतक नहीं सोचा कि इन मेलों की फिल्म बना कर सारे प्रदेश में दिखायें कि किस तरह से वहां पर आदमी रहते हैं कितना वहां पर समुदाय आता है और उनके क्या-क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पत्रकारों की मान्यता समिति के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपनी एक नीति अपनायी है कि जो देश का पत्रकारों का माना हुआ संगठन-इंडियन फेडरेशन आफ वार्किंग जर्नलिस्टस-उसको उन्होंने केन्द्रों में मान्यता समिति में रखा है और यहां की सरकार दुविधा में पड़ी हुई है कि हम दोनों को रखें या एक ही को रखें। तो प्रदेशीय सरकार भी केन्द्र की तरह जो देश के पत्रकारों का माना हुआ संगठन है श्रमजीवी पत्र कार संघ उसको ही मान्यता समिति में रखें।

बुन्देलखंड इस प्रदेश के पहाड़ों से भी गया बीता पिछड़ा क्षेत्र है। मैं नहीं कहता कि पहाड़ों में तरक्की न कीजिये लेकिन बुन्देलखंड को भी देखिये। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बुन्देलखंड में बहुत मिनरल्स हैं। मिनरल्स तो हैं लेकिन आपने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पहाड़ों में इस साल तीन डिग्री कालेज खोले हैं बुन्देलखंड में एक भी नहीं खोल गया। बुन्देलखंड में जहां 60-70 हजार आदिवासी कोल रहते हैं जहां गरीबी अपना तांडव नृत्य करती है, जहां जवान बेटियां नंगे घूमती हैं वहां के लोगों ने 60-70 हजार रुपये डिग्री कालेज खोलने के लिये इकट्ठा किये और कानपुर विश्वविद्यालय ने उसकी मान्यता के लिये लिखा भी लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने, जिनके हाथ में हायर एजूकेशन है, वहां डिग्री कालेज खोलने के लिये इन्कार कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जमुना प्रसाद बोस]

एक ओर पहाड़ों में तो सरकार अपने पैसे से डिग्री कालेजेज खोल रही है और बुन्देलखंड वाले स्वयं पैसा इकट्ठा कर के देते हैं फिर भी सरकार तैयार नहीं होती। यह पक्षपातपूर्ण नीति किसी भी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि बुन्देलखंड में पानी की बहुत कमी है। सरकार ने वहां 3 करोड़ की लागत से पानी की योजना चलायी और कहा कि यह एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेयजल योजना है। मैंने इस सदन के माध्यम से कई बार सरकार से कहा लेकिन कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनने वाला है। तीन करोड़ की लागत से बनी पेय जल योजना तीन गांवों को भी पानी नहीं दे पाती है जबकि सरकार कहती है कि 300 गांवों में पानी देती है। अगर वह तीन गांवों में भी पानी देती है तो सरकार जितना भी पुरस्कार चाहे दे लेकिन वह तीन गांवों में भी पानी नहीं दे सकती है। तो क्या सरकार उन अधिकारियों को जिन्होंने 3 करोड़ रुपये से खिलवाड़ की है सजा देने के लिये तैयार है? मेरा ऐसा विश्वास है कि हम चाहे जितना कहें कुछ इन्जीनियर्स जिलास्तर से लेकर प्रान्तीय स्तर तक इतने असरदार हैं कि उनके इस घोटाले की ओर सरकार बिल्कुल ध्यान देने के लिये तैयार नहीं है।

बुन्देलखंड ही एक ऐसी कमिश्नरी है जहां परिवहन के कोई साधन नहीं है। वहां पर रोडवेज नाम की कोई संस्था ही नहीं है। कोई भी जिला रोडवेज के द्वारा कनेक्टेड नहीं है। मैं चाहता हूं कि झांसी से बांदा, झांसी से उरई, झांसी से ललितपुर और झांसी से हमीरपुर रोडवेज की बसें चलायी जायं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि और वह यह कि हमारे यहां कुछ मार्गों पर 6 साल से रोडवेज की बसें चल रही थीं उनको भी बन्द कर दिया गया। दुनिया में ऐसी कौन सी सरकार होगी जो मिले हुये साधनों को भी छीन ले। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार एक दिन भी टिक नहीं सकती है। मैं परिवहन मंत्री जी से मिला भी था, मगर उनके आदेशों का भी पालन नहीं होता आप रीजनल मैनेजर को सस्पेंड कीजिये जिसने उन बसों को बन्द कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया संबंधित विभाग पर बोलिये।

श्री जमुना प्रसाद बोस---

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मधुकर दिघे---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल की तरफ से दो माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन एक माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वे मेरे प्रस्ताव के समर्थन में ही कहीं। मैंने यह चार्ज लगाया था कि अपने प्रदेश की संस्कृति के बारे में कोई भी काम नहीं हुआ है। उन माननीय सदस्य ने भी उसी के कुछ उदाहरण दिये और कहा कि आगरा में यह होना चाहिये, मथुरा में यह होना चाहिये वगैरह-वगैरह। उन्होंने मेरी बातों का समर्थन ही किया। एक शकील साहब ने कुछ विरोध किया, कुछ बातें कहीं। मिठाई आदि के बारे में जो कहा वह इतनी हलकी बात है कि उसका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। सूचना विभाग को रि-आर्गेनाइज करने के लिये जो समिति बनी है और उसको काम सौंपा गया है, उसको बहुत सी बातें नहीं बतायी गयी हैं आपका इरादा बहुत अच्छा है, मैं यह मानकर चलता हूं। सूचना विभाग को रि-आर्गेनाइज करने का आपका इरादा अच्छा है, मगर कभी कभी इरादा अच्छा होते हुये भी, जिनको काम सौंपा जाता है वे ठीक काम नहीं करते और उस कारण गड़बड़ी पैदा होती है। मैंने कुछ ठोस बातें कही थीं। आपके पास पैसे की कमी है। तो इनको अधिक वेतन क्यों देते हो, अधिक भत्ता क्यों देते हो, उपेन्द्र बाजपेयी जी को आखिर दिल्ली में क्या वेतन मिलता था . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या मिलता था ?

श्री मधुकर दिघे--

ज्यादा चर्चा उस पर न करिये। एक जगह मकान दिया जाय, दो-दो जगह मकान दे रखा है, दो-दो जगह टेलीफोन दिये हैं। आपने उनको मोटर दी, तो व आने जाने के लिये हवाई जहाज की सुविधा क्यों लेने लगे ? फिर इतना खर्च आदि करने के बाद भी कुछ लाभ न हो तो शिकायत करनी पड़ती है। आखिर जो दारू शराब पीने का काम होता है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिये ? आपके इरादे अच्छे हैं, मगर उनसे वह काम कराइये जिससे प्रदेश का हित हो, सूचना विभाग का हित हो। जो आपके यहां पत्रकारों के सम्बन्ध में मान्यता देने के लिये कमेटी बनी हुई है, मेरी आपको यह सलाह है कि दोनों फेडरेशन के लोगों में आपस में बातचीत करा कर समझौता कराइये। उसमें मध्यस्थता करके इस मान्यता समिति के मामले को हल करना आपका फर्ज है। आपके हित में है कि मेरी सलाह मान कर जो इन दोनों के नुमाइन्दे हैं, एडीटरों के नुमाइन्दे हैं, इनकी समिति बन सके, इस तरह से मसले हल कर देना चाहये। इस विश्वास के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि सदन मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैं अनुग्रहीत हूं सभी माननीय सदस्यों का, विशेषकर माननीय दिघे जी का कि उन्होंने विभिन्न प्रस्ताव जो सदन के सम्मुख आपकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत हैं बजट प्राविधान के सिलसिले में, उन सब के सिलसिले में थोड़ा-थोड़ा अपने विचार व्यक्त किये। कुछ बातें माननीय गोविन्द सिंह ने कहीं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का हित इसमें है कि इसका सर्वांगीण विकास हो। और अगर इसके किसी क्षेत्र में तकलीफ बनी रहे या वह पिछड़ा रहे तो यह गैरवाजिब होगा। इसलिये उनके जो बुनियादी विचार हैं उनसे सहमति रखते हुए, जो आर्थिक अभाव है, उसकी तरफ मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

टेहरी बांध की वजह से टेहरी की प्रगति रुक गयी, उस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। टेहरी बांध को उत्तर प्रदेश अपनी शक्ति से मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 10 वर्षों में भी बना पायेगा। लेकिन हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार सहयोग देगी। परन्तु साधारणतया हमारी यह नीति बनी हुई है जिसको मैं इस सदन के सामने भी कहना चहता हूं कि जमीन जिसको 10 साल में डूबना है या 7 सा में डूबना है या मान लीजिये जिस गांव को 7 साल में डूबना है, उसके गिरते हुए मकानों को अगर बनने न दिया जाय या वहां के स्कूलों की छत पड़ने न दी जाय या सिंचाई के छोटे छोटे गूल निकालन न दिये जांय तो यह मुनासिब बात न होगी, यह उस इलाके के साथ अन्याय है। इसलिये दोनों को साथ-साथ चलना है।

टेहरी बांध उत्तर प्रदेश केलिये जीवन दाता बनेगा और उसे धीरे-धीरे बनाना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से बनाना ही होगा। लेकिन टेहरी बांध उत्तर प्रदेश को जीवन मृत्यु देसकता है, ऐसा नहीं समझना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारी निश्चित नीति है कि उस इलाके की प्रगति के लिये 5 या 7 साल की एक योजना हो जिससे वहां तरक्की के कामों की शुरूआत करायी जा सके।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, यह बिलकुल ठीक कहा गया कि जो आंकडे दिये जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र की आमदनी के सिलसिले में उसमें बुनायदी कमजोरी है। उसका मैं पहले ही जिक्र कर देना चाहता हूं। डाक्टर बलजीत सिंह जी तो स्वर्ग चले गये। उन्होंने जो आधार बनाया—आप देहरादून का ही उदाहरण ले लीजिये लाइम स्टोन जो देहरादून में निकालता है उसका कुल मूल्य उन्होंने देहरादून के लोगों की आमदनी में जोड़ दिया। अब जरा गौर कीजिये। यह बिल्कुल उल्टा हो गया। सच बात तो यह है कि देहरादून के लाइम स्टोन ने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, हिन्दुस्तान को मदद पहुंचायी है। पहाड़ पर मांइन्स चलाने वाले बुरी तरह से उसे खोद रहे और हमने गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की एक माइनिंग एक्सपर्ट्स के मातहत एक कमेटी बनायी है जो देखेगी कि पहाड़ को कैसे बचाया जाय।

बुन्देलखंड के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया। हम सूचना विभाग से जरूर कहेंगे कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के जीवन से सम्बन्धित, जो हमारे बड़े-बड़े मेले और हाट हैं, और जीवन के अंगों के जो लोक नृत्य हैं उनकी फिल्म जरूर बनायें। हमारे प्रदेश के हर क्षेत्र का, चाहे वह बुन्देलखड क्षेत्र हो या हमारे पहाड़ का इलाका हो या पूर्वांचल हो, इन सबके, चाहे विदेशिया हों, चाहे फोक सांग, आल्हा हो, इन सबको लेकर एक ऐसी फिल्म बन सकती है जो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक जीवन को, उसकी झांकी को, बाहर पेश कर सके। इससे अपने यहां आने वाले यात्रियों को एक प्रेरणा मिलेगी जिसे उत्तर प्रदेश और सक्षम बन सकेगा।

. मान्यवर, एक नयी बात माननीय दिघे जी ने कही। उन्होंने हमारे, इस सदन के विरोधी दल के नेता चौधरी साहब की बात को दोहराया। पी० टी० आई० और यू० एन० आई० यह दोनों एजेंसियां हैं। हमारा कहना है कि पी० टी० आई० और यू० एन० आई० आज से नहीं वर्षों से हैं। मैंने कभी इसको कहना नहीं चाहा। हमारे कार्यकाल में एक अखबार भी नहीं कह सकता कि हमने उस पर दबाव डाला है। या हमारा कोई आर्डर गया है कि यह करो वरना एडवरटाइजमेंट बंद कर देंगे। लेकिन चाहता कहना हूं कि चौधरी साहब के मुख्य मंत्रित्व काल में आज के रेजीडेंट लोकल करसपांडेंट, लखनऊ से हटाया गया, या नहीं? चिट्ठी लिखी है कि इसको हटाओ।

टाइम्स आफ इंडिया और नव भारत के विज्ञापन बंद हुये। हमने एक भी ऐसा काम नहीं कि चाहे पत्रकार ने अच्छा लिखा हो या चाहे जो कुछ लिखा हो। उनकी कलम है। उन्होंने मेरी तरफ या मेरे विरोध में लिखा है लेकिन आज तक मैंने नहीं—कहा है कि आप आलोचना क्यों करते हैं। मैं समझता हूं कि पहला आलोचक हमारा पत्रकार है। मैं समझता हूं कि वह अगर हमारी आलोचना करते हैं तो भी हम पत्रों को जीवित रखने में सहयोग दें। होती है आलोचना कट भी होती है, मधुर भी होती है, निष्पक्ष होती है, पक्षधर भी होती है, लेकिन मैं तो आलोचक की आत्मा में नहीं बैठ सकता। मैं अपना जोर उसके कंधे पर हीं रख सकता और न मैं ऐसी कुचेष्टा कभी करूंगा। 1961—62 में पी० टी० आई० को 21,600 रुपये और यू० एन० आई० को 14,400 रुपये मिलते थे। क्यों इतने मिलते थे। क्यों नहीं उस वक्त ठीक किया गया।

श्री मधुकर दिघे—

ठीक कर दीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा तो श्रीमन् की सेवा के लिये जन्म हुआ है। और इसीलिये मैं यहां आया हूं। एक अप्रैल, 1975 से पी० टी० आई० और यू० एन० आई० का बराबर कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इनके बेसिक राइट में क्यों अंतर हो। यू० एन० आई०

और पी० टी० आई० की बाबत में कहता हूं। आज तक नहीं कही। लेकिन मैं छोड़े देता हूं नहीं कहूंगा। इसलिये कि मान्यवर, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। उनसे मैं जवाब तलब करवाऊं यह वाजिब नहीं है। हम किसी के बीच में नहीं जाना चाहते। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी एजेंसी के पक्षधर नहीं हैं, किसी अखबार के पक्षधर नहीं है।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि श्री उपेन्द्र जी को दिल्ली में क्या वेतन मिलता था? तो जिस वक्त हमारे पास दिल्ली में आए तो उनको 2,435 रुपये महीने, बोनस भत्ता अलग और दूसरी सुविधायें अलग मिलती थीं, जिनको जोड़ा जाय तो 2500 रुपये से ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मैं कोरी आंखों से देखकर बोलता हूं। हमने उनको देखा है और उनकी मांग है कि चरित्रहत्या का अस्त्र हम प्रयोग नहीं करते हैं। यदि एक दूसरे की बुराई की बात आती है तो उसकी जांच भी हो सकती है लेकिन कहें कि फला लड़की फलां के साथ घूमती थी तो यह नहीं।

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, फलां लड़की घूमती थी तो इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि वह लेडी स्टेनो और लेडी असिस्टेन्ट को पहाड़ पर ले गए जो कि नियम के विरुद्ध है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ––

मान्यवर, नियम विरुद्ध न कोई जा सकता है और न कोई टी० ए० बिल ले सकता है।

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री गुलाब सेहरा जी ने सांस्कृतिक और ललित कला के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किए तो मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि तुलसी और सूर्य स्मारक समितियों को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। तुलसी समिति को 80 हजार रुपया दिया जा चुका है और यह कोई आखिरी रकम नहीं है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इनको और दिया जाएगा। दूसरी बात यह सही नहीं है कि सारे दफ्तर लखनऊ में ही हैं। यद्यपि जितने दफ्तरों का नाम लिया है वह केन्द्र सरकार के सब दिल्ली में हैं। नाट्य कला के सम्बन्ध में दक्षिण भारत में नहीं खोला गया वैसे ही कत्थक के लिए लखनऊ में नहीं खोला गया। संगीत नाटक एकाडमी के स्टेट हेड क्वार्टर सब सूबों में हैं। अभिलेखागार का वाराणसी और गोरखपुर मन्डल में स्थापना करने का हमारा प्रस्ताव है। जहां तक इसके पुरातत्व विभाग का सम्बन्ध है सबसे बड़ा संग्रहालय मथुरा में है हो सकता है वेधशाला नैनीताल में हो और क्षेत्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद में हो। आगरा में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग का पूरा आर्गनाइजेशन है जो ललित कला एकाडमी में मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, नैनीताल, कानपुर और वाराणसी में जो प्रदर्शनियां की गयीं उनको देखता है। जहां तक क्षेत्रीय संग्रहालय खोलने का प्रस्ताव है वह झांसी और गोपेश्वर में खोले जायं। आगरा और नैनीताल में क्षेत्रीय अभिलेखागार खोलने का हम, प्रस्ताव कर रहे हैं।

मान्यवर, एक बात और कहीं गयी कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो यह बिल्कुल सही बात है कि सूचना विभाग को सही-सही सूचना देनी होगी। पर सही सूचना सब की बाबत देनी होगी वह चाहे हमारी बुराइयां हों या अच्छाइयां। सरकार ने बोलने की स्वतन्त्रता दी है। श्री जय प्रकाश नारायण की सभा हो रही थी और स्वयं कांग्रेस के विधायक जिनका इस सरकार के प्रति दायित्व है उन्होंने रोका और पकड़ा। तो वैसे ही हमारी सभा या प्रधान मन्त्री की सभा में करना चाहते हैं तो बहुत दुखी दशा में उनको पकड़ना पड़ता है। इस तरह जैसे सेवा करते हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं वैसा किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]—

इन शब्दों के साथ यह सारी उत्तर प्रदेश की जनता है उसको एक साथ, यह ठीक कहा गया है कि बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भेद के, ऊपर उठाकर यह काम करना है। लेकिन मैं माननीय दिघे जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तत्व हैं जो आपकी बुनियादी बात के विरोधी हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा नहीं होगा जो ऐसा मानते हैं कि बराबर के लड़के विदेशी हैं। हमारे और आपके विचार मिलते हैं। लेकिन आप तो न मालूम किस-किस पार्टी से अपना गठबन्धन करते हैं, लेकिन आप अपने विचारों की गंगा में नाले न आने दें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी मांग रखता हूं।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, शायद माननीय मन्त्री जी एक बात भूल गए हैं अच्छा हो वह प्रेस मान्यता समिति के सन्दर्भ में भी जवाब दे दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह बड़ा डेलीकेट मामला है और बातचीत चल रही है। उनको हमने मिलने का समय दिया है। यहां पर मैं कोई एलान करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,25,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,29,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30 ---वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,00,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--- सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42--- विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,38,36,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--- अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73---सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73--- विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,67,39,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या 11--बिक्री-कर, अनुदान संख्या 6--वित्त-व्यापार आजीविका तथा सेवायोजन पर कर तथा अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण

*वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11--बिक्री कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,13,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--वित्त, व्यापार आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,80,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 96,15,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

जो प्रस्तुत अनुदान हैं यह मुख्यत: बिक्री-कर, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क आदि से सम्बन्धित हैं। मैंने अपने बजट भाषण में ही बिक्री-कर के सम्बन्ध में कहा था और इस देश के उद्योग और व्यापार के दृष्टिकोण से जो नई दिशा प्रस्तुत की उससे यह सदन अवगत है। यहां पर यह मांग थी कि बहुसूत्री कर के स्थान पर एक सूत्री कर की व्यवस्था लागू की जाय। हमने इसके लिए नीतिगत निर्णय लिया। जो 12 हजार की परिभाषा थी उसको बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। साथ ही बहुत सी वस्तुओं और जिन्सों पर बिक्री-कर घटाया है जैसे खाद्यान्न पर 4 प्रतिशत से 2 1/2 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह से तेल उद्योग की स्थिति खराब थी तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए तेल उद्योग को बहुत सी सहूलियतें दी हैं और नई नीति यह निर्धारित की है कि जितना उत्पादन वह करते हैं इस वर्ष जितना उत्पादन बढ़ायेंगे उस पर आधा परसेंट रिबेट देंगे।

हमने यह भी व्यवस्था की है कि जो सरकारी विभाग हैं या कारपोरेशन हैं अगर वह इस प्रदेश के अन्दर खरीद करते हैं तो उतना ही सेल्स टैक्स देंगे जितना कि वह बाहर से माल मंगाते और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स देते। जो भी कम होगा, वह उन पर लगेगा। इस प्रकार हमारे प्रदेश के अन्तर्गत जो उद्योग हैं, उनसे माल खरीदने में हमारे शासन के विभागों के जो कारपोरेशन्स हैं, उनको सहूलियतें होंगी। हमारा विचार है कि इस सहूलियत को कुछ और जो उद्योग हैं, उन पर भी किस प्रकार इसको लागू करें।

जूता उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। इसका दूसरे प्रदेशों में कम्पटीशन का सामना करना पड़ता है। जूता उद्योग में यह चेष्टा की गयी है कि 7 प्रतिशत एक सूत्री कर लगाया जाय। जूता उद्योग ने इस बात की प्रशंसा की है। साथ ही साथ, जो किराने, हलवाई और पान बेचने वाले हैं। पीतल के बर्तनों का उद्योग है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्पादन के लिये और इक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। इस प्रकार यह चेष्टा होगी कि जो घरेलू उद्योग हैं और किराने वगैरह हैं, उन पर 5 प्रतिशत एक सूत्री कर लगाया जाय। इसमें व्यापक प्रयास यह है कि बिक्री-कर के ढांचे का समीचीनीकरण किया जाय ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिले, व्यापारियों को राहत मिले और टर्नओवर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़े। इस प्रकार इस सदन की आकांक्षा को प्रतिविम्बित करना चाहूंगा कि प्रदेश के व्यापारी अपना टर्नओवर इस प्रकार बढ़ायेंगे और प्रदर्शित करेंगे जिससे कि कर-अपवंचन न हो। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में जो परिवर्तन है, वे शीघ्र ही मई के महीने में लाग् हो जायेंगे।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस प्रदेश में, अन्तिम सूचना के अनुसार सेल्स टैक्स की आमदनी 122 करोड़ 80 लाख होने की आशा है। 5 साल पहले यह केवल 52 करोड़ थी। इसमें काफी प्रयास किया गया कि करों की वसूली ठीक से हो और बकायों की वसूली ठीक से हो।

जहां तक अल्प बचत योजना का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि बजट पेश करते समय मेरे पास पूरी सूचना नहीं थी। अब मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारा जो 85 करोड़ का लक्ष्य था, वह, कठिनाइयों के होते हुए भी, अब 90 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अर्थात् 5 करोड़ और अधिक। इस सम्बन्ध में, जो अल्प बचत योजना का सलाहकार बोर्ड है, जिसकी उपाध्यक्ष स्वरूपरानी बख्शी जी और रामजी द्विवेदी हैं, और जो दूसरे कर्मचारी हैं, उनका जो अभियान था और जो मुख्य मन्त्री जी की अपील पर इन कर्मचारियों ने सहयोग दिया, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पहले यह लक्ष्य 75 करोड़ था। फिर यह 85 करोड़ किया गया, लेकिन कहा गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन सब के प्रयास से अब 90 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ अर्थात् 5 करोड़ अधिक का। इसके लिए योजना के कार्यकर्ता और एजेन्ट्स बधाई के पात्र हैं।

इसी प्रकार जो मनोरंजन कर, स्टैम्प, निबन्धन शुल्क है, शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन पर रुकावट होते हुए भी इसमें आमदनी बढ़ी है और जो 18 1/2 करोड़ की परिकल्पित आमदनी थी, वह 26 करोड़ 12 लाख हो गयी। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प के सम्बन्ध में जो नए प्रयास किए गए हैं, जो निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है और जो भूमि का वर्गीकरण किया गया है, उससे 8 करोड़ रुपये की रजिस्ट्रेशन से आमदनी बढ़ी है।

मुझे विश्वास है कि जो विभागों ने इस वर्ष प्रयास किए हैं, उनसे सदन सहमत होगा। और जो भी सुझाव इस सम्बन्ध में आयेंगे मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि इन अनुदानों को स्वीकार किया जाय।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान सूबा होते हुए भी खेती के मामले में केन्द्रीय सरकार ने इसको दूसरा अथवा तीसरे नम्बर का दर्जा दिया और खेती की यहां उपेक्षा की गयी। इसके अलावा उद्योग तथा व्यापार का जहां तक सम्बन्ध है इसमें भी उचित दृष्टिकोण सूबे की एवं दिल्ली की सरकार ने नहीं अपनाया जिसके कारण यहां न व्यापार का प्रसार हो रहा है और न उद्योग धन्धों का फैलाव हो पा रहा है जिसके कारण आज देश में जो पिछड़े तथा गरीब प्रदेश हैं उनमें उत्तर प्रदेश का नम्बर पहला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

माननीय मन्त्री जी इस विषय के बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका इसमें आधिपत्य भी है लेकिन जो उन्होंने सदन के समक्ष अनुदान पेश किए हैं उनको अगर देखा जाय तो ऐसा लगता है कि किसी के प्रभाव में आकर अथवा मन्त्री बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिससे सरकार का सर्वस्व तो बना रहे लेकिन व्यापारी वर्ग तथा रोजगार करने वाले वर्ग का नुकसान होता चला जाय। उत्तर प्रदेश में जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 259 रुपए थी वहां भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 247 रुपए थी और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बीत जाने पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय घट कर 259 से 242 रुपए रह गयी वहां भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति औसत आय 247 से बढ़ कर 317 हो गयी।

कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में जहां वार्षिक औसत आय प्रति व्यक्ति 17 रुपए घट गयी वहां भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 75 रुपए बट गयी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाय तो यह आय और भी कम है यानी प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय वहां पर 124 रुपए ही है जो कि पूरे प्रदेश में 118 रुपए कम है। ये आंकड़े मैं सरकारी आंकड़ों से प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ मिश्र, आप बैठ जायं और माननीय सदस्य को बोलने दें। व्यवधान न पैदा होने दें।

शतरुद्ध प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत तब है जब यहां पर और दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। संविद अथवा विरोधी दल की सरकार नहीं है। यह देखने की बात है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी कम रही है, कितना गरीब यह है, कितना यहां अभाव रहता है और कितना जबरदस्त रोजगार का यहां अभाव रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या है? इसे यदि ढूंढा जाय तो केन्द्र की जो सरकार रही है उसने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के लाडले मुख्य मन्त्री होते हुए भी, इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर रोजगार में, व्यापार में, उद्योग में हमेशा पिछड़ापन रहने की साजिश चल गई है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों पर केन्द्र ने 784 करोड़ रुपये खर्च किया है लेकिन इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश में एक नया पैसा भी केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के तहत नहीं लगाया गया। यदि इस तरह से देख लिया जाय तो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह सूबा 10 साल पीछे हटा दिया गया दिल्ली की सरकार ने यहां पर केन्द्रीय प्रतिष्ठानों पर एक भी पैसा न लगाकर।

तृतीय पंचवर्षीय योजना जब बनी तो उसमें पूरे देश में 1144 करोड़ रुपया केन्द्रीय प्रतिष्ठानों पर खर्च हुआ है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 76 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया जो कि कुल खर्च का 3.6 फीसदी थी और यदि जनसंख्या को देख लिया जाय तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले 18 फीसदी जनसंख्या है। इस प्रकार खर्च हुआ कुल 3.6 फीसदी। आज इस समय पूरे देश की वार्षिक औसत आय 575 रुपया है तो उत्तर प्रदेश की कुल 400 रुपया है। इस प्रकार 36 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह औसत आय यहां पर है।

इन्दिरा गांधी जो कि कांग्रेस की प्रधान मन्त्री हैं उनका कहना है कि यह सूबा इसलिए पिछड़ा रह गया क्योंकि जनसंख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। उद्योग नहीं लगाए गए, व्यापार नहीं लगाये गये, खेती को प्राथमिकता नहीं दी गई इसलिए यह पिछड़ा नहीं रहा बल्कि प्रधान मन्त्री के कथनानुसार यह प्रदेश इसलिए पिछड़ा रहा है क्योंकि यहां पर जनसंख्या

बहुत ज्यादा है। आंकड़ों को देख लिया जाय तो जनसंख्या की वृद्धि दर के हिसाब से यहां पर जनसंख्या कितनी बढ़ी और पूरे देश की कितनी बढ़ी। सन् 1951 से लेकर 1961 तक भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 21.6 फीसदी है जब कि उत्तर प्रदेश की 1951 से 1961 तक जनसंख्या की वृद्धि दर 16.7 फीसदी है। इस तरह से 1961 से लेकर 1971 तक पूरे देश में जो रेंट आफ ग्रोथ औफ पौपुलेशन है वह 24.6 है जब कि उत्तर प्रदेश में 19.6 फीसदी ही है। इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि प्रधान मन्त्री का जो बयान है वह थोथा है कि इसलिए यहां पर विकास नहीं हो पाया क्योंकि यहां जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। यह कारण और विश्लेषण उन्होंने ढूंढा है, वह थोथा, निराधार और तथ्यहीन है।

इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में तीन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 9 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इस 9 हजार करोड़ रुपये में से सिर्फ 71 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं जो कि कुल धनराशि की एक थोड़ा सा ही हिस्सा है। इस बारे में मुझे नहीं मालूम कि माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं लेकिन पूरा सूबा यह बात सर्व सम्मत हो कर कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं पनप पा रहें हैं क्योंकि जो बिक्री कर की दर है, जो उसके लिए अधिनियम हैं वे इतनी खामी और कमी वाले हैं जिससे कि और सूबों की अपेक्षा इस सूबे में उद्योग धन्धे नहीं फैल पा रहे हैं।

सन् 1948 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त मुख्य मन्त्री थे। उस समय पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया और 4 करोड़ रुपए के उस घाटे को पूरा करने के लिए सेल्सटैक्स लगाया गया। लेकिन आज अगर बिक्री कर को देखा जाय तो वह केवल मद्य-निषेध समाप्त करने से घाटे की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि वह साफ तौर से व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को चूसने का उनके शोषण का जरिया बन चुका है। वह जो 1948 में सेल्सटैक्स लगाया गया था जिससे 4 करोड़ को रेवेन्यू प्राप्त होता था आज वह 123 करोड़ तक पहुंच गई है। जिसका जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया कि वह 122.80 करोड़ है लेकिन बजट में उन्होंने बताया है कि वह 123 करोड़ होगी। तो 4 करोड़ से 123 करोड़ राजस्व बढ़ गया है। माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि इससे पता लग सकता है कि सूबे के अन्दर व्यापार फैल गया है, उद्योग धन्धों का प्रसार हुआ है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 4 करोड़ से 123 करोड़ आमदनी बढ़ी है वह उद्योग के प्रसार के कारण नहीं बढ़ी है बल्कि जो मूल्य बृद्धि हुई है और जो सेल्सटैक्स में बृद्धि हुई है उसके आधार पर यह 123 करोड़ तक पहुंचा है। यह उद्योगों के बढ़ने से नहीं मिल रहा है बल्कि छोटे-छोटे काम करने वालों को चूस चूस कर 123 करोड़ रुपया हुआ है।

1948 में बहुत कम चीजों पर बिक्री-कर लगता था लेकिन आज बिक्री-कर सारी की सारी चीजों पर लगाया जा रहा है। 1948 में जिन वस्तुओं पर आधी फीसदी, एक फीसदी या 1/4 फीसदी बिक्री-कर लगता था आज उन्हीं वस्तुओं पर 10, 12 और 15 परसेंट तक बिक्री-कर लगाया जा रहा है। 1948 में केन्द्रीय बिक्री-कर नहीं था लेकिन आज 1974 में वह भी लगने लगा है जोकि 3 परसेंट के आस-पास है और ऐसा मुझे आभास हुआ है कि जुलाई में आप उसे 4 परससेंट करने जा रहे हैं। 1948 से आज तक वस्तुओं के मूल्यों में करीब 40 गुना बृद्धि हुई है लेकिन पिछले एक साल से दुगुनी बृद्धि हुई है। 1973-74 से बिक्री कर की दरों में 50 फीसदी बृद्धि हुई है लेकिन उस दर से आमदनी में बृद्धि नही हुई है। दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 जो एक अध्यादेश जारी किया गया कि इसे 3 परसेंट से बढ़ा कर 7 परसेंट कर दिया जाय और दिनांक 15 अप्रैल, 1974 को 10 परसेंट कर दिया गया और फिर 12 परसेंट दिया गया। तो इस तरह से जनता को धोखा देने के लिए यह किया जा रहा है और फिर 2 परसेंट और बढ़ा दिया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय केवल बिक्री-कर की दर में वृद्धि नहीं की गई बल्कि बंगला देश के नाम पर भी यहां पर व्यापारियों को काफी चूसा गया। देश में एक राष्ट्रीय भावना फैलाई गई। भारत के नागरिकों ने बंगला देश की भरपूर सहायता की। मेरे जैसे नौजवान बंगला देश की आजादी के लिए जेल भी गए उसको मान्यता देने के लिए। उसे मान्यता दी लेकिन देर से। तो उसके नाम पर छोटे-छोटे व्यापारियों को 25 पैसा सैकड़ा का सरचार्ज भी लगाया गया। दिनांक 15 अप्रैल, 1974 से बंगला देश की समस्या समाप्त भी हो गई तो वह जो चार आने सैकड़ा का सरचार्ज था वह बढ़ा कर 8 आने कर दिया गया और फिर 4 नवम्बर, 1974 को एक आर्डिनेन्स जारी हुआ उसमें 8 आने सैकड़ा से बढ़ाकर एक रुपया कर दिया गया है।

जिस अनुपात से मूल्य बृद्धि हुई है और जिस अनुपात से बिक्री-कर की दर में वृद्धि की गई है और जिस तरह इसे वसूल किया गया है तथा आपने अपने बजट भाषण में जो 100 करोड़ आमदनी बढ़ाया है जो कि वास्तव में आज 122.80 करोड़ बढ़ाया है, उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज यह 123 करोड़ रुपये नहीं 223 करोड़ रुपया होना चाहिए। यह सारे का सारा पैसा बिक्री-कर विभाग में खाया जा रहा है। इससे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ गहरी हो रही है और वह चारों तरफ फैल गया है। इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि इनके जो सेल्स टैक्स अफसर हैं, जो कमिश्नर हैं, बिक्री-कर अधिकारी हैं या जिले के अधिकारी हैं, उनके बुद्धि और विवेक के अनुसार बिक्री-कर लगाया जायगा।

हिन्दुस्तान में न्याय है, कानून है, रूल आफ लैन्ड है कि साक्ष्य और तथ्य के आधार पर निर्णय दिया जायगा, लेकिन बिक्री-कर इनका एक ऐसा अनोखा और लाडला विभाग है, जहां पर फैसला अफसर की बुद्धि और विवेक के अनुसार दिया जायगा। उसकी जो बुद्धि होगी, उसके अनुसार वह 1 लाख, दो लाख भी लगा सकता है। 20 हजार रुपया साल एक व्यापारी कमाता है और अफसर का विवेक कहता है कि उसकी वार्षिक बिक्री 20 हजार नहीं 4 लाख है, तो वह उसे मानना पड़ेगा। भले ही कोई तथ्य हो या न हो, कोई साक्ष्य हो या न हो। इससे उच्च पैमाने पर बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया है। वे अपनी बुद्धि और विवेक का ईमानदारी के साथ प्रयोग नहीं कर रहें हैं। बल्कि उसका दुरुपयोग घूस लेने में, रिश्वत लेने में किया जा रहा है।

एक सदस्य---

आप व्यापारियों की वकालत कर रहें हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

यह तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। इस समय तो मैं बजट पर की अनुदानों पर बोल रहा हूं। मैं यह बता रहा था कि बुद्धि और विवेक के आधार पर जो सेल्स टैक्स अधिनियम के अनुसार अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, उनको समाप्त होना चाहिए और तथ्य और साक्ष्य के आधार पर कोई फैसला किया जाया करें।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं निवेदन करूंगा कि मुझको कुछ ज्यादा समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

कितना समय आप चाहते हैं। 15 मिनट हो चुका है 5-7 मिनट और लें ले।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

समय थोड़ा हमारा और बढ़ा दिया जाय। यह मेरा पहला कट-मोशन है। 15 मिनट दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

15 मिनट से तो ज्यादा आपके हो चुके हैं। मन्त्री जी ने भी इतना समय नहीं चाहा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

वह तो एक सत्र में सब कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)

इनकी बातों से कितने लोग सहमत हैं, यह तो इन्हीं के दल की बेंचों को देखने से मालूम होता है। वह तो भरी होनी चाहिए थीं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अफसरों की बुद्धि और विवेक के अनुसार फैसला ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि कोई अफसर चाहे किसी दूकानदार के यहां चला जाए और वह वहां हाजिर न हो तो उस पर दो हजार रुपया लगा दिया जायगा। और चपरासी किसी दुकानदार के यहां चला जाय और वह व्यापारी न मिले तो अफसर को बताकर एकतरफा फैसला भी किया जा सकता है। इतने बड़े अधिकार, इतने गलत तरीके से दे दिए गए हैं कि पूरे सूबे में भ्रष्टाचार फैल रहा है। बनारस का एक मामला है। राम नारायण चीनी और घी का रोजगार किया करते हैं, रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। लेकिन 1960-61 में उनको नोटिस दी गई है कि इन्डियन एयर लाइन्स में आपने घी सप्लाई किया है। इसके साथ ही रामनारायण नाम के एक आदमी को भदोही में, और उसी नाम के एक आदमी को विशेश्वरगंज में नोटिस दी गई है इसी बात की। पता किया गया तो मालूम हुआ कि कोई रामनारायण नाम का आदमी नहीं है और कहीं कोई काम नहीं किया है। अगर अधिकारी को यह पता लग जाय कि काल्पनिक तौर पर कि किसी के यहां रोजगार होता है, तथ्य और साक्ष्य की जरूरत नहीं है, काल्पनिक रूप से उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सेल्स टैक्स को लेकर चेक पोस्ट बनाया गया है उसमें गजब भ्रष्टाचार है। कानून के अनुसार 31, 32, 33 35, 36 नम्बर के फार्म जो हैं, लगा देते हैं जिनको लेकर विभाग एक सूबे से दूसरे सूबे में ले जा सकता है नौबतपुर में 24 घंटे के अन्दर 1500 ट्रक जाती है, तो एक ट्रक के लिये आधा मिनट चाहिये फार्म कम्पलीट है, लेकिन तब भी 50 रुपए देना पड़ेगा जल्दी पास कराने के लिये। कुछ ऐसी परिवहन कम्पनियां हैं नकली फार्म छपा रही है, और नकली फार्म छाप कर बिना पैसे दिए हुए अपना माल पास कराया करते हैं। गोडिया ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, लोशन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, यूनाइटेड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी आदि ये नकली फार्म छपा कर हर पोस्ट के ऊपर नकली धन्धा कर रही है। इसकी जानकारी शायद मन्त्री जी को है या नहीं, मुझे नहीं मालूम।

हमारे बनारस में एक कुन्दल लाल डिप्टी कमिश्नर है, उनके पुत्र द्वारा यह नकली फार्म बांटा जा रहा है। एक छोटे लाल हैं, जोकि अपने को मन्त्री जी के रिश्तेदार बताते हैं। वह रिश्तेदार बन कर लाखों रुपया कमा रहे हैं। जिस समय वह नौकरी करने आए थे, वह अपने घर की जमीन बन्धक करके आये थे। आज उनके घर में लाखों रुपये की सम्पत्ति हो गयी है। वह फ्लाइंग स्क्वाड में एक अफसर है। आप सेल्स सेक्स के जितने अधिकारी है, उनकी सम्पत्ति की जांच करा लीजिये। वह जब अफसर बनकर नहीं आया थां, तो कितनी सम्पत्ति उसके पास थी और अब उसके पास कितनी सम्पत्ति है, इसकी जांच करायी जाय।

जिस तरह वे व्यापारियों के घर में छापे मारे जाते हैं, उसी तरह के इन सेल्स टैक्स के अधिकरियों के घर में छापे मारें जायं। एक नित्यानन्द प्रसाद भटनागर अधिकारी है, वह चार साल से एक ही स्थान पर हैं, उनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं। वह तो कहते हैं कि मन्त्री जी को मैं चन्दा देता हूं। विभाग में ट्रान्सफर कराने के लिये कमिश्नर

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]
सेल्स टैक्स पैसा लिया करते हैं। यह मुझे नहीं मालूम कि पैसे आपको भी देते हैं कि नहीं। लेकिन उनका कहना है कि मन्त्री जी को पैसा देना पड़ता है? 1948 से लेकर आज तक यह सरकार कहती है कि 40 करोड़ रुपया बकाया है सेल्स टैक्स के ऊपर तो मेरा कहना यह है कि जिन व्यापारियों ने सेल्स टैक्स नहीं दिया है उन सब की सूची प्रकाशित करके प्रदेश भर में बंटवा दें कि किस व्यापारी ने उत्तर प्रदेश का राजस्व नहीं दिया है तब साफ-साफ पता चलेगा कि यह 40 करोड़ रुपया जो बकाया जा रहा है किन पर बाकी है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे उपाध्यक्ष महोदय पांच सात मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि मैंने काफी समय ले लिया है। लेकिन 5-7 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी ही समाप्त करने की कृपा करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

तो बहुत सा ऐसा रुपया इस 40 करोड़ में है जो काल्पनिक है। फर्म बन्द हो गयी है, कम्पनी समाप्त हो गयी है लेकिन बिक्री-कर अब भी लगा चला जा रहा है। तीसरे ऐसी भी रकमें इसमें है जो मनमाने ढंग से बुद्धि और विवेक के आधार पर, समय के आधार पर नहीं, टैक्स लगा दिया गया है। ज्यादातर रुपया उन लोगों के पास बाकी है जो कि कांग्रेस को चन्दा देते हैं। मन्त्री जी को और कांग्रेस के लोगो को यह बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन फिर मेरी मजबूरी है। उसे कहे बिना काम चलेगा नहीं। मैं नाम भी बताए देता हूं। मेटल गुड्स, वाराणसी पर 12 लाख रुपए सेल्स टैक्स का बाकी है। कुंजबिहारी गुप्ता और राधारमण दोनों कांग्रेसी हैं। और बिहारी लाल राम रतन, इनके उपर 30 लाख रुपया बाकी है।

एक सदस्य—

क्या सब चोर बनारस में ही इकट्ठा हो गये हैं?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नहीं, ये रामरतन जी तो कानपुर के हैं और कांग्रेसी हैं जो सेल्स टैक्स कमिश्नर हैं, उनका उनके यहां उठना बैठना है, खाना पीना है और हर तरह के और भी सम्बन्ध हैं और साफट कार्नर में आ गया तो अब कैसे वसूल किया जाय। मुझे नहीं मालूम है लेकिन यह लोग कहते हैं कि कांग्रेस को चन्दा देना पड़ता है और दिया जाता है इसलिए सेल्स टैक्स की वसूली स्थगित हो गयी है और इतना रुपया उन पर बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी दल से किसी का ताल्लुक है, इससे आपका मतलब नहीं है। आपको तो कितना रुपया बाकी है किस पर, इससे मतलब है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

दल से ताल्लुक है, यही तो मैं कहना चाहता हूं, कि क्यों रुपया उन पर बाकी हो गया है। 12 करोड़ फार्म नम्बर 31 का बाकी है। तो मेरा निवेदन है कि अगर मन्त्री जी आप चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े तो जिस तरह से सारे देश में बिक्री-कर के अधिनियम हैं, जिस तरह से उनकी प्रणाली है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी चलायी जावे

यह नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ रहे, हरियाणा में कुछ रहे, पंजाब में कुछ रहे, और दिल्ली में कुछ और इस तरह के बिक्री कर लगाया जायगा तो उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई रोजगार नहीं करेगा।

खेती की ओर तो आपका कोई रुझान नहीं है और अगर यह हो जाय तो रोजगार भी कमजोर हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली की तरह यहां भी बिक्री-कर की दर रखी जावे। दिल्ली में खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, दियासलाई, इस सब के ऊपर एक पैसा बिक्री कर नहीं है। यहां आपने भी अब घोषणा की है कि इन साधारण चीजों पर नहीं लिया जावेगा, लेकिन यहां पर जो जरूरत की चीजें हैं उन पर 10 परसेंट बिक्री-कर लगा हुआ है। छोटी-छोटी चीज जैसे कंघी, साबुन, मंजन, ब्रुश, इन सब चीजों पर दिल्ली में 5 परसेंट बिक्री-कर है लेकिन उत्तर प्रदेश में 15 परसेंट बिक्री-कर है। यह असमानता आज तक चली आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि बिक्री-कर विभाग में न्याय को प्रशासन से बिलकुल मुक्त कर दिया जाय। न्याय और प्रशासन को इस तरह से मत जोड़िए कि बुद्धि और विवेक के आधार पर होगा जिससे सारा मामला ही खरमन्डल हो जाएगा।

दिल्ली में 50 हजार या 1 लाख रुपए की बिक्री जो लोग करते हैं उनको बिक्री-कर से छूट है। उत्तर प्रदेश में अब तक 12 हजार की छूट थी, अब इस बजट में 25 हजार की छूट की गयी है लेकिन मेरी मांग है कि 50 हजार रुपए तक की बिक्री करने वाले छोटे व्यापारियो को बिक्री-कर से मुक्त किया जाना चाहिए और पिनाल्टीज के नाम पर जो सरचार्ज लगाया गया है 1 रुपया सैकड़ा उसको घटा दिया जाय और 10 पैसे का रसीदी टिकट लगाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि यह सब मूल्य वृद्धि करने में सहायक हो रहा है। यहां भी और सूबों की तरह पर रखा जाय। दवाइयां एक जनोपयोगी वस्तु है उस पर से बिक्री कर समाप्त किया जाय।

उपाध्यक्ष जी, अब आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करूंगा कि वायर मैनुफैक्चरर्स असोसियेशन के नाम से पीतल के तार और जाली का काम करते हैं। अभी आपने पीतल के तार और जाली के उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1960-61 में उत्तर प्रदेश में बहुगुणा जी उद्योग विभाग के उप-मन्त्री थे और तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री मनुभाई शाह भी वहां गए थे वहां पर बुनकर जालियां बनाया करते थे और 4 करोड़ का उत्पादन होने लगा था, लेकिन अब यह उत्पादन घट गया है। उसका कारण यह कि छोटे-छोटे व्यापारियों पर बिक्री कर लगा दिया गया है। पीतल उद्योग के सम्बन्ध में एक नोटीफिकेशन निकाला गया उसका मिस इन्टरप्रिटेशन लगाया गया। अत. मेरा निवेदन है कि उसको तत्काल स्थगित कर दिया जाये। इस तरह से मैं कटौती का प्रस्ताव यहां पर रख रहा हूं।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं बिक्री करके सम्बन्ध में जो कटौती पेश की गयी है उसका विरोध करने के लिये और माननीय मंत्रीजी द्वारा जो अनुदान का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले में माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि सन् 48 के बाद जो उन्होंने बिक्री कर में व्यापारियों को रियायतें दी हैं उनके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि चेक पोस्टों पर जो जमानत के रूप में रुपया जमा कराया जाता है, जहां तक मुझे ज्ञात है कि यह नियम है कि 3 साल के अन्दर जमा किया हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया---]

रुपया अगर केस तय नहीं होता है तो जिसकी रिपोर्ट पर जमा किया गया है उसको वापस पाने का अधिकारी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो रुपया जमा किया गया है तो अगर वह रुपया वापस किया गया तो सरकार को भयंकर घाटा हो जायेगा। इसलिये जो रुपया वहां पर जमा कराया जाये वह फैसला होने के बाद जमा कराया जाये।

दूसरा मेरा सुझाव है कि चांदी पर 2 लाख तक की छूट दी गयी है सर चार्ज के लिये। मेरा सुझाव है कि इस सीमा को 5 लाख कर दिया जाये जिससे कि व्यापारी इमानदारी से काम कर सके और आमदनी भी हो। एक तरफ तो 4 परसेंट से घटाकर 3 परसेंट कर दिया गया है लेकिन जब व्यापारी को मारकेट से खरीदना पड़ता है तो उसे 2 परसेंट का सेल्स टैक्स देना पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि शुरू में ही 7 परसेंट का सेल्स टैक्स ले लिया जाये तो अच्छा रहेगा।

इसके अलावा वर्ष 1972-73, 1973-74 1974-75 में सूखे के कारण बिक्री में काफी कमी आई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सेल्स टैक्स अधिकारियों को यह कहा जाय कि वे व्यापारियों के बही खातों को मान लें और वे इस बात को दृष्टि में रखें कि सूखे के कारण बिक्री में कमी हुई है इसलिये उन्हें छूट मिलनी चाहिये। अब तक क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति अपने बही खाते पेश करता था तो बिना कारण बताये अधिकारीगण उसको झूठा मानते हैं और स्वविवेक के आधार पर फैसला लिख देते हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें विवेक के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर फैसला ठीक से लिखना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि जिलास्तर पर एक सेल्स टैक्स कमेटी हो जिसमें पब्लिक के नुमाइन्दे भी हों जो इस बात को देखे कि कितना बकाया पड़ा हुआ है और कितना वसूल हो रहा है। इससे सुधार होगा और कार्य में भी प्रगति होगी।

गल्ला व्यापारी "बी" फार्म वाले 25,00 हैं, "डी0" फार्म वाले 30,000 हैं, और "एफ" फार्म वाले मैं समझता हूं करीब करीब 20,000 हैं। अगर उन पर एक मुश्त पैसा लगाया जाय जैसे "बी" फार्म वाले पर 5,000 रुपया, "डी" फार्म वाले पर 200 रुपया, "एफ" फार्म वाले पर 2,500 रुपया तो मैं समझता हूं कि आज जो कुल आमदनी 6 करोड़ की होती है, वह बढ़कर 18 करोड़ हो सकती है। उससे प्रदेश के व्यापारी भी परेशानी से बच जायेंगे और जो रिश्वतखोरी विभाग में चलती है, वह भी कम होगी।

विद्युत विभाग में एक एक्सपैरिमेंट किया गया है कि बिजली पर प्रति हार्स पावर के मोटर पर 15 रुपये लिए जायेंगे। इससे रिश्वतखोरी कम हुई है। उसी प्रकार से इसमें भी कमी होगी यदि आप फार्म के आधार पर रुपया लगा देंगे।

लोहे के बारे में मेरा निवेदन है कि इस पर जो सेल्स टैक्स लगता है जैसे पिस्टन की ढलाई पर 7 प्रतिशत, उसके बाद फिनिशिंग में 7 परसैन्ट लगा, पौलिशिंग में फिर 7 परसेन्ट लगा। इस प्रकार से 21 प्रतिशत सेल्स टैक्स पड़ जाता है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस पर आप विचार करें ताकि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में इस प्रदेश में भी यह माल बन सके। जो हालत आज यहां पर पिस्टन्स की है, वही चूड़ी की भी है। इसमें भी हर स्टेज पर सैल्स टैक्स लगता है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाय।

बिक्री कर की वसूली में भी काफी धांधली की जा रही है। इसमें छोटे आदमियों को परेशान किया जा रहा है। किसी बड़े आदमी को कुछ नहीं कहा जा रहा है। मेरा सुझाव है कि आप जिलाधीश को अधिकार दें वह इस मामले को देखे और जो लोग बिक्री कर का आधा अदा करने को तैयार हों उनसे तुरन्त जमा करवाया जाय और शेष को किश्तों में अदा करने की सहूलियत दे दी जाय। यदि ऐसा न किया गया तो रिश्वतखोरी बढ़ जायगी और जितना वसूल होना चाहिये, वह नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना कट मोशन वापस ले लें।

*श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे तो माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बार बिक्री कर में कुछ संशोधन किए हैं और कुछ वस्तुओं के ऊपर कर भी घटाया है और भी सुविधायें कुछ दी है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उसके कारण न केवल लाखों व्यवसाइयों को ही नहीं बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं को और उत्तर प्रदेश के व्यवसाय को भी फायदा होगा। साथ ही प्रदेश की आमदनी भी बढ़ेगी। परन्तु कुछ विसंगतियां इस प्रकार की हैं जिन्हें देख कर आश्चर्य होता है कि जिस सरकार का दृष्टिकोण समाजवादी हो और जिसके वित्त मंत्री खुद एक कट्टर समाजवदी रहे हैं उसके द्वारा यह विसंगतियां कैसे हो गयीं ?

माननीय वित्त मंत्री ने कहा और अपने बजट भाषण में भी कहा था कि वनस्पति उद्योग को राहत देने के लिये रा मैटीरियल पर से सेल्स टैक्स हटा दिया गया है। परन्तु उन्होंने इस बात को छिपा दिया कि उपभोक्ताओं को जो वनस्पति प्राप्त होता है उस पर 7 परसेंट के बजाय 1 परसेंट बढ़ा कर 8 परसेंट सेल्स--टैक्स कर दिया। तो यह राहत मिल मालिकों को दी गयी या उपभोक्ताओं को दी गयी। आप देखेंगें कि अभी पिछले हफ्ते वनस्पति उद्योग जो पहले ही जनता को लूट रहा था, मूंगफली का तेल सस्ता होने के कारण करोड़ों रुपये वैसे ही कमा रहा था, दो बार वनस्पति के दाम बढ़ाये हैं। और अगर हम देशी घी के ऊपर सेल्स टैक्स की दर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि वह केवल 3 परसेंट है। अगर हम और गहराई में, जायें तो जो विलास की वस्तुयें हैं या जिन्हें प्रदेश के मुट्ठी भर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मक्खन, क्रीम, पनीर उस पर 1 ही परसेंट सेल्स--टैक्स है। मेरा मलतब यह नहीं है कि जिस पर सेल्स टैक्स कम है वह बढ़ा दिया जाय लेकिन बराबर करने का मतलब यह है कि जिसको 1 देते हो उसको दो दो, यह नहीं कि उसकी एक भी छीन लो।

अनाज पर 4 परसेंट के बजाय ढाई परसेंट सेल्स टैक्ट कर देने की बात मंत्री जी ने कही। हम जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर जो श्रमिक लोग हैं, जिनकी यह हैसियत नहीं है कि काफी गेहूं खरीद सकें वह आटा इस्तेमाल करते हैं। परन्तु हमारे माननीय मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि आटे पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जायगा। 2 परसेंट आटे पर सेल्स टैक्स जैसा लगा हुआ था वह आज भी मौजूद है। जब एक सूत्री प्रणाली आ गयी है और आटा भी गेहूं का बाई-प्रोडक्ट है तो जैसे उर्द पर सेल्स टैक्स लगता है उर्द की दाल पर नहीं, चने पर लगता है चने की दाल पर नहीं उसी तरह आटे पर भी सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

हमने देखा है कि सरकार छापे मारती है। भ्रष्ट व्यापारियों के खिलाफ छापे मारें, वह पकड़े जायं, उन्हें सजा दें इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, परन्तु इसकी दूसरी तस्वीर भी जरा देखें। व्यापारी भ्रष्ट होता क्यों है। जो चेकिंग करने वाले हैं अगर वे भ्रष्ट न हों तो व्यापारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह कोई गड़बड़ी करे। परन्तु हमने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं बनायी कि जो ऊपर से नीचे तक सेल्स टैक्स के अधिकारी हैं वह व्यापारियों से मिल कर सरकार को किस प्रकार धोखा देते हैं इसकी जांच हो। जितनी आय सरकार को एक नम्बर से होती है मेरा खयाल है कि सेल्स टैक्स अधिकारी उससे दूनी आमदनी दो नम्बर से कर लेते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, सरकार के फार्म की 10 पैसे कीमत है। लेकिन किसी भी व्यापारी को 1 रुपये से कम पर वह नहीं मिलता है। तो सरकार के खजाने में 10 पैसे जाते हैं और 90 पैसे अधिकारी अपनी जेब में रख लेते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी]

इसी प्रकार जो सेल्स टैक्स का भुगतान करने वाले व्यापारी लोग हैं, जिनसे सरकार को 50 परसेंट राजस्व की आमदनी होती है उनके लिये सेल्स टैक्स आफिस में न बैठने का स्थान है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार का भी इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट है। वहां व्यापारियों के बैठने की व्यवस्था है, उनके लिये अलग कमरा है, परन्तु सेल्स टैक्स आफिस में ऐसी कोई सविधा नहीं है। जितनी देर आवाज नहीं लगती व्यापारियों को उतनी देर आराम से बैठने तक की जगह नहीं मिलती और वे परेशान हो जाते हैं। केसेज कई कई वर्ष तक के पेन्डिंग पड़े हुये हैं। कई साल के केसेज हो जाने पर जब व्यापारियों से पूछताछ की जाती है तो वे सही आंकड़े बता नहीं पाते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था होना चाहिये कि हर साल के केसेज उसी वर्ष में निबटा दिये जाने चाहिये।

जब सेल्स टैक्स जमा नहीं होता तो आप जिस तरह से व्यापारियों से सूद लेते हैं, उसी प्रकार से व्यापारियों का जो रुपया जमा आप करा लेते हैं उस पर भी सरकार को सूद देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी विरोधी दल के माननीय उप नेता से बातचीत हो गयी है, आज चूंकि बहुत से वक्तव्य होने वाले हैं अतः इस बहस को 5 बजे तक ही समाप्त कर दिया जाय। वे भी इससे सहमत हो गये हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं इससे सहमत हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव को रखते हुये मैंने कुछ मुख्य बातें कही थीं। मैंने यह कहा था कि समान स्तर पर बिक्री कर लगना चाहिये ताकि इस सूबे के अन्दर उद्योग पनप सकें। मेरी एक मांग यह थी कि जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली में बिक्री कर की दरें हैं वही उसी प्रकार से बिक्री-कर यहां पर लागू किया जाय। बिक्री-कर नियत करने में अधिकारियों को मन माने ढंग से काम न करने दिया जाय, वह उसकी बुद्धि और विवेक पर न छोड़ा जाये, बल्कि जो साक्ष्य हो और जो आंकड़े हों उनके आधार पर होना चाहिये। न्याय को प्रशासन से अलग करना चाहिये। आज बिक्री कर विभाग में जो न्याय है वह प्रशासन के तहत चल रहा है, वह बहुत गलत है।

एक मांग मैंने यह की थी कि वाराणसी में जो पीतल का तार और जाली बनाने का उद्योग है उस ओर ध्यान दिया जाय। 1960 में जब माननीय बहुगुणा जी उद्योग के उप मंत्री थे तो वे माननीय मनुभाई शाह जो केन्द्र के मंत्री थे उनके साथ वाराणसी गये थे और उन्होंने वहां पर यह उद्योग चालू करवाया था। 4 करोड़ रुपये का वह उद्योग आज घट कर 25 लाख का हो गया है। उसका कारण यह है कि यह काम करने वाला को जो कच्चा माल मिलता है उस पर भी आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है। जो आपका नाटिफिकेशन 19-9-71 का, मैंने उसको रेफर किया है, उसका इन्टरप्रीटेशन आपके सेल्सटैक्स कमिश्नर महोदय मन माने ढंग से लगा रहे हैं। इसे देखा जाय। इसके अलावा पंजीकरण एक बार होना चाहिये। हर वर्ष रिन्यूवल होने से व्यापारियों को परेशानी होती है।

आखिर में मुझे यह कहना है कि व्यापारियों को सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं मिल रही है। आज कोई भी व्यापारी शाम को या कोई भी नागरिक जो किसी तरह का व्यापार करता है, वह 7-8 या 10 बजे के बाद सुरक्षित रूप से अपने व्यापार के आदान प्रदान का नियोजन नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा इस विभाग के सम्बन्धित मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यापारी हैं उनकी जान माल की सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार की तरफ से किया जाय। आज व्यापारियों की जान माल सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े राहजनी हो रही है। दूकान के अन्दर जाकर व्यापारी लूट लिये जाते हैं। बनारस में ही मलदहिया में फिलिप्स रेडियो की एक दुकान में यूथ कांग्रेस के कुछ लोग घुस गये और व्यापारी को गोली मार दी ट्रांजिस्टर उठा कर अपने पास रख लिया लेकिन पुलिस ने आज तक उस पर कोई

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कार्यवाही नहीं की। बनारस ही क्या सूबे के तमाम जिले में व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं रह गयी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको सुरक्षा पहुंचाने के लिये प्रशासन को चुस्त किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर अब भी दृढ़ हूं और मैं चाहता हूं कि सारा का सारा सदन मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मुझे यह देख कर आज प्रसन्नता हुई कि मेरे युवा सदस्य वाराणसी, जिन्होंने आज काफी अध्ययन करके अपना कटौती प्रस्ताव रखा। सामान्यतया ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग काफी अध्ययन करके कटौती का प्रस्ताव नहीं रखे। लेकिन उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, भले ही वे आंकड़ें अपर्याप्त सूचना के आधार पर परस्पर विरोधी रहे हों। क्योंकि हर एक को पूरी सूचना मिलती नहीं, उसमें बहुत कठिनाई होती है। मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे परिपक्व बुद्धि के हैं, बहुत से लोग राजनैतिक जीवन में ऐसी बात कह दिया करते हैं जो सुनी सुनायी होती हैं। किसी ने कह दिया कि कोई मेरे रिश्तेदार हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ने मैंने किसी से चन्दा लेना चाहा है। यह जो चन्दा लेने और मेरे रिश्तेदार की बात कही गयी है यह सत्य से परे है।

जहां तक श्रीमन्, सेल्सटैक्स कमिश्नर श्री भटनागर के बारे में सूचना दी गयी है, वह भी गलत सूचना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं और भरोसे के साथ कहता हूं कि जो वर्तमान सेल्सटैक्स आयुक्त श्री भटनागर हैं वे प्रदेश के उन आफिसरों और कर्मचारियों में रहे हैं जो अपने कर्त्तव्यों को बड़े विश्वास और योग्यता के साथ निभाते रहे हैं। ऐसे विभाग में ऐसे आफिसर को रोज बदलने से काम नहीं चल सकता। सेल्स टैक्स ला को जानने समझने वाले अधिकारी बहुत कम ही होते हैं और ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना या बदलना बड़ा घातक है। कुछ विभाग ऐसे हैं जो टेक्निकल प्रकार के हैं। सेल्स टैक्स सम्बन्धी नियमों को जानने वाले विभाग में इने गिने लोग ही हैं। ऐसे इने गिने मैरिरी और आफिसर ही हैं जो विभाग से सम्बधित सारी बातों को जानते हैं। ऐसे अधिकारी जिनको सैल्स टैक्स सम्बन्धी सारे नियम का ज्ञान हो और जो तत्कालही किसी बात का उत्तर दे सके उसके होने से सेल्स टैक्स विभाग का हित है, यह व्यापारियों के हित में है और सूबे के हित में भी है। इस अवसर पर मैं यह भी कह देना आवश्यक समझता हूं कि श्री के0 एन0 श्रीवास्तव के बारे में जो कुछ पिछली बार कहा गया था उस बारे में मुख्य मंत्री जी ने जांच की और वह भी तथ्यों से बिलकुल परे हैं। वे पूरे ईमानदार हैं और उनके कार्य करने का जो पुराना रेकार्ड है वह बहुत सन्तोषजनक है। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस बात का उल्लेख किया गया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष पर कैपिटा इनकम घटी है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य सदन में शान्ति रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हमारे विद्वान और नौजवान सदस्य ने कुछ आंकड़े दिये कि पिछले वर्ष से हमारी पर कैपिटा इनकम कुछ घटी है। उनके कुछ आंकड़े सही है, उनको मैं स्वीकार करता हूं। इस माने में उनमें थोड़ा अंतर है कि जो सन् 1947-48 के आंकड़े हैं पर कैपिटा इन्कम के, वही दियें हैं। पर कैपिटा इन्कम निकालने के दो आधार हैं। एक तो करेन्ट प्राइस और दूसरा कांस्टेंट प्राइस। यह दो आधार हैं। करेन्ट प्राइस के आधार पर यदि पर कैपिटा इन्कम गिनी जाय तो वह बढ़ जायगी और अगर कांस्टेंट प्राइस के आधार पर देखी जाय तो वह घट जायगी। आंकड़े जब से रखे गये हैं हर चीज के, कांस्टेंट प्राइस के आधार पर रखे गयें हैं। वह सन् 60-61 से रखे गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, नाम की पुस्तक से स्पष्ट है कि हमारे यहां सन् 60-61 में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये थी। यह 1971-72 में बढ़कर 264 रुपये हो गयी। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी की पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है। लेकिन यह सही है कि जितनी पर कैपिटा इन्कम दूसरे प्रदेश की बढ़ी है, उतनी हमारे प्रदेश की नहीं बढ़ी है। इसका कारण है, औद्योगीकरण। जैसे बम्बई, तामिलनाडू, बंगाल वहां की पर-कैपिटा इन्कम इसलिये ज्यादा बढ़ी है कि वहां औद्योगीकरण हमारे यहां से ज्यादा हुआ है। हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है, एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते उतनी नहीं बढ़ी जितनी अन्य प्रदेशों की बढ़ी है। हमारी पापुलेशन की गति बढ़ी है लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी गति से नहीं बढ़ा है। इसलिये पर-कैपिटा इन्कम अपेक्षाकृत दूसरे प्रदेशों से कम है।

जहां तक केन्द्रीय सहायता का प्रश्न है, पहली योजना में पर-कैपिटा 13 रुपये की सहायता हमको मिलती थी। यह अब बढ़कर चौथी योजना में 57 रुपये हो गयी। तो ऐसी बात नहीं है कि पिछले वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया है। बिना दूसरे प्रदेश को कमी किये हुये उत्तर प्रदेश की सहायता बढ़ायी गयी है। इसके लिये हम प्रधान मंत्री इन्दिरा जी के ओर विभिन्न मंत्रालयों के आभारी हैं। जो कुछ कमी हुयी है उसको भी पूरा करनेका प्रयास किया गया है। कमी पूरा हो गयी है, मैं नहीं कहता। लेकिन सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट की जितनी चर्चा आयो, अभी जिसके बारे में कहा भी गया है। बड़े पैमाने पर चेष्टा की गयी है। 4-5-6 साल में केन्द्रीय इन्वेस्टमेंट, केन्द्रीय विनियोजन बड़े हैं। पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स भी स्थापित हुआ है। केन्द्रीय विनियोजन बड़े है। यह आंकड़ों से स्पष्ट हैं कि 13 रुपये से 57 रुपये पर-कैपिटा सहायता हो गयी है।

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने बिक्री कर अधिनियम के बारे में बहुत उल्लेख किया है। उन्होंने कहाकि 14 परसेंट टैक्स किया गया है और टैक्स पर टैक्स लगाने की बात कही। तो इन बातों को मैं स्वयं अपने बजट भाषण में स्पष्ट कर चुका हूं। सेल्स टैक्स तो अब 14 परसेंट से घटकर 12-13 परसेंट तक आ जायगा। तो जो बात उन्होंने कही ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल सेल टैक्स की बात उन्होंनेकही। यह सेंट्रल सेल्स टैक्स अधिनियम के मातहत लगाया जाता है। यह ठीक है कि 3 परसेंट से अब वह 4 परसेंट करेंगे। लेकिन यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं किया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर 3 परसेंट से 4 परसेंट सेल्स टैक्स हो जायगा। यह सारे देश में, सभी राज्यों के लिये होगा। तो इससे हमारे प्रदेश के व्यापार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

यह प्रश्न उठा कि बंगला देश की सहायता, सरचार्ज 10 पैसा अभी तक क्यों लिया जा रहा है। श्रीमन्, बंगला देश की सहायता का प्रश्न नहीं है। सन् 72 में जब यह प्रश्न उठा था तो उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि यह बंगला देश की सहायता के रूप में नहीं लिया जा रहा है। यह बाढ़ और सूखा सहायता के रूप में जारी है। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि बाढ़ और सूखा की रोकथाम हमारे प्रदेश में कितनी जरूरी है। बाढ़ की समस्या हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता है। अगर बाढ़ और सूखे के लिये उद्योग और व्यापार थोड़ा हाथ बटाते हैं तो यह कोई उन पर बड़ा भार नहीं है।

श्रीमन्, चेकपोस्ट के बारे में हमारे सम्मानित सदस्य दौनेरिया जी ने कही। यह ठीक है कि जो चेक पोस्ट बड़ायी हैं वह कर वंचना को रोकने के लिये बनायी हैं। नौबतपुर और गाजियाबाद चेक पोस्टें बड़ी बिजी चेकपोस्टे हैं। इसलिये प्रयत्न कर रहे हैं कि चेकपोस्टों की संख्या बढ़ायी जाय और सड़क को चौड़ा किया जाय जिससे गाड़ियों को रुकने में देर न लगे।

मान्यवर, 6,32,797 फार्म 31 नं0 के इकट्ठा हुये हैं। दूसरे राज्यों से जो सामान आया है उस पर सेल्स टैक्स व्यापारियों को देना होगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 6 लाख के आस पास बताया है जब कि फार्म नं0 31 का रिकर्ड आया है। लेकिन जितने आये हैं उससे चौगुने और 10 गुने आये हुये होंगे वहां तो वह रिश्वतखोरी कैसे बन्द होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, 6,32,797-31 नं0 फार्म भरे आये हैं। जिन्होंने एडमिट किया है और 72,90,000 रु0 नकद जमानत के रूप में जमा हुआ है। बहुत से समझते हैं कि वह घूस का रुपया है, लेकिन वह जमानत का रुपया है जिसकी रसीद दी जाती है। उन्होंने कुछ ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों के नाम लिये हैं। ये शिकायत प्राप्त हुई तो मैं आग्रह करूंगा कि वह लिखकर दे दें।

एक सदस्य---

ट्रान्सपोर्ट कंपनी के पास जो माल मिला है वह मेरठ की चेकपोस्ट का होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं माननीय सदस्य के सुझाव को, भेज दें तो देख दूंगा।

मान्यवर, जहां तक बुद्धि के अनुसार काम करने का सवाल है तो हर टैक्सेशन में बुद्धि और विवेक का रास्ता छोड़ना पड़ता है और सेल्सटैक्स में सर्वे के बिना बुद्धि विवेक भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये सर्वे जरूरी है। जहां तक बिक्री कर अधिकारियों और अपीलों में न्याय को प्रशासन से अलग करने की बात है तो यह दोनों अलग-अलग हैं। डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट से मांगें जाते हैं और वही अपीलें सुनते हैं। प्रशासन इसलिये है कि सामन्जस्य बना रहे। यह कभी नहीं कहा जाता है कि आपने ऐसा किया। लकड़वाला कमेटी के जांच सुझाव हैं उन पर विचार किया जा रहा है। श्रीमन्, जो सारे सुझाव आये हैं, मुरादाबाद के माननीय सदस्य के तथा अन्य सदस्यों के जो सुझाव हैं, उन पर शासन अवश्य विचार करेगा। जब बिक्री कर अधिनियम एक रूप से सामने आयेगा तब उन पर विचार करके निर्णय लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हमारे द्वारा प्रस्तुत अनुदान को स्वीकृत करें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या---11---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदानों द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,13,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--वित्त, व्यापार आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,80,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवम् पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 96,15,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14--अल्प बचतों की प्रोन्नति

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14--अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,86,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14--अल्प बचत की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,86,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,20,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,31,20,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26-- अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,85,18,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,85,18,800 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27--- प्रकीर्ण सामान्य सेवायें

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,71,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,71,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 97-- ऋण और अग्रिम वित्त

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97--ऋण और अग्रिम वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,50,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97-ऋण और अग्रिम वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,50,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 1--- राज्य विधान मंडल

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,39,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1— राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,39,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां वितरित की जांय।

(प्रतियां वितरित होने के उपरान्त)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अभी तो अनुज्ञा ली है। पहले इसको पुर:स्थापित करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 को पुर:-स्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, सारा बजट सेशन समाप्त हो गया और में बजट पर बोला नहीं। सभी माननीय सदस्य को अवसर मिला और उन्होंने आपने विचार व्यक्त किये। आज भी मेरी इच्छा थी कि कुछ न बोलूं लेकिन एक बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ कहूं। अगर मुझसे यह कल्पना हो गयी होती कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कुछ बोलते हैं ही हार्डली मीन्स ह्वाट ही सेज तो मैं आज भी कुछ न बोलता। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कुछ भी वह कहते हैं उसको करने की इच्छा नहीं रखते। आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा। आंकड़े तो दूसरे मेरे माननीय सदस्यों ने काफी रख दिये हैं और तिवारी जी के पास इतना स्टाफ है कि वह सारे आंकड़े को झुठला देंगे। इनका जो सांख्यिकी विभाग है वह भी गलत आंकड़े इनको देता है इसलिये आंकड़े में नहीं जाऊंगा। मैं इस पर भरोसा भी नहीं करता।

एक स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह नवम्बर या दिसम्बर में कहा था। आज जब इतना बड़ा धन हमने मंजूर कर लिया तो हमें विचार करना है कि यह धन किन हाथों में जा रहा है। मान्यवर, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं और इनके विचारों और व्यवहार में तारतम्य कैसा है :

Mr. Bahuguna said that the expansion of the ministry could not be justified in the face of the State's financial crisis. The people were already under a heavy burden and it would not therefore be wise to make the burden heavier and unbearable.

बहुगुणा जी ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण मंत्रि मंडल का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मंत्रि मण्डल का विस्तार किया। जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी को इस प्रदेश पर लादा गया, उसी प्रकार मंत्रियों को मुख्य मंत्री पर लाद दिया गया। परिणाम क्या हुये ? सारे प्रदेश में वातावरण क्षुब्ध हो गया।

मंत्रि मण्डल कब तक चलेगा, कब तक नहीं, इससे मेरा संबंध नहीं, लेकिन जो वातावरण पैदा हो गया है, उसकी कलह से सम्प्रदायिकता का चार्ज लगाने वाले स्वयं जातिवाद में इस प्रकार फंस गये हैं कि निकल नहीं पा रहे। जातिवाद ने इतना ज्यादा सर उठाया है, कि मैं कह नहीं सकता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उसने पूरे समाज को विकृत कर दिया है। बहुगुणा जी कहते थे कि मैं जिस घड़ी तक, जिस क्षण तक हूं, उतना प्रयास करता रहूंगा। इसी से पता चलता है कि वह किसी भी वक्त जा सकते हैं। इन्होंने कितना रुपया कहां खर्च किया. कितनी बार दिल्ली गये, इसके हिसाब में मैं नहीं जाना चाहता। सिर्फ एक ही बात की ओर संकेत करता हूं कि आज स्थिति यह है कि जो कर्मचारी हैं और अधिकारी वर्ग है, उनके मस्तिष्क पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है और वह स्वाभाविक भी थी। इस वक्त, मान्यवर, इन्हीं सब कारणों से प्रशासन अस्त व्यस्त है। इसके लिये इन्होंने अब एक नीति अपनायी। पहले यह कहा जाता था कि केवल कांग्रेस दल के लोगों का कुछ काम करते हैं। अब वह बात भी नहीं रही। अब वह व्यक्तिगत रूप में आ गयी है। अब प्रश्न उठता है कि यह किसका आदमी है। यह बहुगुणाजी का आदमी है, या यह फलां मंत्री का आदमी हरेक मंत्री के कुछ खास आदमी हैं, कुछ खास आफिसर्स हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से जातिवाद में बहुगुणा सरकार की राजनीति सिकुड़ कर रह गयी है, उसी प्रकार प्रशासन में सरकारी अधिकारी मंत्रियों से व्यक्तिगतरूप से कमिटेड होकर रह गये हैं। कुछ लोग सेकेण्ड में समझे जाते हैं। तो यह बात तो मैंने मंत्रि मण्डल के बारे में कही।

अब ऐडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति देखिये। आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो मिलने वाले गाड़ी में, मोटर में इसका जिक्र करते होंगे। मैं वित्त विभाग में प्रशासन की क्या स्थिति है, इसको छोड़े देता हूं। जब आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अफसरों का नाम आता है, तो तकलीफ होती है, लेकिन न्याय की दृष्टि से कहना चहता हूं कि आज 20–20/25–25 वर्ष से काम करने वाले पी0 सी0 एस0 अफसर कुंठित हैं। लेकिन 3/4 वर्ष का आई0 ए0 एस0 आफिसर यदि किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार हो गया तो जिले का प्रशासन हांथ में ले लेता है। संथानम कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन के चेयरमैन थे उनकी सिफारिश थी कि एक नौजवान आई0 ए0 एस0 आफिसर को पहले सब डिवीजन का इन्चार्ज होना चाहिये, फिर सेक्रेटेरियट में आना चाहिये और दोनों जगहों का तजुर्बा ले कर उसे जिले का चार्ज देना चाहिये तो वह वहां सूट करेंगे। लेकिन जब से नई प्रणाली निकल गयी तब से स्थिति बदल गयी है।

बस्ती जिले का उदाहरण देता हूं। वहां एक नौजवान कलेक्टर एस0 पी0 आये हैं। न जाने क्यों मुझसे नाराज रहते हैं। मेरा तो इतना कहना है कि उनकी जवानी उछर कर न चले। आज का जवान अपनी जवानी को उछालता है। एक मर्तबा की बात है। मैंने इसी सदन में कहा था इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के लिये कि भगवान को छोड़ कर हर आदमी के पास पहुंच गया कि बांध बनवा दो। उसके लिये कलेक्टर को जमीन लेनी थी। कलेक्टर मीटिंग करते थे सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स की, अपने आफिसर्स की लेकिन क्योंकि बहुत जवान थे,

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उनकी जवानी की कद्र कम होती थी और आफिसर्स के बीच में कोआर्डिनेशन नहींहो पाता था। मैंने कहा कलेक्टर महोदय जहां बेठे हो यहांवुहारा तक नहींगया, दो महीने से मीटिंग्स हो रही है लेकिन हालत यह है कि जूते का दाग पड़ जाता है। यहां सफाई होनी चाहिये। बस वह मुझे से नाराज हो गये। मैंने मुख्य मंत्री को इतनी ही शिकायत की है कि वह मुझ से नाराज हैं। नाराजगी का असर यहां तक हुआ कि मझ ठीक से बोलते तक नहीं थे। मैं ने उनके यहां जाना ही छोड़ दिया। हमारे संगठन मंत्री से कहा कि तुम्हारे कलेक्टर तो लखनऊ में होते ह उनसे ही जा कर मिलो। इस तरह से हमको सेकिंड ग्रेड सिटीजन इस सरकार में ट्रीट किया जाता है।

तीन वर्ष का तजुर्बेकार यह कलेक्टर है। आप बरायमेहरबानी दूसरा कलेक्टर भेजिये। यह अपने दायित्व को भो नहीं निभा सकता। यह नहीं सोचना चाहिये कि हमारा विरोधी यह सब कह रहा है। क्या इसी को एडमिस्ट्रेशन कहा जायगा, ऐसा आदमी प्रशासन चला पायेगा जो यह कहे कि तुम्हारा कलेक्टर तो लखनऊ मैं बैठा है, वहां जा कर उनसे ही बात करो। मेरा यही कहना है कि तीन वर्ष वाले बछेड़े को मत भेजो, उसे कुछ तजुर्बा हासिल करने दो। प्रशासन के मानी यही है कि अब इसको चार हिल्स। में बाटा जाय। मैं भी इसकी ताईद करता हूं। जितने में होगा उतनी निगा हबानी आप कर सकेंगे।

अब मैं दूसरी चीज पर आता हु जिसके कहने में मुझे बड़ा दुख होता है। वह है करप्शन की बात। संथानम कमेटी में इसका भी जिक्र किया गया है। अब हम आफिसर्स को बेईमान नहीं कह सकते। आप ने जिनको हमने अरबों रुपया दिया है। आपके मस्तिष्क में स्थिरता तथा योग्यता होनी चाहिये। यह पहली सरकार है जिसने साबित किया कि मैजारिटी इज नाट गारंटी फार स्टेबिल गवर्नमेंट। इसने साबित किया कि बहुमत एक मत का परिचायक नहीं है। स्थिरता आपमें है नहीं। इतना रुपया हम आपको देने जा रहे है। साफ हाथों में होना चाहिये। लेकिन साफ हाथों की आशा कैसे की जा सकती है जब तक साफ वायु मंडल आप न बनायें। निगाह उठा कर देखिये आपके यहां मंत्री का जीवन क्या स्वच्छ है? सब को समान रूप से बरता जाता है। मैं किसी मंत्री को घसीटना नहीं चाहता।

मैं जब व्यक्तिगत अटैक करता हूं कि तो कलेजे में पीड़ा होती है। नहीं करना चाहिये। लेकिन जब मजबूर हो जाता हूं तो रिटेलियेट करने की इच्छा करती है, लेकिन नहीं करता। ग्लास हाउस में अनेक बैठे हुये है कोई छींटा तक नहीं छोड़ सकता। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक चीज पढ़ देना चाहता हूं--

....."the Terms of Reference was as follows:

To suggest measures calculated to produce a social climate both among public servants and in the general public in which bribery and corruption may not flourish: When dealing with this issue of social climate, the following remarks in the report deserve to be noted: There is a large consensus of opinion that a new tradition of integrity can be established only if the example is set by those who have the ultimate responsibility for the governance of India, namely, the Ministers of the Central and State Governments. The problem is difficult and delicate. Ministers are necessarily the ieaders of the political party which succeeds in obtaining a majority in elections based on adult suffrage. There is a widespread impression that failure of integrity is not uncommon among Ministers and that some Ministers who have held office during the last 16 years have enriched themselves illegitimately, obtained good jobs for their sons and relations through nepotism and have reaped other advantages inconsistent with any notion of purity in public life.....

उन्होंने कहा है कि यदि हम वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो हमारे लिये यह उचित है कि जो शासन करते हैं उनके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक हाई पावर कमेटी मिनिस्टर्स के कन्डक्ट की जांच करे। इतने स्टेटस में जो आनन्द वे कर रहे हैं उसकी जांच अवश्य होनी चाहिये। जब हम यह कहते हैं तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। हम किसी व्यक्ति की नीयत के बारे में नहीं कहते बल्कि इसलिये कहते हैं कि प्रशासन को स्वच्छ करने के लिये एक तरीका होना चाहिये। भगवान करे आप इस जांच में साफ निकलें। उसका रिफ्लेक्शन जनता पर पड़ेगा। लेकिन जब हम यह सवाल उठाते हैं तो आप समझते हैं कि हम पर लांछन लगानेकी नीयत से कहा जाता है। यदि आपको शंका हो तो कंडीशन्स नहीं लगानी चाहिये। चौधरी साहब ने ठीक ही कहा कि फ्रीडम आफ स्पीच होनी चाहिये और हर मंत्री की जायदाद की जांच होनी चाहिये।

मैं फिर दुहराता हूं कि केरल के या किसी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हर मंत्री और हर एम0 एल0 ए0 की जायदाद की जांच होनी चाहिये। मैं आपसे कहता हूं यह अत्यन्त आवश्यक है। यह आपके हित में ही है। इस सम्बन्ध में हम आपके साथ हैं। यह न सोचिये कि हर मामले में हम आपका विरोध करते है हालांकि मैं यह जानता हूं कि आप हर मामले में हमारा विरोध करते हैं। लेकिन आपकी नेक नीयती के लिये ही हम ऐसा कहते हैं।

जिस वक्त कांस्टीट्यूशन बन रहा था, डाक्टर अम्बेदकर, जो जीवित नहीं रहे, उनक वचन ही हम कह सकते हैं,ने कहा था कि एक एडवाइजरी कमेटी प्रेसीडेन्ट और गवर्नर्स की होनी चाहिए जिसमें पोलिटिशियन्स, जजेज और शिक्षाविद जो रिटायर हो गये हैं उनकी एक कमेटी बने और हमारे मिनिस्टर्स और बड़े बड़े पब्लिक लाइफ के लोग हैं उनकी स्क्रूटनी करे। यहां तो मिनिस्टर बनाते समय देखा जाता है इसके पास 8 आदमी हैं इसके पास इतनी आदमी हैं, फलां इसलिये बनाया जाय कि उसने हमारी बीवी की मुखालफत नहीं की और एम0 एल0 ए0 बनाया, इसने बीबी की मुखालफत नहीं की इसलिये इसको चेयरमैन बना दिया जाय या कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाय। मैं नाम नहीं लेता वह अक्लमन्द हैं उनके लिए इशारा काफी है। तो आज राजनीति में एक गंदगी आ गई है। यहां पर खड़े होकर भले ही आप जबाब दे दें लेकिन पब्लिक जानती है कि फलां आदमी क्या है या उसने क्या किया। मान्यवर मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप इस बात पर कृपा कर ध्यान दें।

एक बात अब आर्थिक नीति पर कह दूं। हमारे नेगी साहब तो उनके साथी हैं, परम मित्र हैं। लेकिन मैं कहना चहता हूं कि यह सरकार जो है इसकी पालिसीज जो है वह कैपिटलिस्ट ओरिएन्टेड है. कैपिटलिस्ट के हाथ में यह खेल रही है। बहुगुणा जी ज्यादा मुझको मानते हैं या नेगी जी को यह वह जानते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कैपिटलिस्ट को मानते हैं सारे कैपिटलिस्ट को यह संरक्षण देते हैं।

मैं एक मिसाल आपको देता हूं बरेली रबड़ फैक्ट्री के मालिक करोड़पति लालचंद इलाचंद हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ठेका किया कि 5 वर्ष तक फ्री रखेंगे और मुझे सूचना दी गई कि 24 पैसे अलकोहल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है और उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया है। गवर्नमेन्ट उनसे मिल गई है। अब एक बात और आ गई कि मुख्य मंत्री कौन रहेगा उसमें जो प्रधान मंत्री की झोली में दो करोड़ दे देगा। तो इस सरकार ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है तो यह क्यों न किया जाय। तो मुझे पता लगा है, मैं मौजूद तो नहीं था और अगर वह कहें कि तुम एफिडेविट दो तो उसके लिये मैं मजबूर हूं। तो मान्यवर एक कमेटी बैठेगी जो कहेगी कि उसके टैक्स को घटा दिया जाय। और वह कमेटी कहेगी कि यह जरूरी है। हिंडोलियम पर टैक्स कम लगाओ, कैपिटलिस्ट पर टैक्स कमलगाओं और काश्तकारों से लगान ज्यादा वसूलो, पंचायत टैक्स काश्तकारों से ज्यादा लो अगर 5रुपया भी उसका बकाया है तो उसके बैल निलाम कर दो, 15 रु0 पर हार्सपावर और बढ़ा दो लेकिन लालचन्द्र और इसी प्रकार मोहनमेकिन वालों को छुवा न जाय और वसूली में धीमी गति से काम लिया

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जाय लेकिन गरीबों से वसूली जो हैं वह फुलस्पीड में जैसे कौन सी कार होती है जो बहुत तेज चलती हैं उस गति से लिया जाय। तो यह सरकार की पालिसी बिल्कुल कैपिटलिस्ट ओरियेंटेड हैं।

तीसरे आदमी की मिशाल जीती जागती है जिसमें बहुगुणा जो कहते हैं कि बिरला जी पर 10 पैसा प्रतियूनिट कर दिया है। हम आपसे कहते हैं कि क्यों नहीं 40, 45 पैसा करते हैं। आप कहते हैं कि एलूमूनियम जरूरी है क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी चहिये। लेकिन पहले आपको गरीबों के पेट भरने की बात करनी चाहिये। आपकी ही रिपोर्ट है कि अमीर और अमीर हो गये और गरीब और गरीब हो गये।

आपके दो मकड़ी के जाले हैं कोआपरेटिव और बी0डी0ओ0 कोआपरेटिव में मान्यवर आपकी रिपोर्ट में है कि 2346 केसेज आर बीइंग इंवेस्टीगेटेड तो उन्होंने किस को ठगा है, बिरला और टाटा को वह क्या ठगेंगे। मान्यवर मुझे थोड़ा और समय दीजिये मैं तो बजट में भी बहुत कम बोला हूं। एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट जब मैं मिनिस्टर था तो संयोग से मुलाकात हो गई तो मैंने कहा भाई तुम कांग्रेस को बहुत पैसा देते हो तो वह कहते हैं कि हम उनको देते हैं, 'हू कैन डिलिवर गुड्स टु अस'।

अब प्रोडक्शन के मामले में कहता हूं। खेती के बारे में आपकी कैपिटलिस्ट ओरियेंटेड पालिसी है। तो प्रोडक्सन के बारे में क्या कहें इस प्रदेश की दो बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल और शुगर हैं। तो उनमें भी मालूम हुआ है कि पीतल के पुर्जे निकाल लिए गये हैं उनमें सबस्टीयूटस प्लास्टिक के होते हैं। ऐसे उन्होंने शुगर इंडस्ट्री को नष्ट कर दिया और काटन इंडस्ट्री को भी नष्ट कर दिया।

इनका ग्रीन-रिव्यूलूशन भी खत्म हो गया। गरीब वहीं रह गया। गरीब आज भी गरीब है। 31 प्रतिशत भोजन नहीं पाते हैं। एग्रीकल्चरल एकोनामी के बारे में बताता हूं। बहुगुणा जी का जो मैंने पहले जुमला कहा, वह उसका जाने क्या समझ बैठे, नाराजहो गये। यदि मैंने पहले सोचा होता तो शायद मुझसे गल्तियां न होतीं। दो मिसाल दे दूं, एक तो पुलिस के बारे में लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा, क्यों आप टाइम नहीं देंगे मुझे। आपने गुण्डा ऐक्ट अप्लाई किया विद्यार्थियों पर। मेरे पास आपका उत्तर मौजूद है, आपने 26 आदमियों को छोड़ा है, 82 आदमियों में। जो स्मगलर्स हैं, उनको मीसा में नहीं लिया गया। विद्यार्थियों को गुण्डा ऐक्ट में लिया, जिनपर प्रमाण नहीं हैं। इन्होंने शरीर के सौदागरों को मीसा और गुण्डा ऐक्ट में नहीं लिया। मैं जानता आपको, धर देते इनको मीसा में शहादत की जरूरत नहीं थी।

मैं कहता हूं कि क्लोज दि समाज कल्याण विभाग। आज काफी है डेंस बलिया, लखनऊ और दूसरे नगरों में इसे जस्टीफाई करने के लिये। इस पर खर्च किया रूपया आपका बेकार जा रहा है। आप मीसा लगाएंगे हमारे ऊपर और विद्यार्थियों पर, गुण्डा ऐक्ट लगाएंगे विद्यार्थियों पर। लेकिन जो कांग्रेसी विद्यार्थी होगा, उस पर नहीं लगाएंगे। एक दिन बहुगुणा जी बांसी में जाने वाले हैं। स्वागत करूंगा मैं प्रेम से वहां उनका मैं यदि वहां रहा। वह मुझे कुछ गलत न समझें। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारे प्रख्यात केशवदेव मालवीय. नाराज न होइयेगा, मेरी बात को ठीक से समझना, हेलीकाप्टर से वहां गये थे, उनका वहां बड़ा कड़ा विरोध हुआ, उनके ही दल वालों ने भी किया। उसमें हमारे धनराज यादव और संगठन मंत्री का सर फूट गया। हमारे जो एम0एल0ए0 थे, उन पर डी0 आई0 आर0, 332, 333, आदि पता नहीं कौन-कौन धाराएं लगाई गईं। इस पर हमारे यहां सत्याग्रह छिड़ गया। तमाम लोग सत्याग्रह किए, 25 तारीख को मेरी भी बारी आई, किन्तु हमने इनके कहने पर सत्याग्रह का कार्य रोक दिया। मैं मुख्य मंत्री से मिला, उन्होंने कहा गिरफ्तार छूट जायेंगे, डी0 आई0 आर0 नहीं लगा है। जेल में देखने गया तो मालम

हुआ कि डी0 आई0 आर0 लगा है। फिर इनसे मिला, इन्होंने कहा आप दरख्वास्त दे दीजिये मुकदमा वापस हो जायगा। लेकिन यह हुआ नहीं। हमारे तो अपने संगठन में, जिले में नाक कट गई। इन्होंने मुझ से ऐसे शब्द कहे, जो इन्हें हाउस में नहीं कहने चाहिये थे। इसमें जब वे नहीं छूटे तो निश्चय यह हुआ कि उनको जमानत पर रिलीज कराओ और मुकदमा हम लड़ लेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं निकला।

बर्डपुर में मारपीट हुई। पुलिस की मोटर साइकिल जलाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब डबल डीलिंग का नमूना देखिए। स्टेट वर्सेज जहान केस में। 147, 148, 332, 342, 295 आई0पी0 सी0 और जान कौन सी धाराएं लगीं। मामला सेशन कोर्ट में गया। लेकिन एलेक्शन के दो रोज पहले यह निश्चय किया जाता है कि अमन कायम रखने के लिये यह केस वापस ले लेना चाहिये। क्योंकि इन्हें मुसलमानों के वोट वहां लेने हैं। वहां के कुछ मुस्लिम अराजक थे, सब नहीं। अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सलामत रहें, इनकी डबल डीलिंग सलामत रहे। हमारे बहुगुणा जी जा रहे हैं बांसी। मेरे मन में चौंक थी। अगर इनको मालूम हो गया कि माधव के खिलाफ कौन-कौन हैं, तो रास्ते में ही ये रौंद देते। डेढ़ हजार रुपये लेकर बी0 एड0 में भर्ती किया जा रहा है। अभी 4-5 दिन हुए भर्ती हुई थी 2 हजार रुपये लेकर, लेकिन बाढ़ पीडित इलाके के एक भी नहीं लिये गये। यह राज है हमारे बहुगुणा जी का। सारे कालेज के अध्यापक खिलाफ हो गये। इंदिरा जी मेरे क्षेत्र में गई। पुलिस के कांस्टेबिल और दरोगा सब खिलाफ हो गये। अकेले मैं लड़ता रहा, मैं जीत गया। मैं भगवान की कृपा से जीत गया। उस इलाके में जो पैसा तस्करी से आता है उसको कौन लेता है? आज जा रहे हैं बहुगुणा जी। मैं नहीं कहता कि न जायं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

माननीय, माधव प्रसाद जी को समाजवादी सरकार पसन्द नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लें?

एक सदस्य---

दाल-भात के मूसरचन्द बीच खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये, व्यवधान न करें, बोलने दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय, मैंने नहीं कहा कि ये साझीदार उसमें हुए। बहुगुणा जी मेरे हर तरह से विरोधी हैं। चिन्ता मत करिये, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। यह वह क्षेत्र है जिसमें माधव प्रसाद त्रिपाठी को कत्ल में फंसाने का प्रयत्न किया गया था। मैं आपको चिट्ठी दिखाऊंगा। चिट्ठी पकड़ी गई, उसमें लिखा था कि माधव प्रसाद त्रिपाठी कातिल है। वह कातिलों को बुलाता है।

श्री अध्यक्ष---

आप तो आम सभा को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस सेक्रेटरियट के बारे में थोड़ा सा कह दूं। बहुगुणा जी की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी बैठी। जैसे यहां से एक सीढ़ी बनी हुई है, उसी तरह से दरअसल में नीचे से ऊपर तक काम करने की एक सीढ़ी बनी हुई है। सारा काम नीचे का असिस्टेन्ट करता है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बाद फिर मिनिस्टर के पास सेक्रेटरी जायेंगे। सेक्रेटरी पूछता है, हुजूर की क्या इच्छा है?

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

पेंशन के लिये मेरी एक बड़ी शिकायत है। आप वादा करते हैं। तात्कालिक प्रसन्नता लोगों को देते हैं। पेंशन, प्राविडेंट फंड और ग्रेच्युटी यह ज्यादा लटके हैं। जो पेंशनर्स हैं उनको आप मार डालते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्राविडेंट फंड, जिस प्रकार की चीजें पाने का उनका हक है वह उनको समय पर बिल्कुल नहीं मिल पाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनके सेवा काल में इनका काम देखा जा चुका है तो उनको पेंशन पर जाने के साथ ही इनको पास बुक्स बनवा कर दे दी जाये ताकि सेवा से हटते ही वे अपनी पेंशन तो पा सकें। आपने वादा किया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट दोनों गवर्नमेन्ट की सर्विसेज के लोग उसी रेट पर पेंशन पायेंगे, वह तो कुछ है लेकिन कुछ अन्तर अब भी है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पेंशनर्स 1-1-73 से पायेंगे लेकिन आपके लोगों को 1-1-75 से मिल रहा है। अगर आप इस पर विचार करें तो बड़ी कृपा होगी।

मुझे कहना तो बहुत है मुख्य मंत्री महोदय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, बार-बार लाल झंडी दिखा रहे हैं, फिर भी उन्होंने बड़ी कृपा की है जो इतना समय आपने दिया है। तो अब मैं समाप्त ही करता हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि यह जो विनियोग विधेयक है उसके पास होने के लिये आपने कितना समय निश्चत किया है?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

6 बजे तक हो जायगा?

श्री अध्यक्ष---

जी हां, 6 बजे तक हो जायगा।

श्री रामायण राय---

अगर 6 बजे पास होना है तो उसे निश्चित समय पर पूरा होने देने की कृपा करें। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 203 के नियम (7) में यह है कि इसका पारण निश्चित समय पर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आप निश्चित रहें, यह होगा। (हंसी)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, मुझे अन्दाज नहीं था कि जनसंघ के माननीय नेता, माधव बाबू, आज मुझ पर इतनी कृपा करेंगे और मेरा नाम बार-बार लेंगे। मेरी उनको इतनी सी सलाह है कि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उनको मिल जाता, मेरा नाम लेने से क्या हो जायेगा उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये हैं। उनके सम्बन्ध में कुछ कहना वाजिब मालूम होता है। जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की डिबेट के सिलसिले में मैं आंकड़ों के साथ बता चुका हूं कि प्राविन्शियल सिविल सर्विसेज के लोगों के जितने सेलेक्शन हुये हैं वह सेलेक्शन करके ही हुये थे। जितने कन्फर्म होने थे किस तरह से उसमें सारी चीजें पूरी कर दी गयी हैं। उसी तरह से कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स बनाने के सिलसिले में जो किया गया है कह मैंने बताया था और कम से कम अब उनको शिकायत नहीं होनी चाहिये क्यों कि उनके यहां अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वह पी0सी0 एस0 सर्विसेज के हैं, बड़े तेज, बड़े कर्मठ से व्यक्ति हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुझे अपने यहां से कोई मतलब इस सिलसिले में नहीं है, मैंने तो सारे प्रदेश की बात रखी थी। एक दृष्टान्त के तौर से मैंने कहा था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपने जो बात रखी थी उसमें जो दृष्टान्त था, उसी तरह से मैंने भी आपके यहां दृष्टान्त दिया है, वैसे यह बात सारे प्रदेश की है। क्षमा करेंगे, वरना मुझे तो आपसे क्षमा की आशा नहीं है (हंसी) क्योंकि हम दोनों ऐसे बने ही हैं और बदकिस्मती से आप ऐसी जगह जाकर फंस गये हैं जहां से लौटा कर मैं आपको ला नहीं सकता, हमारे बस का वह है भी नहीं।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि मैं बांसी जा रहा हूं। कई बार उन्होंने कहा कि मैं बांसी जा रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप जाइये, मेरा बहुत आदर है मुख्य मंत्री जी के प्रति लेकिन मैं आपको कांग्रेस का मुख्य मंत्री कहूंगा अपना नहीं कहूंगा, आप चिन्ता न करें, आप जाइये और आप उसी विद्यालय में जा रहे हैं, आप सफेद जगह क्यों जायेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं कोई कड़वीं या अनुचित बात कहना नहीं चाहता। हमारे ऊपर माधव बाबू की बड़ी कृपा थी कि मैंने उनसे कहा था कि मैं बांसी जा रहा हूं और आप कुछ उस सिलसिले में लिख कर दे देंगे तो दिखला लूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

दिया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वही निवेदन कर रहा हूं। और, यह भी तय हुआ था कि मैं उस सिलसिले में पूरी जांच कराऊंगा क्योंकि बी0 एड0 के लिये सेलेक्शन यूनीवर्सिटीज करती हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है। हां, इस सिलसिले में एक बात जरूर कर दी है इन सब कुरीतियों को देखकर जो उन कालेजेज में फैली हुई थीं बी0 एड0 के मामले में कि सेन्ट्रल एक्जामिनेशन हो जैसे पी0 एम0 टी0 की होती है उसी तरह से और उसके लिये हम सारे नियम को बदल रहे हैं। अब भूतकाल के सिलसिले में जो कुछ हो चुका है उस सारे सिलसिले को तो मैं अनडू नहीं कर सकता लेकिन भविष्य के सिलसिले में मैं अपनी नियत की सफाई पेश कर रहा हूं।

दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने मीसा में विद्यार्थियों को बन्द किया। और कोई कहता तो मुझे उज्र न होता लेकिन माधो बाबू जैसे जानकार ने यह बात कही। यह बात सही है कि फारेन एक्सचेन्ज के ब्लेक मारकेटियर्स को हमने बन्द किया है। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी की सूचना उनको नहीं है। नैनीताल, आगरा और फर्रुखाबाद में जाकर वह देख लें तो इस तरह की मूर्तियां बहुत सारी मिल जायेंगी। 4 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनको छोड़ दिया गया। मीसा में 50 से ऊपर व्यक्ति बन्द हैं जो ब्लेक मारकेटियर्स हैं और जिनको उत्तर प्रदेश के अन्दर पकड़ा गया है।

एक बात उन्होंने यह कही और वह अलमूनियम के सिलसिले में कही। बिजली से क्या मतलब गल्ला पैदा करना चाहिये। मैं बता देना चाहता हूं कि अलमुनियम के बिना बिजली पहुंचती नहीं है। हमारा यह कहना है कि अल्मूनियम के लिये सब्सीडी दें यह मुनासिब नहीं है। अगर यह बिजली और लेंगे तो उसी रेट पर देंगे जिस रेट पर इन्डस्ट्री को दे रहे हैं। उनसे हम इमरजेन्सी पावर सप्लाई का ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि माधो बाबू ने किसानों के कहां से आंकड़े निकाले। मैं ठीक से नहीं सुन पाया। यह बिलकुल सही नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि बड़े 2 लोगों पर सेल्स टैक्स बकाया है और उनके ऊपर रेड्स वगैरह भी हुई हैं। बड़े 2 लोगों पर सेल्स टैक्स के रेड्स न हों तो छोटे लोगों के यहां रेड्स करने से फायदा नहीं होगा। जब कभी ऐसी बात हो जाती है तो वह बात सही

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

समझने की चेष्टा भी कर लेते हैं लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी ऐसी पड़ी हुई है—इसलिये वह दिखाना चाहते हैं कि वह सख्त तबीयत के आदमी हैं। मैं कह सकता हूं कि वह तबीयत से मुलायम हैं। वह हमारी बात पर शक करने लगते हैं और उनके शक का कोई इलाज नहीं है। मेरे एक मित्र थे उनको शक था कि टी0 बी0 है तो वह हर वक्त अपनी नब्ज पकड़े रहते थे। अगर माधो बाबू ने बहुगुणा की नब्ज पकड़ ली है तो उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत दिनों से कह रहे हैं, यही कह सकता हूं दुबारा और कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर सच में मैं नहीं हूं तो आप जैसे बुद्धिमान आदमी को सोचना भी नहीं चाहिये।

एक बात और कही गई कि इतने हजार करोड़ दे रहे हैं और मिनिस्टरों पर लान्छन लगाये गये हैं। दफा 302 के मुल्जिमों की भी बात कही गई। सदन की जो गरिमा है, और रक्षण है, उस रक्षण का प्रयोग करके एक दूसरे का जो चरित्र हनन करते हैं, यह प्रजातंत्र के लिये उचित नहीं है। आज यहां पर ऐसी ताकतें हैं, जो प्रजातंत्र को देश से मिटाना चाहती हैं, उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है, वे चाहते हैं कि कांग्रेस को बिलग कर दें। मैं जनता पर छोड़ता हूं। महा गठबन्धन देखा, गठबन्धन देखा और अब पुनर्गठन भी देख रहे हैं, यह भी देखा जायगा। आप पुनर्गठन की बात कर रहे हैं और आपके ही लोकनायक ने कहा है कि गुजरात में आपकी मदद में नहीं जा रहे हैं। यह आपकी छवि है, जिसे आप अपने आइने में देखिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मोहन धारिया का भी बयान देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जितना भी काला धन पैदा हुआ है, वह कांग्रेसियों में ही हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर हमारे किसी सदस्य के सम्बन्ध में यह बात उठती है कि यह गड़बड़ है तो जांच अवश्य होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि जायदाद का ऐलान कीजिए और उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रियों को यह करना चाहिये। मैं उसको छुपा नहीं सकता हूं। इसलिये स्पष्ट बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, कि इस सम्बन्ध में हमारे मंत्रि-परिषद् ने विचार विनिमय किया था और हम एक नतीजे पर आने वाले थे कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के होम मिनिस्टर, श्री ब्रह्मानन्द रेडी का एक पत्र हमें मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम हर स्टेट से राय पूछ रहे हैं, आप भी अपनी राय दीजिये। 2–3 सरकारों की राय प्राप्त हो चुकी है। हमने भी जो राय दी है, वह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई उज्र नहीं है। मंत्रियों की ही क्या अगर किसी भी विधायक की भी जायदाद का एलान करना चाहते हैं तो हमें कोई उज्र नहीं होगा। एलान ही नहीं, गजट नोटिफाई होगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यही नहीं, ब्योरा भी देना पड़ेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ब्योरा ऐसा देना पड़ेगा कि बहुतों को कठिनाई पड़ जायगी। आज उस पर बहस की जरूरत नहीं है। मैंने तो बता दिया कि हमारी तरफ से जनता किस से क्या लेगी। जनता सब से हिसाब लेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं और उसके पास हिसाब किताब लेने का समय आता है। हिसाब दिया भी जायगा। एक बात उन्होंने कही और मैं इतना जरूर मानता हूं कि राजनैतिक जीवन में जैसा कि स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी कहा करते थे, कि मूर्ति बनाना बड़ा कठिन काम है लेकिन तोड़ना बड़ा सरल है। अगर ऐसी दशा में राजनैतिक जीवन में कोई पत्थर फेंके तो कहीं न कहीं आ ेप कर सकता है। इस सदन की छत के नीचे जो हम एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, और अगर इसके बाहर जाना है तो फिर हलफनामे के साथ मेरे खिलाफ, मेरे मंत्रि-परिषद् के किसी मेम्बर के खिलाफ कोई चीज देंगे तो उस पर अगर यह सरकार कार्रवाई न करे तो आप हमें बताइये और फिर कहिये कि आप लांछित लोग हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मालवीय जी के खिलाफ जो जांच हुई थी क्या उसमें एफिडेविट दिया गया था ? मैं जानता नहीं, यह न समझिये कि मेरा व्यंग्य है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपको मालवीयजी के बारे में जानकारी बस्ती की वहज से ज्यादा है । मालवीय जी पर क्या कहा, किसने कहा मैं नहीं जानता । लेकिन आपने नाम उठाया है इसलिये कहता हूं कि यह हिन्दुस्तान की बद किस्मती रही कि उस जैसे आदमी को इतने दिनों तेल की दुनियां से बाहर रख कर हमने देश का नुकसान किया है उन्हें बाहर नहीं करना चाहिये था । वह जबर्दस्ती सैक्रीफाइस किये गये उस कांसपीरेसी में जोकि इस देश के पूंजीपतियों ने रची थी । बहरहाल, मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता । मैं उसका अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं । अटल जी पूछेंगे, इन्दिराजी जबाब देंगी । वह पार्लियामेन्ट का सवाल है । मेरी जो जानकारी थी मैंने आपको निवेदन कर दिया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

जनहित में उसको अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह मालवीयजी भी बहुत सज्जन आदमी हैं लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि जब कभी कोई बहस उलझन की हो तो इनका मन उसमें हिस्सा लेने का करता है । अब यहां उलझन की बात है । आप देर में आये । मालूम है नहीं क्या बात है । दोनों आदमी एक ही शहर के हैं । दिल में आप रहें लेकिन यह गांव की जानकारी रहने दीजिये ।

एक बात माधव बाबू ने यह कही कि गुंडा ऐक्ट में सिर्फ विद्यार्थिमों को ही पकड़ा गया । यह बात भी अपनी जगह पर पूर्णतया असत्य है । इसी लखनऊ शहर में दौरान उस बुरी फिजां के जो शिया और सुन्नी के बीच में पैदा करने की कोशिश की गयी थी कितने लोग गुंडा एक्ट में गये । उनका इतिहास अगर देखिये तो मालूम होगा कि किस तरह से हम शान्ति कायम रख सकें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जानकरी के लिये नाम पढ़ दूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैं मना नहीं कर रहा हूं । (व्यवधान) एक बात है कि विद्यार्थी नाम के पीछे किसी गुंडे को हम शरण लेने नहीं देंगे । हां, शुद्ध विद्यार्थी के ऊपर गुंडा ऐक्ट लगाने का सवाल नहीं है । भूल से गेहूं में कहीं घुन पिस जाय वह बात अलग है । लेकिन अगर सारे विद्यार्थियों को हम गुंडा ऐक्ट में पकड़ते होते तो आपका आन्दोलन, जिसको आप आन्दोलन कह रहे हैं, आपकी जो सब से बड़ी पीड़ा है, माधव बाबू की नहीं, उन दलों की जो प्रतिक्रियावादी की प्रतीक हैं इस देश में उनकी पीड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश में आन्दोलन चल क्यों नहीं पा रहा है । विधान भवन के सामने विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहा है । चुनाव में जिताया तो फिर आया क्यों नहीं, गया कहां । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी आपको पहचान गया और उसने समझ लिया कि आप उसके साथी नहीं हो । दुआ दो कि इतनी देर तक साथ रहा । उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश का मजदूर, यहां की ग्रामीण जनता इतनी कठिनाइयों के बावजूद अगर नहीं भड़क पायी है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि इस शासन में, इसकी पार्टी में, इसकी नीतियों में और इसके नेतृत्व में उसका विश्वास है । वह विश्वास बातों से टूटने वाला नहीं है ।

(व्यवधान, शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश---

क्रान्ति दिवस मनाया गया ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्रान्ति में तो मेरा जन्म ही हुआ।

माननीय नेता जनसंघ ने इस बात पर आंसू गिराये कि हमारे दल में हलचल है। हम तो शासकीय दल हैं, अगर यहां हलचल हो तो कारण है, पर कुछ और दल हैं जहां बिला वजह हलचल है, मैं किस-किस को कहूं, कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर हलचल घर के भीतर की हलचल है, और उधर की हलचल जनता को बरगलाने वाली हलचल है और वह विस्फोट कल छप चुका है, जिसमें माननीय चौधरी साहब ने कहा है कि माननीय राजनारायण जी की नीतियों से उनके दल का कोई संबंध नहीं है.... (व्यवधान)..... बहुत अच्छा उन्होंने कहा और मैं आपसे भी कहता हूं कि, जनसंघ से भी कहता हूं, सब के सब लोग अगर माधव बाबू की बात सुनने लग जायें तो सब ठीक हो जाये, मगर असल बात यह है कि नेता आपको बना रखा है, आपकी सुनता नहीं है कोई (व्यवधान)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर देखा जाये तो हम और आप दोनों बराबर ही हैं क्योंकि न उधर आपकी कोई सुनता है, न हमारी इधर कोई सुनता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इधर हमारी हर एक सुनता है, आपने कहा कि आपकी कोई नहीं सुनता है तो इससे तो हमारा कहना सत्य साबित हो गया। हम दलों में फूट नहीं चाहते हैं। जितने इलैक्शन पिटीशन मंजूर हुये किन दलों की तरफ से हुये? अभी जनसंघ के आदमी को हराकर हमारी पार्टी के रामहरख मिश्र आये हैं, 33 वोटों से जनसंघ का कैन्डीडेट जीता था जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इधर चुने हुये किसी आदमी के लिये अभी तक यह नहीं कहा गया है कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है। गिनती गलत हुई है। इतना कह कर, मुझे मान्यवर, आशा है, माननीय माधव बाबू का सहयोग हमें हमारा जो गरीबी मिटाने का, भ्रष्टाचार, मिटाने का, बुराइयां दूर करने का, अच्छा मार्ग है, उसमें उनका सहयोग मिलता रहेगा और हम पर वे भरोसा रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उनके भाषण के लिये उनको धन्यवाद देता हूं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे विश्वास न खोयें, और विश्वास खो दिया तो सब कुछ खो जायेगा, प्रजातंत्र कायम रखने के लिये विश्वास आवश्यक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अब विचार के लिये आप वोट ले लें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड, 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975

31 मार्च, 1976 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त शीर्षक

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1976 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका योग कुल उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1975) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 17,19,25,59,500 रुपये (सत्रह अरब, उन्नीस करोड़, पच्चीस लाख, उनसठ हजार पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1975-76 के लिये 17,19,25,59,500 रु० का दिया जाना विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धन राशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1976 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1	राज्य विधान मण्डल ..	97,38,800	1,56,800	98,95,600
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय।	..	10,07,500	10,07,500
3	मंत्रि-परिषद् ..	26,55,300	.	26,55,300
4	न्याय प्रशासन ..	5,80,85,400	1,17,35,100	6,98,20,500
5	निर्वाचन ..	2,29,44,700	..	2,29,44,700
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर।	10,69,000	1,000	10,70,000
7	भू-राजस्व ..	27,85,31,100	12,72,30,800	40,57,61,900
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	1,04,84,200	1,200	1,04,85,400
9	भूमि और भवन कर ..	69,000	..	69,000
10	राज्य आबकारी .	1,89,41,300	1,800	1,89,43,100
11	बिक्री-कर ..	4,81,23,900	3,35,20,000	8,16,43,900
12	मोटर गाड़ियों पर कर ..	8,28,32,000	4,500	8,28,36,500
13	अन्य कर और शुल्क ..	58,43,200	1,000	58,44,200
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति ..	38,03,200	..	38,03,200

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	28,05,44,400	28,05,44,400
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	76,36,91,300	76,36,91,300
*17	लोक-सेवा आयोग ..	..	26,14,500	26,14,500
18	सचिवालय ..	8,14 42,100	9,100	8,14,51,200
19	जिला प्रशासन ..	6,77,14,300	20,000	6,77,34,300
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	1,42,49,200	1,000	1,42,50,200
21	पुलिस ..	50,32,98,600	6,000	50,33,04,600
22	कारागार ..	4,67,73,000	2,000	4,67,75.000
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	4,29,29,200	..	4,29,29,200
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	28,94,400	43,500	29,37,900
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें ..	3,71,27,300	1,000	3,71,28,300
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें ..	6,36,43,800	3,92,000	6,40,35,800
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें ..	1,30,59,300	1,100	1,30,60,400
28	शिक्षा ..	2,06,19,43,800	1,900	2,06,19,45,700
29	कला एवं संस्कृति ..	43,92,100	1,000	43,93,100
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध ..	19,62,500	..	19,62,500
31	चिकित्सा ..	33,42,67,400	11,000	33,42,78,400
32	परिवार नियोजन ..	9,24,75,400	..	9,24,75,400
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	16,64,64,500	10,200	16,64,74,700
34	आवास भवन ..	31,53,900	6,30,000	37,83,900
35	नगर विकास ..	29,33,900	..	29,33,900
36	सूचना तथा प्रचार ..	1,30,00,200	1,000	1,30,01,200
37	श्रम एवं सेवायोजन ..	5,90,56,500	8,000	5,90,64,500
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19,14,97,900	12,300	19,15,10,200
39	दैवी आपदाओं के कारण सहायता।	2,18,02,000	2,18,01,000	4,36,03,000
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें।	3,68,000	..	3,68,000
41	सहकारिता ..	4,35,94,800	1,500	4,35,96,300
42	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र ..	55,97,24,900	16,600	55,97,41,500
43	सामान्य आर्थिक सेवायें ..	1,16,91,400	5,000	1,16,96,400
44	कृषि ..	25,31,76,800	1,45,600	25,33,22,400
45	सामुदायिक विकास ..	18,95,38,200	1,500	18,95,39,700

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान-क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
46	भूमि तथा जल संरक्षण ..	3,35,27,900	..	3,35,27,900
47	क्षेत्र विकास ..	6,70,23,700	.	6,70,23,700
48	खाद्य तथा पोषाहार ..	3,52,62,000	50,000	3,53,12,000
49	पशुपालन ..	7,63,27,700	1,500	7,63,29,200
50	दुग्धशाला (डेरी) विकास ..	68,88,100	1,100	68,89,200
51	मत्स्य उद्योग ..	78,67,200	1,000	78,68,200
52	वन ..	5,87,06,400	40,000	5,87,46,400
53	उद्योग ..	4,81,98,900	4,500	4,82,03,400
54	ग्राम एवं लघु उद्योग ..	5,13,29,200	..	5,13,29,200
55	खानें तथा खनिज ..	50,52,800	1,000	50,53,800
56	विद्युत् विकास ..	1,00,01,100	..	1,00,01,100
57	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	58,03,78,600	2,000	58,03,80,600
58	सिंचाई अधिष्ठान ..	20,81,38,300	10,000	20,81,48,300
59	सिविल विमानन ..	10,83,800	..	10,83,800
60	संचार साधन ..	15,08,96,800	10,000	15,09,06,800
61	कार्यात्मक भवन ..	50,51,400	..	50,51,400
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	10,27,88.300	5,000	10,27,93,300
63	सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिये सहायक अनुदान ..	5,44,89,400	..	5,44,89,400
64	सड़क तथा जल परिवहन ..	8,13,000	..	8,13,000
65	पर्यटन ..	15,31,400	..	15,31,400
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण ..	9,64,62,700	1,000	9,64,63,700
67	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	4,74,68,900	2,50,000	4,77,18,900
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,58,03,300	..	2,58,03,300
69	चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,24,29,300	..	2,24,29,300
70	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,37,68,300	..	1,37,68,300
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ..	8,11,200	50,000	8,61,200

1	2	3		
अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
72	सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	12,59,41,100	..	12,59,41,100
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	14,81,72,400	..	14,81,72,400
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ..	22,43,31,900	5,00,000	22,48,31,900
75	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर ..	56,00,100	..	56,00,100
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	7,89,44,000	2,000	7,89,46,000
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	64,50,000	1,000	64,51,000
78	खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,00,00,00,000	..	2,00,00,00,000
79	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ..	59,52,300	..	59,52,300
80	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	8,91,000	1,000	8,92,000
81	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	85,53,83,000	2,000	85,53,85,000
82	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	11,72,20,000	..	11,72,20,000
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	19,26,48,300	50,000	19,26,98,300
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	35,00,100	..	35,00,100
85	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	5,00,000	..	5,00,000
*86	राज्य सरकार के ऋण ..	..	3,81,06,19,800	3,81,06,19,800
87	ऋण और अग्रिम--शिक्षा ..	62,00,000	..	62,00,000
88	ऋण और अग्रिम---स्वायत्त शासन ..	2,46,05.700	..	2,46,05,700
89	ऋण और अग्रिम---सहायता एवं पुनर्वासन ..	26,43,900	..	26,43,900

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
90	ऋण और अग्रिम---उद्योग	10,21,32,000	..	10,21,32,000
91	ऋण और अग्रिम---सहकारिता	1,53,37,100	..	1,53,37,100
92	ऋण और अग्रिम--कृषि ..	4,13,75,200	..	4,13,75,200
94	ऋण और अग्रिम---विद्युत् ..	1,02,87,00,000	..	1,02,87,00,000
97	ऋण और अग्रिम---वित्त	1,14,00,100	..	1,14,00,100
	योग ..	12,13,73,24,400	5,05,52,35,100	17,19,25,59,500

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1975, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सरकारी पक्ष से मेजें थपथपायी गयीं।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं---एक श्री अवधेशकुमार जी की तथा एक माननीय काशीनाथ मिश्र की, दोनों को ही मैं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

ग्राम आसपुर रिछोला, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के श्री नत्थूलाल जाटव की पुलिस द्वारा मारे जाने से मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-3-75 को थानाध्यक्ष, बहेडी तथा थानाध्यक्ष, देवरनियां को सूचना मिली की ग्राम सकरस थाना बहेडी जिला बरेली में खान मोहम्मद का गिरोह एक व्यक्ति के घर डकैती डालने के लिये बाग में स्थित एक झोपड़ी में एकत्र होगा। इस सूचना पर उपरोक्त दोनों थानाध्यक्ष समुचित फोर्स तथा लाइसेन्सदारान को लेकर पार्टियां बनाकर उक्त स्थान पर पहुंचे। लगभग साढ़े बारह बजे रात्रि जब डकैत डकैती डालने के लिये चलने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

को तैयार हुए तब पुलिस पार्टी ने उन्हें चैलेन्ज किया। डकैत फायर करते हुए झोपड़ी से निकल कर भागे। पुलिस पार्टियों ने मुठभेड़ में 6 डकैत, जिनमें मृतक नत्थू लाल जाटव निवासी आसपुर रिछोला थाना हाफिज गंज भी था, मय शस्त्रों के पकड़ लिये। श्री नत्थू लाल जाटव के पास से भी एकनाली कारतूसी बन्दूक जिसका लाइसेंन्स उसके पास था गिरफ्तारी के समय मय करतूस बरामद हुई। इस घटना के संबंध में धारा 399/402/307 भा0 द0 वि0 तथा धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत थाना बहेड़ी पर मुकदमे कायम किये गये तथा अभियुक्तों को दिनांक 17-3-75 को जिला जेल बरेली भेजा गया। दिनांक 18-3-75 को जेल में नत्थू लाल जाटव की हालत गम्भीर होने पर उसे जिला अस्पताल, बरेली स्थानान्तरित किया गया जहां दिनांक 22-3-75 को प्रातः उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का शव उसी दिन पोस्ट मार्टम के लिये भेजा गया। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच की जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि मजिस्टीरियल जांच असंतोषजनक है तथा तथ्यों को छिपाया जा रहा है। यह भी सही नहीं है कि इस घटना से उस इलाके के हरिजनों व आम जनता में असंतोष व्याप्त है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

क्या सरकार को यह विदित है कि नत्थूलाल जाटव अपनी बहन के यहां थाना मोजीपुरा गांव में गया हुआ था? उस गांव में डकैती का शुबहा या जिस सिलसिले में पुलिस वहां गयी थी उसने धोखे में इसको भी पकड़ा और उसकी बन्दूक भी ले लिया। वह बन्दूक का लाइसेंसदार था और एक इज्जतदार आदमी था। उसको पकड़ कर थाने पर ले जाया गया और वहां उसे पुलिस ने मारा। जब वह मरने के करीब हो गया तो उसे दिखलाने के लिये जेल डाक्टर के पास भेजा गया। जब जेल डाक्टर ने इसे देखने से इनकार कर दिया तब उसे जिला अस्पताल भेजा गया जहां जाकर वह मरा।

जहां तक मैजिस्ट्रीयल इनक्वायरी की बात है, मुझे मालूम हुआ है कि जो बयान देते हैं उनकी ही जांच होती है, मैजिस्ट्रेट उसकी जांच नहीं करता कि हम शुरू से आखिर तक हर मामले की छानबीन करे। इन हालात को देखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी इनक्वायरी सी0 आई0 डी0 को दी जाय ताकि वह उसकी छानबीन करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उसकी इत्तिला मेरे पास इस पत्रावली में नहीं है। लेकिन जहां तक उसकी जांच का सम्बन्ध है, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के अनुसार वह डकैत था, भले ही वह बन्दूक का लाइसेंसदार था लेकिन डकैतों के साथ ही वह उस झोपड़ी में था, यह निश्चित है। और बाकी मैजिस्ट्रेयल जांच हो ही रही है।

श्री राममूर्ति --

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रीयल जांच के अन्दर जो बयान हुआ करते हैं खाली उनकी जांच होती है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि पूरे हालात की छानबीन करने के लिये इसे सी0 आई0 डी0 को दिया जाय क्योंकि मैजिस्ट्रेट पूरे हालात की छानबीन नहीं करता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कोई नया तथ्य हो तो उस पर विचर कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे नये तथ्य नहीं हैं जिनके आधार पर सी0 आई0 डी0 को इनक्वायरी दी जाय।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या नत्थू लाल पर इसके पहले भी कोई डकैती वगैरह का केस चलता रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, 6 अपराधों में इनके नाम उल्लिखित हैं ।

श्री राममूर्ति—

जब नत्थू लाल पर 6 अपराध चल रहे थे तो फिर इसको बन्दूक क्यों दी गयी जब कि अच्छी रिपोर्ट पर ही किसी को बन्दूक दीजाती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी जांच करायी जा रही है कि इनको लाइसेंस क्यों दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या कुल वक्तव्य आज ही लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, ऐसी बात नहीं है।

कार्यसूची 15 को मैं कल केलिये स्थगित करता हूं, क्योंकि श्री मोतीलाल देहलवी ने नेता विरोधी दल को लिख कर दिया है कि इसको कल लिया जाय।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया गोरखपुर के मैनेजर के विरुद्ध यूरिया के घपले की जांच के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्री रमाकान्त पांडे, मंत्री, फर्टिलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन, गोरखपुर का एक पत्र दिनांक 4-2-1975 थाना चिलुवाताल, गोरखपुर, पर प्राप्त हुआ था जिसमें फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड, गोरखपुर यूनिट, गोरखपुर, के जनरल मैनेजर द्वारा 1400 टन यूरिया जिसकी अनुमानित कीमत 28 लाख रुपया बताई गयी थी, के अनियमित दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। श्री रमाकान्त पाण्डे के उक्त पत्र में यह भी लिखा गया था कि उन्हें विश्वस्त सूत्र से खबर लगी है कि उक्त 1400 टन यूरिया की कमी पिछले कई महीनों से कारखाने में है। श्री रमाकान्त पाण्डे के पत्र में आगे कहा गया था कि यूरिया या तो कारखाने से बाहर अनियमित ढंग से निकाली गई या चोरबाजारी में बेची गयी अथवा दुरुपयोग के दूसरे तरीके अपनाये गये हों ।

श्री रमाकान्त पाण्डे के उक्त पत्र में किसी निश्चित अपराध होने की सूचना नहीं दी गयी थी। अतः इस सूचना के आधार पर कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को उस दिन थाने के रोजनामचा आम में अंकित किया गया और जांच आरम्भ की गयी।

जांच के दौरान कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिससे 1400 टन यूरिया के दुरुपयोग की पुष्टि होती हो। जांच के दौरान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, गोरखपुर, के जनरल मैनेजर ने उक्त कारखाने की यूरिया के स्टाक का फिजिकल वेरिफिकेशन सी0 बी0 आई0 द्वारा होना बताया जिसमें 535 टन यूरिया की कमी पाई गई थी जो उनके अनुसार परमिसिबल है। इस संबंध में एडीशनल चीफ इंजीनियर, प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर कारपोरेशन, ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उक्त कमी को विभिन्न प्रोसेस के कारण परमिसिबल एवं उचित बताया गया है।

प्रारम्भिक जांच से श्री रमाकान्त पाण्डे के प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी निश्चित अपराध होने की बात नहीं प्रतीत हुई जिससे प्राइमाफेसी केस का होना पाया जाता हो।

यह मामला टेक्निकल ढंग का है जिसमें फर्टिलाइजर कारखाने के सभी संबंधित अभिलेखों की छानबीन भी आवश्यक है। अतः इस मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये पुलिस अधीक्षक, सी0 बी0 आई0 को लिख दिया गया है, जिनके द्वारा पहले भी इस बारे में

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

छानबीन कराई जा चुकी है। इस आरोप पर कि कारपोरेशन के जनरल मैनेजर पुलिस अधीक्षक से मिलकर कारखाने के सम्बन्धित अभिलेखों को नष्ट कर रहे हैं, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी पुलिस अधीक्षक, सी0 बी0 आई0 से अनुरोध किया जा रहा है। इस बारे में यथोचित जांच कराये जाने के लिये फर्टिलाइजर कारपोरेशन चेयरमैन तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर को भी लिखा गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा वह देखने को नहीं मिला। मिला नहीं है। मान्यवर, यह सदन के पटल पर नहीं रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ प्रश्न मैं मंत्री जी से करूंगा। मैं 2-3 चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, श्री आनन्द जो फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के जनरल मैनेजर हैं, इसके पहले यह सिंद्री में थे और वहां पर इनके खिलाफ 14 लाख रुपये का मामला चल रहा है। मान्यवर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में--मैरीन ड्राइव बम्बई, दिल्ली के जो कीमती इलाके हैं वहां पर इनकी कोठियां मौजूद हैं। यह केवल 300 रुपया ले रहे हैं बाकी सब एडवांस ले चुके हैं। 5 लाख रुपये का दूसरा मामला गोरखपुर की अदालत में है। यह सब चीजें मैं आपको संदर्भ के रूप में बता रहा हूं। श्री रमाकांत पांडे ने बताया कि 14 सौ मैट्रिक टन यूरिया गायब है, शार्टेज है। 7 तारीख को एस0 एस0 पी0 को लिखा गया। पी0 पी0 से रिपोर्ट मांगी गयी। मैं मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में पी0 पी0 गोरखपुर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें है कि प्राइमाफेशाई का केस बनता है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

1400 मैट्रिक टन यूरिया की शार्टेज है तब मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुयी है। मंत्री जी ने रिपोर्ट में बताया है कि 535 मैट्रिक टन की शार्टेज है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर 1968 में बढ़ा है तब से आज तक कितनी शार्टेज हुयी। 535 टन की शार्टेज जो है यह किस अवधि की है। इस प्रश्न को पहले बतायें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, जहां तक श्री आनन्द के पिछले रिकार्ड कि वह सिन्द्री में थे, तो उनकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। चूंकि पिछला मामला है। जहां तक श्री रमाकान्त पांडे द्वारा जो स्वयं उन्होंने रिपोर्ट लिखाई उसमें यह है कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि 1400 मेट्रिक टन की कमी पिछले कई महीनों से है। जहां तक मेरी सूचना है कि स्टाक 1 अप्रैल, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक कुल 9 महीनों की अवधि का है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि 1968 मे एफ0 सी0 आई0 काम कर रहा है। तो 9 महीनों में यह शार्टेज हुआ है यह पहले भी शार्टेज हुई थी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

पुरानी सूचना को इसमें कैसे जोड़ रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, पहले शार्टेज नहीं हुई तो आज कैसे शार्टेज हो गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का हमारे प्रदेश से कोई सीधा संबंध नहीं है, वह तो केन्द्र का आटोनामस बाडी है। उसमें शार्टेज का उल्लेख किया गया था लेकिन पुरानी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, 4 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज की गयी, एस० एस० पी० को लिखकर दिया और उन्होंने पी० पी० से रिपोर्ट मंगायी। पी० पी० ने लिखा कि प्राइमाफेसी केस बनता है। तो फिर इसके बाद एफ० आई० आर० क्यों दर्ज नहीं हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसकी जांच चल रही है--एक तो सी० बी० आई० से और दूसरे मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा चेयरमैन द्वारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव जांच चल रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरा कहना है कि एफ० आई० आर० क्यों दर्ज नहीं हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, कोई निश्चित अपराध होने की सूचना नहीं थी इसलिये मुकदमा कायम नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष---

कार्य सूची--17--श्री सत्य प्रकाश-- नहीं हैं।
कार्य सूची--18--श्री मोहन लाल कपूर-- नहीं हैं।
कार्य सूची--19--खाद्य मंत्री का वक्तव्य।

प्रदेश में शादियों के लिए चीनी का कोटा न निर्धारित किये जाने के विषय में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

चीनी की वर्तमान वितरण व्यवस्था जनवरी, 1972 से भारत सरकार के निर्देशानुसार लागू की गयी थी। भारत सरकार के निर्देशानुसार लेवी चीनी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिये निर्धारित मात्रा में राशन कार्ड पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

खुले बाजार में चीनी के अधिक मूल्यों के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों के निवारण हेतु मई व जून, 1973 में विवाह हेतु 20 किलो तक और विशेष अनुमति से 50 किलो तक स्पेशल परमिट पर लेवी चीनी देने की व्यवस्था की गयी थी जो कि जुलाई, 1973 में समाप्त कर दी गयी थी।

जनवरी, 1974 में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1 फरवरी तथा मार्च, 1974 में होने वाले विवाहों के लिये तदनुसार लागू की गयी जिसे बाद में जून, 1974 तक के लिये बढ़ा दिया गया था। इसके उपरान्त सितम्बर, 1974 से यह सुविधा वर्ष के सभी शेष महीनों में होने वाले विवाहों के लिये दी गयी।

विवाह हेतु जिलों को साधारणतयः अलग से चीनी का कोटा नहीं आवंटित किया जाता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त कोटा पृथक से नहीं प्राप्त होता है। अतः इस मांग की पूर्ति जिले के कोटे से ही की जाती है। निर्धारित दर पर

[डाक्टर राजन्द्र कुमारी बाजपेई]

उपभोक्ताओं को वितरण हेतु प्रदेश की चीनी की मासिक आवश्यकता लगभग 31,000 मी0 टन है। इसके विपरीत जुलाई, 1974 से केवल 23,384 मी0 टन चीनी का मासिक कोटा प्रदेश में प्राप्त हो रहा है।

15 अप्रैल, 1975 से गत वर्ष की की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड पर चीनी का सामान्य वितरण स्थगित करके ग्रामीण कोटे की 40 प्रतिशत चीनी विवाह आदि हेतु स्पेशल परमिट पर देने तथा अवशेष 60 प्रतिशत चीनी मार्केटिंग वर्ष 1975–76 में गेहूं खरीदारी योजना में उपयोग करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार विवाह हेतु जनता को चीनी उपलब्ध कराने की शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है।

समस्त जिलाधिकारियों को पुनः आदेश जारी कर दिये गये हैं कि यह सुनिश्चित करें कि जनता को समय से परमिट प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी जिले में भी विवाह हेतु चीनी के स्पेशल परमिट दिये जाने लगे हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इसमें दो–तीन चीजें हैं–एक तो यह है कि देहातों में प्रति परिवार 750 ग्राम प्रति माह चीनी मिलती है चाहे 40 आदमियों का परिवार हो या 4 आदमियों का और शहरों में प्रति यूनिट एक किलोग्राम प्रति माह चीनी दी जाती है। मंत्री जी ने शहरों के कोटे में कोई कटौती नहीं की लेकिन देहाती क्षेत्र के कोटे में 60 प्रतिशत लेवी के साथ देने को कहा है और शेष 40 प्रतिशत शादी विवाह के लिये। दूसरी चीज यह है कि मैं अभी बनारस गया था तो परसों तक कोई व्यवस्था ब्लाक स्तर पर नहीं हुई है जैसा कि कहा गया था कि बी0डी0ओ0 परमिट देगा और दो-तीन स्पेशल दूकानें हर ब्लाक पर दी जायेंगी। लोग ए0 डी0 एम0 (सिविल सप्लाईज) के यहां दौड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को चीनी नहीं मिल रही है जबकि 15 तारीख से शादी बड़े जोरों पर चल रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई व्यवस्था ऐसी वह कर रही है जिससे लोगों को शादी–विवाह के लिये चीनी लेने में दिक्कत न हों और क्या शहर का कोटा घटाकर गांवों का बढ़ा रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जहां तक सवाल है ब्लाक स्तर पर ठीक से परमिट देने का तो इसकी व्यवस्था तो की ही जायेगी और यह आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। लेकिन माननीय सदस्य शहर और देहात के चक्कर में न फंसे तो अच्छा ही है। जब खाद्य का बजट चल रहा था तो माननीय सदस्यों ने स्वयं सुझाव दिये थे कि चीनी देहातों में ब्लैक की जाती है इसलिये केवल शादी और विवाह के लिये ही सुरक्षित रखी जाय। बहरहाल यह एक्सपेरीमेन्ट दो महीने तक चलने दीजिये, फिर दुबारा देखा जायेगा।

श्री ऊदल—

जैसा माननीया मंत्री जीने कहा कि शहर और देहात के चक्कर में न फसें, लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत जो चीनी मिलेगी वह बहुत कम है। क्या माननीय मंत्री जी इसको बढ़ाकर 50–60 प्रतिशत करने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, हमने जो आदेश किये हैं वह यह है कि जो हमारे क्रय केन्द्रों पर आकर गेहूं देंगे चाहे वह लैवी के आर्डर में आतें हों या नहीं, हम सबको चीनी देंगे चाहे वह बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो।

श्री ऊदल—

शादी विवाह अलग हैं और लेवी वाला अलग है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

दस बीस हजार रुपया जो तिलक में लेते हैं उनको कतई चीनी न दी जाय। इसके लिये सरकार को नियम बना देना चाहिये। ऐसे लोगों को शादी विवाह के लिये चीनी दी जाय जो अत्यन्त गरीब है। जो दस बीस हजार रुपया तिलक में लेते हैं वह तो बाजार से खरीद सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

20

एक सदस्य--

श्री श्याम मिश्र हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--

21।

जनपद वाराणसी के पुलिस अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप भारतीय लोक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

दिनांक 16 मार्च, 1975 को भारतीय लोक दल वाराणसी के कुछ सदस्य जिला अधिकारी वाराणसी से मिले और एक मांग पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वाराणसी के नगर पुलिस अधीक्षक, श्री अवध नारायन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक तृतीय श्री दीप नरायन चन्द्र सिंह एवं थानाध्यक्ष, चेतगंज श्री नागेन्द्र सिंह के विरुद्ध कतिपय शिकायतें करते हुये उनके स्थानान्तरण की मांग की गई थी। शासन द्वारा इस मांग पत्र के प्राप्त होते ही उसमें की गई शिकायतों की जांच के लिये उसे पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को भेजा गया। उनकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। अतः उक्त सूचना में उल्लिखित यह कथन निराधार है कि शासन ने उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की।

कथित मांग पत्र भारतीय लोक दल, वाराणसी के 19 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इनमें से केवल 10 व्यक्तियों का पता ज्ञात हो सका। शेष 9 अज्ञात व्यक्ति प्रतीत हुये और उनका कोई पता नहीं मिल सका। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कई बार मौखिक और लिखित रूप से साक्ष्य या बचान देने के लिये अनुरोध किया किन्तु उनमें से केवल एक व्यक्ति श्री नरसिंह यादव, अध्यक्ष, जिला भारतीय लोक दल वाराणसी को छोड़कर और कोई व्यक्ति साक्ष्य देने के लिये उपस्थित नहीं हुआ।

संक्षेप में शिकायतें यह थीं :--

(क) श्री अवध नरायन सिंह, पुलिस अधीक्षक (नगर) वाराणसी

(1) इनके ससुर श्री राम आधार सिंह, एडवोकेट, दारानगर मुहल्ले में रहते हैं। पुलिस अधीक्षक इनके यहां जाकर शराब पीते हैं और उन्हीं के माध्यम से रिश्वत लेते हैं।

(2) पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष चेतगंज के साथ नशे की हालत में क्वालिटी होटल गये और कुछ नागरिकों के साथ हाथापाई की।

(3) पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष के माध्यम से आबकारी की दुकानों से रिश्वत लेते हैं।

(ख) श्री डी0 एन0 सी0 सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (नगर) तृतीय

(1) यह शराब पीते हैं और नशे में शहर में घूमते हैं।

(2) इनका समधियाना मुहल्ला विशेश्वर गंज में है जिनके माध्यम से यह रिश्वत लेते हैं।

[श्री नारायण दत तिवारी]

(3) यह थानेदार के पद पर पहले भी वाराणसी में तैनात रहे चुके हैं। इस कारण इनके बहुत से दलाल हैं जिनके माध्यम से यह रिश्वत लेते हैं।

(4) इनके पास एक कार है जिसे वे टैक्सी के रूप में प्रयोग करते हैं और इससे तस्करी का व्यापार करते हैं।

(ग) थानाध्यक्ष चेतगंज, श्री नागेन्द्र सिंह

(1) इनका स्थानान्तरण सी0 आई0 डी0 में हो जाने के बावजूद वे नहीं गये और थानाध्यक्ष के रूप में धन कमा रहे हैं।

(2) इनकी मित्रता शहर के गुंडे और अवांछनीय तत्वों से है जिनसे मिलकर वे शान्तिपूर्ण नागरिकों को परेशान करते है।

(3) ठाकुर होने के कारण यह पुलिस अधीक्षक (नगर) से बहुत घनिष्ठ हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक ने उपरोक्त सब आरोपों पर विस्तार से जांच की है, यद्यपि शिकायत कर्त्ताओं में से केवल एक व्यक्ति ने साक्ष्य दिया। कथित व्यक्ति ने आरोपों के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी होने से इन्कार किया। शिकायतकर्ताओं द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के बावजूद भी पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रत्येक आरोप पर जांच की और हर एक आरोप को निराधार पाया। वस्तुस्थिति यह है कि नगर की पुलिस ने गुंडा एवं अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की। जिसके फलस्वरूप ये लोग भारतीय लोक दल के कुछ लोगों से मिलकर उक्त पुलिस अधिकारियों को वाराणसी से स्थानान्तरित किये जाने के पक्ष में क्रमिक अनशन कर रहे है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय सदस्यों ने यह लिख कर दिया है कि उक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया निराधार है।

अतः जांच के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि उक्त तीनों अधिकरियों के विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोप निराधार हैं।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा भी जांच हेतु आदेश दिया गया है और उनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह जो बयान सरकार की ओर से दिया गया है इसमें जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की गयी है, उन लोगों ने शिकायत करने वाले को ही गलत साबित करने की कोशिश की है। मान्यवर, इस संबंध में, मैं प्रश्न करने के पहले 2 मिनट अपनी बात कहने के लिये लेना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुयी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पुलिस महानिरीक्षक को जांच के लिये भेजेंगे। जो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गयी है, मैं समझता हूं यह वहां के पुलिस उप महानिरीक्षक की रिपोर्ट है, जिनकी रिपोर्ट के खिलाफ में ही वहां सारा काण्ड चल रहा है। उस रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के कारण ही, आई0 जी0 महोदय को वहां जांच के लिये भेजा गया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आई0 जी0 साहब वहां जांच के लिये गये, लेकिन चूंकि आई0 जी0 महोदय का रिटायरमेंट होने वाला था, वहां के पुलिस अधिकारियों ने उनको बिदाईपत्र दिया और क्लार्क होटल में उनकी दावत की। लिखितरूप से एस0 एस0 पी0 ने निमन्त्रण बांटा। तो एक तरफ आई0 जी0 साहब को मुख्य मंत्री जी जांच के लिये भेजते हैं, दूसरी तरफ आई0 जी0 साहब की वहां दावत दी जाती है। रिपोर्ट में लिखा है कि यहां गुण्डेगर्दी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बनारस में पिछले एक साल में अपराध बढ़े हैं। रिकार्ड देख लिया जाय।

गुण्डागर्दी बढ़ी है, चोरी डकैती बढ़ी है। दूसरी तरफ इस बयान में आरोप लगाया गया है कि भारतीय लोक दल के कार्यकर्ता गुण्डों से मिलकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। जिनके खिलाफ शिकायत की गयी है, उनके बारे में इस रिपोर्ट में एक शब्द नहीं है। इस रिपोर्ट पर जो वक्तव्य दिया गया है, कोई यकीन नहीं करने वाला।

इसलिये मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस बयान के अलावा सही बयान दिया जाय और बताया जाय कि जो वहां अनशन चल रहा है और कानूनी व्यवस्था बिगड़ी है, उनके सम्बन्ध में आई० जी० साहब वहां गये, तो क्या वहां जांच करने के लिये गये, या बिदाई समारोह में भाग लेने केलिये गये ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं जानना चहता हूं कि वहां के कितने आदमी को गुण्डा ऐक्ट में बंद किया गया ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आप गुण्डे का नाम बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्ट सवाल करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर मेरा दूसरा सवाल है कि जो वहां एस० पी० सिटी है वह मई मन्दिर के पास, जो तेलिया बाग में स्थित है, वहां शराब पीकर गये और वह मुनेश्वर सरदार को, जो भारतीय लोक दल के 85 साल के बुड्ढे आदमी हैं, उनको लाठी से पीटना शुरू कर दिया। कृपया इसके बारे में भी वस्तु स्थिति क्या है ? बताने का मंत्रीजी कष्ट करें। एक बात यह भी बतायें कि संस्कृत कालेज के छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अंदोलन कर रहे थे, तो 26 तारीख को ए०एन० सिंह साहब ने बड़ा बुरा बर्ताव किया। एक तरफ खुले आम डकैती बढ़ रही है ....

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

पुलिस महानिरीक्षक को बनारस भेजा गया क्योंकि माननीय शतरुद्ध प्रकाश तथा उनके बनारस के कुछ साथी तथा विधायक जो जिले से आते है उन्होंने उपमहा निरीक्षक की रिपोर्ट से अपनी सहमति प्रकट नहीं की। मैंने कहा कि मैं महा निरीक्षक पुलिस को वहां भेज रहा हूं। मेरे पास उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है और जो रिपोर्ट यहां दी गयी है वह उप-महानिरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वर्णित है। महा निरीक्षण पुलिस अगर उप महानिरीक्षक पुलिस की रिपोर्ट को गलत समझेंगे और उनकी कोई गलती पाई जायगी तो उनके द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट पर जो कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री बल्देव (जिला वाराणसी)—

जब शिकायत लोक दल के सदस्यों की थी तो सिर्फ दूसरे दल के सदस्यों की साक्ष्य क्यों ली गयी और स्वतंत्र लोगों की क्यों नहीं ली गयीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा वक्तव्य में कहा है 19 सदस्यों के हस्ताक्षर थे जिसमें 10 के पते तक ज्ञात नहीं हो सके।

श्री बल्देव—

मेरा सवाल साफ है कि जब एक दल का मसला था तो सिर्फ दूसरे दल के सदस्यों की साक्षी क्यों ली गयी है, स्वतंत्र लोगों से क्यों नहीं ली गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने अभी उत्तर में बताया कि जिनकी शिकायत थी जब उनसे इंक्वायरी की गयी तो 19 में से 10 का पता नहीं चला। शेष से बात करने की कोशिश की गयी। अन्य लोगों ने स्वयं डी० आई० जी०, पुलिस को अपना मेमोरेंडम दिया जिनमें विजय नारायण, संयुक्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी, सत्य नारायण सिंह भूतपूर्व संसद सदस्य तथा मोतीलाल थे तथा शिव नाथ सिंह, उपाध्यक्ष वाराणसी ये चार-पांच लोग थे।

श्री बल्देव—

एक दल के लोगों ने सवाल उठाया फिर दूसरे दल के लोगों का साक्ष्य क्यों लिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह तो साफ कर दिया गया कि जो जिनकी शिकायत थी पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश की गयी लेकिन अगर कोई घटना होती है और जांच हो रही है तो शोरगुल हो जाता है और फिर शिकायत करने वालों के अलावा अगर कुछ अन्य लोग आ जायं और कहें कि वह भी कुछ कहना चाहते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी बात नहीं सुनी जायगी। जन प्रतिनिधि होने के कारण जिन लोगों ने शिकायत की थी अगर उप महानिरीक्षक की रिपोर्ट की हम आखिरी शब्द मान लेते तो पुलिस महानिरीक्षक को क्यों भेजते ? उनकी रिपोर्ट को आ जाने दीजिये।

श्री ऊदल—

यह बात सही है कि गुंडों का बड़ा दमन हुआ, उनको जिले से बाहर किया गया और जेलों में भेजा गया लेकिन देखना यह कि जैन साहब एस० एस० पी० थे, महेश प्रसाद कलेक्टर थे और अहमद साहब एस० पी० सिटी थे जो आज कल एस० एस० पी०, बलिया है पिछले एक साल से कानून और व्यवस्था को भंग किया जा रहा है, लूट, व डकैती हो रही है, दिन दहाड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता को गोली मारी गयी श्री सुरेन्द्र बहादुर को जिससे साबित होता है कि ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब है तो क्या सरकार एक साल के पूरे फीगर्स और इससे पहले जिन अधिकारियों का नाम लिया उनके समय के फीगर्स को मंगा कर मिलान करेगी और इस बात की जांच करेगी कि यह शासन व्यवस्था क्यों खराब हो गयी है और उस शासन व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय, सारे प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक को वहां भेजने मतलब ही यह है कि वहां स्थिति ठीक करना चाहते हैं। आशा करते है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर अंतिम निर्णय हम कर सकेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

इसमें जो लिखा हुआ है कि भारतीय लोकदल के कार्यकर्ताओं से कुछ गुन्डे मिले। तो आप यह बतायें कि वे कौन से अवांछनीय तत्व हैं जिनकी वजह से वे लोग मांग कर रहे हैं ? इसके अलावा मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूंकि वहां कौन-कौन से गुंडे हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, उप निरीक्षक की रिपोर्ट का हवाला इस पैराग्राफ में दिया है। उसमें एक ललू सिंह गैंग, सेठू सिंह गैंग. . . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कौन गुंडे मिले थे. . . . . (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैं माननीय मालवीय जी से प्रार्थना करता हूं कि आप जबरदस्ती उधर क्यों ढकेलना चाहते हैं, जिधर हम नहीं जाना चाहते। पुलिस महा निरीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद ही अन्तिम फैसला होगा। उन्होंने गैंग्स के नाम तो दिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि जो मशहूर शातिर गुंडे हैं उनका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है। पुलिस उनका दमन करना चाहती है लेकिन किसी दल का राजनीतिक सम्बन्ध होने की वजह से .....

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

जो बयान दिया गया है, उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं। महानिरीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद देखा जायेगा।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा उनके दल के कुछ अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

रेनुकूट, जिला मिर्जापुर के रामलीला मैदान में उप-पुलिस अधीक्षक, श्री कुबेर सिंह यादव की हत्या की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

हिन्डालको प्रगतिशील मजदूर सभा ने परगनाधिकारी, दुद्धी, जिला मिर्जापुर से दिनांक 13-4-75 को एक ड्रामा 'वतन परस्त' रेनुकूट रामलीला मैदान में प्रदर्शित करने हेतु अनुमति मांगी थी क्योंकि वहां धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लगी हुई थी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर परगनाधिकारी ने उक्त तिथि को रामलीला मैदान में ड्रामा करने की अनुमति प्रदान कर दी।

रामलीला ग्राउन्ड हिन्डालको मैनेजमेन्ट की सम्पत्ति है और मैनेजमेन्ट वहां यह ड्रामा नहीं होने देना चाहती थी। रामलीला मैदान में उक्त ड्रामा खेलने की अनुमति भी मैनेजमेंट ने नहीं दी थी। दिनांक 13-4-75 को जब इस ड्रामे की समस्त तैयारी हो रही थी और ड्रामे के कलाकार आदि स्टेज सजा रहे थे तो हिन्डालको मैनेजमेंट के लोगों एवं प्रगतिशील मजदूर सभा के सदस्य के मध्य तनाव पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और हिन्डालको मैनेजमेन्ट ने अपने सिक्योरिटी गार्डों को रामलीला मैदान में ड्रामा न होने दिये जाने के लिये नियुक्त कर दिया। जब हिन्डालको सिक्योरिटी स्टाफ के मना करने पर प्रगतिशील, मजदूर सभा के कार्यकर्ता नहीं माने तो हिन्डालको सिक्योरिटी के सारजेन्ट ने एक प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष, पिपरी को दिनांक 13-4-75 की शाम को दिया कि यद्यपि हिन्डालको मैनेजमेंट ने प्रगतिशील मजदूर सभा को रामलीला मैदान में ड्रामा करने की अनुमति नहीं है तथापि वे जबरदस्ती ड्रामा करना चाहते हैं और झगड़ा करने पर उतारू हैं। इसकी जांच थानाध्यक्ष ने एक सब-इन्स्पेक्टर से कराई और जांच से शांति भंग की संभावना पायी जाने पर थानाध्यक्ष, पिपरी ने अध्यक्ष, प्रगतिशील मजदूर सभा को पुलिस चौकी रेनुकूट बुलाकर उनसे पूछताछ की तथा उनको सारी स्थिति से अवगत कराते हुए परामर्श दिये कि वे अपना ड्रामा अन्यत्र खेलें। अध्यक्ष, प्रगतिशील मजदूर सभा ने थानाध्यक्ष को आश्वासन दिया कि यदि परिस्थिति बिगड़ी तो वे अपना ड्रामा बन्द करा देंगे। इसके बाद अध्यक्ष, मजदूर सभा वापस चले गये।

बाद को करीब 7-30 बजे हिंडालको मैनेजमेन्ट के चीफ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर-पिपरी थाने पर आये जहां सी0 ओ0 स्वर्गीय श्री कुबेर सिंह यादव तथा परगनाधिकारी रावर्ट्सगंज मौजूद थे और कहा कि ड्रामा करने वालों का बाजा बजने लगा है, श्री कोठारी, अध्यक्ष, हिन्डालको ने उनसे कहा है कि किसी की मत पर रामलीला मैदान में ड्रामा नहीं होगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चीफ टाउन ऐडमिनिस्ट्रेटर ने यह भी कहा कि यह ड्रामा मेरी लाश पर होगा। इस भयावह परिस्थिति को देखकर थानाध्यक्ष, पिपरी ने एक रिपोर्ट ड्रामे को अनुमति निरस्त करने की दी जिस आधार पर परगनाधिकारी ने उसी समय ड्रामा खेलने की अपनी पूर्व आज्ञा को निरस्त कर दिया। इसकी तामीली हेतु जब थानाध्यक्ष, पिपरी लगभग 9 बजे रात एक सब इन्सपेक्टर, एक हेड कान्सटेबिल, तीन कान्सटेबिल तथा एक सेक्शन पी0 ए0 सी0 के साथ रामलीला मैदान में पहुंचे तो देखा कि सिक्योरिटी गार्ड और प्रगतिशील मजदूर सभा के सदस्यों में कहा सुनी, तू-तू, मैं-मैं हो रही थी। थानाध्यक्ष ने प्रगतिशील मजदूर सभा के मंत्री को ड्रामा खेलने की अनुमति को निरस्त करने के आदेश दिखाये। तब उक्त सभा के अध्यक्ष ने माइक द्वारा पब्लिक को बता दिया कि अब ड्रामा नहीं होगा। इस घोषणा के बाद मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस पार्टी तथा सिक्योरिटो गार्ड पर पथराव होने लगा और खलबली मच गई। इसी बीच जीप द्वारा सी0 ओ0, रावर्ट्सगंज स्व0श्री कुवेर सिंह यादव व परगनाधिकारी, रावर्ट्सगंज रामलीला मैदान में आगये और सी0 ओ0 जीप से उत्तर कर बलवाइयों को शांत करने के लिये स्टेज के सामने की तरफ तेजी से बढ़े लेकिन स्टेज के पास उनके पहुंचते ही अनेक लोगों ने उन्हें जानसे मार डालने के लिए ललकारा और घेरकर मारने लगे। थानाध्यक्ष, पिपरी अपने साथी कर्मचारियों और पी0 ए0 सी0 कान्सटेबिलों के साथ श्री कुवेर सिंह यादव को स्टेज के सामने जाते देख कर वहां गये परन्तु तब तक श्री कुवेर सिंह यादव गिर गये थे और कुछ लोग उन्हें लाठी व ईंटों से मार रहे थे। थानाध्यक्ष, पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 को अपनी ओर आते देख कर लोग इधर-उधर भागने लगे जिनका पीछा करके तीन व्यक्तियों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोग भाग गये। जब थानाध्यक्ष श्री कुवेर सिंह के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है। एहतियात के तौर पर उन्हें हिन्डालको अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने जांच के उपरान्त उन्हें मृत घोषित किया।

इस घटना में श्री कुवेर सिंह यादव की हत्या के अतिरिक्त थानाध्यक्ष, एक कान्सटेबिल, जीप चालक व पी0 ए0 सी0 के तीन सिपाहियों को तथा पांच सिक्योरिटी गार्डों को ढेले की चोटें आईं।

थानाध्यक्ष, पिपरी की रिपोर्ट पर एक अभियोग संख्या 90 धारा 147/149/302/332/336 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत 13 नामजद तथा कतिपय अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम हुआ है। इस अपराध की विवचना क्षेत्र निरीक्षक द्वितीय द्वारा की जा रही है। इस संबंध में अब तक कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस घटना के वास्तविक तथ्यों की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति से कराई जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इससे यह बात स्पष्ट है कि मजदूर सभा के लोगों ने बहुत बुरी तरह से यादव जी की हत्या कर दी और यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस वक्त वह बेचारा लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, उस समय जो अन्य पुलिस के लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उसपर कोई कार्यवाही नहीं की, इसका कारण यह मालूम पड़ता है कि इनसे और मजदूर सभा से कोई सांठ-गांठ थी, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब एक आदमी मजदूर सभा द्वारा मारा जा रहा था, तो बाकी पुलिस के लोगों ने अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं किया?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पुलिस वाले जो साथ में थे, उनके भी तो चोटें आई हैं---

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बाकी लोगों ने गोलियां क्यों नहीं चलाईं, जब बुरी तरह उनको मारा जा रहा था?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

मान्यवर, आप खुद परिस्थिति को समझ सकते हैं। मजदूर सभा को एक इजाजत मिली कि ड्रामा करो और फिर 9 बजे रात्रि को जब 4-5 हजार आदमी बैठे हुए हैं, उनसे कहा जाए कि अब नहीं करेंगे तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। अब 4-5 हजार आदमियों के बीच में हमारा जो आदमी गया, मारा भी जाता है, तो मेरे ख्याल से प्राण देना बेहतर है, बजाए इसके कि गोली चलाकर सैकड़ों-हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। और आगे इस मामले में मैं कोई राय नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जुडीशियल इंक्वायरी इसमें होने वाली है। ऐसी हालत में एक तरफ या दूसरी तरफ कुछ कहना अच्छा नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

एक बात का बहुत दुःख है यह कहना कि एक की जान चली जाए, लेकिन बहुतों को न मारा जाए।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

पुलिस वालों ने क्या किया और क्या नहीं किया, यह तो जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। यों उनके भी चोटें आई हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

सबसे बड़ा प्रश्न यह है जो माधव बाबू ने कहा और जिस तरह का शर्मनाक उत्तर मुख्य मंत्री ने दिया कि एक आदमी की जान जाने देंगे, लेकिन उसकी जान बचाने के लिये औरों की नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

गोली क्यों नहीं चलाई, इसका जवाब है यह तो।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

वह परिस्थिति नहीं थी कि एक व्यक्ति की जान दे देना उचित है अनेकों की नहीं, प्रश्न है कि लाठीचार्ज उन्होंने क्यों नहीं किया तथा पुलिस ने उनके बचाव के लिये क्या-क्या किया ?

वहां पर पी0 ए0 सी0 थी, परगनाधिकारी थे, थानाध्यक्ष थे, लेकिन कोई संरक्षण नहीं दिया गया। मैं इतना जानना चहता हूं कि पुलिस ने क्या-क्या किया उनकी सुरक्षा के लिए ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, पुलिस वालों ने यादव जी की रक्षा के लिये क्या कदम उठाया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह भी प्रश्न जांच का एक हिस्सा होगा कि पुलिस ने पूरा साथ दिया या नहीं दिया।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, यादव हमारे क्षेत्र के निवासी हैं। वहां के पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष वहां पर थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष दोनों के साजिश से उनकी जान गई है। जिस वक्त लाठी से प्रहार हो रहा था वहां पर सादी वर्दी में थानाध्यक्ष मौजूद थे। यादव जी वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ पहुंचेंगे ? यह पहले से मालूम था। वहां पर ड्रामा की परमिशन दी गयी थी। यादव जी वहां चौकी पर बैठे थे अपनी ड्यूटी में ताकि यहां पर अमन-चयन कायम किया जा सके। थानाध्यक्ष गुण्डों से और पिटवाने वालों से मिला था। वह वहां पर वर्दी में नहीं गया था, सादे में गया था। हल्का लाठी चार्ज जैसे कोई न कोई कदम तो उठाना चाहिये था। मान्यवर, लगातार मार पड़ती रही 10-15 मिनट तक और पुलिस वहां पर देखती रही, क्या इसकी जांच होगी ?

श्री हे मवती नन्दन बहुगुणा—

जो माननीय काशीनाथ जी ने कहा है, इस प्रश्न की भी जांच होगी और इस प्रश्न की भी जांच होगी कि हिंडालको की जमीन सारी बिड़ला जी के नाम है।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, इस घटना के ऊपर मैं मौके से गया था और तीन रोज रह कर मैंने पूरी छानबीन की। मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिंडालको जो बिड़ला साहब की कंसर्न है पिछली सितम्बर से वहां पर मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में विवाद चल रहा था। मैनेजमेंट ने सौ के करीब मजदूरों को निलंबित कर दिया और कुछ को बरखास्त कर दिया। मजदूरों ने सरकार को और मुख्य मंत्री जी को अप्रोच किया। कई बार प्रयास किया गया लेकिन मैनेजमेंट कोई न कोई बहाना करके उसको टालता रहा। बाद में 10 अप्रैल को मैनेजमेंट की तरफ से कुठारी साहब मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत हुए। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो निलंबित हैं कर्मचारी, उनको निलम्बन काल का भत्ता मिलना चाहिये और जो बिना नोटिस दिये हुए निकाल दिये गये हैं, उनको वापस ले लीजिये। मान्यवर, जिस साजिश के साथ डिप्टी एस0 पी0 जो कि सर्वप्रिय थे, मजदूरों के हितैषी थे, मजदूरों के हितों का ख्याल रखते थे, जिस साजिश से हत्या की गई थी, उसी साजिश से यह बयान भी भेजा गया है। और इसमें साजिश है वहां के स्थानीय थानाध्यक्ष और एस0 डी0 एम0 की। इसमें कहा गया कि परमिशन 12 तारीख को दी गई। अगर परमिशन दी गई थी तो हिन्डालको के प्रबन्धकों से इजाजत ले लेनी चाहिये थी। सिपाही जब स्टेज पर पहुंच रहे थे तब कैन्सिल किया जाता है, जब ड्रामा होने जा रहा था, जब वहां पर औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए बैठी थीं, तब कैन्सिल किया जाता है। अगर मजदूरों की हत्या करनी थी, तो यह सब कैसे हो सकता था। इसमें साजिश सिक्योरिटी गार्ड्स और सिपाहियों की हो रही थी। उन्होंने पत्थर फेंके। उसमें डी0 एस0 पी0 जो मजदूरों के पक्षधर हैं दरोगा और वहां के कप्तान पुलिस उनसे नाराज थे। मैं कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं। जिस परगनाधीश ने यह प्रशासनिक भूर्खता की है कि जब वहां पर 10 हजार आदमी मौजूद थे, तो उस आदेश को वापस लेने की जिस दरोगा ने एडवाइस किया कि इस प्रोग्राम को कैन्सिल किया जाय, तत्काल उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राग्दर्शन में मालूम पड़ता है कि प्रशासनिक भूल हुई है आज्ञा को निरस्त करने में। आज्ञा देते वक्त उन्हें कन्डीशन लगानी चाहिये थी, लेकिन वह नहीं लगाई। 9 बजे रात में जिस समय उसको कैन्सिल किया, वह वक्त नहीं था। मालिकों और मालिकों के सिक्योरिटी गार्ड्स को दबाना आसान था लेकिन 10 हजार लोगों को कन्ट्रोल करना आसान नहीं है और खास कर जब वे इतने उत्साह के साथ ड्रामा देखने की इन्तजार कर रहे थे और बैठे हुए थे। इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिये, उस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को माननीय भीखालाल जी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना है कि कम्युनिस्टों का योजनाबद्ध कार्य था। यही नहीं वहां पर दरोगा और डलला फैक्ट्री के मजदूरों और कम्युनिस्टों ने गड़बड़ी की है। एक आदमी उनमें से है जिस पर दफा 302 का मुकदमा चल रहा है। वहां पर एक इन्जीनियर को जान से मार डालने की कोशिश की गई और पहले वहां पर एक इन्जीनियर को मार भी दिया गया है। उन सब परिस्थितियों में कम्युनिस्ट नाराज, ऊपर शिकायत करते हैं। एस0 पी0 भी उनका विरोधी, डी0 एस0 पी0 भी नाराज। मजदूर भी नाराज। वहां पर एस0 पी0 और दरोगा की साजिश से यह डी0 एस0 पी0 मारा गया। मान्यवर, वहां पर सिपाही लाल कुर्ता पहने और डंडे लिये मौजूद थे वे इन्तजाम कर रहे थे। जब वहां पर डी0 एस0 पी0 पहुंचे तो कम्युनिस्टों ने गोली चलाई और बम फेंके। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं, क्या उनके ऊपर 302 के मुकदमे चल रहे हैं और वे किस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इतनी गहरई में तो जांच नहीं हुई कि वे किस-किस पार्टी के हैं। हमें गर्व है कि हमने तत्काल यादव के परिवार वालों को 5 हजार रुपया दे दिया और पुनः विचार कर रहे हैं कि उनकी जितने दिनों की नौकरी शेष थी उसका पूरा पैसा उनके घर वालों को दिया जाय विचार कर रहे हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई का बन्दोबस्त किया जाय। यह राजनीति नहीं कर रहे कि मजदूर सभा का जोर रहे या जनसंघ सभा का जोर रहे या कांग्रेस सभा का जोर रहे। मैं यह सार्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि किसने यह कत्ल किया,--न यह कह रहा हूं कि किसने नहीं किया। हम यह कह रहे हैं कि इसमें जुडिशियल जांच के लिये जब हमने कहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो नार्मल कोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं, उन सब को ठप्प कर दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह बता दीजिये कि जो अभियुक्त पकड़े गये हैं, उन पर 302 का मुकदमा कायम हुआ था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसकी जानकारी मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कहा कि न्यायिक जांच करा रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि इसकी हाई पावर जांच होनी चाहिये। लेकिन जैसी कि मैनेजमेंट की साजिश है कि वह इस जांच को लिंगर आन करना चाहते हैं। मैनेजमेंट की यह भी साजिश है कि ऐसा प्रोसेस जांच का बना दिया जाय कि सभी मामले उलझ कर रह जांय। तो टर्म्स आफ रेफरेन्स इस जांच के क्या हैं ? केवल 13 अप्रैल की घटना की ही जांच होगी या साल भर के और मामले जोड़े जायेंगे। जिस किसी ने भी यह घटना की है, चाहे वह जिस दल का हो, उसको फांसी होनी चाहिये। लेकिन हर प्रगतिशील मजदूर जो बिड़ला के शोषण के खिलाफ लड़ता है वह कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी उसको गले से लगाने के लिये तैयार है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो बात माननीय भीखालाल जी कह रहे हैं, उसके अर्थ तो यह हो जायगा कि गवर्नमेंट प्राइमा फेसी यह मानती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़े की वजह से यह हुआ। हम इस तरह की जांच में मजदूरों के शेष मामले को उलझाना नहीं चाहते। वह अलग चीज है। लेकिन इस तरह की बात कि स्थिति किन कारणों से पैदा हुई जज उसमें जा सकता है।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

इस सारी घटना को अगर इस संदर्भ में देखा जाय कि दो-तीन दिन पहले क्या घटना घटी उसी जगह तो मामला स्पष्ट हो जायगा। जिला परिषद् ने 24-25 दुकानें वहां पर बनवायी थीं और हमारे जनसंघ के भाइयों ने जा कर जबर्दस्ती उन पर कब्जा कर लिया था।

(व्यवधान, शोर)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारण यह था कि जो लोग झोपड़ियों में उस स्थान पर बैठे थे, उनको हटा कर मकान बनवाये गये थे कि मकान बनने के बाद जिन लोगों की झोपड़ियां थीं उन्हीं को दिये जायेंगे ?

श्री रुद्र प्रसाद--

तो 24 दुकानों पर जबरिया कब्जा कर लिया था। अध्यक्ष, जिला परिषद् ने रिपोर्ट लाज किया। उन लोगों का विचार यह था कि जबर्दस्ती कब्जा कर लें और किराया न दें और दुकान खोलें। जब रिपोर्ट हुई तो एस0 पी0 ने उनसे कहा कि सिचुएशन को जा कर देखो और आवश्यकता को पूरी करो और दुकानें खाली कराओ। तो दो, तीन दिन पहले यह उत्तेजना पैदा कर दी थी।

श्री अध्यक्ष--

यह तो सब जांच होगी। प्रश्न आपको कुछ करना हो तो करें।

श्री रुद्र प्रसाद--

यह बात सही है कि अगर प्रशासन चुस्ती दिखाता तो यह घटना रोकी जा सकती थी। यह डिस्प्यूट ड्रामा होने को लेकर हुआ। मैनेजमेंट ने ड्रामा करने के लिये इनकार कर दिया था। अब पता नहीं मैनेजमेंट को अख्तियार था या नहीं उसके लिये, पर पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट आदि नेजिस समय उनको रोका वह उचित समय रोकने का नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

यह आपके विचार हैं।

प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना रहने पर भी कतिपय जिलों में मिलों के बन्द किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

प्रदेश में वर्तमान पेराई सत्र में समस्त 74 चीनी मिलों ने पेराई की। दिनांक 22 अप्रैल, 1975 तक 29 चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं। तुलसीपुर चीनी मिल टरबाइन टूट जाने के कारण बन्द है जिसे यथा शीघ्र चलाने का प्रयास हो रहा है। इन चीनी मिलों की जनपद वार संख्या निम्न प्रकार है :--

क्रम-सं0	जिले का नाम	मिलों की सं0 जो बन्द हो चुकी हैं	कुल मिलों की संख्या
1	2	3	4
1	फैजाबाद	1	1
2	बाराबंकी	1	2
3	जौनपुर	1	1
4	वाराणसी	1	1
5	बस्ती	4	4
6	गोंडा	1	4
7	बहराइच	1	1
8	देवरिया	14	14
9	गोरखपुर	5	5
	कुल ..	29	33

बन्द चीनी मिलों के क्षेत्र में यदि कुछ गन्ने की मात्रा अवशेष पायी गयी तो उसे दूसरी चीनी मिलों को तुरन्त व्यावर्तित करने की व्यवस्था की गयी। जैसा कि जरवल रोड चीनी मिल को लगातार कई दिन गन्ना पूर्ति न होने पर बन्द होना पड़ा और उसके सुरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध अनुमानित 60 हजार क्विन्टल गन्ने को मसौधा, बभनान, बुढ़वल, बाराबंकी, बलरामपुर एवं नवाबगंज चीनी मिलों को व्यावर्तित किया गया। अतः यह उल्लेखनीय है कि शासन मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर सतर्क एवं जागरुक है। आवश्यकतानुसार चीनी मिलों की पेराई क्षमता, खपत एवं गन्ने की उपलब्धता तथा गन्ना कृषकों की मांग एवं हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये पेराई सत्र के मध्य में गन्ने के व्यावर्तन सम्बन्धी आदेश भी प्रसारित किये जाते रहे हैं। तात्पर्य यह है

प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना रहने पर भी कतिपय जिलों में मिलों 1057 के बन्द किये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

कि गन्ना कृषकों में गन्ना पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण व्याप्त होने वाले असंतोष की स्थिति केनिवारण का सतत् एवं सफल प्रयास किया गया है ।

प्रदेश की चीनी मिलों के अध्यासियों को यह भी निदेश दिये गये हैं कि वह अपनी मिलों को पेराई सत्र 1974–75 हेतु तब तक न बन्द करेंगे जबतक कि उनके सुरक्षित क्षेत्र में पेराई हेतु सम्पूर्ण उपलब्ध गन्ना तथा उन्हें व्यावर्तित किया गया गन्ना समाप्त न हो। इस सम्बन्ध में उन्हें अपने विधिक दायित्व को कड़ाई से निभाने के निर्देश दिये गये हैं। इसका अनुपालन कराने हेतु विभागीय जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को भी आदेश जारी किये गये हैं ।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 7–4–75 तक 1236 लाख क्विन्टल गन्ना पेरा जा चुका है । आशा की जाती है कि पेराई हेतु समस्त उपलब्ध गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जा सकेगा जिनके लिये, 22 मिलें माह मई के अन्त तक, एवं 13 मिलें माह जून तक पेराई कार्य करेंगी । सम्भवत: 2 मिलों को माह जुलाई में भी पेराई करनी पड़े ।

उपर्युक्त तथ्यों से प्रगट होगा कि शासन पेराई हेतु सुरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में दृढ़ है । इस आधार पर गन्ना कृषकों में असन्तोष व्याप्त होने का न तो कोई कारण ही है और न कोई विशेष सूचना ही उपलब्ध है । गन्ना जलाकर गन्ने के खेतों को खाली करने की भी सूचना उपलब्ध नहीं है और न प्रासंगिक दी गई सूचना में ही इसका कोई विशिष्ट विवरण दिया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं यह जानना चहता हूं कि बहुत ज्यादा गन्ना जो पेरायी के लिये अभी पड़ा हुआ है ,जो सूख रहा है, उसकी पेरायी के लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसको हम दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे है जहां पेरायी से अधिक गन्ना है ।

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची 24 का वक्तव्य कल लिया जायेगा ।

अब नं0 25 ले लिया जाये ।

प्रदेश के 5 हजार होम्योपैथिक छात्रों के जीवन के साथ शासन द्वारा तथा-कथित खिलवाड़ किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश का गठन 31 अक्टूबर, 1974 को कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1951 की धारा 4(क) के अनुसार शासन द्वारा 7 व्यक्तियों को मनोनीत करना था । उनमें से डा० श्याम किशोर मिश्र, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, को शासन द्वारा मनोनीत करके उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार अध्यक्ष नियुक्त करके बोर्ड को गठित किया जा चुका है । परन्तु इस बोर्ड में और भी सदस्य होते हैं । इस अधिनियम की धारा 4 (ख) के अनुसार इस बोर्ड में ऐसे तीन मेम्बर होते थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश की अभिज्ञाता शैक्षिक होम्योपैथिक संस्थाओं के अध्यापकगणों को स्वयं अपने में से निर्वाचित करना था । यह निर्वाचन कराया भी गया । जिस समय निर्वाचन हो रहा था, उस समय शासन को सूचित किया गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची ठीक नहीं है । यह सूची उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् से निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्मित कराई गई थी । शासन द्वारा इसका परीक्षण किया गया और वह सूची

[श्री प्रभुनारायण]

वास्तव में गलत पाई गई। अतः उक्त चुनाव को रद्द करना पड़ा। अब नये सिर से इस सूची को तैयार कराया जा रहा है। जैसे ही वह पूरी हो जायेगी, उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा सरकारी गजट में आपत्ति नियंत्रण हेतु प्रकाशित कराया जायगा। उसी के पश्चात् इस निर्वाचन क्षेत्र के पुनः चुनाव की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायगी।

इस परिषद् में उक्त अधिनियम की धारा 4 (ग) के अनुसार पांच ऐसे मेम्बर होंगे, जिन्होंने कम से कम दस वर्ष होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा चिकित्सा प्रैक्टिस की हो और जिन्हें राज्य के रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डाक्टर स्वयं अपने में से निर्वाचित करें। उसके निर्वाचन हो चुके हैं, परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव परिणाम घोषित नहीं किये जा सकते। यही अपरिहार्य कारण है जिससे परिषद् में अन्य निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सका। परिषद् के चेयरमैन की नियुक्ति की वैधता उच्च-न्यायालय में विचाराधीन है, अतः शासन इस समय इस पर कोई बात कहने में असर्थ है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के कार्य कलाप के विरुद्ध शासन को अनेकों शिकायतें प्राप्त हुईं। छात्रों ने उग्ररूप से आन्दोलन भी किया। उनकी मांगें थीं कि अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाय। अतः काफी विचार विमर्श के पश्चात् उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1974 पारित किया गया। मूल अधिनियम की धारा 41 में 41-क, 41-ख तथा 41-ग जोड़ा गया। अब धारा 41-क के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश होम्योपथिक चिकित्सा परिषद् होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में शिक्षण तथा परीक्षण निकाय के रूप में अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का समुचित निर्वहन करने के लिये होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में एक संकाय संघटित करेगा, जिसके निम्नलिखित मेम्बर होंगे :—

1—उप निदेशक, होम्योपैथिक, जो संकाय के पदेन डीन होंगे।

2—एक मेम्बर जो प्राध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा।

3—कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मेम्बर।

4—बोर्ड का एक ऐसा मेम्बर, जो न तो होम्योपैथों द्वारा चुना गया है और न प्राध्यापक द्वारा निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा।

5—प्राचार्य नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ जो संकाय के पदेन सचिव रहेंगे।

इसके अतिरिक्त संकाय, चार से अनधिक मेम्बरों को ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो निर्धारित किये जायं, निर्धारित रीति से सहयोजित कर सकता है।

यह अधिनियम 17 जनवरी, 1975 को लागू किया गया। कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला मेम्बर निर्वाचित हो चुका है। जैसे ही प्राध्यापक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव समाप्त हो जायेगा एवं शासन द्वारा शेष सदस्यों को मनोनीत कर दिया जायेगा वैसे ही परिषद् द्वारा संकाय का गठन किया जायेगा। नियमानुसार अब होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं को सम्पादित करने का अधिकार केवल उसकी संकाय में निहित है, अतः उन परीक्षाओं का लेना तभी सम्भव होगा, जब संकाय का गठन हो जायगा। शासन बोर्ड के माध्यम से इस संकाय का शीघ्रातिशीघ्र गठन करने के लिये प्रयत्नशील है। इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं है कि 5 हजार छात्रों के भविष्य की बागडोर केवल एक व्यक्ति डिप्टी डाइरेक्टर होम्योपैथी में दी गई है। छात्रों के भविष्य का ध्यान शासन को पूर्ण रूपेण है और शासन इस दिशा में हर प्रकार से प्रयत्नशील है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

31 अक्टूबर, 74 को यह बोर्ड बन जाना था। बोर्ड आपने नहीं बनाया और एक डिप्टी डाइरेक्टर को जो होम्योपैथिक का था, उसको अध्यक्ष बना दिया। जब सवाल यह

उठा तो उन्होंने नामिनेट करके, जब कि चुनाव करना था, गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपने अपने वक्तव्य में स्वीकार कर लिया कि उनके खिलाफ हाईकार्ट में रिट हो गयी है और बगैर बोर्ड के नये सदस्य नामिनेट किये या चुनाव के आपने कैसे अध्यक्ष बना दिया जब कि चुने गये मेम्बरों के बीच से उनका चुनाव होना था ? जो आदमी सदस्य भी नहीं है उसको आपने अध्यक्ष बना दिया, यह क्यों ?

दूसरी बात यह है फैकल्टी बनाने की बात भी थी, उसका भी कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि हजारों विद्यार्थियों के जीवन के लिये उनकी परीक्षा के लिये हम कोई खतरा नहीं उत्पन्न होने देंगे। तो किस बिना पर आपने ऐसा कहा है और उनकी परीक्षा तथा उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह देने के लिये आपने क्या इन्तजाम किया है, वह किस तरह से और किसके द्वारा होगा ?

श्री प्रभुनारायण—

जहां तक बोर्ड के कांस्टीट्यूशन की बात है उस सम्बन्ध में सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त था, उसके अध्यक्ष के नामिनेशन के सिलसिले में और उसके सदस्यों के नामिनेशन के सिलसिले में सरकार इस कार्य को कर सकती थी। नामिनेशन इसलिये नहीं किया गया और जो चुन कर आने वाले हैं उनके आने के बाद ही नामिनेशन की बात थी। चूंकि बोर्ड का कार्य-काल समाप्त हो रहा था और कार्य चलता रहे इसलिये बोर्ड के अध्यक्ष का नामिनेशन कर दिया गया क्योंकि बोर्ड तो अपनी जगह पर है ही। लीगल ओपीनियन यही है कि एक्जामिनेशन का काम चल सकता है।

श्री मधुकर दिघे—

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो आपने डिप्टी डाइरेक्टर को उसका चेयरमैन कैसे बना दिया जब कि बोर्ड के मेम्बरों में से ही उसको बनाना चाहिये ?

श्री प्रभुनारायण—

डिप्टी डाइरेक्टर को चेयरमैन नहीं बनाया है। श्री श्याम किशोर मिश्र एक नामजद सदस्य हैं, उनको बनाया है। इस समय बोर्ड की पोजीशन यही है। श्री श्यामकिशोर मिश्र डिप्टी डाइरेक्टर नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगे पर वक्तव्य की मांग न करने की अपील

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

24 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह साम्प्रदायिक दंगे के सिलसिले में है। माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न के ऊपर इस सदन में खुल कर बात करने से हम प्रदेश का कोई बहुत कल्याण नहीं कर सकते हैं। मसला सब जगह शान्त है। जिन सदस्यों को कुछ कहना हो, वे कक्ष में आकर बात कर लें और जो तथ्य हैं, उनको यहां उजागर करने से प्रदेश का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। खासतौर से मैं माननीय माधव बाबू से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को यहां उठाने का कष्ट न करें। मुझसे कक्ष में मिल कर बात कर लें।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के सहमति प्रकट करने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
28 अप्रैल, 1975।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 938 पर।)

तालिका (क)

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कुल बकाया रु० 1503.85 लाख

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति (लाख रुपयों में)

क्रम-सं0	चीनी मिल का नाम	74-75 से पूर्व सीजन का अवशेष गन्ना मूल्य (28-2-75)	सीजन 74-75 के (15-3-75 को) वाजिब	गन्ना मूल्य भुगतान	बकाया की स्थिति शेष
1	2	3	4	5	6
1	इकबालपुर	1.27	238.58	202.87	35.71
2	देवबन्द	5.85	400.39	373.43	26.96
3	लक्सर	..	284.68	228.83	55.85
4	मन्सूरपुर	3.87	269.94	269.36	0.58
5	खतौली	0.22	322.97	294.91	28.06
6	शामली	..	492.27	240.42	51.85
7	दौराला	..	346.07	250.02	96.05
8	जसवंत	8.76	153.29	133.47	19.82
9	वेगमाबाद	..	163.57	142.25	21.32
10	सिम्भैली	..	272.70	247 25	25.45
11	मवाना	1.52	499.53	382.97	116.56
12	काशीपुर	0.02	189.35	165.73	24.12
13	बिलारी	9.10	182.95	153.41	29.54
14	रामपुर	13.21	309.34	262.60	46.74
15	शिवहारा	..	406.30	365.17	41.13
16	धामपुर	0.08	291.19	214.26	76.93
17	नेवली	..	185.85	168.53	17.32
18	बहेड़ी	1.06	211.15	175.18	35.97
19	पीलीभीत	..	302.64	299.97	2.67
20	रोजा	0.01	114.48	79.76	34.72
21	हरदोई	..	254.62	233.00	21.62
22	हरगांव	..	388.47	368.11	20.36
23	महोली	5.01	208.94	180.28	28.66
24	बिसवां	3.65	128.04	103.84	24.20
25	गोला	..	546.99	507.18	39.81
26	ऐरा	..	188.19	168.24	19.95
27	पलियां कला	..	118.83	101.56	17.27
28	मोतीनगर	0 03	162.62	137.03	25.59
29	शाहगंज	0.39	62.72	43.99	18.73
30	बभनान	..	79.44	69.61	9.83

1	2	3	4	5	6
31	नवाबगंज	..	139.21	1 8.89	20.32
32	तुलसीपुर	..	142.38	114.09	28.29
33	बलरामपुर	..	145.18	20.29	24.89
34	खलीलाबाद	0.07	71.82	58.83	12.99
35	मुंडेरवा	..	74.41	47.63	26.78
36	बस्ती	..	135.14	120.79	14.35
37	बाल्टरगंज	..	107.72	98.60	9.12
38	सरदार नगर	0.12	251.14	99.29	51.85
39	धुंधली	..	105.41	81.36	24.05
40	सिसवबाजार	2.03	108.76	83.85	24.91
41	आनन्दनगर	0.05	128.10	115.29	12.81
42	परतावपुर	..	65.14	51.44	13.70
43	बैतालपुर	..	97.67	77.23	20.44
44	गौरीबाजार	..	97.27	88.71	8.56
45	देवरिया	..	110.46	102.59	7.87
46	छितौनी	..	87.15	65.88	21.27
47	कैप्टेनगंज	..	140.15	120.41	19.74
48	लक्ष्मीगंज	..	139.33	129.51	9.82
49	रामकोला (पी	..	229.55	225.47	4.08
50	पडरौना	0.04	164.20	132.05	32.15
51	कठकुइयां	..	96.78	82.76	14.02
52	सेवरही		120.01	87.90	32.11
	योग	..	56.36 10533.58	9086.09	1447.49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 949 पर।)

कोषागार लखीमपुर खीरी में लिपिकों की 1974 की ज्येष्ठता सूची

क्रम सं०	नाम	स्थायी अथवा अस्थायी	स्थायीकरण की तिथि	मूल पद का वेतनक्रम	वर्तमान स्थानापन्न पद का नाम तथा उसका वेतन क्रम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
सर्व श्री						
1	मुकुट बिहारी तिवारी ..	स्थायी	30–3–50	200–320	कोष० मुख्य लि० 450–700	मण्डलीय सूची के अभ्यर्थी।
2	हयात उल्ला ..	,,	1–1–62	,,	बिल पारण लि० 230–380, 1–4–74	से स्थानापन्न।
3	बदरुद्दीन खां ..	,,	31–12–61	,,	अधिष्ठान लि० 230–380, 1–7–74	से स्थानापन।
4	पुत्तू लाल शर्मा ..	,,	1–4–62	,,	..	
5	सरजू प्रसाद पुरी ..	,,	7–10–63	,,	..	..
6	ओम प्रकाश गुप्त ..	,,	1–4–64	,,	..	..
7	ओम प्रकाश श्रीवास्तव –1 ..	,,	1–4–64	,,	..	..
8	श्री कृष्ण गुप्त ..	,,	1–4–67	,,	..	..
9	गंगा प्रसाद मिश्र ..	,,	15–3–68	,,	..	..
10	ओम प्रकाश श्रीवास्तव–2 ..	,,	1–4–69	,,	..	..
11	कृष्ण मोहन ..	,,	13–9–69	,,	..	..
12	राम सेवक (अनुसूचित जाति) ..	,,	13–6–72		रिकार्ड कीपर 230–380, 1–7–74	से स्थानापन्न।

13	नत्थू लाल (अनुसूचित जाति)	,,	5-11-72	,,	..		..
14	लाला राम (,,)	,,	28-1-73	,,	..		..
15	ज्ञानचन्द्र प्रकाश सक्सेना	अस्थायी	..	..	सहा0 स्वा0 न0	200-320	..
16	इमारत अली खां	,,	..	..	बेडी0ए0 सी0लि0	,,	
17	शहीद अहमद	,,	..	..	सा0 स्था0 न0	,,	..
18	राम स्वरूप (अनुसूचित जाति)	,,	.	..	कोष0 लि0	,,	..
19	विशेश्वर राम तिवारी	,,	..	,,	,,	,,	..
20	राम बैरिस्टर वर्मा	,,	..	..	डैटा प्रोसेसिंग लि0	,,	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 950 पर)

परगनाधिकारी, संडीला द्वारा संडीलानगर, संडीला ब्लाक एवं बेहदर ब्लाक के चीनी कोटेदारों के निरीक्षण एवं उनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण

क्रमांक	कोटेदार का नाम व पता	शिकायत/आरोप का विवरण	कृत कार्यवाही
1	2	3	4
1	श्री गंगा प्रसाद, शकर बिक्रेता मोखावां डीग ब्लाक–संडीला।	पुराने निरस्त कोटेदार श्री इरशाद अली के नौकर कमीशन एजेन्ट या साझीदार होना। आर्थिक स्थिति कोटा लायक न होना।	28–1–75 को निरस्त
2	श्री देवी प्रसाद, शकर विक्रेता गोसवां डीग, ब्लाक–संडीला।	नियुक्त के पूर्व कत्ल आदि के अभियोग में 19–5–71 को बिक्रेता का अनुबन्ध निरस्त किया जा चुका था। इस तथ्य को छिपा कर पुनः कोटा बनवा लिया था।	20–12–74 को निरस्त
3	श्री राना सिंह, शकर बिक्रेता, मलहैरा, ब्लाक–संडीला।	न्याय पंचायत के मध्य में दुकान का न होना आदि ..	3–12–74 को निलम्बित एवं 6–1–75 को बहाल।
4	श्री होरीलाल, शकर विक्रेता, मलहैरा, ब्लाक–संडीला।	शिकमी पर दुकान को उठाए जाना, विक्रेता के साधन सहकारी समिति में अंकक के पद से गबन के आरोप में पदच्युत किया जाना	28–1–75 को निरस्त
5	श्री लक्ष्मी नरायन, शकर विक्रेता मांडर ब्लाक–बेहदर	जांचके समय दुकान का बन्द होना, दुकान की स्थिति के बारे में किसी भी सूचना पट का न होना। चीनी का नियमित वितरण न करना।	18–3–75 को निलम्बित
6	सर्वश्री ज्वाला प्रसाद रामेश्वर प्रसाद शकर विक्रेता ककराली, ब्लाक, संडीला।	दुकान न्याय पंचायत से बाहर होना, संचालक दुकान का प्रधान, होना (ग्राम प्रधान) चीनी नियमानुसार न बांटना।	19–4–75 को निलम्बित
7	भोलानाथ ज्ञान प्रकाश, न्याय पंचायत ककराली, ब्लाक–संडीला।	न्याय पंचायत से बाहर दुकान का होना रामेश्वर प्रसाद ग्राम प्रधान द्वारा दुकान का संचालन, व्यवहार कुशल न होना उपभोक्ताओं को नियमानुसार चीनी न देना।	19–4–76 को निलम्बित
8	श्री लालता प्रसाद, शकर बिक्रेता, संडीला नगर।	फर्जी बिक्री एवं नियन्त्रित वस्तुओं का दुरुपयोग ..	15–4–75 को निलम्बित

नत्थी 'घ'

(देखिये अद्धाराकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 957 पर)

गोरखपुर जनपद की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निरस्त किये जाने का संक्षिप्त कारण।

क्रम सं0	दुकानदार का नाम व पता	दुकान निरस्त किये जाने का संक्षिप्त कारण
1	श्री मंगरू कुमार न0प0 डीहघाट ब्लाक ब्रह्मपुर, तहसील सदर।	श्री मंगरू कुमार की स0स0ग0/चीनी की दुकान एवं किराने की दुकान एकही स्थान पर पाई गई। दुकानदार द्वारा दुचान के प्रमुख भाग पर रेट एवं साइनबोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसके साथ-साथ उन्होंने चीनी, मिट्टी तेल का सही वितरण न करके उसे अधिक मूल्य पर बेचा था।
2	श्री बिन्ध्याचल, जैनपुर नगवा, ब्लाक पिपरौली, तहसील सदर।	जांच अधिकारी को अभिलेख नहीं मिला। दुकान बन्द पाई गई। यह भी ज्ञात हुआ कि पिता-पुत्र के नाम दो अलग-अलग दुकानें इसी न्याय पंचायत में थी।
3	श्री धुरहू, जैनपुर, नगवा ब्लाक पिपरोली तहसील सदर।	जांच अधिकारी को अभिलेख नहीं मिला। दुकान बन्द पाई गई। यह भी ज्ञात हुआ कि पिता पुत्र के नाम दो अलग-अलग दुकानें इसी न्याय पंचायत में थी। (श्री धुरहू श्री बिन्ध्याचल के पिता पाये गये)
4	श्री सर्वजीत सिंह पचौरी, ब्लाक सहजनवां, तह0 सदर।	कुछ राशन कार्डों पर 500 ग्राम चीनी दर्ज किया गया किन्तु 250 ग्राम चीनी दिया गया। 112 राशन कार्ड पर चीनी नहीं दिया गया। दुकानदार ने चीनी जलने का भी बहाना किया जो जांचोपरान्त निराधार पाया गया। इनके प्रति जनता में असन्तोष भी पाया गया।
5	श्री विन्ध्याचल विशुनपुर भटिमरा ब्लाक ब्रह्मपुर, तहसील सदर।	कार्डधारकों से चीनी का अधिक मूल्य लेने का आरोप था। जांच के समय दुकानदार ने जांच अधिकारी को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और यह कहा कि उनका झोला जिसमें दुकान सम्बन्धी अभिलेख थे, कोई लेकर भाग गया है। उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट पुलिस में भी लिखाई थी, परन्तु जांच अधिकारी ने इसे संतोषजनक नहीं माना। अतः इनकी दुकान निरस्त की गई।

क्रम सं०	दुकानदार का नाम व पता	दुकान निरस्त किये जाने का संक्षिप्त कारण
7	श्री गुलाबचन्द, मजुरा ब्लाक पनियरा, तहसील महराजगंज ।	दुकानदार घरेलू झगड़े के कारण घर छोड़ कर बाहर चला गया। आरोप पत्र जारी किया गया किन्तु वापस आ गया और ज्ञात हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई।
6	श्री विभूती राम भुवाल प्र० सतगुर ब्लाक पनियरा, तहसील महराजगंज ।	जांच अधिकारी को अभिलेख प्रस्तुत न करना। दुकानदार के एक हिस्सेदार श्री विभूती ने बताया कि श्री भुवाल प्र० बाहर चले गये और समस्त अभिलेख अपने ही साथ लेते चले गये।

अनुबंध 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 960 पर)।

नगर क्षेत्र में प्रति यूनिट प्रति माह वितरण

जिला	गेहूं	चावल	चीनी
इलाहाबाद	4 किलो	2 किलो	1 किलो
वाराणसी	4 ,,	2 ,,	800 ग्राम
गोरखपुर	3 ,,	1.5 ,,	650 ,,

सत्यमेव जयते

उ0 एस0 यू0 पी0—एल0 133 वि0 सभा —(548)—1976—840।